ष्टम माला, खण्ड 16, अंक 36

गुरुवार, 17 अप्रैल, 1986
27 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 16, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 36, गुरुवार, 17 अप्रैल, 1986/27 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 720 से 723, 729, 730 और 732	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24—158
तारांकित प्रश्न संख्या : 724 से 728 और 733 से 739	24—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6892 से 6946, 6948 से 7078 और 7080 से 7097	29—158
सैयद शाहबुद्दीन, संसद सदस्य, द्वारा श्री आरिफ मोहम्मद खां, संसद सदस्य, के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों, जो कि 4 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुई थीं, के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	160—172
सभा पटल पर रखे गए पत्र	172—174 व 258—259
प्राक्कलन समिति	175
31वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	175
नवां प्रतिवेदन	
समिति के लिए निर्वाचन	175—176
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	
नियम 377 के अधीन मामले :	176—180
(एक) केरल में सूखा-पीड़ित लोगों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देने की मांग	
श्री वी० एस० विजयराघवन	176
(दो) नवयुग स्कूलों के जूनियर विंग के छात्रों का सीनियर विंग में स्वतः प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए जूनियर नवयुग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर सीनियर नवयुग स्कूलों में बदलने की आवश्यकता	
श्री जगन्नाथ प्रसाद	176

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के वन-उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता	
श्री अरविन्द नेताम	177
(चार) सरकारी सेवाओं में ग्रुप "घ" के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे को भरने की आवश्यकता	
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	177
(पांच) पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और काश्मीर के क्षेत्रों से आए शरणार्थियों के दावों को तत्काल निपटाने और विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से जम्मू और काश्मीर आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री जनक राज गुप्त	178
(छह) मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 को वापस लेने की आवश्यकता	
श्री हन्नान मोल्लाह	178
(सात) आई० डी० पी० एल० की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता	
डा० ए० कलानिधि	179
(आठ) दिल्ली की विद्युत आवश्यकता पूरी करने के लिए यहां एक और ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री भरत सिंह	179
(नौ) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अलीगंज, पतियाली और भरगैन में कृषि विकास बैंक की शाखाएं खोलने की आवश्यकता	
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	180
अनुदानों की मांगें, 1986-87	180—219
खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय	
डा० गौरी शंकर राजहंस	180—183
श्री आर० अण्णानम्बी	183—186
श्रीमती बसव राजेश्वरी	186—189
श्रीमती प्रभावती गुप्त	189—191
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	192—194
डा० दत्ता सामन्त	194—196
कुमारी पुष्पा देवी	196—198
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	199—203

विषय	पृष्ठ
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	203—206
श्री ए० के० पांजा	206—219
विधेयक—पुरःस्थापित	219—223
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 310 और 311 का संशोधन)	
श्री सत्यगोपाल मिश्र	219
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये भाग 21क का अन्तःस्थापन, आदि)	
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	220
(तीन) उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित आरक्षित उद्योग विधेयक	
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	220
(चार) छोटे तथा सीमान्त कृषकों को सहायता विधेयक	
श्री हन्नान मोल्लाह	220
(पांच) सरकारी कर्मचारियों हेतु विशेष चिकित्सा सुविधाएं विधेयक	
श्री हन्नान मोल्लाह	221
(छह) कृषि कर्मकार प्रतिकार विधेयक	
श्री जायनल अबेदिन	221
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101 में संशोधन)	
श्री अनूपचन्द शाह	221
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन)	
श्री सुरेश कुरूप	222
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 333क का अन्तःस्थापन)	
डा० पी० बल्लल पेरूमान	222
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 में संशोधन)	
श्री जी० एम० बनातवाला	222
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 315 में संशोधन)	
श्री शान्ताराम नायक	223
बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक (धारा 2 में संशोधन) आदि	223—258
श्री अजित कुमार साहा	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	223—224

विषय	पृष्ठ
श्री सी० जंगा रेड्डी	224—225
डा० गौरी शंकर राजहंस	225—227
श्री अमल दत्त	227—228
श्री विजय कुमार यादव	228—232
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	232—236
कुमारी ममता बनर्जी	236—239
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	239—242
श्री गिरधारी लाल व्यास	242—247
श्री मूल चन्द डागा	247—251
डा० दत्ता सामन्त	251—256
श्री कमोदीलाल जाटव	256
श्री डालचन्द जैन	226—258
आधे घण्टे की चर्चा	259—271
भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का प्रबन्ध	
कुमारी ममता बनर्जी	259—262
श्री ए० के० पांजा	262—267
डा० गौरी शंकर राजहंस	268
श्री मूल चन्द डागा	268—271

लोक सभा

गुरुवार, 17 अप्रैल, 1986/27 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मत्स्य-ग्रहण कम्पनियों को ऋण

*720. श्री डी० पी० यादव† :

श्री सोमनाथ रथ :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति से कुछ मत्स्य-ग्रहण कम्पनियों ने 31 मार्च, 1986 से पूर्व जल्दबाजी में ऋण मंजूर कराये हैं ;

(ख) उन सभी मत्स्य-ग्रहण कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें नौवहन विकास निधि समिति ने 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि में ऋण मंजूर किए और प्रत्येक कम्पनी को ऋण की कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में नौवहन विकास निधि समिति के निदेशक मंडल द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की जानकारी मिली है ;

(घ) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या ऐसे सभी मामलों की पुनरीक्षा करने का सरकार का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) जिन फिशिंग कम्पनियों को 1-1-1986 से 31-1-1986 के बीच ऋण की मंजूरी दी गई, उसका ब्यौरा सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) मैसर्स वेंकटेश्वर फिशरीज (प्रा०) लि० के मामले में उक्त कम्पनी के निदेशक मंडल के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के कतिपय आरोपों की ओर सरकार का ध्यान गया है।

(घ) कृषि विभाग ने तमिलनाडु सरकार के मत्स्य पालन विभाग के निदेशक को मैसर्स वेंकटेश्वर फिशरीज (प्रा०) लि० के प्रबन्ध निदेशक और अन्य निदेशकों तथा उस कम्पनी की वित्तीय स्थिति की गोपनीय तौर पर जांच करने के लिए कहा है। इनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

उन फिशिंग कम्पनियों के ब्यौरे जिन्हें 1-1-1986 और 31-3-1986 के बीच ऋण दिया गया

(क) स्वदेशी ट्रालर

क्र० सं	कम्पनी का नाम	ऋण की राशि
1.	मैसर्स प्रिमियर ट्रालिंग (प्रा०) लि०, मद्रास	72,51,900
2.	मैसर्स महालक्ष्मी मेरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०), मद्रास	72,51,900
3.	मैसर्स क्राउन फिशरीज (प्रा०) लि०, टूटी कोरिन	72,51,900
4.	मैसर्स स्वागत मेरीन प्रोडक्ट्स, मद्रास	72,51,900
5.	मैसर्स गीज मेरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, टूटी कोरिन	72,51,900
6.	मैसर्स सारावनन मेरीन प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, मद्रास	72,51,900
7.	मैसर्स अप्पू इंटरनेशनल (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	148,24,000
8.	मैसर्स सीबे वेंचर (प्रा०) लि०, कोचीन	74,12,000
9.	मैसर्स भवानी मेरीन ट्रेडर्स (प्रा०) लि०, मद्रास	74,12,000
10.	मैसर्स इम्बेसी फिशरीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	148,24,000
11.	मैसर्स मयूर मेरीन (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम	148,24,000
12.	मैसर्स फोर सीजन फिशरीज लि०, विशाखापत्तनम	145,67,188
13.	मैसर्स सर्व शक्ति फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम	145,67,188
14.	मैसर्स मेरीन फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम	72,83,594
15.	मैसर्स शबरी फिशरीज (प्रा०) लि०, बंगलूर	72,83,594
16.	मैसर्स श्रेयाज सीफूड (प्रा०) लि०, बंगलूर	72,83,594
17.	मैसर्स केप्रपीकार्न फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम	72,8.3,594
18.	मैसर्स मारुति मेरीन्स (प्रा०) लि०, काकीनाडा	146,46,600
19.	मैसर्स शर्मीला फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम	73,23,300
20.	मैसर्स गीता मेरीन्स प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, पांडिचेरी	73,16,700

(ख) आयातित ट्रालर

क्र० सं० कम्पनी का नाम और (आवेदन की तारीख)		विदेशी मुद्रा की मौजूदा दर पर 90% ऋण की सिफारिश की गई
1.	मैसर्स सागरिका सीफूड (प्रा०) लि०, (9-10-84)	रु० 85,24,494
2.	मैसर्स कांटिनेन्टल फिशरीज (प्रा०) लि०, (11-10-85)	रु० 85,24,494
3.	मैसर्स रघु सीफूड (प्रा०) लि०, (26-12-85)	रु० 85,24,494
4.	मैसर्स मुदनुर मेरीन्स लि० (7-11-85)	रु० 1,69,78,500
5.	मैसर्स विक्टोरिया फिशरीज (प्रा०) लि०, (14-1-86)	रु० 1,69,78,500
6.	मैसर्स लियो सीफूड (प्रा०) लि०, (29-7-85)	रु० 1,69,78,500
7.	मैसर्स लालसन सीफूड एण्ड मेरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, (3-12-85)	रु० 85,24,494
8.	मैसर्स एंकर फिशरीज एण्ड सीफूड (प्रा०) लि०, (11-10-85)	रु० 2,03,94,000
9.	मै० एस० ए० बी० फिशरीज (इं) लि०, (25-9-85)	रु० 85,24,494
10.	मैसर्स प्रतुन, ट्रालिंग (प्रा०) लि०, (6-1-86)	रु० 1,77,12,000
11.	मैसर्स एम० जी० आर० सीफूड (प्रा०) लि०, (7-1-86)	रु० 1,77,12,000
12.	मैसर्स जी० पी० मेरीन प्रोडक्ट्स इंडिया (प्रा०) लि०, गंटूर	रु० 1,69,78,500
13.	मैसर्स हाई सीफूड लि०, नई दिल्ली	रु० 84,89,250
14.	मैसर्स ओसन प्रोडक्ट्स एण्ड शिपिंग (प्रा०) लि०	रु०22,03,94,000

श्री डी० पी० यादव : क्या माननीय मन्त्री सभा को आश्वासन देंगे कि सक्षम जांच प्राधिकारी द्वारा निर्दोष पाये जाने और उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष मानने तक मै० वेंकटेश्वर फिशरीज (प्रा०) लि० को ऋण की और किस्तों की अदायगी नहीं की जाएगी ?

श्री राजेश पायलट : मूलत: कृषि मन्त्रालय हमारे माध्यम से ये ऋण मंजूर करता है। कृषि मन्त्रालय में एक जांच समिति है जो हमें मामलों की सिफारिश करती है और नौवहन विकास निधि समिति ऋण का वितरण करती है। जहां तक इस मामले विशेष का सम्बन्ध, जहां हमारे ध्यान में जो अनियमितताएं लाई गयी हैं, उनके संबंध में हम निदेशक फिशरीज से जांच करवा रहे हैं, और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री डी० पी० यादव : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऋण देने के मामले में कई अवैध तरीके अपनाए जाते हैं, अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजेश पायलट : सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ कम्पनियों ने निश्चय

ही इन सुविधाओं का दुरुपयोग किया है। एक-तरफ तो नौवहन उद्योग में मन्दी चल रही है, दूसरी ओर राष्ट्रीय खजाने नागरिकों द्वारा कमाई गई खून-पसीने की कमाई के दुरुपयोग का है। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा पैसे का दुरुपयोग न किया जाए।

श्री डी पी० जडेजा : माननीय मन्त्री ने अभी यह स्वीकार किया है कि कृषि मन्त्रालय की सिफारिश पर उनका मन्त्रालय—इन ऋण का वितरण करता है। एक अन्य मन्त्रालय—नौवहन और परिवहन मन्त्रालय—भी शामिल है। वित्त मन्त्रालय भी इसमें सामने आता है। क्या सरकार प्रश्न के भाग (ङ) में दिए गए उत्तर 'जी नहीं' पर पुनर्विचार करेगी ? क्या आप विदेशों से खरीदे जाने वाले इन फिशिंग ट्रालरों के लिए नौवहन विकास निधि समिति द्वारा धन दिए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे ताकि जब इस प्रकार मत्स्य पोत खरीदे जाएं तो किसी व्यक्ति द्वारा विदेशों में वार्ता पर निर्भर रहने की बजाए विश्व निविदा मंगायी जा सकें।

श्री राजेश पायलट : श्रीमन्, जहां तक वर्तमान प्रणाली के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यह एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ऋण स्वीकार किए जाने से पूर्व एक जांच समिति इन सभी पक्षों पर विचार करती है। इन पक्षों पर विचार करने के पश्चात् जांच समिति कृषि मन्त्रालय को सिफारिश करती है और वे हमें दूसरी सिफारिश करती हैं। नौवहन और परिवहन मन्त्रालय केवल राजसहायता ही देता है। ऋण भाग केवल कृषि मन्त्रालय का भाग है। जो कुछ भी कृषि मन्त्रालय सिफारिश करता है, हम नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नौवहन यार्डस की राजसहायता दे देते हैं।

जहां तक माननीय मन्त्री द्वारा सारे देशों से टेंडर मंगाने के बारे में दिए गए सुझाव का सम्बन्ध है, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नौवहन विकास फण्ड का सम्बन्ध है, पहले इसे भारतीय नौवहन की टन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि 'कार्गो-कम-पैसेन्जर' जल पोतों के लिए एस० डी एफ० सी० से ऋण प्राप्त करने के कितने आवेदन पत्र मन्त्रालय में विचाराधीन हैं और सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेश पायलट : यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से जरा भिन्न है। माननीय सदस्य को सही जानकारी भेज दी जायेगी।

भगवान जगन्नाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार

*721. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी में भगवान जगन्नाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जीर्णोद्धार का कार्य करते समय तथा प्लास्टर हटाने पर वहां कतिपय मूल्यवान पुरातत्वीय एवं कलात्मक कृतियां मिली हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मन्दिर से जुड़े हुए किन्हीं अन्य प्राचीन मन्दिरों और तालाबों को नष्ट होने से बचाने के लिए उनका जीर्णोद्धार करने का विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जगन्नाथ मन्दिर में, इस मंदिर के परिरक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सलाह पर, किए गए संरक्षण उपायों को एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। पलस्तर उतारने और परिरक्षण का कार्य अत्यन्त सावधानी से किया जायेगा और यह एक धीमी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि चिनाई के प्रच्छादित भाग को, जिसकी सतह पर मूर्तिकारी की गई है, क्षति न पहुंचे।

(ख) जी, हां। पलस्तर उतारने के फलस्वरूप निकली मूल बाहरी सतह पर, कृष्ण, अग्नि, बुद्ध, गणेश, नायिका आदि के चित्र हैं और सजे हुए आलों में शोभायात्राओं वनस्पतिक, आलंकारिक और पुरातत्वीय ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) जगन्नाथ मन्दिर परिसर के बाहर अन्य प्राचीन मन्दिर और तालाब केन्द्र द्वारा संरक्षित नहीं हैं और इसलिए उनके जीर्णोद्धार पर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरा प्रश्न स्पष्ट था—कि क्या जीर्णोद्धार का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है। इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि माननीय मन्त्री ने कैसे इसे छोड़ दिया। तथापि, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदूषण और वातावरण घटकों के प्रति, जिनकी वजह से मन्दिर-भवन को नुकसान पहुंचता है, सावधानियां बरती गई हैं ; अगर हां, तो इस सन्दर्भ में उठाए गए उपायों का ब्यौरा है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तर में देखा होगा कि जहां तक सम्भव है, हमने निर्धारित समय-सीमा का पालन किया है। इसी बीच वहीं के पण्डों ने न्यायालय में मुकदमा चला दिया, जिसके फलस्वरूप दो वर्षों तक कार्य नहीं हो सका। उसके पश्चात्, कार्य ठीक तरह से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह एक संवेदनशील मामला है। यह अत्याधिक खूबसूरती और कला का मामला है।

(व्यवधान)

हम जल्दबाजी में भवन को खराब नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूं कि विशेषज्ञ समिति और तकनीकी समिति की देखरेख में, जहां तक सम्भव है कार्य जल्दी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यह सब हो रहा है। मैं समझती हूं कि नरसिंह का अन्तिम मंदिर भी इसी वर्ष में पूरा हो जाएगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्रीमन् मेरे प्रदूषण और वातावरण घटक के बारे में पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर ध्यान दिया गया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं समझती हूं कि इस सम्बन्ध में गठित की गई विशेषज्ञ समिति और तकनीकी समिति ने, जो इन सब कार्यों की देखरेख कर रही है, इस पहलू की ओर भी ध्यान दिया होगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या मापदण्ड है जिनके तहत कोई स्मारक भारत सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन आता है ? वास्तव में, मैंने असकुद्दा में जगन्नाथ संस्कृति में भवकुंडेश्वर मन्दिर और पुरी के अन्य तालाबों के बारे में कई पत्र लिखे हैं। भारत सरकार मुझे राज्य सरकार और राज्य सरकार मुझे भारत सरकार से सम्पर्क करने के लिए कहती है। मैं असहाय स्थिति में हूं। कृपया इसको स्पष्ट कीजिए कि न केवल जगन्नाथ मन्दिर बल्कि सारे परिसर की देख-रेख की जाएगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन्, उनका प्रश्न प्रासंगिक और स्पष्ट है और मैं भी प्रासंगिक उत्तर देने की कोशिश करूंगी। जगन्नाथ मन्दिर परिसर के बाहर कई स्मारक हैं, जिनमें छह पवित्र धार्मिक स्थल, पांच पवित्र तालाब और चार आश्रम शामिल है। इनको केन्द्र का संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन इनकी इतिहासिक गरिमा बहुत है। अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निदेश दिया गया है कि इन स्मारकों की भी जांच करें। एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जिसके तहत कुछ स्तर तक पलस्तर हटाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। इनका पलस्तर उतारने और परिरक्षण के कार्य के अलावा वे संरक्षित स्मारकों और बागों के अवैध कब्जों की ओर भी ध्यान देंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्रीमन्, मैंने इस मन्दिर के दर्शन किए हैं और मैंने देखा है कि इसका रखरखाव बहुत कम है। श्रीमन्, मन्दिर की देखरेख के अलावा, यह भी सत्य है कि इस मन्दिर और देश के अन्य मन्दिरों से पुरानी मूर्तियों को देश के बाहर तस्करी से भेजा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन मूल्यवान मूर्तियों को देश के बाहर अवैध रूप से न भेजे जाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन्, मैं कहना चाहती हूं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संगत नहीं है। हालांकि यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम इस पर विचार करेंगे। जहां तक पहले पूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहती हूं कि रसायनिक अभिक्रिया और संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और इनके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण

*722. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ने वर्ष 1983 के बाद इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में किए गए भारी परिवर्तनों सम्बन्धी कतिपय निर्णयों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग की सलाह मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?

[अनुवाद]

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने बताया है कि वे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चरण II के कार्य क्षेत्र में और संशोधन कर रहे हैं जिसमें नहर के पिछले क्षेत्रों में पशुचर विकास तथा लिफ्ट स्कीमों के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र लाने की परिकल्पना की गई है। इस मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यक्षेत्र में संशोधन के जो सुझाव दिए हैं वे क्या सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने जांच की है? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट है?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : यह एक काफी विशाल परियोजना है। राज्य सरकार ने इसमें तीन दफा संशोधन किया है। पुनः इसमें संशोधन करने का विचार है और यह संशोधन विचाराधीन है।

राज्य सरकार ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है ।

इसका ब्यौरा इस प्रकार है :

"जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है वे इस प्रकार हैं :

1. "मुख्य नहर के आर० डी० 961 तक के क्षेत्र को गुरुत्व से सिंचाई सुविधा दी जायेगी । 1985 में परियोजना को जो अन्तिम रूप दिया गया था उसमें आर०डी० 961 की सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं था ।"

शायद माननीय सदस्य को इसी बारे में चिन्ता थी ।

2. मुख्य नहर के आर० डी० 961 के नीचे, निम्नलिखित कार्य किये जाने का प्रस्ताव है :

गुरुत्व सिंचाई के अन्तर्गत कुल ओ०सी०ए० 5.40 लाख हैक्टेयर भूमि में से 3.66 लाख हेक्टयर भूमि को पुशचर विकास के लिए विकसित किया जायेगा, ताकि इसका 100 प्रतिशत उपयोग डेयरी विकास और पशु-पालन के लिए किया जा सके । बाकी के 1.74 लाख हैक्टेयर भूमि में 80 प्रतिशत क्षमता में परम्परागत सिंचाई की जायेगी, जिसमें आर० डी० 961 के नीचे सागरमलगोपा, गाडरा रोड विस्तार के साथ साथ की तीन मि० मी० चौड़ी पट्टी और अन्य वितरकों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ।

श्रीमन, दूसरे संशोधन के लिए, राज्य सरकार ने कुछ सुझाव दिये हैं । एक रोचक कहानी है । राज्य सरकार ने लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं । 1977 में, परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने पांच लिफ्ट योजनाओं का सुझाव दिया था । और मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मई, 1978 में राज्य सरकार ने इन प्रस्तावित लिफ्ट योजनाओं को ही छोड़ दिया । अब राज्य सरकार ने इन संशोधनों द्वारा पुनः केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि···

श्री राम सिंह यादव : उस समय जनता पार्टी की सरकार थी ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार किसी की भी हो, सरकार, सरकार ही होती है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दीजिए ।

एक माननीय सदस्य :भूतलक्षी प्रभाव से ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । इसीलिए मेरी इसमें बहुत अधिक रुचि है ।

श्री बी० शंकरानन्द : अब मैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दूसरे संशोधन को लूंगा । मैं उद्धृत करता हूं :—

(दो) छः योजनायें प्रस्तावित की गई हैं जिनमें से 5 उन्नयन नहरों के बारे में पहले ही अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया था और अब उनका संशोधित प्रस्ताव लाया गया है और एक प्रस्ताव नया है । इन उन्नयन योजनाओं के अन्तर्गत किनारे की

दोनों तरफ की 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की भूमि की सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही, यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि 3 किलोमीटर की दोनों ओर की पट्टी में से एक किलोमीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किया जाये। इन क्षेत्रों में 80 प्रतिशत घनत्व तक सिंचाई करने का प्रस्ताव है।

(तीन) फिलहाल 0.65 एम० ए० एफ० पानी पीने और अन्य कामों में उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। कुल 1800 क्यूसेक अर्थात् एक एम० ए० एफ० पानी की आवश्यकता इंकित की गई है और पानी की शेष को पानी के लिए बेहतर प्रबन्ध करके पूरा करने का प्रस्ताव है।

अतः महोदय, राज्य सरकार ने इन संशोधनों का प्रस्ताव भेजा है। वास्तव में इन बातों का भी कोई न कोई प्रयोजन है। पानी का बेहतर उपयोग करने के लिए जो ये सुझाव दिए गए हैं, वे उचित ही हैं। केन्द्रीय जल विद्युत आयोग द्वारा दिए गए पर्यविक्षण पूरे देश के लिये हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है। मुझे पता है, महोदय, आपकी रुचि राजस्थान में है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी रुचि पूरे देश में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या प्रभारी व्यक्ति व्यावहारिक रूप से किसान है अथवा नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं स्वयं ही एक किसान हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछ रहा था कि जिस प्रभारी व्यक्ति ने इनमें परिवर्तन और पुनः परिवर्तन किया है, उसे कृषि, खेती आदि का व्यवहारिक ज्ञान है, अथवा नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : इन संशोधनों की संवीक्षा करने वाले व्यक्ति, विशेषज्ञ, जल-वैज्ञानिक, शीर्षस्थ इंजीनियर और जल प्रबन्ध विशेषज्ञ हैं। उन्हें इसका प्रभार दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं, किन्तु प्रभारी व्यक्ति कैसा है, इस पर बहुत निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, ये सुझाव, जो प्रस्तुत किए गए हैं इनके बारे में भी आपने जानकारी दी कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन इसके बारे में कार्य कर रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए, ज्यों ज्यों निर्णय होने में बिलम्ब होता है, इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण का जो कार्य है, उसकी गति धीमी होती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है इसलिए इसके बारे में सेन्ट्रल वाटर कमीशन, प्लानिंग कमीशन और आपका डिपार्टमेन्ट कब तक निर्णय देगा और निर्णय के बाद कब तक राजस्थान गवर्नमेन्ट गति से कार्य करेगी और इस सम्बन्ध में आप विशेष तौर से क्या सहयोग देंगे—यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : जहां तक निर्णय लेने की बात है, जो प्वाइन्ट्स उठाए गए हैं और जो कमेन्ट्स मांगे गए हैं उनके बारे में अगर स्टेट गवर्नमेन्ट ठीक से रेप्लाई न दे तो क्या निर्णय हो सकता है। अगर वे जल्दी से जल्दी क्लैरिफिकेशन दे दें तो एक दो दिन में मीटिंग होने वाली है, उसमें निर्णय हो जायेगा।

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मोहनगढ़ से गदरा रोड तक इन्दिरा गांधी केनाल की सेकेन्ड स्टेज है और मेन केनाल से पाकिस्तान बार्डर की दूरी मोहनगढ़ के पास 40-45 किलोमीटर है और गदरा रोड के पास 5-6 किलोतीटर रह जाती है। आपने कहा है कि टेल-एन्ड में थोड़ा पास्चर-लैण्ड के लिए एलाऊ करेंगे लेकिन इस स्कीम को रिवाइज करके स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट आफ व्यू से क्या यह जरूरी नहीं होगा कि उस एरिया में, जो राजस्थान केनाल का पश्चिमी भाग है, जोकि पाकिस्तान बार्डर से लगा हुआ है, वहां पर पास्चर-लैण्ड का डेवलपमेन्ट एलाऊ न करके कल्टिवेशन आफ लैण्ड को एलाऊ किया जाए ताकि वहां पर आबादी रहे और आबादी रहने के साथ साथ देश की जो सरहद है, बाउन्ड्री है वह सुरक्षित रहे—क्या इस बात को मद्दे-नजर रखते हुए आप इस पर गौर करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं यह कहूं कि कार्यवाही करने के लिए यह सुझाव दिया गया है ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, पाकिस्तकान बार्डर के पास का वह इलाका जहां से यह केनाल बिल्कुल करीब से गुजरती है जोकि झुंझनूं, सीकर और चुरू का इलाका है, सदियों से यह इलाका प्यास से झूझता रहा है क्या उस इलाके के लोगों को भी इस मुकद्दस पानी का कुछ हिस्सा मिलेगा ? अगर मिलेगा तो कब तक ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : 1955 से इस परियोजना का इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र के लिए जो पानी की सुविधा दी जाती थी, वह सारा का सारा पानी उन क्षेत्रों को दिया जा रहा है, जहां पानी की कमी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र का उल्लेख किया है वहां भी पानी की अत्यधिक कमी है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं कह सकता हूं कि यह राजस्थान के लोगों के लिए है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हम ने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना कर जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए मगर भारत सरकार ने हमारी अभी तक नहीं सुनी। उसके बाद जितनी तब्दीलियां हुई हैं और जिस प्रकार की गड़बड़ हुई है, उनके बारे में आपको कई दफा कहा कि आप इसके सम्बन्ध में व्यवस्था कीजिए। 200 करोड़ रुपये की इंजीनियर गड़बड़ कर गये और आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक भारत सरकार इस काम को हाथ में नहीं लेगी, तब तक यह पूरा नहीं हो पाएगी और उसमें काफी वर्ष लग जाएंगे। इसके साथ साथ यह भी निवेदन है जैसा कि माननीय सदस्य, झुन्झुनु ने कहा, उसके साथ साथ जोधपुर और पाली और आसपास के तमाम इलाके हैं, जहां पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। थर्ड सजेश्चन जो राजस्थान सरकार से आया, उसके सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया है और आप इन कामों को जल्दी से जल्दी प्राथमिकता के आधार पर कब तक पूरा कर लेंगे और कब तक निर्णय लेकर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, क्या मैं एक शब्द बोल सकता हूं ? इस सभा के अन्दर और सभा के बाहर यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि परियोजना के कार्यान्वयन में देरी रही है। वास्तव में, कोई देरी नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : कृपया मेरी बात सुनिये। परियोजना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। पोषक नहर की 204 कि० मी० की लम्बाई तथा 189 कि० मी० लम्बी मुख्य नहर क्रमशः जून, 1964 और जून 1975 में पूरी हो चुकी थी। वितरण प्रणाली की कुल 2942 कि० मी० की लम्बाई में से दिसम्बर, 1985 तक 2907 कि० मी० की लम्बाई पूरी हो चुकी है। मेरे विचार से कार्य में कोई देरी नहीं हुई है। परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है और आशा है कि यह शीघ्र पूरा हो जायगा। यदि इन संशोधन का सुझाव न दिया गया होता तो संभवत: देरी को कम किया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो डा० भोई। किन्तु यदि आप असंगत प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, यदि मैं असंगत बात पूछू तो आप मुझे इस सभा से बाहर कर सकते हैं।

महोदय, हाल ही में आपने इन्दिरा गांधी नहर पर चल रहे विशाल निर्माण कार्य को दूरदर्शन पर देखा होगा। इस निर्माण कार्य के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग और कांग्रेस कार्य समिति (सी० डब्लू० सी०) के लोग भू वैज्ञानिक के विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं? क्या सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में आप विश्वेषरैया निर्माण पद्धति अपना रहे हैं और क्या विभिन्न प्रकार की रूपरेखा के निर्माण में देश के भूविज्ञान विशेषज्ञों की सेवायें ले रहे हैं जिससे कि वे इस बात की सलाह दे सकें कि किस प्रकार का विभिन्न सामान यथा बजरी, पत्थर आदि का उपयोग करना है जिससे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाये ? कर्नाटक में, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों से परामर्श करके मुहम्मद इस्माइल और विश्वेषराया ने सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में पूरे राज्य के बारे में एक वृहद योजना तैयार की थी। इस प्रक्रिया में आप एन० एस० आर० ए० को भी नियुक्त कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में सभी विशेषज्ञों और विशेषज्ञ संगठनों को नियुक्त करने के बारे में आप योजना आयोग और कांग्रेस कार्य समिति से अनुरोध करेंगे। माननीय मन्त्री महोदय इसके बारे में बाद में भी उत्तर दे सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

व्यक्तियों तथा संस्थाओं को नि:शुल्क रेल पास जारी करने सम्बन्धी मानदण्ड

*723. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनमाने ढंग से नि:शुल्क रेल पासों का जारी किया जाना रोकने की दृष्टि से व्यक्तियों तथा संस्थाओं को जारी किये गये सभी नि:शुल्क रेल पास रद्द कर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप उपयोगी सामाजिक गतिविधियों में संलग्न तथा राहत कार्यों में लगी प्रामाणिक सामाजिक संस्थाएं भी रेल पास की इस सुविधा से वंचित हो गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का रेल पास जारी करने के लिए फिर से सुपरिभाषित मानदण्ड बनाने और फिर उन पुन:निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पुनः रेल पास जारी करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) संभवत:, माननीय सदस्य का आशय मानार्थ कार्ड पास जारी करने से है। खर्च में किफायत के उद्देश्य से सभी मानार्थ कार्ड पास 1981 में रद्द कर दिए गए थे।

(ख) जी नहीं। संगठनों की जरूरतों और रेलों की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रख कर, उपयुक्त मामलों में एक सीमित संख्या में इस प्रकार के पास, जो मानार्थ होते हैं, जारी किये जाते हैं।

(ग) पास जारी करने से सम्बन्धित दिशा निर्देश एक दशक से भी अधिक समय से विद्यमान हैं। मानार्थ कार्ड पास प्रत्येक मामले के औचित्य और गुण-दोष के आधार पर केवल परिवहन मन्त्री के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं। दिशा निर्देशों की पुनः रचना करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, जो उत्तर दिया गया है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरे विचार से प्रो० रंगा मेरी बात से सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदय : तब तो, मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा।

प्रो० मधु दंडवते : सर्वप्रथम, आप पहले प्रश्न के शब्दों पर ध्यान दीजिये अर्थात् (क) क्या मनमाने ढंग से नि:शुल्क रेल पासों का जारी किया जाना रोकने के लिए ये सभी पास रद्द कर दिए गए थे। अब, इस स्थिति से नितान्त बचने के लिए आपने इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया कि क्या मनमाने ढंग से पहले जारी किए गए पासों को रोकने के लिए 1981 में सभी पास रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने यह कहा है कि केवल खर्चे में किफायत करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। इसलिए सर्वप्रथम क्या यह सच नहीं है कि 1981 में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या वही बात स्पष्ट नहीं होती है ?

प्रो० मधु दंडवते : वह तो परिणाम है। मुझे यहां भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इसलिए मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि 1980 में जब नई सरकार सत्तारूढ़ हुई थी ; तब क्या यह सच नहीं है कि बाद के रेल मन्त्रियों ने मनमाने ढंग से रेल पासों की संख्या बढ़ा दी थी ? इससे विभिन्न समाचार पत्रों में इस बात की घोर आलोचना हुई थी और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रेल मन्त्री को इस शिकायत पर ध्यान देने की सलाह दी थी और इसका यह नतीजा निकला कि मनमाने ढंग से रेल पासों का जारी किया जाना रोक दिया गया। इसीलिए 1981 में पास पूर्णतः रद्द कर दिए गए थे। दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री बंसी लाल : इस प्रकार के पास जारी करने के बारे में संसद की दोनों सभाओं में तथा संसद से बाहर भी आलोचना की गई थी और इसीलिए पास रद्द कर दिए गए थे तथा उसके साथ ही किफायत वाली बात भी थी।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वह सहमत हैं। महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि वह बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु प्रश्न यह है क्या वह एक ईमानदार मन्त्री हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे आशा है कि उतनी ही सफाई से और ईमानदारी से वह दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में दो गलतियां हैं और मुझे आशा है कि उन्हें ठीक करके सही उत्तर दिया जायगा।

अब, भाग (ग) में—यह कहा गया है कि पास जारी करने से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त एक दशक से भी अधिक समय से विद्यमान हैं। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और उसी आधार पर पास व्यक्तियों तथा संस्थाओं को जारी किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि "एक दशक से अधिक समय से।" इस समय, यहां मेरे पास 1978 का लोक सभा का कार्यवाही वृत्तांत मौजूद है। 28 मार्च, 1978 का एक तारांकित प्रश्न संख्या 471 है। महोदय, प्रसंगवश मैंने उसका उत्तर दिया था। मैं केवल पढ़ूंगा क्योंकि उन्हें उत्तर देना है। उन्होंने कहा है कि एक दशक से भी अधिक समय से यह प्रक्रिया जारी है। मैंने उसका उत्तर 28-3-1978 को दिया था।

[हिन्दी]

उसमें कहा था—"लेकिन जनता सरकार के आने के बाद हम लोगों ने पार्सल देने के बारे में नई कसौटियां तय कीं। ये तीन कसौटियां हमारी रही हैं :—

[अनुवाद]

(1) सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में कार्यरत संस्थाएं और संगठन तथा जिनकी कार्यविधि का अखिल भारतीय स्वरूप है ;

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अपेक्षित वर्ग, महिलाएं, नेत्रहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यों में लगे संगठन ;

(3) राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें निरन्तर यात्रा करनी पड़ती है ;

महोदय, यह घोषणा इसी सभा में 28-3-88 को की गई थी। एक दशक से अधिक समय नहीं बीता है। और इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है ; और यदि हां, तो, अब मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है : उन्होंने कहा है कि कोई शिकायत नहीं है। प्रामाणिक सामाजिक संगठनों को पास देने से इन्कार किया गया है। महोदय, प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने जो बात कही है, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। देश के विभिन्न भागों में कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं। राजा केलकर संग्रहालय, देश भर में विख्यात संग्रहालय, है, जहां देश के विभिन्न भागों से अनेक वस्तुएं एकत्र करके रखी जाती है और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा राजीव गांधी ने उसे एक प्रमाण पत्र भी दिया है। मामला श्रीमती इन्दिरा गांधी के समक्ष भी आया था और उन्होंने उन्हें निदेश भी दिए थे। तदन्तर श्री राजीव गांधी ने भी कहा था कि उन्हें पास न देना अनुचित है। हाल ही में पास जारी किए गए हैं।

एक अन्तर भारतीय संगठन राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य कर रहा जिसकी ओर से बाबा आमते यात्रा कर रहे हैं। उस अन्तर भारतीय संगठन की स्थिति यह है कि उन्हें कांग्रेस राज्य में एवं जनता राज्य में उन्हें एक पास मिलता था परन्तु अब वह सुविधा समाप्त कर दी गई है जैसे कि हमारी अनुदानों की मांगें गिलोटिन कर दी जाती हैं। अतः क्या वह वास्तव में सभी सूचियों का उन तीन मानदण्डों के आधार पर पढ़कर पुनरीक्षण करने की कोशिश करेंगे जोकि मैंने पहले बनाये हैं। मैं नहीं

चाहता कि ऐसे मामलों पर विचार किया जाए जोकि युक्त नहीं है। परन्तु इस मानदण्ड के आधार पर क्या इन सामाजिक संस्थाओं को पास दिए जाएंगे। इतनी ही बात है।

श्री बंसी लाल : जिन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को प्रो०दण्डवते ने पढ़ा है जोकि उन्होंने 1978 में उत्तर देते समय बताया था ; कि वे पहले से चल रहे हैं, और उन्होंने एक विशेष संगठन अर्थात राजा दिनकर केलकर म्यूजियम पुणे का उल्लेख किया है। प्रो० दण्डवते ने स्वयं इस मामले को शुरू किया था तथा उस संगठन को पास दिया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : इस तरह के कई संगठन हैं। मैं केवल उन्हीं मामलों का पक्ष नहीं लेता जिसके लिए मैंने सिफारिश की थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, जनरल गिलोटिन ऐसा हो जाता है, कभी कोई रह जाता है, कभी कोई आ जाता है। हमारे यहां भी जनरल गिलोटिन में कभी एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं, कभी कामर्स छोड़ देते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर कभी नहीं छोड़ सकते।

[अनुवाद]

आपके होते हुए क्या कोई मन्त्री कृषि मन्त्रालय की मांगों का गिलोटिन करने की हिम्मत कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी पासों के गिलोटिन की बात कही गई। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों के सम्मेलन में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को पास देने का फैसला किया गया था और सम्भवतः प्रधान मन्त्री जी ने भी उस पर अपनी सहमति दी थी, उस दिशा में क्या कदम उठाए गए और दूसरा यह कि जो ऐसे आर्गनाइजेशंस हैं, जिनका वाकयी सामाजिक दायित्व है, जो सामाजिक सेवा का काम करते हैं, क्या उन सामाजिक आर्गनाइजेशन्स को पासे देने के बारे में पुनर्विचार करने की बात सोचेंगे?

श्री बंसी लाल : जनाब, जहां तक आर्गनाइगेशन्स का ताल्लुक है, जो अच्छा काम करते हैं, उनको हम वक्तन-फवक्तन पास देते रहते हैं, लेकिन इण्डीविजुअल केसेस को देखकर उसकी इंपोर्टेंस पर पास देते हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों के पासेज की चर्चा शर्मा जी ने की। प्रधान मन्त्री जी ने इसको इलाहाबाद में अनाउंस किया था और पहली दिसम्बर से यह स्कीम लागू हो गई है। सर फ्रीडम फाइटर को जोकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन लेता है, उसको 6 महीने के लिए चैक पास इशू किया जाएगा और उसका स्पाउस या अटेंडेंट उसी क्लास में अलाउड है।

श्री नवल किशोर शर्मा : इशू कर दिए हैं या स्कीम है, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री बंसी लाल : इशू करने के आदेश दे दिए गए हैं, जैसे-जैसे स्वतन्त्रता सेनानी अप्रोच करते जाएंगे रेलवे अथारिटीज को, वैसे-वैसे उनको पास इशू होते जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री नवल किशोर शर्मा : इसे स्वतः ही जारी किया जाना चाहिए। 'जैसे और जब' का प्रश्न ही कहां है?

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त। यह क्या है। सभी मनमर्जी नहीं कर सकते। अब प्रोफेसर रंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या यह सच नहीं है कि मेरे द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के बावजूद प्रो० मधु दण्डवते ने अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष और सचिव के रेलवे पास रद्दकर दिए थे। वही स्थिति वर्तमान रेल मन्त्री के समय भी हमारे बार-बार निवेदन के बावजूद चली आ रही है।

क्या यह भी सच है कि प्रधान मन्त्री द्वारा लिए गए निर्णयों, सुझावों अथवा दी गई रियायतों के सम्बन्ध में हमने उनके बेहतर उपयोग के लिए एक और अभ्यावेदन दिया था। मन्त्री महोदय ने बताया कि वह पूर्वनिर्णय पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री बंसी लाल : मैं नहीं जानता कि क्या पास प्रो० दण्डवते ने रद्द किये थे। परन्तु श्री शील भद्र याज्ञी, जो स्वतन्त्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष हैं, को हमने कार्ड पास जारी किया है जोकि उनके पास है।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न श्री दास मुंशी···

प्रो० एन० जी० रंगा : महामन्त्री की क्या स्थिति है? महामन्त्री को पूरे भारत की यात्रा करनी होती है। (व्यवधान)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अन्तरंग रोगी रोगियों का उपचार

*729. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कितने अन्तरंग रोगियों का उपचार किया गया था ;

(ख) उनमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कितने-कितने व्यक्ति थे ;

(ग) आय वर्ग के अनुसार उन रोगियों सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1985 के दौरान कितने प्रति विशिष्ट व्यक्तियों (बी० आई० पी०) का उपचार किया गया और उनके लिए यदि शय्याओं/कमरों का आरक्षण किया गया, तो उनकी संख्या कितनी थी ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 46068।

(ख)	दिल्ली	30,962
	हरियाणा	4,095
	उत्तर प्रदेश	6,854
	पंजाब	378
	राजस्थान	651
	अन्य राज्य	2,844
	विदेशी नागरिक	284

(ग) संस्थान द्वारा रोगियों सम्बन्धी आंकड़े उनकी आय के अनुसार नहीं रखे जाते।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कितने अति विशिष्ट व्यक्तियों का उपचार किया गया इसके बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कोई पलंग अथवा कमरे विशेष रूप से आरक्षित नहीं किए गए हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : जैसाकि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था है जिसमें सैद्धांतिक रूप से देश के उन सभी नागरिकों को दाखिले की सुविधा मिलनी चाहिए। जो विशेष ग्रेड के हैं या प्रवेश के मानदण्ड की पूर्ति करते हैं। हमें सलाह दी गयी थी कि दाखिले की कसौटी पद अथवा निवास स्थान नहीं है। परन्तु यदि किसी बीमारी का इलाज विशेषज्ञ अथवा राज्य की राजधानी में नहीं हो सकता तो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था में भेजा जाना होगा। परन्तु हम देखते हैं कि इसमें समूचे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नहीं परन्तु हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दिल्ली के पास के कुछ जिलों और दिल्ली के मरीज ही लगभग 95 प्रतिशत होते हैं। जिनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होता है। मैं समझता हूं कि यह बात संस्था के राष्ट्रीय महत्व को कम करता है। क्या मानदण्ड में परिवर्तन किया गया है अथवा क्या सरकार या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी विधि अपनाई जायेगी कि सभी गम्भीर एवं अनुसन्धानपरक मामलों जो पूरे भारत के स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा भेजे जाते हैं, का इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में समान रूप से हो सके अथवा देश के अल्प भागों में इसी तरह के उच्च संस्थान बनाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मद्रास से लोग इलाज के लिए दिल्ली आएं?

सैयद शाहबुद्दीन : वे मद्रास से नहीं आ सकते। परन्तु मेरे राज्य बिहार से बहुत से रोगियों को विशेष रूप से भेजा जाता है जिनका तुरन्त इलाज किए जाने की आवश्यकता होती है, परन्तु उन्हें दाखिला नहीं दिया जाता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे राज्य से कुछ रोगी आए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे 1989 में फिर आएं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्षेत्रीय आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : लोग मरने के लिए विभिन्न स्थानों से वाराणसी जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्षेत्रवार होना चाहिए ताकि लोग वहां पहुंच सकें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार यह विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है कि यह संस्था रेफरल अस्पताल होगी। परन्तु हमारे द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने इसे 'रेफरल' अस्पताल बनाने की सिफारिश की है। बाद में लोकसभा की प्राक्कलन समिति के 54वें तथा 70 वें प्रतिवेदनों में यह उल्लेख किया गया कि यदि इसे 'रेफरल' अस्पताल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में परिधीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए बिना बनाया जाता है तो जनता को बहुत असुविधा होगी। अतः 'रेफरल' अस्पताल की संकल्पना को साकार रूप देना अब उपयुक्त नहीं है। जहां तक इस संस्थान का प्रश्न है इसमें 30 प्रतिशत रोगी विशेष रूप से दूसरी संस्थाओं द्वारा भेजे गए होते हैं तथा 70 प्रतिशत दूसरे तरह के होते हैं। यह स्थिति सामान्य अस्पताल की तरह है। दिल्ली में परिधीय तथा बुनियादी सुविधाओं की सातवीं योजना के अन्त तक उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। दाखिले

के मामले रोग की गम्भीरता ही कसौटी है तथा अस्पताल में स्थान और सुविधाएं होने पर सभी को प्रवेश सुलभ है।

सैयद शाहबुद्दीन : मुझे सन्देह है कि मन्त्री जी के पास आंकड़े हैं। परन्तु यदि उनका तर्क यह है कि केवल 30% "रेफरल" मामले रखे जाते हैं, तो शायद इस 30 प्रतिशत मामलों में मुख्यतः स्थानीय एवं पास के रोगियों के मामले होंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न मेरे मुख्य प्रश्न के (घ) भाग से सम्बन्धित है। मन्त्री महोदय ने बताया कि विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में कोई आकड़े नहीं हैं। इससे मुझे हैरानी हुई है। मैं समझता हूँ कि आम धारणा यह है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को यदि साधारण बीमारी भी होती है तो उन्हें अ. भा. आ. सं. में दाखिला मिल जाता है। कम से कम लोगों का ऐसा विश्वास है। मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कोई बिस्तर कमरे आरक्षित नहीं होते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने गलत बताया है। मैं उनके कमरों की संख्या भी बता सकता हूं जो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आप आंकड़े भी नहीं रखते। जबकि मैं जानता हूं कि वे लोग मन्त्री महोदय अथवा उपमन्त्री को टेलीफोन करके आरक्षण कराते हैं?

श्री एस० कृष्ण कुमार : हमने अपने मुख्य उत्तर में यह नहीं कहा कि अति विशिष्ट व्यक्तियों का वहां पर इलाज नहीं होता। हमने केवल यही बताया था कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के इलाज सम्बन्धी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : यदि नाम लिखे जाते हैं तो संख्या का पता चल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार हम, उन्हें अन्यत्र भेज देंगे। (**व्यवधान**) अति विशिष्ट व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अब वे बीमार नहीं पड़ें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है जैसे ही किसी सदस्य को अ० भा० आ० सं० में भरती किया जाता है, सभा के नियमों के अनुसार अध्यक्ष महोदय को इसके बारे में सूचित किया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसी बात नहीं है। ऐसी सूचना गिरफ्तारी की हालत में दी जाती है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : कुल 1100 बिस्तरों में से 65 बिस्तर प्राइवेट हैं। अति विशिष्ट कम्पनियों के लिए कोई पृथक आरक्षण नहीं है। इस वक्तव्य पर हम दृढ़ हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : सर, वी० आई० पीज० के लिए व्यवस्था अलग होनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीत अध्यक्ष जी, आप इनको कहिए कि हमारे लिए हर जगह अलग से व्यवस्था की जाए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अति विशिष्ट व्यक्तियों के आरक्षण का आप पक्ष कैसे ले सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : अब विशिष्ट व्यक्ति वहां नहीं जाते, क्योंकि संसदीय सौध में हमें

अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब मैं अपना प्रश्न पूछता हूं।

गत कई वर्षों के अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं कि जो रोगी इस संस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आते हैं उन्हें सात या आठ महीने के बाद आने का समय दे दिया जाता है। उनमें से अनेक तो इस अवधि में मर जाते हैं और वे फिर वापस नहीं आ पाते। इस दृष्टि से मैं यह पूछता हूं कि इन दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध क्यों नहीं हैं? क्या ऐसे मानदण्ड बनाने सम्भव नहीं हैं जिससे जब रोगी दूरस्थ क्षेत्रों में आयें तो उन्हें शीघ्र दाखिल करके समय पर उनका इलाज हो सके।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : माननीय सदस्य ने यहां जो कुछ कहा, कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें पेशेंट को यह कहना पड़ता है कि हम बैड नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जितनी फेसिलिटीज उपलब्ध हैं, उस हिसाब से हम उनका इलाज करते हैं। अभी हाल ही में, दो साल पहले से, हम यह कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा औपरेशन थियेटर्स बनाए जाएं। दूसरे यह भी है कि लोग आल इण्डिया इंसटीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्स को "सैन्टर ऑफ एक्सीलेंस" समझते हैं और इसलिए वहां हर हिस्से से लोग आते हैं। शहाबुद्दीन साहब ने जो बात कही और मेरे कोलीग मन्त्री जी ने जैसा उन को उत्तर दिया, मैं उनसे सहमति प्रकट करते हुए कहना चाहती हूं कि वी० आई० पीज० के लिए हमारे यहां कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है लेकिन मैं इसके ही इस माननीय सदन में सभी एम० पीज० साहबान से कहना चाहूँगी कि बराय-मेहरबानी हम लोगों को फोन न किया करें कि हमें कमरा चाहिए। हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वी० आई० पीज० के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। यदि कोई वी० आई० पी० परेशानी में है, तो वह भी एक इन्सान है और उसके लिए कोशिश की जाती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे पास लि० 65 प्राइवेटरूम्स हैं जिनमें से 5 फैकल्टी मैंबर्स और वहां के स्टाफ के लिए रख छोड़े हैं। बाकी 55 रूम्स हैं जिनके ऊपर इतना रश रहता है कि हम मजबूर हैं और उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने बैड्स हैं, वे लगभग आठ सौ हैं। उसी हिसाब से पेशेंट लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूं इस सदन को कि अब कार्डियो थिरेसिस सेण्टर में हमारी न्यूरो साइन्स के लिए और केन्सर के लिए अलग से कुछ बैड्स बढ़ाए हैं। इससे हमें उम्मीद है कि 350 बैड्स बढ़ जाएंगे। 8 आपरेशन थिएटर हमारे 1987 से काम करना शुरू कर देंगे। उस वक्त मैं समझती हूं कि थोड़ी रिलीफ हम दे सकेंगे। जो अभी हमारे मैम्बर्स हैं, वी० आई० पीज० हैं और दूसरे पेशेण्ट्स हैं जो बाहर से आते हैं, उनको हम यह कहकर वापस करते हैं कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स नहीं हैं, हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट्स नहीं है और हमारे पास आई० यू० सी० यूनिट्स नहीं हैं। उनको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी आशा है कि हमारे 350 बैड्स इसके लिए बढ़ जाएंगे। तब हम जितना रश हो रहा है, उस हिसाब से शायद हम थोड़ी सी मदद कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस अकबर होटल को क्यों नहीं ले लेतीं। वहां प्राईवेट वार्ड बना लें क्योंकि अकबर होटल अब बन्द तो हो ही गया है।

[अनुवाद]

आप इसे प्राइवेट वार्ड जैसी चीज में क्यों नहीं बदल लेते?

कोचीन पत्तन के पुराने मट्टा चेरी पुल का पुर्ननिर्माण

*730. प्रो० के० वी० थामस : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन के मट्टांचेरी पुल की मियाद पूरी हो चुकी है ;

(ख) इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोचनी पत्तन न्यास द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या इसके स्थान पर नये पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोचीन पोर्ट में मत्तन चेरी पुल अपनी सार्थक आयु पूरी कर चुका है और वह लगभग बेकार हो गया है।

(ख) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान ने पुल की दशा का अध्ययन किया था। उसने इसमें कतिपय सुधार करने का सुझाव दिया। इसमें कुछ हद तक सुधार कर दिया गया है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट मुख्य गार्डरों को सुदृढ़ बनाने के बारे में ध्यान दे रहा है।

(ग) दूसरा पुल बनाने की जरूरत महसूस की जाती है। केरल सरकार ने सितम्बर, 1985 में राष्ट्रीय परिवहन योजना और अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रस्तावित नए पुल का सर्वेक्षण अध्ययन करने की मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, जन माननीय मन्त्री जी ने कोचीन का दौरा किया था तो, उन्होंने स्वयं देखा था कि इस पुल पर काफी यातायात चलता है। क्योंकि यह केरल के प्राचीनतम पुलों में से एक है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था, अतः यह पुराना हो चुका है। यह पुल केरल के दक्षिण भाग को केरल के उत्तरी भाग से जोड़ता है। अगर यह पुल कभी गिर गया तो दक्षिणी केरल से उत्तरी केरल का सारा यातायात रुक जायेगा। इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सवकार कोचीन में एक नये पुल का निर्माण कराने का निर्णय तुरन्त लेगी।

श्री राजेश पायलट : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, हम इस पुल के महत्व को समझते हैं, विशेषकर इसलिए कि यह कोचीन के दक्षिणी और उत्तरी भाग को जोड़ता है, और मैंने यह उल्लेख किया है कि अक्सर हमारा सड़क अनुसंधान संस्थान अनुसंधान कार्य करता रहा है और उन्होंने इस पुल को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करने की सिफारिश की है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर दूं कि उनकी सिफारिश करने के बाद 1977 से हमने कदम उठाये हैं। यह बहुत ही सुरक्षित स्थिति में नहीं है परन्तु यह सुरक्षित है।

जहां तक इसके महत्व का सम्बन्ध है, केरल सरकार पहले से ही हमारे साथ सम्बन्ध बनाए हुए है और जैसे ही इस परियोजना को स्वीकृति मिलती है, पुल की लागत को पत्तन केरल सरकार और नौसेना द्वारा वहन किये जाने की सम्भावना है। ये तीन है जिसके द्वारा इस पुल का उपयोग किया जायेगा।

प्रो० के० वी०थामस : महोदय, किसी पत्तन क्षेत्र में किसी पुल या किसी अन्य परियोजना के निर्माण में समस्या यह है कि स्वीकृति केंद्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी, अर्थात् परिवहन मंत्रालय द्वारा, और अगर कोचीन नौसेना जैसा रक्षा प्रतिष्ठान है तो उस मामले में नौसेना को स्वीकृति देनी होगी और फिर उसके बाद केरल सरकार को स्वीकृति देनी होगी। परन्तु इस खास पुल के बारे में, केरल सरकार, नौसेना के प्रतिनिधियों तथा कोचीन पत्तन के अधिकारियों के बीच बातचीत पहले ही हो

चुकी हैं। केरल सरकार अपना अंश देने को तैयार हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि इस बात को देखते हुए कि केरल सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार हैं क्या परिवहन मन्त्रालय सक्रिय रुचि लेगा, ताकि इस पुल का निर्माण समय पर पूरा हो जाये। इसके अतिरिक्त, एक बात और यह है कि प्रति वर्ष कोचीन पत्तन लगभग 25 लाख रुपये इस पुल की मरम्मत पर खर्च करता है। अतः यह बहुत बड़ी राशि है जो बेकार में ही इन दो पहलुओं के आधार पर खर्च हो रही है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या परिवहन मन्त्रालय इस पुल का निर्माण तुरन्त कराने में रुचि लेगी।

श्री राजेश पायलट : जैसा कि मैंने पहले अपने जवाब में उल्लेख किया है, केरल सरकार, नौसेना और पत्तन—और पत्तन का अर्थ है जल भू-तल विभाग—एक दूसरे के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं और इस परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक 'सक्रियता' का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने सरकार को इसे अपनाने का परामर्श दिया है, निसन्देह-सरकार सक्रिय रहेगी और मैं माननीय सदस्य से सक्रिय रहने का निवेदन करूंगा ताकि हम आगे प्रगति कर सकें।

अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध शिक्षा अध्यापक महासंघ का सम्मेलन

*732. †**श्री एन० टोम्बी सिंह :**

श्री आर० एस० माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1986 में दिल्ली में अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध शिक्षा अध्यापक महासंघ का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन ने सरकार को क्या सिफारिशें की ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध शिक्षक महासंघ का दो दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में मार्च, 1986 में आयोजित किया गया।

(ख) महासंघ ने निम्नलिखित संकल्प पारित किये :—

संकल्प-1

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय मांग पत्र

इस मांग पत्र में शारीरिक शिक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत परिभाषा को स्वीकार किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद और मनोरंजन शामिल है।

प्रस्तावना :

अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा सम्बद्ध शिक्षक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 22 और 23 मार्च, 1986 को आयोजित किया गया था।

इस बात को याद दिलाते हुए कि राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले ने इस आशय की घोषणा की कि शारीरिक शिक्षा, शिक्षा की समग्र प्रणाली का एक घटक है और व्यक्ति की शारीरिक योग्यताओं

के विकास, उसकी स्वस्थता और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा की प्रणाली में समेकित करने के अपने विश्वास की सम्पुष्टी की ताकि देश के नौजवानों को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और देश की रक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा सके।

इस बात की याद दिलाते हुए कि यूनेस्को (1978) द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के अन्तर्राष्ट्रीय मांग पत्र में यह घोषणा की गई कि जाति, रंगभेद, लिंग, धर्म अथवा राजनीतिक राय का ध्यान किए बिना प्रत्येक युवक का स्वास्थ्य के विकास, शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के कार्यक्रमों में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करने का अधिकार है।

यह भी स्वीकार किया गया कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में जीवन की अनिवार्य शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि प्रत्येक नवयुवक को अपने शारीरिक बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए और इसलिए उसको उसकी शिक्षा अवधि के दौरान शारीरिक शिक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन तथा गारंटी प्रदान की जानी चाहिए।

यह विश्वास करते हुए कि शारीरिक शिक्षा को छात्र-युवा के समस्त विकास में भूमिका निभानी चाहिए और इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में गतिविधि और कोटि में निपुणताओं के विकास की गुंजाइश की व्यवस्था होनी चाहिए।

यह विश्वास करते हुए कि शारीरिक शिक्षा में युवाओं की साहसिक भावनाओं के अवसर प्रदान किए जाने के अवसर होने चाहिए ताकि उनमें पहल शक्ति, आत्मनिर्भरता, मेल-जोल और मिलकर काम करने की भावना गुण आत्मसात कर सकें।

यह विश्वास करते हुए कि शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य तथा कुल स्वस्थता का विकास करने के अलावा नेतृत्व की अपेक्षाओं, सहकारी कार्य, जीवन के लिए समायोजन जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और बेहतर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की विविधता और पूर्ण तथा सुसन्तुलित व्यक्तित्व के लिए इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए छात्र युवाओं को देश में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि यह सम्मेलन मानवता की सेवा के लिए शारीरिक शिक्षा के विकास के प्रयोजनार्थ सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं और सम्बद्ध युवा संगठनों से आग्रह करता है कि वे युवकों को एतदद्वारा मार्गदर्शन करें कि वे उनके लिए प्रदंत अन्य शैक्षिक विषयों के समकक्ष शारीरिक शिक्षा को रखने के सभी प्रयास करे।

अनुच्छेद-1 : शारीरिक शिक्षा छात्र-युवा का मूल अधिकार है।

1.1 प्रत्येक छात्र का यह मूल अधिकार है कि अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाए। उसे अपनी शारीरिक मानसिक और नैतिक शक्तियों का शारीरिक शिक्षा के माध्यम से विकास करने के अवसर की गारन्टी शैक्षिक प्रणालियों के अन्दर और बाहर, दोनों और अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।

1.2 प्रत्येक छात्र को अपनी शारीरिक स्वस्थता के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने तथा शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में स्तर प्राप्त करने का अवश्य ही मिलना चाहिए।

1.3 शिक्षा अर्थात पूर्व-प्राथमिक, प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा में वर्गीकृत पाठ्यचर्या बड़े ध्यान पूर्वक तैयार की जानी चाहिए।

अनुच्छेद-2

2.1 शिक्षा के सभी स्तरों पर युवकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व का विकास किया जाना चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रमों की कारगरता ज्यादातर नेतृत्व पर निर्भर होती है।

2.2 जहां तक स्कूलों और कालेजों में सेवारत अध्यापकों का सम्बन्ध है, उनके लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम और खुला विश्वविद्यालय, सतत पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में हाल ही में हुए विकासों तथा छात्रों की अधिकतम सहभागिता और उनके कोटि सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य तकनीकों और संसाधनों में उनके ज्ञान को अद्यतन बनाया जा सके।

अनुच्छेद-3

शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का दर्जा

शिक्षा के सभी स्तरों के अधीन शारीरिक शिक्षा और खेल कार्मिकों को वेतनमानों, पदोन्नति और विषय शिक्षकों को उपलब्ध, अन्य लाभों के सम्बन्ध में अन्य विषय शिक्षकों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए।

अनुच्छेद-4

कार्य का भार : शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का कार्यभार वही होना चाहिए, जो एक संस्था, इसमें शिक्षकों की संख्या पर विचार किए बिना, एक छात्र की वर्तमान आम प्रणाली के स्थान पर अन्य शिक्षकों के लिए निर्धारित है। कार्यभार की गणना करते समय उनके द्वारा खेलों, पीरियडों, विशेष मार्गदर्शन कक्षाओं, अन्तरंग खेल तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों के आयोजन में स्कूल समय से बाहर लगाए गए समय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद-5

शारीरिक शिक्षा में पाठ्य-विवरण समस्त देश में लागू किए जाने वाले अनिवार्य और कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय स्तर पर एक सुवर्गीकृत पाठ्यचर्या तैयार की जानी चाहिए जिसमें इस क्षेत्र के चुनिन्दा विषयों के लिए पर्याप्त गुंजाइश हो। इन पाठ्यचर्याओं में स्वस्थ्य सम्बन्धी अभ्यासों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्य-विवरणों में ऐसे परम्परागत भारतीय क्रियाकलापों पर विचार किया जाना चाहिए जो स्वरूप में साधारण, कम खर्चीले, पर्यावरण सम्बन्धी परिस्थितियों के अनुकूल हों, साथ ही शारीरिक शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हों। इस संदर्भ में योगी प्रणाली को शिक्षा के विभिन्न स्तरों में उचित स्थान मिलना चाहिए।

5.2 इस पाठ्यचर्या में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न विषयों की जानकारी शामिल की जानी चाहिए जिनके लिए कक्षा-वार उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित की जानी चाहिए जो इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इसकी विशिष्टता को समझने में उनके लिए सहायक होंगे।

5.3 विशिष्टता पर पर्याप्त रूप से आधारित मूल्यांकन कार्यक्रम जरूरी है जो छात्रों को अपनी उपलब्धता का स्तर समझने के योग्य बनाएगा और जो उन्हें इस काम में रुचि लेने और कार्य में

सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में भी इस विषय को अन्य विषयों के समान स्थान देना वांछनीय है।

अनुच्छेद-6

6.1 संगठन-शारीरिक शिक्षा, चूंकि अन्य विषयों के समान एक विषय के रूप के बराबर स्वीकार किया जाना है, अतः समय-सारिणी, पर्याप्त उपकरण, क्रीड़ा क्षेत्र, पर्याप्त कर्मचारीवृन्द और रजिस्टरों तथा अभिलेख रख-रखाव सम्बन्धी व्यवस्था जैसी इसकी आवश्यकता ऐसे मामले हैं जिन्हें इनके कड़े कार्यान्वयन के लिए इनका मानकीकृत करके निर्धारित किया जाना चाहिए जिनके बिना यह विषय छात्रों के लिए कारगर और लाभकारी सिद्ध नहीं होगा।

6.2 प्रत्येक स्कूल कालेज और विश्वविद्यालय में पर्याप्त स्टाफ तथा समुचित अवस्थापना सहित एक पूर्ण शारीरिक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना है ताकि सम्बन्धित स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में इस इस कार्यक्रम के आयोजन और प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को कारगर ढंग से किया जा सके।

अनुच्छेद-7

निधियां : खेल के मैदानों, उपस्करों, कार्मिकों और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को तत्काल शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी जनगणना आरम्भ करनी चाहिए। इन बुनियादी आंकड़ों के साथ केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे संसाधन योजना तैयार करें और तदनुसार निधियों की व्यवस्था करें। राज्य तथा केन्द्र के स्तरों पर सरकारी वित्त पोषण के अलावा स्वैच्छिक वित्त पोषण भी जरूरी है।

अनुच्छेद-8

अनुश्रवण एजेंसी :—समय-समय पर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार करने के लिए कारगर उपाय करने हेतु शारीरिक शिक्षा में अर्हता प्राप्त कार्मिकों वाली एक सुनियोजित पर्यवेक्षी एजेंसी का होना अनिवार्य है।

इस मांग पत्र का आशय यह है कि 21वीं शदी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए युवकों को तैयार करने हेतु देश में शारीरिक शिक्षा की एक निश्चित प्रणाली का गठन किया जाए।

संकल्प-2—शारीरिक शिक्षा बोर्ड

शारीरिक शिक्षा के मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का तत्काल गठन किया जाना चाहिए जिसमें शारीरिक शिक्षा के राज्य प्रतिनिधि प्रभारी और देश के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके साथ देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इसी प्रकार की सलाहकार समितियां/परिषदें स्थापित की जानी चाहिए।

संकल्प-3—नई शिक्षा नीति

मई, 1986 तक नई शिक्षा नीति की घोषणा सम्बन्धी सरकारी निर्णय का स्वागत करते समय यह राष्ट्रीय सम्मेलन इस बात के लिए खेद व्यक्त करता है कि शिक्षा नीति के प्रारूप में शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में शारीरिक शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसाकि राष्ट्रीय मांग-पत्र (यूनेस्कों 1978) द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में समझा गया है, यह राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से इस बात को सिफारिश करता है कि

शारीरिक शिक्षा को शिक्षा नीति के अंतिम दस्तावेज में शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में समझा जाए। इस मांग पत्र का कार्यान्वयन मानव संसाधनों के विकास में बहुत सहायक होगा।

संकल्प-4—शारीरिक शिक्षा सेल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग-अलग सेलों का सृजन किया जाना चाहिए जो शारीरिक और इसकी अपेक्षाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हों। इन इकाईयों का प्रबन्ध शारीरिक शिक्षा के सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें इस क्षेत्र में काफी लम्बा अनुभव हो, किया जायेगा।

संकल्प-5—एकीकृत एजेंसी

बेहतर समन्वय तथा कारगर कार्यान्वयन के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल कूद एक ही प्राधिकरण तथा विभाग के अधीन होने चाहिए।

संकल्प-6—शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद कार्मिकों का दर्जा

सरकार को शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के उन कार्मिकों को उचित दर्जा, सेवा शर्तें और पदनाम प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए जो अपने आपको देश की सेवा के लिए युवकों को तैयार करने के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। भाग (ग) शारीरिक शिक्षा और खेलों के कार्यक्रमों में सुधार लाने और इसके लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में सम्मेलन में जो बल दिया है उससे केन्द्रीय सरकार सहमत है सरकार ने खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा नीति 1984 पारित की है जिसमें इस क्षेत्र में व्यापक नीति से सम्बन्धित पैरामीटरों का उल्लेख है सरकार ने सातवीं योजना में इस क्षेत्र पर अधिक बल दिया है। सातवीं योजना के दौरान खेल-कूद के लिए 200 करोड़ रुपये तथा शारीरिक शिक्षा के लिए 8 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जब कि छठी योजना में खेल-कूद के लिए 10.75 करोड़ रुपये तथा शारीरिक शिक्षा के लिए 1.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार ने नई शिक्षा नीति के संदर्भ में इस सम्मेलन में महासंघ द्वारा की गई सिफारिशों को नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह: विवरण बहुत लम्बा है और यह एक विस्तृत विवरण भी है। इसमें महासंघ की संपूर्ण कार्यवाही है जिसमें इसके संकल्प और सिफारिशें हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि विवरण के अन्त में सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हुए, क्या सातवीं योजना में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के लिए अधिक धनराशि नियत की गयी है? क्या मैं मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या सारे देश में एक विस्तृत गणना की जायेगी ताकि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद की सुविधाओं के वितरण के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सकें? अगर ऐसा है तो कब यह गणना शुरू की जायेगी? मैं इसके लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह सम्मेलन की सिफारिशों में से एक है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मुझे सन्देह है कि मैं प्रश्न के बाद वाले भाग को समझ नहीं सकी हूं। क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि अलग से एक केन्द्र स्थापित किया जाये, जो सभी बुनियादी सुविधाओं के बारे में ध्यान रखेगा? मैं चाहती हूं कि वह इस विशेष मुद्दे को स्पष्ट करें।

श्री एन० टोम्बी सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मन्त्री जी चाहते हैं मैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग

के बारे में और स्पष्ट करना चाहूंगा। सम्मेलन द्वारा दिया गया सुझाव यह है कि विषमताओं को दूर करने के लिए सारे देश में एक विस्तृत गणना करायी जाए। अब इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि सातवी योजना में इस प्रस्तावित गणना के आधार पर धनराशि निर्धारित की जायेगी ? इस समय व्याप्त विषमताओं को दूर करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर अपने राज्य मणिपुर, की तरफ मन्त्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसने बिना किसी सुविधा के विभिन्न खेलों के लिए सर्वोत्तम खिलाड़ी तैयार किए हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृति साधन क्षमता विद्यमान हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसी सुविधायें बहुत ही सीमित हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय हमें बतायें कि क्या केन्द्र जल्दी से जल्दी गणना करायेगा। दूसरे क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या गणना के आधार पर इन क्षेत्रों की साधन क्षमता के अनुसार धनराशि नियत की जायेगी ? क्या मैं सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह बात सही उठायी गयी है कि गणना करायी जानी चाहिए। हम इस पर विचार करेंगे। मैं इस पर कोई आश्वासन नहीं दे सकता। सम्मेलन द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने के संबंध में, सरकार ने उन सब बातों पर विचार कर लिया है। 1984, में सरकार ने शारीरिक शिक्षा और खेलकूद पर एक राष्ट्रीय नीति भी अपना ली है। इसी के साथ, जैसाकि देखा जा सकता है कि सातवी योजना में अधिक धनराशि नियत को गयी है। सातवीं योजना में 200 करोड़ रुपये खेल कूद के लिए दिए गये हैं। पहले जो राशि दी गयी थीं, यह उसकी तुलना में अधिक है। जो सिफारिशें की गयी हैं, सरकार ने उनको नोट कर लिया है। गणना सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जायेगा और जहां तक सम्भव होगा हम देखेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सियालदह/हावड़ा जाने वाली पूर्व और दक्षिण-पूर्व उपनगरीय रेलगाड़ियों का समय पर चलना

*724. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को यह जानकारी है कि सियालदह और हावड़ा की ओर जाने वाली पश्चिमी बंगाल की लगभग सभी पूर्व और दक्षिण पूर्व उपनगरीय रेलगाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं, जिसके कारण यात्रियों द्वारा बारम्बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कंचनजंगा एक्सप्रेस और गौड़ एक्सप्रेस रेलगाड़ियां एक महीने में औसतन 25 दिन समय पर नहीं चलती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). पिछले कुछ महीनों में समय-पालन में कमी नहीं आयी है। सच तो यह है कि पिछले साल की तुलना में कुछ सुधार हुआ है। तथापि, कुछ प्रदर्शन होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, गाड़ियों के समय-पालन पर निगरानी रखी जा रही है और परिहार्य रूकौनियों के मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर शेडों का निर्माण

*725. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं, जहां प्लेटफार्मों पर शेड नहीं हैं, तथा कितने रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर शेड बहुत छोटे हैं ; और

(ख) क्या सरकार इन प्लेटफार्मों पर शेडों का निर्माण करके इनको पूरी तरह ढकने की व्यवस्था करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) राजस्थान में 404 स्टेशन ऐसे हैं जिनके प्लेटफार्मों पर शेड नहीं हैं। 32 स्टेशन ऐसे हैं जिनके प्लेटफार्मों पर छोटे शेड हैं।

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था की जाती है। प्लेटफार्मों पर सायबान की व्यवस्था धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य-क्रमबद्ध आधार पर की जाती है। सायबान का आयात प्रत्येक स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

बंसधारा परियोजना

*726. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बंसधारा परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी पहलुओं को हल कर लिया है ; और

(ख) बंसधारा परियोजना के दूसरे चरण को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). उड़ीसा में भूमि के जलमग्न होने के सम्बन्ध में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय मसले अभी हल नहीं हुए हैं। जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना, संतुलन जलाशय के अभिकल्प के ब्यौरों आदि सम्बन्धी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों, आर्थिक पहलुओं आदि के स्पष्टीकरण अभी राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने हैं। पर्यावरण की दृष्टि से तथा वन-भूमि रिलीज किए जाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

आदिवासी और उप योजना क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थान स्थापित करने हेतु धन राशि का आबंटन

*727. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की तरह देश के विभिन्न भागों में, जहां आदिवासियों का बाहुल्य है, आदिवासी

और उप योजना क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) इस बात पर निगरानी रखने के लिए कि इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाये, क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(घ) ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों को प्रतिपूर्ति अथवा प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई धनराशि की तुलना में यह धनराशि कितनी कम या अधिक है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राज्यों में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करना राज्य सरकारों का काम है। आदिवासी और उप योजना क्षेत्रों में ऐसी संस्थाएं स्थापित करना किसी राज्य में समग्र आधारभूत ढांचे के विकास का एक अभिन्न अंग होता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) वित्त मन्त्रालय आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात डाक्टरों को 1985-86 और 1986-87 के दौरान ग्रामीण भत्ते के भुगतान के लिए प्रतिवर्ष 352.44 लाख रुपए का विशेष अनुदान उपलब्ध करने के लिए सहमत हो गया है। यह राशि उन डाक्टेरों को जिन्हें रिहायशी मकान नहीं दिए गए हैं मकान किराया भत्ते के रूप में 1985-86 के दौरान दी गई 101.40 लाख रुपये तथा 1986-87 के दौरान दी गई 93.78 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुरू की गई तटदूर प्लेटफार्म परियोजना

*728. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा शुरू की गई तटदूर प्लेटफार्म परियोजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) निर्माण-कार्य सीधे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से कराने की बजाय गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंपने के क्या कारण हैं ;

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की नियमित सूची में कितने गैर-सरकारी ठेकेदारों के नाम दर्ज हैं ; और

(ङ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तटदूर कार्य करने के लिए कोई आश्वासन दिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 10.25 करोड़ रुपए जिसमें 74 लाख रुपए का पूंजीगत ब्याज भी शामिल है।

(ख) 723.19 लाख रुपए।

(ग) (i) आफशोर प्लेटफार्म यार्ड के लिए समान कार्यभार के आश्वासन के अभाव में स्थायी तौर पर नियत संख्या में श्रमिकों को तैनात करना जरूरी नहीं समझा गया।

(ii) आफशोर निर्माण की टेकनोलॉजी, जहाज निर्माण की टेकनोलॉजी से काफी भिन्न है। अपने कार्य बल के प्रशिक्षित करने और सुसज्जित करने में काफी समय लगता, जिसकी मौजूदा निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लिए नियत की गई अवधि अनुमति नहीं देती।

(iii) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में जहाज निर्माण करने के मौजूदा वायदों को ध्यान में रखते हुए शिपयार्डों से कार्यबल को हटाकर अन्यत्र लगाने से जहाज निर्माण के वायदों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

(घ) मौजूदा निर्माण के लिए श्रमिक ठेका आधार पर सिर्फ चार उप-ठेकेदार लगाए गए हैं जिन्होंने अन्यत्र इस प्रकार का काम किया है।

(ङ) अभी नहीं।

बम्बई पत्तन न्यास के सभापति की अन्य पत्तनों को ऋण स्वीकृत करने की शक्ति वापस ली जाना

*733. **श्री शरद दिघे** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा पारित उस संकल्प की जानकारी है जिसके द्वारा उक्त पत्तन न्यास के सभापति की अन्य पत्तनों को ऋण स्वीकृत करने की शक्ति वापस ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) जी हां।

(ख) इसकी जांच की जा रही है।

केरल में शोरूवण्णूर में एक डीजल कर्मशाला की स्थापना

*734. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शोरूवण्णूर में एक डीजल कर्मशाला की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या यह कर्मशाला अब कहीं अन्यत्र स्थापित की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का यह कर्मशाला शोरूवण्णूर में स्थापित करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी नहीं।

रेल लाइनों के नवीकरण आदि के लिए सार्वजनिक ऋण जारी करना

*735. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का रेल लाइनों के नवीकरण और नई रेल लाइनें बिछाने आदि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण जारी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) 1986-87 के दौरान रेलों की योजना के लिए जनता से ऋण के रूप में 250 करोड़ रुपए जुटाने का विचार है।

(ख) ब्यौरों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बच्चों के लिए विशेष खेल-कूद विद्यालय

*736. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 8 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कितने खेल-कूद विद्यालय हैं ; और

(ख) यदि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, तो क्या सरकार का बच्चों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के खेल-कूद विद्यालय खोलने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने न तो कोई खेल स्कूल स्थापित किया है और न ही ऐसे स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा स्थापित खेल स्कूलों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति

*737. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने, केन्द्र द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कम औषधि निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं ; और

(ग) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) देश में कुल मिलाकर 1752 औषध निरीक्षकों की कमी है।

(ग) राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखे गए हैं जिनमें उनसे इस कमी को पूरा करने का अनुरोध किया गया है। 22 फरवरी, 1986 को खाद्य एवं औषध राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने औषध कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया और राज्य स्वास्थ्य मन्त्रियों से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

हीराकुण्ड बांध में पड़ी दरारों का पता लगाना

*738. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हीराकुण्ड बांध में पड़ी दरारों की जानकारी है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने हीराकुण्ड बांध की दरारों की मरम्मत करने और उन्हें भरने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की जांच कर ली है और इस प्रयोजन के लिए धनराशि मंजूर करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना प्रस्तावों की जांच कर ली है तथा उन्हें तकनीकी तौर पर स्वीकार्य पाया है। सातवीं योजना में इन निर्माण-कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 2.22 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा है।

बम्बई उपनगरीय सेक्शन के लिए पृथक रेलवे जोन

*739. **श्री अनूपचन्द शाह :**

श्री एस० जी० घोलप :

क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उपनगरीय सेक्शन के यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने के लिए सरकार का बम्बई उपनगरीय सेक्शन के लिए एक पृथक रेलवे जोन बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बम्बई क्षेत्र में, उपनगरीय और अनुपनगरीय रेल सेवाओं की रेलपथ और अन्य अवसंरचनाओं में बहुत अधिक साझेदारी है। अतः, उन्हें एकीकृत नियन्त्रण के अधीन रखना वांछनीय है। मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में यह उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसमें पश्चिम रेलवे की उपनगरीय और अनुपनगरीय सेवाएं पश्चिम रेलवे के बम्बई मंडल के अधीन हैं और मध्य रेलवे की उपनगरीय और अनुपनगरीय सेवाएं मध्य रेलवे के बम्बई वी० टी० मंडल के अधीन है। बम्बई क्षेत्र में केवल उपनगरीय सेवाओं के लिए एक पृथक जोन बना देने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

दुखिया महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता

6892. **श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुखिया महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु सहायता उपलब्ध करा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए नार्वे की एजेंसी से प्राप्त सहायता से रोजगार और आय के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्किम को इस योजना के अन्तर्गत कोई सहायता मिल रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस पिछड़े राज्य को इस प्रकार की सहायता देने की

कोई योजना है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सिक्किम से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सहायता के लिए पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही सहायता प्रदान की जा सकती है। संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने के लिए तथा रोजगार तथा आय सम्बर्धन प्रशिक्षण एवं उत्पादन एककों की स्थापना के लिए सहायता योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी स्वयंसेवी संगठन/सरकारी उपक्रम/निगम/स्वायत निकाय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए केन्द्रीय-अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम से पोतों की खरीद

6893. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम से खरीदे गए कुछ पोत विनिर्देशन और गारंटी अवधि के अनुसार नहीं है और उनकी मरम्मत भी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पोतों, उनकी खराबियों तथा उनके निर्माताओं द्वारा गारंटी अवधि के दौरान उनकी मरम्मत न किए जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने नवनिर्मित शुष्क बंदरगाह को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को सौंपने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं और क्या इस मामले में कोई आपत्ति दर्ज की गई है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को ठेके की विशिष्टियों के अनुसार एक ट्विन स्क्रू मोटर टग की आपूर्ति की है। गारंटी अवधि मरम्मत के अन्तर्गत खराबी एक मुख्य इंजन में थी जिसकी आपूर्ति जी० आर०एस०ई० कलकत्ता द्वारा की गई थी। आवश्यक मरम्मत कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने मामले को जी० आर० एस० ई० के साथ उठाया है। अन्य गारन्टी अवधि कमियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने अंडमान निकोबार प्रशासन के हार्बर मास्टर से अनुरोध किया है कि वे पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से विभागीय तौर पर मरम्मत कार्य कराने की सम्भावनाओं की जांच करें और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को प्राक्कलन भिजवा दें।

(ग) जी, हां।

(घ) ट्रांसफर की विस्तृत शर्तें तैयार की जा रही हैं। इस मन्त्रालय में इस ट्रांसफर पर अभी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

बालिकाओं के लिए ही गैर-औपचारिक और औपचारिक केन्द्र

6894. श्री अमर सिंह राठवा :

श्री चिन्ता मणि जेना :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में केवल बालिकाओं के लिए कितने मिलेजुले गैर औपचारिक केन्द्र और कितने औपचारिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं ;

(ख) इन केन्द्रों को चलाने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इस योजना को जारी रखने पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में, विशेषकर गुजरात में, कितने केन्द्र खोले जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र खोलने को प्राथमिकता देगी ;

(च) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सहायता समय पर नहीं दी जा रही है ; और

(छ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). 9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सन्दर्भ में शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 50:50 की साझेदारी के आधार पर गैर औपचारिक केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना छठी पंचवर्षीय योजना से चल रही है। वर्ष 1983-84 से इन राज्यों को केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक केन्द्रों की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान करने वाली योजना के एक और घटक को जोड़ा गया है।

छठी योजना में इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-औपचारिक केन्द्रों की संख्या		छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को दी गई सहायता	
	मिश्रित गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र (50:50 पद्धति)	केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र (90:10 पद्धति)	मिश्रित गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र (50:50 पद्धति)	केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र (90:10 पद्धति)
1. आन्ध्र प्रदेश	16,440	1012	3,22,99,212	16,98,642
2. असम	16,146	1000	1,62,97,902	21,83,250
3. बिहार	22,520	7500	3,97,43,917	64,08,337
4. जम्मू और काश्मीर	1,835	60	26,21,134	1,64,565
5. मध्य प्रदेश	11,512	3768	2,32,17,852	87,53,533
6. उड़ीसा	7,560	560	1,81,74,700	13,00,950
7. राजस्थान	14,685	3000	2,54,68,941	65,49,750
8. उत्तर प्रदेश	32,000	3200	6,03,06,251	43,72,800
9. पश्चिम बंगाल	18,719	600	3,59,35,199	13,75,875
	1,41,417	20,700	25,40,95,106	3,28,07,702

(ग) और (घ). इस योजना को वर्ष 1985-86 में जारी रखा गया है। सातवीं योजना की बाकी अवधि के दौरान इसे जारी रखने के लिए विचार किया जा रहा है। तथापि, गुजरात राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह शैक्षिक रूप से पिछड़ा राज्य नहीं है तथा सहायता की वर्तमान योजना के अन्तर्गत सहायता केवल शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को ही दी जा सकती है।

(ङ) जी, हां। यह आशा की जाती है कि राज्य उन नए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को स्थापित करते समय शामिल न किए गए उन क्षेत्र को वरीयता देंगे जिनमें सामान्य तौर पर आदिवासी क्षेत्र ही शामिल होंगे।

(च) और (छ). राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते ही केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों को यथा शीघ्र राशि संस्वीकृत करने के सभी सम्भव प्रयास करती है, फिर भी वर्ष 1985-86 में राशि मुक्त करने में पर्याप्त विलम्ब हुआ था क्योंकि सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना को जारी रखने के लिए सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों के परामर्श से निर्णय नहीं लिया जा सका था। इस वर्ष योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय रहते उपाय किये जा रहे हैं ताकि इस वर्ष ऐसा विलम्ब न हो।

गैर-सरकारी प्रबन्धकों के स्वामित्वाधीन रेल लाइनों का राष्ट्रीयकरण

6895. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ रेल लाइनें अभी तक गैर सरकारी प्रबन्धकों के स्वामित्वाधीन हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रेल लाइनें चलाने के लिए प्रत्येक स्वामी फर्म के साथ अनुबंध कर रखे हैं ;

(ग) क्या ये सभी गैर सरकारी रेल लाइनें लाभ पर चल रही हैं, यदि हां, तो लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या ऐसी सभी रेल लाइनों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। निजी कम्पनियों की स्वामित्व वाली निम्नलिखित 3 रेल लाइनों का संचालन भारत सरकार की निकटस्थ रेलों द्वारा किया जाता है :—

कम्पनी का नाम	स्वामित्व	प्रबन्ध एजेंट	संचालन
1. सेंट्रल प्राविसेंज रेलवे	सेंट्रल प्राविसेज कम्पनी लिमिटेड	मैसर्स किलिक निक्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य रेलवे
2. बांकुरा-दामोदर रिवर रेलवे	बांकुरा-दामोदर रिवर रेलवे कम्पनी लिमिटेड	मैसर्स मैक लियाड एंड कम्पनी लिमिटेड	दक्षिण पूर्व रेलवे
3. अहमदपुर-कटवा रेलवे	अहमदपुर कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड	मैसर्स मैक लियाड एंड कम्पनी लिमिटेड	पूर्व रेलवे

(ख) जी हां। मालिक कम्पनियों और केन्द्र सरकार के बीच हुए करार के अनुसार इन निजी स्वामित्व वाली रेल लाइनों का संचालन भारतीय रेलों द्वारा किया जाता है।

(ग) गत 5 वर्षों के दौरान भारतीय रेलों को इन रेल लाइनों के परिचालन में हुई संचालन हानि का ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

रेलवे का नाम	संचालन हानि				
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. सेंट्रल प्राविसेंज रेलवे	94.01	101.01	115.80	114.93	163.43
2. बांकुरा-दामोदर रिवर रेलवे	38.24	46.61	48.00	67.23	65.49
3 अहमदपुर-कटवा रेलवे	17.00	23.18	23.37	27.92	35.55

(घ) जी नहीं।

त्रिवेन्द्रम जिले में बेलि रेलवे स्टेशन का विकास

6896. **श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम जिले में बेलि रेलवे स्टेशन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे द्वारा सामुदायिक हालों का निर्माण

6897. **श्री मानिक सान्याल : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे द्वारा मंडल-वार कितने सामुदायिक हालों का निर्माण किया गया है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे हाल बनाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे हालों का निर्माण अन्य स्थानों पर भी करने का है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कारंवाई की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुरूप औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन

6898. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति द्वारा अपने छठे प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के उत्तर में दिए गए आश्वासन के अनुसार "वस्तुएं तैयार करने की प्रक्रियाओं" को शामिल करने के लिए औषधि और प्रसाधम सामग्री नियमों में संशोधन के लिए कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर "निर्माण की अच्छी प्रक्रियाओं" के बारे में अधिसूचनाओं का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सहायता

6899. **श्री चिन्ता मणि जेना : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी पढ़ाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति करने हेतु राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की 50 : 50 अनुपात से सहायता देनी है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सहायता मांगी थी और उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई ;

(ग) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में ऐसे कितने आध्यापकों की नियुक्ति की गई ;

(घ) क्या हिन्दी आध्यापकों के वेतन के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपने हिस्से की राशि समय पर दी थी ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और अध्यापकों को भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को समय पर राशि जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी :) (क) से (ङ). मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बराबर सहायता प्रदान करता है। इन शिक्षकों के वेतन पर होने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 की साझेदारी के आधार पर वहन किया जाता है।

2. वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिए हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता मांगने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा इन संघ शासित क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों/नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान जिन अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने वित्तीय सहायता मांगी है उनके नाम	नियुक्त शिक्षकों/नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या वर्ष 1984-85	वर्ष 1685-86
1.	असम	392	392
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	—
3.	गुजरात	26	—
4.	उड़ीसा	75	75
5.	मेघालय	35	30
6.	मणिपुर	50	50
7.	मिजोरम	50	175
8.	सिक्किम	—	110
9.	नागालैंड	30	—
10.	दादरा और नागर हवेली	10	10
11.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	40	50

उपरोक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नियुक्त/नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक में प्राथमिक मिडिल माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं/स्कूलों के शिक्षक भी शामिल है।

3. भाग (घ) और (ङ) के सम्बन्ध में यह मन्त्रालय नियुक्त शिक्षकों/नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या और किए गए/अथवा किए जाने वाले व्यय के विवरण से सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मांग प्राप्त होने पर सहायक अनुदान तुरन्त मुक्त करने में पूरी सावधानी बरतता है। यदि किन्हीं कारणवश किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र को भुगतान विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया जाता है तो इसको देय अनुदान प्रासंगिक दस्तावेज/विवरण इस मन्त्रालय में प्राप्त होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कर दिया जाता है।

किरातपुर सिर हिन्द-नांगल बांध सेक्शन तथा कांगड़ा घाटी रेलवे पर अन्य रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

6900. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी रेलवे में किरातपुर सिरहिन्द नांगल बांध सेक्शन, होशियारपुर, ज्वालामुखी रोड गुलेर नंदपुर भटोली, त्रिपाल, लुसू, बैराल रेलवे स्टेशनों पर लोगों को हो रही कठिनाइयों और इस प्रकार की सुविधाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित व्यय सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उत्तरी रेलवे के दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजनों में वर्ष 1986-87 में प्रदान की जानी वाली यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इटोफाइलिन और थियोफाइलिन औषधियों के मिश्रण से बनी दवाइयों को बेचने पर प्रतिबन्ध

6901. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटोफाइलिन और थियोफाइलिन औषधियों का मिश्रण हानिकारक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में ऐसे मिश्रण से बनी दवाइयां बाजार में बेची जा रही हैं ;

(ग) देश में बेची जा रही ऐसी औषधियों के मिश्रण से बनी दवाइयों के नाम क्या हैं ; और

(घ) प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली औषधियों, ऐसे मिश्रण बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स जर्मन रेमेडीज, हाइड्राक्सीथिल-थियोफाइलिन और थियोफाइलिन के मिश्रण का "डेरीफाइलिन" के रूप में विपणन करती है। मैसर्स फेयरडील कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड देश में "माइनाफाइलिन" का और मैसर्स टेबलटस (इंडिया) लिमिटेड "रेलासमिन" का विपणन करती है जिनमें इटोफाइलिन और थियोफाइलिन होती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेल तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रही कठिनाइयां

6902. **श्री एन० डेनिस :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कम दूरी के लिए सफर करने वाले यात्री एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में बीच के स्टेशनों से आरक्षित डिब्बों में चढ़ जाते हैं जिसके कारण लम्बी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपायों में आरक्षित सवारी डिब्बों में कण्डक्टरों/चल टिकट परीक्षकों और यान परिचरों को तैनात करना शामिल है जिन्हें ये अनुदेश हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब गाड़ी चल रही हो तो सवारी डिब्बों के दरवाजे बन्द रखे जाएं और अपेक्षित होने पर उन्हीं यात्रियों के लिए खोलें जिन्हें इन सवारी डिब्बों में आरक्षण प्राप्त हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि गलियारे वाली गाड़ियों के सवारी डिब्बों के आखिरी दरवाजे 22.00 बजे और 06.00 बजे के बीच बन्द रखे जाएं।

अल्प दूरी के मासिक सीजन टिकट धारी यात्रियों को आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है और यदि उन्हें इन सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर जुर्माना किया जाता है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और सुधार के लिए योजना

6903. **श्री आर० एम० भोये :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनमें सुधार के लिए 406 करोड़ रुपये की एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना में देश में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए जाने वाले निर्माणकार्यों के बारे में भिन्न-भिन्न राज्यों से प्राप्त योजनागत प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विभिन्न कम्पनियों में पड़े बेकार और क्षतिग्रस्त माल डिब्बों के कारण क्षति

6904. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न कम्पनियों में पड़े बेकार और क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और ये माल डिब्बे उन कम्पनियों में कब से पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह पता लगाया गया है कि इन माल डिब्बों के कारण रेलवे को कुछ क्षति हुई है

और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन मालडिब्बों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) इसके लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया जाता है लेकिन उन पर नजर रखी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि स्टाक के अभाव को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है, तथापि इस कारण होने वाले नुकसान का मूल्यांकन नहीं किया जाता है ।

(घ) एक नियमित प्रणाली है जिसके अन्तर्गत फालतू और/या क्षतिग्रस्त स्टाक को ओद्योगिक स्थलों से हटा लिया जाता है ।

एम० बी० बी० एस० के वर्तमान पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा

6905. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के परामर्श से एम० बी० बी० एस० के वर्तमान पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार कौन-कौन से मेडिकल कालेजों में यह पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने जो देश में चिकित्सा शिक्षा का उचित स्तर बनाये रखने के लिए एक सांविधिक निकाय है, परिवार कल्याण सम्बन्धी आवश्यक विषयों को पहले से ही एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण तथा एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अनिवार्य रोटेटिंग इण्टर्नशिप, दोनों, में शामिल कर लिया है । यह परिषद् स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों को नियमित रूप से समय-समय पर समीक्षा करती है और उनमें संशोधन करती है ताकि देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । एम० बी० बी० एस० में शामिल की गयी परिवार नियोजन सम्बन्धी पाठ्यचर्या को अन्य बातों के साथ-साथ अनुपालन के लिए विश्वविद्यालयों और मेडिकल कालेजों में भी परिपत्रित कर दिया गया है ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और परिवार कल्याण विभाग को यह देखने के लिए मौजूदा एम० बी० बी० एस० पाठ्यचर्या की पुनरीक्षा करने के लिए कहा गया है कि क्या इस पाठ्यचर्या में परिवार नियोजन/कल्याण के सभी पहलू शामिल कर लिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से अनुरोध किया जाए ।

[हिन्दी]

कमला नहर परियोजना

6906. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी :** क्या जल संसाधन मन्त्री नेपाल में कमला नदी पर बने

बांध के प्रभाव के बारे में 18 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार से कमला नदी की प्रमुख धारा पर बनाए गए बांध के फलस्वरूप उत्पन्न जल समस्या के सम्बन्ध में कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). नेपाल को अपनी बराज परियोजना के ब्यौरे मुहैय्या करने के लिए अनुरोध किया गया है । इसी बीच, दोनों देशों के हितों के लिए नेपाल से घिसापानी के पास तेतरिया पर कमला नदी पर सम्भावित जल-भंडारण बांध के मुख्य लक्षणों की भारत ने रूपरेखा तैयार की है । मामले पर आगे कारंवाई की जा रही है ।

[अनुवाद]

एमिनोसेन्टेसिस सुविधा युक्त क्लीनिक

6907. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार ऐसे क्लीनिकों की अनुमानित संख्या क्या है जहां पर एमिनोसेन्टेसिस सुविधा उपलब्ध है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : सरकारी संस्थाओं में एमिनोसेन्टेसिस सुविधा की उपलब्धता के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी । प्राइवेट क्लिनिकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

जुराला परियोजना को मंजूरी

6908. **श्री एस० पालकोंड्रायुडू** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में जुराला परियोजना की मंजूरी के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गई है तथा मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार से जुराला परियोजना का 191.80 करोड़ रुपये का अद्यतन परियोजना अनुमान केन्द्रीय जल आयोग में 31-3-1986 को प्राप्त हुआ है तथा उसकी जांच की जा रही है । आन्ध्र प्रदेश सरकार को अभी पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि रिलीज किए जाने सम्बन्धी स्वीकृति लेनी है ।

भारत में पोषाहार कार्यक्रम पर सर्वेक्षण

6909. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने "भारत में पोषाहार कार्यक्रम" का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पोषाहार कार्यक्रम पर विश्व बैंक

तथा केन्द्रीय सरकार का कितना धन व्यय करने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) विश्व बैंक ने भारत में पोषाहार कार्यक्रम पर कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकार के मूल्यांकन तथा व्यावहारिक अनुसंधान विभाग द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त तमिलनाडू समेकित पोषाहार परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया था।

(ख) मूल्यांकन से पता चलता था कि नियन्त्रण खंड की तुलना में परियोजना के पायलट खंड में शिशुओं के पोषाहार-स्तर में सुधार हुआ है।

(ग) सातवीं योजना में महाराष्ट्र राज्य के राज्य क्षेत्र में पोषाहार के लिए 50 करोड़ रुपए (पचास करोड़ रुपए) का परिव्यय शामिल है। महाराष्ट्र के पोषाहार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई राशि खर्च करने का प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम (गैर-योजना) के अन्तर्गत, महाराष्ट्र में 698 बालवाड़ियां राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के माध्यम से, केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं।

"एड्स" के नियन्त्रण/इलाज के लिए औषधियां

6910. **श्री डी० एन० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एड्स" की बीमारी की रोकथाम/इलाज के लिए कोई औषधियां हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ या अन्य किसी संस्थान का विचार एड्स की चिकित्सा के लिए किन्हीं सम्भावित औषधियों पर अनुसंधान शुरू करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसेंसी सिड्रोम (एडस) एक वायरल रोग है और इसलिए इस संक्रामक रोग का इलाज करने के लिए अभी कोई सुधारात्मक इलाज उपलब्ध नहीं है। वैसे, इस रोग की कारगर दवाई और वैक्सीन का पता लगाने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं।

छठी योजना के दौरान महाराष्ट्र में रेल लाइनों को दोहरा करना

6911. **श्री गुरुदास कामत : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें छठी योजना के दौरान दोहरा बनाने का प्रस्ताव था ; और

(ख) क्या उन लाइनों पर कार्य पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). यद्यपि, छठी योजना के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे, फिर भी, महाराष्ट्र में छठी योजना के दौरान तथा उसके पश्चात दोहरी लाइन बिछाने के काम शुरू करने तथा उन्हें चालू करने का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	खंड	महाराष्ट्र में कि० मी०	चालू किए गए छठी योजना में	(कि० मी०) सातवीं योजना में
1.	कसारा-इगतपुरी (तीसरी लाइन)	14	14	—
2.	करजत-लोनावाला (तीसरी लाइन)	29	20	9
3.	चेम्बूर-मानखुर्द	3	3	—
4.	विरुर-सिरपुर टाउन	14	13	1
5.	मानिकगढ़-विरुर	18	—	18
6.	इटारसी-आमला-नागपुर (चरण-I)	13	13	—
7.	इटारसी-आमला-नागपुर (चरण-II)	4	—	—

क्रमांक 1 से 6 में उल्लिखित खंड पूरी तरह खोल दिए गए हैं और केवल अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं। क्रमांक 7 में उल्लिखित खंड 1983-84 में अनुमोदित किया गया था और धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य चल रहा है।

गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों को मान्यता देना

6912. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों को मान्यता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित संस्था से अनुरोध प्राप्त होने पर ही विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता के मान्यता के प्रश्न पर विचार किया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित स्तरों के आधार पर चिकित्सा कालेज द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और अन्य सुविधाओं की पर्याप्तता पर ही मान्यता देना निर्भर करेगा। यदि किसी चिकित्सा कालेज से अपनी चिकित्सा कालेज से अपनी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने के बारे में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हो तो इन आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपाती निधि द्वारा सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, मद्रास के लिए मशीन की सप्लाई

6913. **श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपाती निधि ने एक बार सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, मद्रास में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स के निर्माण में वृद्धि करने के लिए एक आटोमैटिक पीच फिलिंग मशीन देना स्वीकार किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मशीन के डिपो में कब तक पहुंचने की सम्भावना है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपाती निधि से ऐसी कितनी मशीनें इसी प्रकार से उपलब्ध की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) लेकिन "यूनीसेफ" से मशीन प्राप्त करने का प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ।

(ग) यूनीसेफ से ऐसी कोई मशीन किसी भी डिपो के लिए प्राप्त नहीं की गई है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फलों के रस की ट्रालियां लगाने की अनुमति

6914. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जंकशन और अन्य रेलवे स्टेशनों पर फलों के रस की ट्रालियां लगाने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). जहां पर्याप्त मांग होती है वहां क्षेत्रीय रेलें फलों के रस की बिक्री के लिए ट्राली स्टालों का आबंटन करती हैं। दिल्ली स्टेशन पर ऐसी दो ट्रालियां और 5 स्टाल हैं। नयी दिल्ली स्टेशन पर फलों के रस के 7 स्टाल हैं और कोई ट्राली नहीं हैं। नयी दिल्ली स्टेशन पर मौजूदा सुविधा पर्याप्त समझी जाती है।

[हिन्दी]

कामनवेल्थ मेडिकल फैलोशिप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आर्थोपैडिक सर्जन की तैनाती

6915. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली के कुछ आर्थोपैडिक सर्जनों को कुछ दिनों के लिए कामनवेल्थ मेडिकल फैलोशिप के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने हेतु विदेश भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे अपने देश वापस लौट आए हैं ; और

(ग) उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां उन्हें तैनात किया जाएगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली के एक आर्थोपैडिक सर्जन को ब्रिटेन में एक वर्ष के कामनवैल्थ मेडिकल फैलोशिप के लिए भेजा गया था। वह ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 13-6-1985 को भारत वापस आ गए तथा उनकी तैनाती दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में की गई।

[अनुवाद]

केरल के तटवर्ती क्षेत्रों से समुद्री मछली की ढुलाई हेतु प्रशीतित (रेफ्रिजिरेटिड) माल डिब्बे

6916. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे तटवर्ती क्षेत्रों से देश के भीतरी स्थानों को समुद्री मछली की ढुलाई हेतु प्रशीतित माल डिब्बे उपलब्ध करा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति दिन कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं ;

(ग) क्या यह माल डिब्बे केरल के तटवर्ती क्षेत्रों से समुद्री मछली की ढुलाई हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण काम चलाऊ साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

6917. **श्री नारायण चौबे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण काम चलाऊ साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन केन्द्रों का कार्य निष्पादन क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली तिमाही में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 110346 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(ख) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की योजना ने अपनी स्थापना से ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा उसे सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का एक तन्त्र तैयार करने में पर्याप्त सहायता की है इसने इसके लाभकर्ताओं के रूप में बड़ी संख्या में महिलाओं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आकर्षित किया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्तकर्ताओं की नामांकित संख्या क्रमशः 18, 45, 597, 8, 85, 622, 461909 है जो कुल नामांकन का 56.4 प्रतिशत, 24.6 प्रतिशत तथा 14.1 प्रतिशत है।

उड़ीसा के प्राथमिक विद्यालयों में महिलाओं को अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्त करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

6918. **श्री अनादि चरण दास** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में महिलाओं की अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को किस प्रकार की सहायता दी गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : शैक्षणिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के लिए चल रही योजना के अनुसार पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति हेतु 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था।

प्राइमरी स्कूलों में 750 महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984-85 और वर्ष 1985-86 के लिए क्रमशः 39,39,600 रु० और 21,48,000 रु० की राशि प्रदान की है।

"कंटेनर" पोत किराये पर लेने की पद्धति

6919. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम द्वारा कंटेनर पोतों को किराए पर लेने की पद्धति, "निश्चित समय के लिए किराये पर लेने एवं बिक्री" पर आधारित है अथवा उसका कोई अन्य आधार है ; और

(ख) तटीय व्यापार को बढ़ाने हेतु "कंटेनर" पोतों के साथ-साथ "फीडर" पोत प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा कन्टेनर जहाज केवल टाइम-चार्टर आधार पर लिए जाते हैं।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने भारतीय तट पर फीडर सेवाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया है और इस नेटवर्क के माध्यम से किन्हीं दो भारतीय पत्तनों के बीच कन्टेनरों को लाना-ले जाना सम्भव है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा सेल्यूलर कन्टेनर जहाजों से पन्द्रह दिन के अन्तराल पर फीडर सेवा नियमित रूप से चलाई जा रही है।

आसनसोल में रेलवे की भूमि से पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति

6920. **डा० सुधीर राय** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में रेल प्राधिकारियों ने नगर पालिका के प्राधिकारियों को शहर के उत्तरी भाग अर्थात, रेल लाइन की दूसरी ओर रहने वाले लोगों को पानी की सप्लाई के लिए रेलवे भूमि से होकर पानी की पाइपलाइन बिछाने को अनुमती देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) और (ख). प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है। रेलवे कालोनी रोड के नीचे 300 मि० मी० व्यास की पाइपलाइन बिछाने के लिए जन स्वास्थ्य निदेशालय, आसनसोल मंडप के कार्यकारी इन्जीनियर से प्रस्ताव होने पर रेलवे ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

स्टोर डिपुओं में माल की चोरी

6921. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में स्टोर डिपुओं के निरीक्षण के दौरान 500 रुपये से अधिक मूल्य की चोरियों के कितने मामलों का पता लगा है ;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करने में कितना समय लगा ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में समुद्र तट पर युवा होस्टलों की स्थापना का प्रस्ताव

6922. **डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में युवा होस्टलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे होस्टलों की स्थापना की जाएगी ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुरा-वस्तुओं का अवैध व्यापार

6923. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में पुरा-वस्तुओं के अवैध व्यापार के कितने मामले आये हैं;

(ख) इस अवैध व्यापार में कौन-कौन कम्पनियां तथा व्यक्ति शामिल हैं ;

(ग) ऐसी कम्पनियां/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) क्या कोई ऐसे मामले हैं जिनमें ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे पुरा-वस्तुएं बरामद हुई हों ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार को ऐसे 28 मामलों का पता लगा है।

(ख) इस गैर कानूनी कार्य में 91 व्यक्ति और 10 फर्में/कम्पनियां शामिल थीं।

(ग) इन मामलों की छानबीन की है और जिनके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध थी उन्हें आरोप-पत्र दे दिये हैं।

(घ) जी, हां।

दिल्ली में स्मारकों की देख-भाल तथा अनुरक्षण

6924. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में संरक्षित स्मारकों की देख-भाल तथा अनुरक्षण के लिए सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) यात्रियों की औसत संख्या कितनी है और (एक) प्रवेश-पत्रों, (दो) खाद्य-पदार्थ बेचने

वाली दुकानों के किराए; मार्गदर्शी नक्शों तथा पुस्तकों, और (तीन) साइकिल, कार पार्किंग स्थलों एवं अन्य विविध स्रोतों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या इन ऐतिहासिक स्मारकों के सम्बन्ध में, उन्हें सुन्दर बनाने, अनधिकृत कब्जों को हटाने तथा साधन जुटाने आदि के लिए आम जनता/गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरचनात्मक रखरखाव, रासायनिक परिक्षण और इनके बगीचों के अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

1983-84	:	20,24,865 रु०
1984-85	:	23,90,322 रु०
1985-86	:	47,82,929 रु० (लगभग)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश टिकटों की बिक्री के आधार पर, निम्नलिखित स्मारकों में, जहां प्रवेश शुल्क लिया जाता है 15 वर्ष से अधिक आयु वाले दर्शकों की औसत वार्षिक संख्या नीचे दी गई है :—

लाल किला	18,60,016
सफदरजंग मकबरा	50,323
हुमायूं का मकबरा	2,50,570

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश टिकटों की बिक्री से एकत्रित राजस्व निम्नलिखित था :—

लाल किला	27,90,024 रु०
सफदरजंग मकबरा	65,483 रु०
हुमायूं का मकबरा	4,25,856 रु०

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के स्मारकों में खाने की चीजें बेचने के लिए दुकानें किराये पर नहीं दी हैं।

(iii) साइकिल/कार खड़ी करने वाले स्थलों से कोई राजस्व नहीं कमाया जाता।

(ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाएं स्मारकों के आस-पास की सामान्य सफाई के कार्य में भाग ले रही हैं।

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों में निरक्षरता कम करने के लिए कदम

6925. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं ;

(ग) अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में शिक्षा का प्रसार करने और उनमें निरक्षरता की दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में अनुसूची जातियों की साक्षरता दर 18.97 प्रतिशत है यद्यपि जो अन्य चार राज्य से काफी आगे है, किन्तु राष्ट्रीय औसत से 21.83 प्रतिशत कम है।

(ख) साक्षरता की कम दरों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ व्याप्त सामाजार्थिक दशा अन्य राज्यों की तुलना में स्कूलों में दाखिले की कम दरें तथा प्राईमरी और मिडिल स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की उच्च दरें शामिल हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रसार तथा निरक्षरता की दरें कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(i) राष्ट्रीय औसत से नीचे की साक्षरता दरों वाले जिलों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना ;

(ii) समाज के कमजोर वर्गों को दाखिल करना। यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि दाखिल किए गए नौसीखियों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हों।

(ii) ग्रामीण, पिछड़े तथा जनजातिय क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के खोलने में प्राथमिकता देना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में यथा सम्भव ऐसे केन्द्र स्थापित करना।

(iv) उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती पर बल देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नव-साक्षर को पढ़ाई में बनाये रखा जाए तथा साक्षरता सम्बन्धी योग्यता का प्रयोग किया जा सके तथा यह निरक्षरता में पुनः न बदलने पाए ;

(v) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का प्रावधान करना, स्वैच्छिक संगठनों उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायता देना तथा श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना करना।

(vi) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों को 9-14 आयु वर्ग में गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 50:50 की भागीदारी के आधार पर तथा केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 90:10 की भागीदारी के आधार पर भी सहायता प्रदान करती है।

(vii) निरक्षरता को दूर करने के लिए कार्यक्रमों में छात्रों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1990 तक सभी निरक्षरों को शामिल करने के उद्देश्य से सातवीं योजना में कार्यात्मक

साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिन प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जाना है, उनमें सतत प्रौढ़ शिक्षा का विकास, उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम, सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों विशेषकर गरीबी दूर करने तथा ग्रामीण विकास और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के साथ प्रभावी तालमेल स्वैच्छिक एजेंसियों, नेहरू युवक केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना को व्यापक रूप से शामिल करना, तथा कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। आगामी ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान 3 लाख कालेज छात्रों तथा रा० से० यो० स्वयं सेवकों को कार्यात्मक साक्षरता में उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में महिला विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

6926. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा ने एक महिला विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आठवीं तक छात्रों को अनुत्तीर्ण न करना

6927. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आठवीं कक्षा तक छात्रों को अनुत्तीर्ण न करने का परामर्श दिया है ;

(ख) इस पर प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में और गिरावट आने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि शिक्षा के स्तर में गिरावट न आये ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के सन्दर्भ में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कक्षा VIII तक किसी को भी फेल न करने की नीति अपनाने की सलाह दी गई है किन्तु शर्त यह है कि मूल्यांकन तथा उपचारात्मक कार्रवाई की जाए। विभिन्न राज्यों द्वारा इसका अनुपालन विभिन्न स्तरों तक किया जा रहा है। वार्षिक योजना विचार-विमर्श 1986-87 के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त चेक-लिस्ट पर आधारित विवरण संलग्न है, जिसमें उस स्तर को दर्शाया गया है जिस तक किसी को भी फेल न करने की नीति विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही है।

(ग) और (घ). ऐसे परिणाम की आशंका होने के कारण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और

प्रशिक्षण परिषद ने अपनी पाठ्यचर्या संरचना (1975 और 1986) में सतत् मूल्यांकन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाने की प्रबल सिफारिश की है। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई है कि मूल्यांकन को केवल स्कूल विषयों अर्थात् ज्ञानात्मक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसमें गैर-ज्ञानात्मक क्षेत्रों में बच्चों का विकास भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य बच्चों की कठिनाइयों को दूर करना और बच्चे की मदद करने के लिए उपचारात्मक उपायों का प्रयोग करना ताकि उसकी दिन-प्रतिदिन की प्रगति में सुधार हो सके। अतः अद्यतन संचयी रिकार्ड रखने के साथ-साथ टिप्पणियां, पेपर-पेंसिल, टेस्ट, एन्सीडोटल रिकार्ड, चेक-लिस्ट, रेटिंग स्केल आदि जैसी विभिन्न तकनीकों की सिफारिश की गई है ताकि बच्चे के विकास-चार्ट को दर्शाया जा सके। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह इस बात को सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि शिक्षा का स्तर न गिरे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कहां तक न रोके रखने की नीति अनुसरण की गई।
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	कक्षा VII
2.	असम	कक्षा I राज्य सरकार इसे कक्षा IV तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।
3.	बिहार	कक्षा V
4.	गुजरात	कक्षा II
5.	हरियाणा	कक्षा II
6.	हिमाचल प्रदेश	नहीं
7.	जम्मू और काश्मीर	नहीं
8.	कर्नाटक	कक्षा II
9.	केरल	कक्षा I
10.	मध्य प्रदेश	कक्षा II
11.	महाराष्ट्र	कक्षा II
12.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं है
13.	मेघालय	नहीं
14.	नागालैंड	कक्षा IV स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया गया
15.	उड़ीसा	कक्षा II
16.	पंजाब	नहीं

1	2	3
17.	राजस्थान	कक्षा III
18.	सिक्किम	कक्षा V से ऊपर विचाराधीन है
19.	तमिलनाडु	कक्षा III
20.	त्रिपुरा	कक्षा III
21.	उत्तर प्रदेश	कक्षा III
22.	पश्चिम बंगाल	कक्षा V*
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	कक्षा II
24.	अरुणाचल प्रदेश	कक्षा VIII
25.	चण्डीगढ़	कक्षा IV*
26.	दादर और नागर हवेली	कक्षा II
27.	दिल्ली	नहीं
28.	गोवा, दमन और द्वीव	कक्षा I
29.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं है।
30.	मिजोरम	अभी विचार नहीं किया गया।
31.	पांडिचेरी	कक्षा II

स्रोत—*वर्ष 1986-87 की सूची देखें।

*वर्ष 1985-86 की सूची देखें।

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत

6928. **श्री राज करण सिंह** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के स्टेशनों के विस्तार और उनकी मरम्मत करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुल्तानपुर, हलद्वानी और कोटद्वार स्टेशनों के मुसाफिर खानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है ;

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के विस्तार के लिए इस प्रकार की कोई संयुक्त योजना नहीं है। प्रत्येक स्टेशन का विस्तार कार्यक्रमबद्ध आधार पर किया जाता है जो यातायात की आवश्यकताओं, विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मरम्मत करना एक सतत् प्रक्रिया है। सुल्तानपुर, हलद्वानी और कोटद्वार स्टेशनों पर मुसाफिर खाने (प्रतीक्षालय) और प्रतीक्षा कक्ष पहले से ही उपलब्ध हैं। फिल-

हाल इन स्टेशनों के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यात्री यातायात के वर्तमान स्तर के लिए यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

खुर्दा रोड-बलांगीर रेल लाइन का सर्वेक्षण

6929. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित खुर्दा रोड, बलांगीर रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31 दिसम्बर, 1986 है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) यदि कार्य वर्तमान गति से चलता रहे, तो क्या सर्वेक्षण कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा हो सकेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) सर्वेक्षण 1986-87 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ख) मार्च, 1986 तक की प्रगति 71 प्रतिशत है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में पांसकुड़ा हल्दिया रेल लाइन को दोहरा करना

6930. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में पांसकुड़ा हल्दिया रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस खण्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए यहां लाइन क्षमता कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।

श्रमिक विद्यापीठ

6931. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रहे श्रमिक विद्यापीठों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या कालीकट तथा केरल के अन्य शहरों में श्रमिक विद्यापीठ खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उटता।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	कार्य कर रही श्रमिक विद्यापीठों की संख्या
1. असम	1
2. आन्ध्र प्रदेश	4
3. बिहार	2
4. चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	1
5. दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	1
6. गुजरात	3
7. हरियाणा	1
8. जम्मू व काश्मीर	1
9. केरल	1
10. कर्नाटक	2
11. महाराष्ट्र	3
12. मध्य प्रदेश	1
13. उड़ीसा	2
14. उत्तर प्रदेश	2
15. राजस्थान	4
16. तमिलनाडु	3
17. पश्चिम बंगाल	2

दिल्ली की विरासत का संरक्षण

6932. **श्री कमलनाथ** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली विरासत के संरक्षण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली स्थित

असंरक्षित स्मारकों का कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण न तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा और न ही पुरातत्व विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय रेलवे में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

6933. **श्री सोमजी भाई डामर : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने अराजपत्रित कर्मचारी हैं तथा उनका प्रतिशत कितना है ;

(ख) अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षित प्रतिशतता बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ; और

(ग) क्या यह है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षण में ढील, जो पहले सुरक्षा श्रेणियों के लिए भी उपलब्ध थी, को समाप्त कर दिया गया है, और यदि हां, तो कब तथा उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) भारतीय रेलों पर 31-3-85 को अराजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

कुल संख्या	15.91 लाख
अनुसूचित जनजातियों की संख्या	0.73 लाख
अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	4.6

(ख) अनुसूचित जनजातियों को रेल सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए रांची, गुवाहाटी और अजमेर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में रेल भर्ती बोर्डों की स्थापना की गयी है।

(ग) ग्रुप ग और घ के पदों की कतिपय कोटियां संरक्षा कोटियों के रूप में वर्गीकृत की गयी हैं। इन पदों पर प्रोन्नति के लिए गाड़ियों के सुरक्षित चालन के हित में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्हक अंकों में कोई रियायत न तो पहले दी जाती थी और न अब दी जाती है। संरक्षा कोटियों के अलावा अन्य कोटियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को दी गयी रियायतें (1968 में) वापस नहीं ली गयी हैं।

पटना में पुरातत्वीय महत्व के स्थानों का अनुरक्षण

6934. **श्री सी० पी० ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में पुरातत्वीय महत्व के उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, जिनका संरक्षण किया गया है ; और

(ख) उनके अनुरक्षण पर कितना व्यय किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पटना में पुरातत्वीय महत्व के केन्द्रीय सुरक्षित स्थान इस प्रकार हैं :—

1. बुलन्दीपुर स्थित बाग जिसे "बालन्दी बाग" कहा जाता है।
2. छोटी पहाड़ स्थित टीला अथवा स्तूप जिसे "छोटी पहाड़ी" कहा जाता है।

3. कुमराहर स्थित अशोक का तथाकथित स्थल महल ।

4. पटना स्थित पक्का कुंआ और अबलूशन तालाब सहित मीर असराफ की जुमा मस्जिद ।

(ख) उनके रखरखाव के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान किया गया व्यय 3,94,184 रुपये है ।

दोपहिया मोटर वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों द्वारा हेलमेट का अनिवार्य प्रयोग

6935. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या राजधानी में दोपहिया मोटर वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाले सैकड़ों व्यक्ति प्रति वर्ष दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं ; और

(ग) पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए हेलमेट का प्रयोग कब तक अनिवार्य करने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस के रेकार्ड के अनुसार वर्ष, 1985 में 871 दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, इसके फलस्वरूप 81 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 808 व्यक्ति घायल हुए तथा 1986 में 31-3-86 तक दिल्ली में 256 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 15 व्यक्ति मारे गए और 238 व्यक्ति घायल हुए । दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों की मृत्यु से सम्बन्धित पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

साबरमती (गुजरात) में रेल उपरि पुल

6936. **श्री जी० आई० पटेल** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य में अहमदाबाद के समीप साबरमती में रेल उपरि पुल न होने के कारण साबरमती तथा रानिप में जनता तथा उद्योगों को हो रही गंभीर कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां इस उपरि पुल का निर्माण करने का विचार है ; और

(ग) एक उपरि पुल का निर्माण करके इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

परिवहन मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : (क) से (ग). आम जनता द्वारा रेल पथ को पार करने के उपयोग के लिए साबरमती/रानीप में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । वर्तमान नियमों के अनुसार, इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाये जाते हैं, जिसमें उन्हें सम्पूर्ण मूल लागत वहन करने का आश्वासन देना होता है । रेले अपनी ओर से पर्यवेक्षण करती हैं और अनुरक्षण की लागत वहन करती हैं । इस ऊपरी पैदल पुल

का निर्माण-कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा इसी आधार पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर निर्भर करेगा।

भारत और बंगलादेश के बीच एक यात्री गाड़ी चलाना

6937. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश की सरकार ने सिलीगुड़ी और सियालदह को जोड़कर बरस्ता हल्दीबाड़ी चिल्हाटी और दर्शन गड़े से होकर पुरानी और स्वतन्त्रता से पहले की ईस्ट बंगाल (ई० बी०) रेल लाइन को खोलने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, क्या केन्द्रीय सरकार ने इस स्वीकृति दे दी है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में भारत और बंगलादेश के बीच एक यात्री-गाड़ी चलाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कल्पना जंक्शन—राज भवन रोड (भुवनेश्वर) के समीप रेलवे लाइन पर सड़क ऊपरि पुल

6938. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि भुवनेश्वर में कल्पना जंक्शन से राज भवन जाने वाली सड़क पर भारी यातायात के कारण सड़क दोहरी की जा रही है ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने इस सड़क के समीप रेलवे लाईन पर एक दूसरा सड़क ऊपरि पुल बनाने के लिए अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) क्या रेलवे विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 27.96 लाख रुपए (लगभग)।

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे इस कार्य को कर रही है और उन्होंने रेलवे के पास लागत जमा करा दी है।

[हिन्दी]

खजुराहो को विमान सेवा द्वारा बम्बई से जोड़ना

6939. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो को विमान सेवा द्वारा बम्बई से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। अभी हाल में इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[**अनुवाद**]

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब

6940. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर मंजूरी प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने में लिए जाने वाले समय को कम कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). परियोजनाओं की जांच करने में कितना समय लगना चाहिए इस पर विचार करने के लिए गठित सब ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि परस्पर प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग और राज्यों के अधिकारियों के बीच वार्षिक संवीक्षा बैठकें की जाए, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्र में सम्बन्धित अन्य संगठनों के बीच समन्वयक प्रबन्ध किए जायें, राज्यों को वे परियोजनाएं लौटा दी जाएं जो केन्द्रीय जल आयोग में प्राथमिक जांच के बाद निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और परियोजनाओं को केन्द्र आदि में भेजने से पहले तकनीकी-आर्थिक जांच के लिए राज्यों में उपयुक्त तंत्र की स्थापना की जाये।

त्रिवेन्द्रम में रेलवे निर्माण संस्थान की यूनिटें

6941. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे निर्माण संस्थान की एक यूनिट इस समय त्रिवेन्द्रम में कार्यरत है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्यरत है ; और

(ग) क्या उक्त यूनिट को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) 1972 से।

(ग) फिलहाल इस यूनिट को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा नसबन्दी आप्रेशन के कारण मृत्यु

6942. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लेप्रोस्कोपिक विधि से किए जाने वाले नसबन्दी आप्रेशन के कारण अथवा इसके बुरे प्रभाव के कारण महिलाओं की मृत्यु होने के सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों से मिली रिपोर्टों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं और उक्त विधि में कारगार सुधार करने सहित क्या कदम उठाने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को कोई धक्का न पहुंचे ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). लेपरोस्कोपी सहित नसबन्दी आपरेशन के बाद कभी-कभार जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। विरल मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निरन्तर यह सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी सेवाओं की क्वालिटी में तथा आपरेशन किए गए रोगियों की अनुवर्ती देख-भाल में सुधार करें। राज्यों को लैपरोस्कोपिक नसबन्दी आपरेशन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश भी सर्कुलेट कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में खेलों का विकास

6943. **श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष कुल कितनी राशि दी गई और वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि खेलों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न राज्यों में खर्च की जा रही राशि की प्रति व्यक्ति प्रतिशतता में भारी अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खेलों पर खर्च की जा रही राशि की प्रतिशता कम है ; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ). भारत के संविधान के अन्तर्गत खेल राज्य का विषय है। अतः यह राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त राशि आवंटित करें। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के विचार से राज्य खेल परिषदों आदि को खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के जरिए सहायक अनुदान उपलब्ध कराये जाते हैं। मुक्त की जा रही अनुदान की राशि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए वैध प्रस्तावों पर आधारित है और राज्यों की जनसंख्या अथवा अन्यथा के आधार पर कोई कोटे निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अतः प्रति व्यक्ति प्रतिशतता का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के लिए योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान

उपलब्ध कराये गए थे :—

1983-84	5,48,725 रुपये
1984-85	5,07,800 रुपये
1985-86	20,45,500 रुपये

इसके अतिरिक्त, 1985-86 में सिन्थेटिक ट्रैक और कृत्रिम टर्फ बिछाने की विभाग की नई योजना के अन्तर्गत लखनऊ में हाकी मैदान के लिए सिन्थेटिक टर्फ बिछाने के लिए अलग से 44 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

यह राज्य सरकार के लिए है कि पहल करें तथा योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रस्ताव बनाएं ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनसे पूरा लाभ उठा सकें।

[अनुवाद]

हरियाणा और पंजाब से खाद्यान्नों की ढुलाई

6944. **श्री चरनजीत सिंह वालिया :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन को देखते हुए रेलवे के पास वहां से खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष लगभग 105 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की ढुलाई की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र से खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए रेलवे की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस यातायात की निकासी में किसी कठिनाई की सम्भावना नहीं है।

नौवहन विकास निधि समिति का परिसमापन

6945. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवहन विकास निधि समिति का परिसमापन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस समिति को बनाए रखने के बारे में प्रस्ताव मिले हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि नौवहन विकास निधि समिति के परिसमापन से गैर-सरकारी नौवहन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे वास्तविक रूप से बन्द करने से आगे विकास रुक जाएगा ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सरकार इस विषय की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

कछपुरा रेलवे फाटक (जबलपुर) पर पैदल उपरि पुल का निर्माण

6946. **श्री अजय मुशरान** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछपुरा रेलवे फाटक (जबलपुर) पर एक पैदल उपरि पुल का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दायर किए गए और निपटाये गये मामले

6948. **श्री शांताराम नायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान न्यायालयों द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए, मुकदमें दायर किए गए और उसी न्यायालय द्वारा कितने मामले निपटाए गए और कितने मामलों में दोष सिद्ध किया गया ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

भारतीय शिपयार्ड में संकट

6949. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शिपयार्डों को आदानों के गम्भीर संकट और क्रयादेशों के अभाव में नुकसान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो संकट का सही स्वरूप क्या है ; और

(ग) आगामी वर्षों में शिपयार्डों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हां।

(ख) इस संकट का स्वरूप जटिल है और इसके विभिन्न पहलू हैं। नौवहन उद्योग में विश्व-व्यापी मंदी की मौजूदा स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में जहाजों की कीमत में काफी कटौती हुई है तथा विदेशी शिपयार्ड इतनी कम कीमत पर जहाज बेच रहे हैं जो उन देशों में सामग्री और उपकरण की लागत से भी कम है दूसरी ओर इस्पात उपकरणों आदि जैसे स्वदेशी निवेशों की अधिक लागत तथा कम श्रमिक उत्पादकता के कारण भारतीय जहाजों की उत्पादन लागत काफी अधिक है। स्वदेशी सामग्री

और उपकरणों की खरीद में लगने वाले समय के अतिरिक्त जहाज के विभिन्न चरणों के निर्माण में आयातित जहाज की तुलना में काफी अधिक समय लगता है। इसके फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में खासकर बड़े समुद्रगामी जहाजों के आर्डरों में कटौती करनी पड़ी है।

धन की भारी कमी के फलस्वरूप योजनागत आवंटन में कटौती की गई है और इस कारण विभिन्न परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न जलयानों और विशेष प्रकार के अन्य जहाजों की खरीद में कमी आई है और इसके फलस्वरूप विदेशी यार्डों के कम कीमत वाले प्रस्ताव की तुलना में स्वदेशी उत्पादन की अधिक लागत के कारण प्रयोक्ता क्षेत्र द्वारा जहाजों और विशेष किस्म के जहाजों के आयात की लगातार मांग की जा रही है इसके परिणामस्वरूप भारतीय शिपयार्डों की आर्डर बुक स्थिति में आम कटौती हुई है।

(ग) सरकार ने आने वाले वर्षों में शिपयार्डों की मदद के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) देश में उपलब्ध क्षमता के साथ भौतिक रूप से सम्पर्क स्थापित कर पूंजीगत मालों के आयात में कटौती पर बल दिया गया है।

(ii) स्वदेशी क्लीयरेंस प्रदान करते हुए जहाजों के आयात को सीमित किया जाना। इस आयात की अनुमति अपवाद स्वरूप मामलों में अपरिहार्य कारणों से ही की जाएगी।

(iii) उत्पादन प्रक्रिया को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने के लिए ही डिजाइन निवेश और अन्य सम्बद्ध टेक्नोलाजी अन्तरण के क्षेत्र में ही विवेक के अनुसार विदेशी सहयोग की अनुमति देना। आधुनिक जहाजों के मामले में एक मुश्त सामग्री के आयात पर भी विचार किया जाता है।

(iv) कतिपय श्रेणियों के अनुषंगी उद्योग को कतिपय चुनींदा मदों के लिए विकास सम्बन्धी आर्थिक सहायता देने पर भी विचार किया जाता है।

(v) स्वदेशी डिजाइन और सम्बद्ध क्षेत्र में अन्य मौलिक अनुसंधान के विकास के लिए सातवीं योजना में एक राष्ट्रीय जहाज डिजाइन व अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है।

अर्गट मिश्रित औषधों का प्रतिकूल प्रभाव

6950. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्गट मिश्रित औषधों का प्रतिकूल प्रभाव होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन उत्पादों के खतरनाक प्रभावों की जानकारी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में अर्गट मिश्रित इस प्रकार की औषध बेची जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इनके निर्माण और बिक्री की अनुमति अभी तक रद्द न किए जाने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). यद्यपि इस मन्त्रालय को अरगांट के सम्मिश्रण की प्रतिक्रिया के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, तथापि विशेषज्ञों के अनुसार सम्मिश्रण का हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इस मन्त्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत अरगांट के निर्धारित मात्रा वाले सम्मिश्रणों को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि अरगांट के निर्धारित मात्रा वाले सम्मिश्रणों को हानिकारक समझा जाता है।

लेकिन इसके कैफीन और अल्कालायड अरगांटमाइल के सम्मिश्रण पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होता, जो माइग्रेटन के लिए विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। और जिसमें प्रत्येक घटक का माइग्रन सिर दर्द रोकने में योगदान करता है। माइग्रेनिल कैफरगांट, वासोग्रेन तथा माइग्रिल में अरगांटमाइन टारट्रेट और कैफीन होती है और ये औषधियां देश में निरन्तर बेची जा रही हैं।

कोचीन शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

6951. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन में कुछ किस्मों के जहाजों के निर्माण हेतु कोचीन शिपयार्ड और विदेशी सहयोगकर्ताओं के बीच कोई सहयोग करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हां।

(ख) कोचीन शिपयार्ड ने 86,000 डी० डब्ल्यू० टी० के एल० आर० 11 किस्म के खनिज तेल वाले टैंकरों की डिजाइन/ड्राइंग सप्लाई करने के लिए आई० एच० आई०, जापान के साथ एक करार किया है। 289.99 लाख रु० की अनुमानित लागत से करार संपन्न करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इस करार में बुनियादी और कार्य प्रलेख और अद्यतन प्रलेख पद्धति पर आधारित ब्यौरेवार इंजीनियरिंग की सप्लाई करना शामिल है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डिजाइन-अध्ययन के लिए जापानी शिष्ट-मण्डल की यात्रा

6952. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय जापानी शिष्टमंडल ने हाल में संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान के डिजाइन अध्ययन के सिलसिले में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो बिचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उक्त संस्थान की स्थापना के लिए क्या कार्यक्रम बनाये गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, हां। जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन दल ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के बारे में बेसिक डिजायन (चरण-I) का अध्ययन करने के लिए 3 से 13 फरवरी, 1986 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) इस अध्ययन दल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और संस्थान के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। अध्ययन दल को जापानी सहायता अनुदान से संस्थान के लिए चिकित्सीय और अन्य उपकरणों की सप्लाई के बारे में वित्तीय आवश्यकताओं की जानकाकी दी गई। उपकरणों के अतिरिक्त इस परियोजना के लिए तकनीकी सहायता भी मांगी गई। पहले मिशन का कार्य पूरा होने के बाद दूसरा दल इस परियोजना की बेसिक डिजाइन (चरण-II) का अध्ययन करने के लिए इस समय भारत का दौरा कर रहा है। उपलब्ध वर्तमान संकेतों के अनुसार जापान इंटरनेशनल एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट

भारत सरकार को लगभग अगस्त, 1986 में मिल जाएगी। फाइनल रिपोर्ट के मिलने के बाद जापानी सहायता का पता लग सकेगा।

(ग) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को चरणबद्ध ढंग से स्थापित करने का विचार है। प्रथम चरण में छः सुपर स्पेसियलिटीज की व्यवस्था है। जिन पर कार्य चल रहा है। अनुमान है कि प्रथम चरण की स्थापना में अगले दो वर्षों में कार्य करना शुरू हो जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए परिव्यय

6953. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश प्रतिरक्षण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना परिव्यय करने का विचार है;

(ख) क्या गुजरात में परिवार कल्याण कार्यक्रम में तेजी लाने की दृष्टि से प्रतिरक्षण कार्यक्रम को गतिशील बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आरम्भ किए जाने वाले प्रतिरक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) योजना आयोग ने सातवीं योजना अवधि में (1985-86 से 1989-90 तक) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए 240 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक घटक है, जिसका सातवीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों में चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जा रहा है ताकि शतप्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड के टीके और 85 प्रतिशत पात्र शिशुओं को डी० पी० टी०, पोलियो, बी० सी० जी० और खसरे के टीके लगाएं जा सकें। 1985-86 के दौरान खसरे के टीके को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को 1985-86 के दौरान 30 चुनिन्दा जिलों और 50 मेडिकल कालेजों के आस-पास के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। गुजरात राज्य में खेड़ा और भड़ौच जिलों में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985-86 के दौरान शुरू किया गया था।

मृत्यु के पश्चात् नेत्रों का दान अनिवार्य करने के लिए नियम

6954. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश में नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए मरणोपरान्त नेत्रों का दान अनिवार्य करने के लिए नियम बनाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) देश के कानून में केवल स्वैच्छिक दान की व्यवस्था है।

भारतीय नौवहन निगम के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किया जाना

6955. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के विभिन्न कार्यालयों में तदर्थ कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों के भिन्न हैं, यद्यपि वे भी वही काम करते हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र तथा अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के औद्योगिक न्यायाधिकरण ने ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें नियमित वेतनमान देने का निर्णय दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). भारतीय नौवहन निगम के विभिन्न कार्यालयों में कोई भी तदर्थ कर्मचारी नहीं हैं। तथापि, भारतीय नौवहन निगम के विभिन्न कार्यालयों में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें तदर्थ परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है। ये परिलब्धियां नियमित कर्मचारियों को भुगतान की जा रही परिलब्धियों से भिन्न है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र के औद्योगिक अधिकरण ने उन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया जिन्हें भारतीय नौवहन निगम द्वारा तदर्थ परिलब्धियों के आधार पर नियुक्त किया गया है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा फैसले को क्रियान्वित करने के लिए तभी कार्रवाई की जा सकती है, जब फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में कानूनी राय ले ली जाए। श्रम न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर ने भी भारतीय नौवहन निगम के पोर्ट ब्लेयर कार्यालय में नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से भिन्न शर्तों पर नियुक्त 7 कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। इस मामले में भारतीय नौवहन निगम ने इस फैसले के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और यह मामला न्यायालय में है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर मजोलेह से रामपुर तक एक बाई-पास बनाने का प्रस्ताव

6956. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर मुरादाबाद और रामपुर के बीच मुरादाबाद के निवासियों को भीड़-भाड़, प्रदूषण और यातायात रुक जाने के कारण भारी असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुरादाबाद के यातायात की स्थिति में सुधार करने के लिए मजोलेह से रामपुर सड़क तक एक बाईपास बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मुरादबाद शहर के बाहर एक बाईपास निर्मित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार क्वालिटी औषधों का उत्पादन

6957. **श्री विष्णु मोदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औषधों के उत्पादन और किस्म नियन्त्रण के मामले में अच्छी विधि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हमारे देश में औषधियां बनाने वाली कम्पनियां इन विधियों को अपना रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की थी कि सदस्य राज्यों को "औषधियों के निर्माण और गुणवत्ता नियन्त्रण में अच्छी प्रक्रियाओं" की अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर सरकार ने औषध निर्माण और गुणवत्ता नियन्त्रण सम्बन्धी अच्छी प्रक्रियाओं के बारे में दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं और उसने राज्य औषध नियन्त्रकों को सलाह दी है कि वे अपने-अपने राज्यों में निर्माण यूनिटों को लाइसेंस देते समय तथा लाइसेंसों का नवीकरण करते समय इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

दृष्टि वैज्ञानिकों की कमी

6958. **श्री नरेन्द्र बुढानिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दृष्टि वैज्ञानिकों, जो नेत्र चिकित्सकों से भिन्न हैं, की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने नेत्र विशेषज्ञों की अनुमानित आवश्यकता है ; और

(ग) क्या देश में नेत्र विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) दृष्टि वैज्ञानिकों के नाम की कोई श्रेणी नहीं है। वैसे, देश में नेत्र चिकित्सकों (नेत्र विज्ञानिकों), नेत्रपेशीमापकों और नेत्र सहायकों की कमी है ।

(ख) 50,000 की आबादी के लिए एक नेत्र विशेषज्ञ के हिसाब से लगभग 160 0 नेत्र विशेषज्ञों की हमारी आवश्यकता के मुकाबले इस समय लगभग 5000 नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध हैं ।

(ग) जी, हां । राष्ट्रीयता दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार यथा अनुमत सीटों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की जाती है ।

शिक्षण व्यवसाय को आकर्षक बनाने के उपाय

6959. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के ह्रास के कारणों का विश्लेषण किया है जिससे छात्रों का शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का शिक्षण व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ताकि इस व्यवसाय के प्रति प्रतिभाशाली और अभिप्रेरित व्यक्ति आकर्षित हो सके ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). भारत सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए अपेक्षित उपायों सहित शिक्षण समुदाय के विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर सलाह देने के लिए दो राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नियुक्त किए थे, जिनमें से एक स्कूली शिक्षा के शिक्षकों से सम्बन्धित था दूसरा उच्च शिक्षा के शिक्षकों से सम्बन्धित था। सरकार द्वारा इन दोनों आयोगों की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

एयर इण्डिया के कार्मिकों की वर्दी डिजाइन तैयार किया जाना

6960. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी फैशन डिजाइन ने एयर इण्डिया के 4,000 कार्मिकों की वर्दियों का डिजाइन तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) डिजाइन तैयार करने पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(घ) प्रत्येक व्यक्ति की वर्दी पर कुल कितनी लागत आई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मधु की औषधीय उपयोगिता

6961. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधु की औषधीय उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए कोई अनुसन्धान किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मधु अनेकानेक औषधीय उपयोगिताओं का निर्धारण करने के उद्देश्य से भारतीत चिकित्सा अनुसन्धान परिषद में ऐसा कोई अध्ययन आरम्भ करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा केवल "मधु" की पौष्टिकता निर्धारित की गई है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद "मधु" पर कोई अनुसंधान शुरू करने के बारे में विचार नहीं कर रही है क्योंकि "मधु" की औषधीय उपयोगिता पर अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद उपयुक्त संगठन है।

[हिन्दी]

मुगलसराय-आसनसोल रेल लाइन का विद्युतीकरण

6962. **श्री कुंवर राम :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय और आसनसोल के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने की कोई

योजना मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक तथा कितने चरणों में पूरा किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) प्रत्येक चरण में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). सीतारामपुर-आसनसोल खंड पहले ही विद्युतीकृत हैं। मुगलसराय सीतारामपुर खंड का विद्युतीकरण भी अनुमोदित कर दिया गया है। इस कार्य पर 1980 के मूल्यों के आधार पर 86.62 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। लेकिन दिल्ली-बम्बई (मध्य तथा पश्चिम दोनों रेल मार्ग) दिल्ली-मद्रास जी टी मार्ग, नागपुर के रास्ते हावड़ा-बम्बई और चन्द्रपुरा कम्पलेक्स में कोयला खान तथा परिचालनिक आधार पर अन्य कुछ छोटे खंडों के विद्युतीकरण को पहले पूरा करने के कार्यों को प्राथमिकताएं दिये जाने के कारण मुगलसराय-सीतारामपुर खंड के विद्युतीकरण को निम्न प्राथमिकता दी गई है। इस कार्य को शुरू करने के प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।

[अनुवाद]

माडल स्कूलों की योजना तथा नई शिक्षा सम्बन्धी नीति

6963. **श्री सोडे रमैया** : **क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माडल स्कूल योजना पहले ही लागू की जा चुकी है जबकि नई शिक्षा सम्बन्धी नीति अभी अपनाई जानी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने सांतवी योजना के दौरान प्रत्येक जिले में एक माडल स्कूल (नवोदय विद्यालय के नाम से) स्थापित करने का निर्णय किया है और हरियाणा और महाराष्ट्र में अब तक ऐसे दो स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

राजस्थानी संस्कृति के विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता

6964. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : **क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार या राज्य के किसी अन्य सामाजिक संगठन को राजधानी संस्कृति के विकास हेतु सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : संस्कृति विभाग ऐसी कोई योजना संचालित नहीं कर रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी सामाजिक संगठन को सहायता दी जाती हो। यथापि, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत राजधानी संस्कृति के विकास में लगी हुई संस्थाओं सहित सांस्कृतिक संगठनों पर उनके विकासात्मक कार्यकलापों जैसे भवन मिर्माण, नए खेलों आदि के निर्माण के लिए अनुदान हेतु विचार किया जाता है। राजस्थान से 1983-84, 1984-85 और 1885-86 के दौरान इस प्रकार अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान

1983-84

मीरा कला मन्दिर,	22,000 रु०—उपस्कर
उदयपुर, राजस्थान	12,500 रु०—निर्माण
भारतीय लोक कला मन्दिर, उदयपुर	25,000 रु०—उपस्कर

1984-85

राष्ट्रीय कला मण्डल, जोधपुर	7,200 रु०—निर्माण
राजस्थान विद्यापीठ लोक कला संस्थान, उदयपुर	10,000 रु०—उपस्कर

1985-86

कला भारतीय बाल हित शिक्षा समिति, जलवर	12,500 रु०—निर्माण
संगीत नाट्य निकेतन, भुपालपुरा, उदयपुर	33,992 रु०—उपस्कर
भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर	10,000 रु०—निर्माण
	25,000 रु०—उपस्कर

नृत्य, ड्रामा थियेटर आदि, को वित्तीय सहायता

1983-84

1. मारूधर लोक कला केन्द्र, बारमेड	5,000 रु०
2. ग्राम लोक कला मंच, चित्तौड़गढ़	5,000 रु०

1984-85　　—

1985-86

1. मीरा कला मन्दिर, उदयपुर	10,000 रु०

अन्य संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास के लिए वित्तीय सहायता

1983-84　　शून्य

1984-85

1. रामचरण प्राच्य विद्यापीठ, जयपुर	5,925 रु० प्रकाशन

2. मेहरनगढ़ संग्रहालय न्यास, उमेद भवन, जोधपुर, राजस्थान	8,000 रु०—प्रकाशन

1985-86

1. रामचरण प्राच्य विद्यापीठ,	2,965 रु०—उपस्कर
जयपुर	25,000 रु०—वही—
2. श्री छोटू राम संग्रहालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रहालय, राजस्थान	9,000 रु०—वही—
3. मोहरनगढ़ संग्रहालय न्यास, उमेद भवन, जोधपुर	24,000 रु०—प्रकाशन

[अनुवाद]

केरल में कथाकुट्टम-कोवलाम उप-मार्ग

6965. **श्री टी० बशीर** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धनराशि की मंजूरी न किये जाने और प्रशासनिक स्वीकृति जारी न किए जाने के कारण केरल में कथाकुट्टम-कोवलाम राष्ट्रीय राजमार्ग उप-मार्ग बनाने का कार्य ठप्प पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो अविलम्ब कार्य शुरू करने के लिए क्या कारंवाई करने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). बाईपास का निर्माण धन राशियां उपलब्ध होने और अन्य बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय आधार पर ऐसे कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है । पहुंच मार्ग-I (कक्षाकुट्टम से बक्षामुट्टम तक) के एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी गई है और भूमि अधिग्रहण हेतु प्राक्कलन को भी संस्वीकृति दे दी गई है । भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति की अग्रिम स्थिति में है । हवाई अड्डे के लिए प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराने के लिए पहुंच मार्ग-I के एक भाग में सी० एच० 11900 से 13079 तक का निर्माण शुरू कर दिया गया है और इस पर काम चल रहा है । सड़क बनाने के लिए पहुंच मार्ग के सी० एच० 10250 से 11900 और 13079 से 16500 तक के दो अन्य खण्डों के अनुमानों और सी० डी० कार्यों का जांच-कार्य चल रहा है । पहुंच मार्ग-II (बक्षामुट्टम से परसाला तक) के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग सर्वेक्षण और जांच कार्य कर रहा है, जो प्रगति पर है ।

कोरापुट-रायगढ़ा रेलवे स्टेशन के निर्माण में प्रगति

6966. **श्री के० प्रधानी** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट-रायगड़ा रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ख) यह रेलवे लाइन अब तक कुल कितने किलोमीटर लम्बी बनी है और उसके शेष भाग के पूरा होने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या नाल्को संयंत्र के चालू होने तक यह रेलवे लाइन बन कर तैयार हो जाएगी। यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस रेलवे लाइन का संतोषजनक कार्य और इसकी तेज रफ्तार सुनिश्चित करने के लिए सातवीं योजना के दौरान इस लाइन का विद्युतिकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) लाइन के निर्माण कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हो रही है जिसकी इस समय अत्यधिक तंगी है।

(ख) और (ग). लगभग 20 कि० मी० बाकी बचे भाग का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) जी नहीं।

रेल सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए उपाय

6967. **प्रो० मधु दण्डवते** : **क्या परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल लाइनों का नवीकरण पर्याप्त मात्रा में न होने के परिणामस्वरूप रेल सुरक्षा को होने वाले खतरे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : रेलपथ नवीकरण की गति 1980-81 में 1096 कि० मी० से बढ़कर 1985-86 में 3500 कि० मी० से भी अधिक हो गयी है। 1986-87 के लिए 3800 कि०मी० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस कार्य के लिए 594 करोड़ रुपये (शुद्ध) का आबंटन किया गया है। संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है अनुरक्षण साधन सामग्री में वृद्धि भी की जा रही है।

पेन और बम्बई के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों के असुविधाजनक समय

6968. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तटीय कोंकण रेल सैक्शन में पेन से बम्बई तक दैनिक यात्री सेवा शुरू की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेल गाड़ियों के समय उन यात्रियों के लिए असुविधाजनक है जो पेन में रहते हैं और नौकरी के लिए बम्बई जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या नौकरी के लिए प्रतिदिन सिटी जाने वाले यात्रियों की सुविधा के अनुसार इन रेल गाड़ियों के समय में संशोधन करने का कोई विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंसशुदा दुकानें, स्टाल और विक्रेता

6969. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशनों पर कुल कितनी दुकानें स्टाल और विक्रेता लाइसेंस शुदा हैं ;

(ख) पट्टाधारियों, ग्राही व्यक्तियों और लाइसेंस धारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान ऐसे पट्टाधारियों, ग्राही व्यक्तियों और लाइसेंसधारियों से कुल कितना राजस्व एकत्रित किया गया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 80 (अस्सी)।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 88,546·68 रुपये।

गैर अस्तित्व वाले विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्धता का दावा करने वाले जाली संस्थान

6970. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन जाली संस्थानों की जानकारी मिली है जो विदेशों में ऐसे विश्वविद्यालयों या शैक्षिक निकायों के साथ अपनी सम्बद्धता का दावा करते हैं जो अस्तित्व में नहीं है और डिग्रियां तथा डिप्लोमा बेचते है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे जाली शैक्षिक संस्थानों से निबटने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के पास देश में ऐसे नकली संस्थानों के बारे में कोई सूचना नहीं है जो अपने को भारत से बाहर के गैर-विद्यमान विश्वविद्यालयों अथवा शैक्षणिक निकायों से सम्बन्धित होने का दावा करते हैं तथा डिग्री और डिप्लोमा बेचते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अधीन जलपोतों की मरम्मत के लिए भुगतान

6971. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन जलपोतों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय भूतल जल परिवहन निगम और अन्य प्रतिष्ठानों को विभाग-वार अलग-अलग कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पोतों की मरम्मत की गई है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के समुद्री विभाग के अन्तर्गत पोतों तथा वर्कशाप के लिए फालतू पुर्जों की खरीद

6972. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री विभाग के अन्तर्गत प्रति वर्ष पोतों तथा वर्कशाप के लिए फालतू-पुर्जों की कुल कितनी खरीद की गई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी राशि की स्थानीय खरीद की गई ; और

(ग) क्या ऐसी खरीद करने के पूर्व समुचित क्वोटेशन आमंत्रित किये गए थे, और यदि नहीं,

तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अस्पतालों में स्थापित की गई एक्सरे यूनिटें

6973. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में किन-किन अस्पतालों में कितनी एक्सरे यूनिटें स्थापित की गई और ये यूनिटें कब प्राप्त हुई ;

(ख) कब स्थापित की गई और इन यूनिटों ने कार्य करना कब चालू किया ;

(ग) इन अस्पतालों में इस समय कितने एक्सरे तकनीशियन काम कर रहे हैं और क्या सरकार का विचार इस कार्य में और अधिक तकनीशियनों का प्रशिक्षण देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). सूचना संलग्न **विवरण** (पृ० 72-73) में है।

(ग) विभिन्न अस्पतालों में चार रेडियोग्राफर कार्य कर रहे हैं अर्थात जी० बी० पन्त अस्पताल में दो तथा मायाबुन्दर और नानकावरी के सिविल अस्पतालों में एक-एक रेडियोग्राफर है। माया बुन्दर अस्पताल का रेडियोग्राफर रंगत और दिगलीपुर के सिविल अस्पतालों को सेवाएं प्रदान करता है। सरकार का और अधिक रेडियोग्राफिक तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

(घ) सामान्यतः चयन किए गए पराचिकित्सीय कार्मिकों का एक पैनल तैयार किया जाता है जिसमें से सेवारत उम्मीदवारों को जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी के साथ विशेष प्रबन्ध करके रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण दिया जाता है।

गुजरात और महाराष्ट्र की जल समस्या का समाधान करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

6974. **श्री आर० एस० माने** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे सूखा पड़ने वाले राज्यों में जल समस्या का स्थायी आधार पर समाधान करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वियन राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों को नदी बेसिनों के लिए बेसिन वार मास्टर योजनाएं तैयार करने का परामर्श दिया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्रों में भू जल विकास हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय भू जल बोर्ड भी भू जल सर्वेक्षण तवं तत्सम्बन्धी अन्वेषण कार्य करने को प्राथमिकता दे रहा है।

विवरण

अण्डमान और निकोबार के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किए गए एक्सरे एककों का ब्योरा

अस्पताल का नाम	मशीन का कार्य	प्राप्त करने का वर्ष	जिस वर्ष में स्थापित की गई	वर्ष जिसमें कार्य करना आरम्भ किया गया।
जी० बी० पन्त अस्पताल	1. एक्सरे फील्ड यूनिट वैस्टन 60-साइकिल	1959	1969	1969
	2. एक्सरे फील्ड 1946 यूनिट 70-साइकिल	1946	1959	1959
	3. पोर्टेबल एक्सरे 20-एम०	1955	1959	1959
	4. पोर्टेबल एक्सरे वैस्टन एम० एक्स०-2	1963	1963	1963
	5. पार्टिशियन-200 एम० ए० (अब इसको 300 एम० ए० में बदल दिया गया है)	1962	1963	1963
	6. फिलिप्स डेन्टल एक्सरे	1965	1965	1965
	7. सीमेन्ट क्लीनोस्कोपर-240 एम० ए०	1978	1978	1978
	8. यूनिडोक्स-2, पोर्टेबल	1978	1979	1979
	9. पोर्टेबल 30 एम० ए० एक्सरे मशीन	1983	1983	1983
	10. एम०-20 यूनिट ओडेल्का कैमरा	1980	1982	1985
सिविल अस्पाल	1. पोर्टेबल प्रोफेक्सरे	1960	1962	1962

कार निकोबार	2. सीमेन्स 60 एम० ए० प्लाण्डर	1978	1979	1979
	3. सीमेन्स पोर्टेबल	1974	1974	1974
सिविल अस्पताल दिगलीपुर	1. पोर्टेबल एक्सरे वेनिडर	1970	1970	1970
सिविल अस्पताल रंगल	1. पोर्टेबल एक्सरे यूनिडर	1970	1970	1970
सिविल अस्पताल मायाबुन्दर	1. जी० ई० 100 एम० ए० एक्सरे	1982	1982	1982
सिविल अस्पताल नानकावरी	1. 30 एम० ए० पोर्टेबल एक्सरे	1983	1983	1983

नई दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

6975. **श्री आर० एस० माने : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, बम्बई राजधानी एक्सप्रेस का यात्रा समय दो घंटे कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल्हापुर से मिरज तक के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की कमी

6976. **श्री आर० एस० माने : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य कोल्हापुर से मिरज तक के रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में रेलवे शेड, बेंच और चाय के स्टाल, आदि नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के यात्रियों को यह सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के लिए इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). कोल्हापुर-मिरज खण्ड के स्टेशनों पर मानक के अनुसार बेंच और प्लेटफार्म सायबान सामान्यतः उपलब्ध हैं। केवल नीमसिरगांव तामडाल्गे हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म सायबान नहीं है किन्तु एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गयी है। कोल्हापुर, जयसिंहपुर और हाटकनागले स्टेशनों पर चाय के स्टाल उपलब्ध हैं; जबकि मिरज में चाय स्टाल और एक जलपानगृह है। फिलहाल इन सुविधाओ में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोल्हापुर-बम्बई महालक्ष्मी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के यात्रा समय में कमी करने का प्रस्ताव

6977. **श्री आर० एस० माने : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर-बम्बई महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रा समय एक घंटा कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने वाले जलमार्ग

6978. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति में किन-किन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग

घोषित करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के लिए शामिल किया गया है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति-समिति द्वारा संस्तुत जलमार्गों के नाम निम्नलिखित हैं:

(i) गंगा-भागीरथी-हुगली रिवर सिस्टम

(ii) ब्रह्मपुत्र

(iii) सुन्दरबन

(iv) गोदावरी

(v) वेस्ट कास्ट कैनाल

(vi) गोवा में मांडवी और जुआरी नदियां ततथा कम्बुर्जुआ कैनाल

(vii) नर्मदा

(viii) महानदी

(ix) कृष्णा

(x) ताप्ती

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन-विकास के लिए सातवीं पंवर्षीय योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए गठित कार्य दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा करने हेतु निम्नलिखित जलमार्गों पर विचार करने की सिफारिश की थी :

(i) ब्रह्मपुत्र

(ii) गोदावरी

(iii) वेस्ट कास्ट कैनाल (क्विलन-कोचीन खंड)

(iv) कृष्णा

(v) सुन्दरबन

उक्त जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 5 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। किसी भी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने से पहले उसके जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन पूर्वापेक्षित हैं। इन अध्ययनों के लिए पर्याप्त वित्तीय लागत की आवश्यकता होती है। अत: सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त सभी जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना सम्भव नहीं हो सकेगा। उपरोक्त जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए वित्तीय आबंटनों के अन्तर्गत सम्भव मात्रा में प्राथमिकतानुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

आदिवासियों आदि के पोषाहार में सुधार

6979. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन, विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार तृतीय विश्व में 7000 लाख लोगों को कम पोषाहार मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक की नई रिपोर्ट की जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो भारत में विद्यमान परिस्थितियों विशेषकर आदिवासियों जैसे असुरक्षित समूहों, पोषाहार शिक्षा निवारक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए इन पहलुओं पर कोई कार्यक्रम बनाए गए हैं तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ). विश्व बैंक नीति अध्ययन "गरीबी और भूख" (फरवरी, 1986), के अनुसार विकासशील विश्व में 700 मिलियन से भी अधिक लोग सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन से वंचित रहते हैं।

सरकार उपेक्षित जन संख्या समूह में कुपोषण की समस्या से परिचित है और सरकार ने उनकी पोषाहार स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा नीचे दी गई है :—

(1) गरीबों को रोजगार और सहायक व्यवसाय प्रदान करते हुए गरीबी को दूर करने के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना मुख्य कार्यक्रम हैं।

(2) बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०) जिसके अन्तर्गत छः वर्षों के कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य पोषाहार और शिक्षा सम्बन्धी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र में विशेष पोषाहार कार्यक्रम (एस० एन० पी०) जिसके अन्तर्गत छः वर्षों के कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। जनवरी, 1986 से समेकित बाल विकास सेवा योजना/विशेष पोषाहार कार्यक्रम में पूरक पोषाहार के लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

(ग) बालबाड़ी-पोषाहार कार्यक्रम -जिसके अन्तर्गत बालबाड़ियों के माध्यम से 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

(घ) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

(ङ) गरीब श्रमजीवी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु सदन योजना जिसके अन्तर्गत गरीब श्रमजीवी/बीमार माताओं के बच्चों (0-5 वर्ष) को स्वास्थ्य और पोषाहार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

3. विशेष पोषाहार की कमी और उसके भयंकर परिणामों को रोकने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :—

(क) विटामिन ए की कमी के कारण अन्धेपन के खिलाफ-रोग-निरोधन

(ख) माताओं और बच्चों में पोषाहार रक्त क्षीणता के खिलाफ-रोग-निरोधन

(ग) पंचा नियन्त्रण कार्यक्रम

4. चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनका मातृ और बाल स्वास्थ्य के साथ एकीकरण किया गया है जैसे रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जांच, रक्त क्षीणता और विटामिन "ए" की कमी के विरुद्ध पोषाहार और निवारक उपाय।

5. पोषाहार शिक्षा उपरोक्त विभिन्न स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। खाद्य और पोषाहार बोर्ड (केन्द्रीय खाद्य विभाग में) भी सचल एककों के माध्यम से पोषाहार शिक्षा का आयोजन करता है।

उपरोक्त कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किए जाते हैं।

आसनसोल नगरपालिका को बढ़ी हुई दर पर कर की अदायगी

6980. **डा० सुधीर राय** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा आसनसोल नगरपालिका को केवल 2,47,000 रुपये की अदायगी की जाती है जबकि आसनसोल नगरपालिका रेलवे कालोनियों के लिए प्रतिवर्ष 9,00,000 रुपए खर्च करती है जिसमें सफाई सेवा, सड़कों का निर्माण और इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा शामिल है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे कालोनियों में वार्षिक मूल्यांकन पर 7-1/2 प्रतिशत की दर से कर है जबकि सिविल लोगों द्वारा औसतन 30 प्रतिशत की दर से कर की अदायगी की जाती है ; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा नगर पालिका को बढ़ी हुई दर पर कर अदायगी किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। 1-4-1983 से पूर्व रेलवे नगरपालिका कर तथा सेवा प्रभारों के रूप में आसनसोल नगरपालिका को प्रति वर्ष 2,55,602.00 रुपये का भुगतान कर रही है। आसनसोल नगरपालिका की पुनरीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत रेल सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार इसकी दर 19.5 प्रतिशत (धारण 7.5 प्रतिशत सफाई 6 प्रतिशत और जल 6 प्रतिशत) बैठती है। आसनसोल नगरपालिका द्वारा रेलवे कालोनी में किसी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। वित्त मन्त्रालय के निर्देशों के अनुसार, सेवा प्रभार के भुगतान के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

(ख) रेलें 1937 के बाद की सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन का 7-1/2 प्रतिशत, सेवा प्रभार के रूप में नगरपालिका को भुगतान करती हैं। नागरिकों द्वारा किए जा रहे भुगतान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) भुगतान की दर के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में तटदूर प्लेटफार्मों का निर्माण

6981. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में कितने तटदूर प्लेटफार्म बनाने का विचार है और कितने निर्माणाधीन हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कितना पूंजीगत परिव्यय मंजूर किया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के दौरान कितने क्र्यादेश प्राप्त होने का अनुमान था और अब तक कितने क्र्यादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इस नई परियोजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को क्र्यादेश देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार ने 10.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लोवा गार्डन स्थित शिपयार्ड के साथ वाले स्थान पर विशेष यार्ड में आफशोर वेल-हैड प्लेट फार्मों का निर्माण शुरू करने के लिए आधारभूत सुविधाएं लगाने की परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। इसमें 74 लाख रुपये का पूंजीगत ब्याज भी शामिल है। इस समय शिपयार्ड के पास तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए दो आफशोर प्लेटफार्म निर्मित करने के आर्डर हैं।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम स्थित आफशोर प्लेट फार्म यार्ड में प्रारंभ में दो प्लेटफार्म की क्षमता की कल्पना की गई थी जिसे प्रतिवर्ष बढ़ाकर चार प्लेटफार्म करने की योजना थी। यह सातवीं योजना अवधि में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की इन प्लेटफार्मों की अनुमानित जरूरतों पर आधारित थी।

(ग) आज विशाखापत्तनम स्थित नए यार्ड में लगभग 1,000 कर्मियों को रोजगार मिल रहा है और अन्ततः यहां लगभग 1,500 कर्मियों को रोजगार मिलेगा।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड को और भी आर्डर देने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है।

कन्याकुमारी जिले में नया हवाई अड्डा

6982. श्री एन० डेनिस : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कन्याकुमारी में हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेन्द्रम स्थित हवाई अड्डा है जो कन्याकुमारी से सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, इण्डियन एयरलाइंस और वायुदूत ने कन्याकुमारी में हवाई अड्डे की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं बताया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सफदरजंग हवाई अड्डे से वायुदूत की नई सेवाएं

6983. **डा० जी० विजयरामाराव : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग हवाई अड्डे से वायुदूत की नई सेवाएं आरम्भ करने की सक्षमता के बारे में गम्भीर आशंकायें हैं ; और

(ख) क्या कोई परियोजना अध्ययन या अन्य ब्यौरा तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). वायुदूत ने सफदरजंग हवाई अड्डे से अनुसूचित उड़ानों को शुरू करने का प्रस्ताव किया था। इस हवाई अड्डे पर पर्याप्त आधार-भूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण सेवाएं अभी तक शुरू नहीं की जा सकीं।

आदर्श विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6984. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे आदर्श विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने का है ;

(ख) उन जिलों में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की औसतन प्रतिशतता कम जनसंख्या वाले जिलों की कुल जनसंख्या से अधिक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण करने का विचार है ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए अन्य विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आने के लिए सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण से कम नहीं होगा।

(ग) जी, हां। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अ० जा०/अ० ज० जा० के बच्चे निर्धारित आरक्षण के अनुसार दाखिला प्राप्त कर सकें, दाखिला के लिए अपेक्षित योग्यता की न्यूनतम सीमा उनके लिए अलग से निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है यह सामान्य उम्मीदवारों की योग्यता से कम होगी।

प्राचीन वस्तुओं की खरीद और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

6985. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य प्राचीन वस्तुओं और कलात्मक वस्तुओं की खरीद और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने पर विचार करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). प्राचीन वस्तुओं और कलात्मक वस्तुओं की खरीद और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विशेषज्ञों के परामर्श से सभी मुख्य संग्रहालय समय-समय पर प्राचीन वस्तुओं और कलात्मक वस्तुओं की खरीद करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं।

समुद्री कटाव आदि की समस्याओं से निपटने के लिए कर्नाटक द्वारा भेजा गया मास्टर प्लान

6986. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री कटाव, नदियों के पाटों में परिवर्तन किनारों के साथ-साथ बाढ़ और कटाव जैसी नई जटिल समस्याओं से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक मास्टर प्लान भेजा है ;

(ख) क्या ऐसा ही एक प्रस्ताव केरल सरकार ने सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो केरल राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) "कर्नाटक में समुद्री कटाव मास्टर योजना अक्तूबर, 1985" नामक एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल तट की अभिज्ञात दुर्गम्य पहुंचों की सुरक्षा हेतु कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 1972-73 से केरल को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। मार्च, 1986 तक केरल को 37.12 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

उड़ीसा को बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

6987. **श्री बृज मोहन महन्ती : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बाढ़-नियन्त्रण परियोजनाओं, जल निस्सारण परियोजनाओं और अन्य इसी प्रकार की परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में विश्व बैंक से बातचीत चल रही है ;

(ख) उड़ीसा में सिंचाई और तटबन्धों को मजबूत करने सम्बन्धी परियोजनाओं, जल निस्सारण और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं की संख्या क्या है, जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या रेंगाली सिंचाई परियोजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है यद्यपि परियोजना का विद्युत उत्पादन भाग आंशिक रूप से पूरा हो गया है ;

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेंगाली सिंचाई परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ङ) क्या उड़ीसा राज्य में जल निस्सारण, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण उपायों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरण से बातचीत की जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से दो बृहद तथा 10 मध्यम सिंचाई

परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त निधियों के आबंटन के कारण सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन धीमा है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च). जी, नहीं।

गुंटूर-माचेर्ला रेल लाइन (दक्षिण-मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना

6988. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में गुंटूर से माचेर्ला तक की मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) वर्ष 1986-87 में उसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 2 पुलों का काम पूरा हो गया है 3 खंडों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) 32.26 करोड़ रुपए।

(ग) 5 करोड़ रुपये।

काजीपेट-सिकन्दराबाद रेल लाइन को दोहरा बनाना

6989. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीपेट-सिकन्दराबाद रेल लाइन को दोहरा बनाने का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). काजीपेट और सिकन्दराबाद के बीच शेष इकहरी लाइन खंडों पर दोहरी लाइन बिछाने का काम प्रगति पर है और और संसाधनों की तंगी के कारण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

बीबी-नगर नडिकुडी नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण

6990. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीबीनगर-नडिकुडी के बीच नई बड़ी रेल लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने और कब से चालू होने की सम्भावना है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) बीबी नगर और मिरयालगुडा के बीच नयी लाइन को यातायात के लिए खोल दिया है और आगे का कार्य प्रगति पर है।

(ख) 1986-87 से 5.5 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बेगमपेट हवाई अड्डे स्थित इन्जीनियरी बेस में हैलीकाप्टरों की मरम्मत

6991. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वरराव :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हैलीकाप्टर कारपोरेशन के हैलीकाप्टरों की मरमम्त और रख-रखाव का काम बेगमपेट हवाई अड्डे स्थित इन्जीनियरी बेस जो कि देश में केन्द्रीय स्थान पर स्थित है, को सौंपने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : जी, नहीं। हैलीकाप्टर निगम द्वारा लिए गए हैलीकाप्टरों का ओवरहाल तथा संधारण कार्य बेगमपेट विमान क्षेत्र के इन्जीनियरिंग बेस को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिल भारतीय पत्तन सेवा का प्रस्ताव

6992. **श्री के० वी० थामस :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पत्तन सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रचना का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि सरकार एक अखिल भारतीय पत्तन सेवा स्थापित करने/शुरू करने पर विचार करे। चूंकि सरकार द्वारा जनवरी, 1984 में नियुक्त महा पत्तन सुधार समिति के विचारार्थ विषयों में महापत्तनों के प्रशासनिक और प्रचालनात्मक ढांचे, जनशक्ति के अन्तर-पत्तन स्थानान्तरण, इत्यादि से सम्बन्धित महापत्तनों से सम्बद्ध विभिन्न पहलू शामिल हैं, अतः सरकार इस मामले पर आगे विचार करने से पहले महापत्तन सुधार समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

कैंसर की रोकथाम के लिए विटामिन "ए" की भूमिका

6993. **डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर की रोकथाम में विटामिन "ए" की कोई महत्वपूर्ण भूमिका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कैंसर की रोकथाम में कोई अन्य विटामिन भी सहायक पाये गए हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). जी, हां। आहार में विटामिन "ए" तथा बीटा केरोटीन जैसे इसके पूर्वगामियों तथा फेफड़े का कैंसर, कैंसर पूर्व तथा गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर आदि जैसी पुर्दमताओं के बीच संबंधों पर भारत से बाहर अध्ययन किए गए हैं। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि उन व्यक्तियों को फेफड़ों का कैंसर होने का बहुत कम खतरा है जो अपने भोजन में विटामिन "ए" प्रचुर मात्रा में अनेक बार लेते हैं। जापान में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हरी-पीली सब्जियों में (जिनमें बीटा केराटीन, विटामिन "ए" और विटामिन "सी" तथा पथ्य-तन्तु प्रचुर मात्रा में होते हैं) फेफड़े के तथा अन्य खास-खास जगहों के कैंसर के खतरों को कम करने के गुणकारी प्रभाव होते हैं।

(ग) अन्य विटामिन जो कैंसर की रोकथाम के लिए उनकी गुणकारिता की जांच करने वाले

अनुसन्धानकर्ताओं की रुचि का विषय है, विटामिन "सी" विटामिन "ई" तथा फालिक एसिड (विटामिनों में बी कम्पलेक्स समूह का एक विटामिन) हैं।

पालघाट टाउन में रेल फाटक पर ऊपरी-पुल

6994. **श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट टाउन में रेल फाटक पर एक ऊपरी पुल-बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक बनाया जाएगा ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना अवधि के दौरान नई लाइनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि

6995. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने नई लाइनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि के लिए योजना आयोग के साथ मामला उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने संकेत दिया है कि सातवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के समय इस मामले पर विचार किया जायेगा।

सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना

6996. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं निर्माण के अग्रिम चरण में हैं और पूरा होने पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से लाभ देने की स्थिति में हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार उन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दे रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ). सिंचाई परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं तथा केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जाती हैं। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :

बृहद परियोजनाएं	
क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम
	आन्ध्र प्रदेश
1.	नागार्जुनसागर*
2.	श्रीराम सागर चरण-I (पोचमपाद)
—	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो (अन्तर्राज्यीय)
3.	वम्सधारा चरण-I*
4.	बम्सधारा चरण-II
5.	गोदावरी बराज*
6.	सोमसिला चरण I व II
7.	निजामसागर चरण-I का सुधार*
8.	सिंगुर
9.	येलेरू जलाशय
10.	श्री सैलम दायां तट नहर
11.	श्रीसैलम बायां तट नहर
12.	तेलुगू गंगा
13.	पोलावरम् बराज
14.	जुराला
	असम
15.	धनसिरी
16.	चम्पामती
	बिहार
17.	पश्चिमी कोसी नहर
18.	बागमती
19.	सुवर्णरेखा (अन्तर्राज्यीय)
20.	उत्तरी कोइल जलाशय
21.	दुर्गावती जलाशय
22.	बरनार जलाशय
23.	अपर कियूल जलाशय

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
24.	कोनार व्यपवर्तन
25.	तिलैया व्यपवर्तन
26.	बटेश्वरस्थान पम्प
—	बाणसागर (अन्तर्राज्यीय)
27.	अजोय बराज सिकतिया
	गुजरात
28.	दमनगंगा (अन्तर्राज्यीय)*
29.	पानम*
30.	साबरमती*
—	माही बजाज सागर (अन्तर्राज्यीय)*
31.	कारजा
32.	सूखी*
33.	हेरन
34.	सीपू
35.	वतरक
36.	नर्मदा (सरदार सरोवर अन्तर्राज्यीय)
37.	जांखरी
38.	सिधुम्बर
	हरियाणा
39.	पश्चिमी यमुना नहर पुनरूपण*
40.	गुड़गांव नहर (अन्तर्राज्यीय)*
41.	लोहारू लिफ्ट*
42.	जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट*
43.	नया ताजेवाला बराज (अन्तर्राज्यीय)
—	नया ओखला बराज (अन्तर्राज्यीय)
44.	सतलुज यमुना लिंक नहर (अन्तर्राज्यीय)
45.	कोटला भिंदवास में ओटू तथा मसानी बराज भण्डारण
46.	मेवात क्षेत्र तथा पटौदी क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराना ; और गुड़गांव, फरीदाबाद तथा नए औद्योगिक काम्पलेक्स को जल आपूर्ति ।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
47.	नहर प्रणालियों, लिफ्ट तथा बाढ़ नियन्त्रण प्रणालियों पर 1500 नए स्प्रिंकलर सेट लगाकर संरक्षण उपाय।
	जम्मू व कश्मीर
48.	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई काम्पलेक्स*
	कर्णाटक
49.	तुंगभद्रा निम्न स्तरीय नहर (आर० बी० सी० व एल० बी० सी०)*
50.	भद्रा*
51.	मालाप्रभा*
52.	हेमावती
53.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-II (अन्तर्राज्यीय)*
54.	अपर कृष्णा चरण-I
55.	काबिनी
56.	हरिंगी
57.	घटाप्रभा चरण-III
58.	करंजा
59.	बेनीथोरा
60.	हिप्पारगी बराज
61.	वरुणा
62.	दुधगंगा (अन्तर्राज्यीय)
	केरल
—	पेरियार घाटी*
63.	पम्बा*
64.	चित्तूरपुझा*
65.	कुट्टियाडी*
66.	कन्हीरपुझा*
67.	पझासी*
68.	कल्लियाडा
69.	मुवत्तुपुझा
70.	चिमोनी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
71.	इदमलयार
	मध्य प्रदेश
72.	महानदी जलाशय
73.	कोलार
74.	पेयरी*
75.	सिंध सोपान I*
76.	रंगवान उच्च स्तरीय नहर*
77.	ओंक*
—	राजघाट (अन्तर्राज्यीय)
78.	बाणसागर (अन्तर्राज्यीय)
79.	बारगी
80.	अपर वेनगंगा*
81.	कोदार*
82.	बरियारपुर बायां तट नहर
—	उर्मिल (अन्तर्राज्यीय)
—	काली सरार (अन्तर्राज्यीय)
83.	हसदेव बांगो
84.	हलाली*
85.	थनवार*
86.	अरपा
87.	माही
88.	मान
89.	जोबट
90.	नर्मदा सागर
91.	सिन्ध सोपान-दो
—	बावनथाडी (अन्तर्राज्यीय)
	महाराष्ट्र
92.	खडकवासला
93.	कृष्णा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
94.	भीमा
95.	कुकाड़ी
96.	अपर गोदावरी चरण-I
97.	वरना
98.	अपर तापी चरण-I व II
99.	पेंच (अन्तर्राज्यीय)*
100,	अपर पेन गंगा
101.	अपर वरधा
102.	मंजरा*
103.	दूधगंगा (अन्तर्राज्यीय)
104.	वाधुर
105.	जायकवाड़ी चरण-I*
106.	जायकवाड़ी चरण-II
107.	अपर प्रावरा
108.	कालीसरार (अन्तर्राज्यीय)
109.	चसकमान
110.	नान्दुर मधमेश्वर
111.	लोवर दुधना
112.	भाटसा
113.	सूर्या
114.	बावनथाडी (अन्तर्राज्यीय)
115.	इष्ठपुरी
116.	तिलारी (अन्तर्राज्यीय)
117.	नीरा देवघर
118.	येन्डी (अन्तर्राज्यीय)
119.	लोवर पेनगंगा (अन्तर्राज्यीय)
120.	लोअर थिरना
121.	घोसी खुर्द (सावरगांव)
122.	लोअर वरधा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
123.	लोअर वुन्ना
124.	वान
145.	अरुणावती
126.	तुलतुली
127.	कारवा
128.	खावासी पर गेटेड वेयर
129.	संगोला शाखा नहर
130.	तालोम्बा
131.	पुनाद
132.	हूमन
133.	कोयना कृष्णा लिफ्ट स्कीम
	मणिपुर
134.	लोकतक लिफ्ट*
135.	सिंगदा*
136.	थौबाल
137.	खुगा
	उड़ीसा
138.	अपर इन्द्रावती
139.	रेंगाली
140.	आनन्दपुर बराज*
141.	महानदी बिरपा बराज
142.	अपर कोलाब
—	सुबर्णरेखा (अन्तर्राज्यीय)
	पंजाब
143.	अपर बारी दोआब नहर भू-भाग के क्षेत्र में स्थायी सिंचाई का विस्तार*
144.	थीन बांध
145.	रावी व्यास अधिशेष जल का उपयोग
—	सतलज यमुना लिंक नहर (अन्तर्राज्यीय)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
	राजस्थान
146.	राजस्थान नहर चरण-एक*
147.	राजस्थान नहर चरण-दो
148.	जाखम*
—	गुडगांव नहर (अन्तर्राज्यीय)*
149.	माही बजाज सागर (अन्तर्राज्यीय)
—	नया ओखला बराज (अन्तर्राज्यीय)
150.	कोटा बराज का उत्थान
151.	चम्बल लिफ्ट
—	नर्मदा (सरदार सरोवर) (अन्तर्राज्यीय)
	तमिलनाडु
152.	परम्बीकुलम अलियार*
153.	पेरियार वैगई प्रणाली चरण-दो का आधुनिकीकरण
154.	परम्बीकुलम अलियार परियोजना अयाकट विस्तार
	उत्तर प्रदेश
155:	गंडक नहर सोपान-I (अन्तर्राज्यीय)*
156.	शारदा सहायक*
157.	कोसी सिंचाई*
158.	तिहरी बांध
159.	लखवार व्यासी बांध
160.	मध्य गंगा नहर चरण-I*
161.	सरजू नहर (बायां तट घाघरा नहर)
162.	नया ओखला बराज (अन्तर्राज्यीय)*
163.	पूर्वी गंगा नहर
164.	सुहेली*
165.	भीमगोडा हेड वर्क्स का पुनर्रूपण
166.	राजघाट (अन्तर्राज्यीय)
167.	शाहजाद बांध*
168.	जामरानी बांध

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
169.	उर्मिल बांध (अन्तर्राज्यीय)
170.	नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना*
171.	सोन पम्प नहर*
172.	कनहार सिंचाई
—	नया ताजेवाला बराज (अन्तर्राज्यीय)
173.	बेवार फीडर*
174.	माधो टांडा*
175.	मौदगा बांध
176.	समानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना
177.	मेजा बांध को ऊंचा करना*
—	बाणसागर (अन्तर्राज्यीय)
	पश्चिम बंगाल
178.	दामोदार घाटी निगम की बराज व सिंचाई प्रणाली (विस्तार तथा सुधार)*
179.	कंसाबती*
180.	तीस्ता बराज सोपान-I चरण-I
	दादरा व नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)
—	दमनगंगा (अन्तर्राज्यीय)*
	गोवा दमन व दीव (संघ राज्य क्षेत्र)
—	दमनगंगा (अन्तर्राज्यीय)*
181.	सलोली*
—	तिल्लारी (अन्तर्राज्यीय)

ख. मध्यम परियोजनाएं

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या जो निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं*
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	45	22
2.	असम	11	6
3.	बिहार	27	11
4.	गुजरात	82	43
5.	हरियाणा	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	8
7.	जम्मू व कश्मीर	15	8
8.	कर्नाटक	19	5
9.	केरल	5	—
10.	मध्य प्रदेश	40	11
11.	महाराष्ट्र	86	22
11.	मणिपुर	3	3
12.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	25	15
16.	पंजाब	1	—
17.	राजस्थान	14	6
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	14	7
20.	त्रिपुरा	3	1
21.	उत्तर प्रदेश	21	12
22.	पश्चिम बंगाल	15	13

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	1	1
2.	गोआ, दमनव दीव	2	—
3.	पाण्डिचेरी	1	—
	जोड़ :	433	187

1. *वे परियोजनाएं जिन पर छठी योजना के अन्त तक अनुमानित लागत को 60 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया है, उन्नत अवस्था के लिए विचार किया गया है।

2. अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं

3. निर्माणाधीन परियोजनाएं जो निष्पादन के दौरान आंशिक लाभ तथा पूर्ण हो जाने पर पूरे लाभ देंगी।

उड़ीसा में छोटी रेल लाइन को बदलना

6997. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कुछ छोटी रेल लाइनों को बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किन-किन छोटी रेल लाइन को बदलने की स्वीकृति सम्बन्धी मामले विचाराधीन हैं ; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वियन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई के पश्चिम रेलवे उपनगरीय सेक्शन के प्लेटफार्मों पर चाय के स्टालों, बुक स्टालों आदि का आबंटन

6998. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के पश्चिम रेलवे उपनगरीय रेक्शन के प्लेटफार्मों पर कितने "टी स्टाल" बुक स्टाल" और अन्य स्टाल हैं ;

(ख) बम्बई के पश्चिम रेलवे उपनगीय सेक्शन के प्लेटफार्मों पर वर्ष 1985 में ऐसे कितने स्टाल आवंटित किए गए हैं ; और

(ग) ऐसे स्टालों के आबंटन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) चर्चगेट और विरार के बीच पश्चिम रेलवे के बम्बई उपनगीय खण्ड के प्लेटफार्मों पर 90 चाय स्टाल, 40 बुक स्टाल, 7 मिल्क बार, 23 फुट-कियास्क, 8 फ्रूट स्टाल, 8 नीरा स्टाल और 2 केमिस्ट स्टाल हैं।

(ख) एक चाय स्टाल।

(ग) क्षेत्रीय रेलों को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के उपनगरीय स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर, जहां पहले ही संकलन हैं, स्टालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मना कर दिया गया है।

समेकित विकलांग बाल शिक्षा योजना का कार्यान्वयन

6999. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेमित विकलांग बाल शिक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और क्या इस योजना का कार्यान्वयन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) समूचे देश में तथा उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1974-75 से अब तक इस योजना के कार्यान्त्रियन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 3.32 करोड़ रु० की राशि मुक्त की गई है। यह योजना अब तक केवल 10 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों में ही कार्यान्वित की गई है।

(ख) योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत लगभग 7000 अपंग बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया गया है। उड़ीसा के विभिन्न स्कूलों में दाखिल किए गए अपंग बच्चों की संख्या 414 है।

मत्स्य पोतों के लिए वित्त प्रदान करने से नौवहन विकास निधि समिति का पीछे हट जाना

7000. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री दौलत सिंहजी जडेजा :

क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पोतों के लिए वित्त प्रदान करने से नौवहन विकास निधि समिति के पीछे हट जाने के कारण जनवरी से मार्च, 1986 के बीच जिन मत्स्य कम्पनियों को ऋण मंजूर नहीं किए गए उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) मत्स्य पोतों के लिए वित्त प्रदान करने से नौवहन विकास समिति के पीछे हट जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नौवहन विकास निधि समिति ने जिन फिशिंग कम्पनियों को जनवरी-मार्च 1986 के बीच ऋण की संस्वीकृति दी थी नौवहन विकास निधि समिति कृषि विभाग के पास धन राशि के उपलब्ध होने और नौवहन विकास निधि समिति को 31 मार्च, 1986 के बाद में ऋण देना जारी रखने की अनुमति देने के निर्णय की शर्त पर ऋण देगी।

(ख) फिशिंग ट्रालरों को वित्तीय सहायता देने का कार्य नौवहन विकास निधि समिति से कृषि

विभाग को हस्तांतरित करने का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि कृषि विभाग को मछली पालन के क्षेत्र में ज्यादा व्यावहारिक और तकनीकी अनुभव है और फिशिंग कम्पनियों का प्रशासनिक मन्त्रालय होने के कारण उन्हें दिए गए ऋण को वसूल करने की दृष्टि से भी यह विचार ज्यादा प्रभावी होगा। इस प्रकार कृषि विभाग और नौवहन विकास निधि समिति के बीच कार्यों की द्विविधता को रोका जा सकेगा।

(ग) कृषि विभाग ने इच्छा व्यक्त की है कि फिशिंग ट्रालरों को नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की मौजूदा व्यवस्था को 1-4-86 से तीन महीने की और अवधि के लिए या जब तक कृषि विभाग इस उद्देश्य के लिए अपना निजी संगठन स्थापित नहीं कर लेता है, दोनों में से जो भी पहलू हो, तब तक के लिए, जारी रखने की मंजूरी दी जाए।

विश्वविद्यालयों में एम० एस० सी० (इलेक्ट्रानिकी) पाठ्यक्रम शुरू करना

7001. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनींदा विश्वविद्यालयों में इलैक्ट्रानिकी में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए चुने गए हैं ; और

(ग) विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में इलैक्ट्रोनिक्स में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। दिल्ली, पूना और कलकत्ता विश्वविद्यालयों को इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए चुना गया है।

(ग) पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के अन्तर्गत अनावर्ती व्यय में भवन और फर्नीचर के लिए 35 लाख रु०, उपस्कर के लिए 20 लाख रु० और पुस्तकालय के लिए 2 लाख रु० का अनावर्ती व्यय शामिल है तथा आवर्ती व्यय में 2 प्रोफेसरों, 4 रीडरों, 3 लेक्चररों और कुछ गैर शिक्षण कर्मचारियों का वेतन तथा पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, प्रयोगशाला रख रखाव आदि से सम्बन्धित 1.25 लाख रु० शामिल है।

होसपेट और बंगलौर के बीच एक रात्रिकालीन रेलगाड़ी चलाना

7002. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बड़ी लाइन पर चलने वाली होसपेट-गुंतकल रेलगाड़ी में, जो गुंतकल स्टेशन पर सिकन्दराबाद-बंगलौर रात्रिकालीन रेलगाड़ी से जुड़ती है, केवल दो सवारी डिब्बे जोड़े जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार होसपेट और बंगलौर के बीच बड़ी लाइन पर एक पृथक रात्रिकालीन रेलगाड़ी चलाने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) सम्प्रति हासपेट पैसेंजर गाड़ी में, जो हैदराबाद-बेंगलुरु एक्सप्रेस से मेल लेती है, केवल एक शायनयान चल रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्कृष्ट चिकित्सीय देख-भाल और उप-चार केन्द्रों की स्थापना

7003. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कृष्ट चिकित्सीय देखभाल और उपचार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या अब तक विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता करने के लिए कौन-कौन से राज्य आगे आये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (ग). भारत में अलग-अलग रोग के लिए उत्कृष्ट केन्द्र खोलने के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इसका कारण यह है कि अधिकतर अति-विशिष्टताएं एक दूसरे से सम्बन्धित होती है और लागत की दृष्टि से भी एकल विशेषज्ञता के ऐसे उत्कृष्ट केन्द्र खोलने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की संभावना है। इसलिए सामान्य नीति यह है कि मौजूदा बहु-विषयक उत्कृष्ट केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए और नये केन्द्र खोलने की नीति को बढ़ावा दिया जाए जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं दोनों को शामिल किया जाए।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केरल एक्सप्रेस और जयन्ती जनता रेलगाड़ियों के लिए कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव

7004. **श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल जाने वाली रेलगाड़ियां केरल एक्प्रेस और जयन्ती जनता के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली से आरक्षण नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे उन सभी व्यक्तियों को काफी असुविधा हो रही है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण कराने हेतु लाईन में खड़े रहते हैं ;

(ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किन-किन रेलगाड़ियों के लिए कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) इन दोनों रेलगाड़ियों के लिए कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली कब तक शुरू किए जाने की आशा है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) 126 अप केरल एक्सप्रेस के ऊंचे दर्जों के आरक्षणों का संगणकीकरण पहले ही किया जा चुका है। इस गाड़ी में निचले दर्जे के आरक्षणों का संगणकीकरण भी 18-4-86 को चलने वाली गाड़ी से आरम्भ कर दिया गया है। हजरत निजामुद्दीन से प्रारम्भ होने वाली 132 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस के ऊंचे दर्जों की आरक्षणों का संगणकीकरण 10-4-86 को चली गाड़ी से शुरू कर दिया गया है।

(ख) संगणकीकृत आरक्षण प्रणाली की तुलना में हस्त्य प्रणाली धीमी है।

(ग) नयी दिल्ली पर संगणकीकृत आरक्षण प्रणाली में अब तक शामिल की गयी गाड़ियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) केवल 132 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस के निचले दर्जे के आरक्षणों का संगणकीकरण शेष है। इसे मार्च, 1987 तक शामिल कर लिए जाने की सम्भावना है।

विवरण

उच्च श्रेणी		निम्न श्रेणी	
क्रम सं०	गाड़ी और नाम	क्रम सं०	गाड़ी और नाम
1.	8 अप तूफान एक्सप्रेस	1.	8 अप तूफान एक्सप्रेस
2.	16 अप जी० टी० एक्सप्रेस	2.	16 अप जी० टी० एक्सप्रेस
3.	20 अप देहरादून एक्सप्रेस	3.	20 अप देहरादून एक्सप्रेस
4.	22 अप दक्षिण एक्सप्रेस	4.	25 अप वातावनुकूलित एक्सप्रेस
5.	25 अप ए० सी० एक्सप्रेस	5.	26 अप डीलक्स एक्सप्रेस
6.	26 ए० सी० एक्सप्रेस	6.	30 डा० लखनऊ मेल
7.	30 डा० लखनऊ मेल	7.	47 अप फलाइंग मेल
8.	47 अप फलाइंग मेल	8.	53 अप हिमाचल एक्सप्रेस
9.	53 अप हिमाचल एक्सप्रेस	9.	58 अप अमृतसर-दादर एक्सप्रेस
10.	58 अप अमृतसर-दादर एक्सप्रेस	10.	59 अप उदयन-आमा एक्सप्रेस
11.	59 अप उदयन आमा एक्सप्रेस	11.	80 अप 179 डा० ताज एक्सप्रेस
12.	80 अप/79 डा० ताज एक्सप्रेस	12.	81 अप वातानुकूलित एक्सप्रेस
13.	81 अप ए० सी० एक्सप्रेस	13.	83 डा० वातानुकूलित एक्सप्रेस
14.	82 डा० ए० सी० एक्सप्रेस	14.	92 डा० प्रयागराज एक्सप्रेस
15.	92 डा० प्रयागराज एक्सप्रेस	15.	103 अप ए० सी० एक्सप्रेस
16.	102 डा० राजधानी एक्सप्रेस	16.	104 डा० ए० सी० एक्सप्रेस
17.	103 अप ए० सी० एक्सप्रेस	17.	120 डा० गोमती एक्सप्रेस
18.	104 डा० ए० सी० एक्सप्रेस	18.	122 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस
19.	120 डा० गोमती एक्सप्रेस	19.	124 अप आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस
20.	122 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस	20.	126 अप केरल एक्सप्रेस
21.	128 अप आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस	21.	128 अप कर्नाटक एक्सप्रेस
22.	126 अप केरल एक्सप्रेस	22.	145 अप शालीमार एक्सप्रेस
23.	128 अप कर्नाटक एक्सप्रेस	23.	158 डा० काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
24.	132 अप मंगला एक्सप्रेस	24.	161 अप टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस

क्रम सं०	गाड़ी और नाम	क्रम सं०	गाड़ी और नाम
25.	145 अप शालीमार एक्सप्रेस	25.	162 डा० अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस
26.	152 अप राजधानी एक्सप्रेस	26.	168 डा० मालवा एक्सप्रेस
27.	154 डा० वैशाली एक्सप्रेस	27.	171 अप सुपरफास्ट एक्सप्रेस (जम्मू तवी)
28.	158 डा० काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस	28.	172 डा० सुपरफास्ट एक्सप्रेस (बम्बई सेंट्रल)
29.	161 अप टाटा-अमृतसर-एक्सप्रेस	29.	176 डा० नीलांचल एक्सप्रेस
30.	162 अप टाटा अमृतसर एक्सप्रेस	30.	177 डा० झेलम एक्सप्रेस
31.	168 अप मालवा एक्सप्रेस	31.	178 अप झेलम एक्सप्रेस
32.	171 अप सुपर फास्ट एक्सप्रेस (जम्मू तवी)	32.	182 अप सर्वोदय एक्सप्रेस
33.	172 अप सुपर फास्ट एक्सप्रेस (बम्बई सेण्ट्रल)	33.	183 अप रांची-कालका एक्सप्रेस
34.	176 डा० नीलांचल एक्सप्रेस	34.	184 डा० कालका-रांची एक्सप्रेस
35.	177 डा० झेलम एक्सप्रेस	35.	195 अप हिमालयन क्वीन
36.	178 अप झेलम एक्सप्रेस	36.	197 अप शाने पंजाब
37.	184 डा० कालका-रांची एक्सप्रेस	37.	907 अप हिमसागर एक्सप्रेस
38.	182 डा० सर्वोदय एक्सप्रेस	38.	418 अप ऊंचाहार एक्सप्रेस
39.	185 अप भिवानी एक्सप्रेस	39.	908 अप हिमासागर एक्सप्रेस
40.	195 अप हिमालयन क्वीन	40.	192 डा० मगध एक्सप्रेस
41.	197 अप शाने पंजाब	41.	906 अप बैंगलूर एक्सप्रेस
42.	418 अप ऊंचाहर-एक्सप्रेस	42.	150 अप कुतुब एक्सप्रेस
43.	907 डा० हिमसागर-एक्सप्रेस		
44.	908 अप हिमसागर एक्सप्रेस		
45.	192 डा० मगध-एक्सप्रेस		
46.	906 अप बैंगलूर एक्सप्रेस		
47.	150 कुतुब एक्सप्रेस		
48.	916 डा० पुरी एक्सप्रेस		

केरल में गलगण्ड रोग से प्रभावित क्षेत्र

7005. **श्री टी० बशीर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल में किन-किन क्षेत्रों को गलगण्ड रोग से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है ; और

(ख) इस रोग से प्रभावित लोगों की औसत प्रतिशतता क्या है और इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले को गलगण्ड स्थानिकमारी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। केन्द्रीय गलगण्ड नियन्त्रण दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस जिले में 44 प्रतिशत घटनाएं स्कूली बच्चों में पायी गयीं थीं।

राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि वह स्थानिकमारी वाले क्षेत्र में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आयोडीकृत नमक को छोड़कर अन्य तरह के नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करे और आयोडीकृत नमक सम्बन्धी अपनी जरूरत को मद्रास जोन से प्राप्त करे।

वैसे, प्रभावित जिले को जनवरी और फरवरी, 86 के दौरान 232 टन आयोडीकृत नमक की सप्लाई की गयी थी।

केरल में रेल दुर्घटनायें

7006. **श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में प्रति वर्ष कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में रेलवे लाइनों पर रेल यातायात बहुत अधिक हो गया है जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) केरल में 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्रमशः 11, 6, और 13 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1985-86 को समाप्त 3 वर्षों के दौरान हुई 30 रेल दुर्घटनाओं में से केवल 5 दुर्घटनाएं रेल पथ की खराबी के कारण हुई। शेष दुर्घटनाएं यात्रिक खराबी, ड्राइवरों की विफलता, अन्य कारकों के संयोग आदि विभिन्न कारणों से हुई। रेल पथ में खराबी अधिक भार डालने के कारण नहीं आयी थी।

भारतीय नौवहन निगम को कन्टेनर पोतों की सप्लाई

7007. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम, बम्बई ने विभिन्न प्रकार के धारक पोतों की सप्लाई के लिए विभिन्न पोत निर्माताओं की पेशकशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत वर्ष भारतीय नौवहन निगम को प्राप्त हुई पेशकशों (निविदाओं) का ब्यौरा क्या है, पेशकशों में उल्लिखित पोतों का उदगम स्रोत क्या है यदि किसी शिपयार्ड ने वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया हो, तो वह कितनी है तथा प्रत्येक पोत में किस तरह की संचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ऐसे प्रत्येक पोत की लागत क्या होगी ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यद्यपि पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय नौवहन निगम को कंटेनर जहाजों की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन 1983-84 के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा कंटेनर जहाजों के बारे में पूछे जाने पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले शिपयार्डों ने, डिलीवरी के समय तक भुगतान की जाने वाले कीमत के 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की राशि की दीर्घकालीन क्रेडिट-सुविधा देने और शेष 90 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कीमत आस्थगित क्रेडिट या 8 से 15 वर्ष तक की अवधि पर ऋण रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित जहाजों पर कंटेनर मोनीटरिंग, लोडिंग, रखरखाव आदि जैसे कार्यों के लिए कम्प्यूटर-सुविधा होगी।

स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसें

7008. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें स्कूलों के लिए और विश्वविद्यालय स्पेशल के रूप में चल रही हैं ;

(ख) इन बसों से सितम्बर, 1985, दिसम्बर, 1985 और फरवरी, 1986 के महीनों में पृथक-पृथक कितनी आय हुई और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) इन बसों को चलाने में प्रति किलोमीटर खर्च की औसत क्या है ;

(घ) इन बसों को चलाने में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रति किलोमीटर आय की औसत क्या है ; और

(ङ) रियायती दरों पर बसें उपलब्ध कराने में दिल्ली परिवहन निगम को कितना घाटा हुआ और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी बसों को छात्रों ने नुकसान पहुंचाया और जलाया ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम स्कूलों के लिए प्रतिवेदन 1246 ट्रिपें लगाने के लिए 623 बसें लगाता है। उसी प्रकार प्रतिदिन 1035 विश्वविद्यालय विशेष ट्रिपें चलाने के लिए 615 बसें लगाई गई हैं।

(ख) से (घ). प्रतिदिन कार्य दिवसों में स्कूलों के लिए प्रति किलोमीटर 2.50 रुपए का दर से बसें दी जाती हैं जिसमें प्रति किलोमीटर 3 रुपए की दर से एक डबल डेकर भी शामिल है। विश्वविद्यालय के लिए विशेष ट्रिपें सामान्य भाड़ा दरों पर चलाई जाती हैं। सितम्बर, 1985, दिसम्बर, 1985 और फरवरी, 1986 के लिए स्कूल बसों से हुई आय खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम को सितम्बर, 85, दिसम्बर, 85 और फरवरी, 86 के दौरान क्रमशः 9.40 लाख रुपए, 6.05 लाख रुपए और 10.93 लाख रुपए की कार्य हानि हुई। तथापि

प्रति किलोमीटर 2.50 रुपए की दर पर ऐसी स्कूल बस सेवाओं से जो आय हो रही है, वह भाड़ा संशोधन से पहले प्रति किलोमीटर 1.95 रुपए की दर से चलने वाली सेवाओं से हुई आय से अधिक है। स्कूल की बस सेवाओं से वसूले जाने वाली भाड़ा दरें अभी संशोधित की जानी हैं जिससे ये दरें 8 फ़रवरी, 1986 से सामान्य सेवाओं के लिए लागू किए गए अधिक भाड़े के अनुरूप हो जाएं। इस बारे में एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

वर्ष 1983, 1984 और 1985 में छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई बसों की सख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त बसों की संख्या	क्षति की लागत
		(लाख रुपए)
1983	173	3.09
1984	58	1.14
1985	91	0.35
	322	4.58

विवरण

(अनन्तिम आंकड़े)

	सितम्बर, 85	दिसम्बर, 85	फरवरी, 86
1. प्रतिकिलोमीटर आय	250 (अनन्तिम)	250 (अनन्तिम)	250 (अनन्तिम)
2. प्रतिकिलोमीटर (लागत)			
(क) कार्य खर्च (ब्याज और मूल्य ह्रास को छोड़कर)	421 (अनन्तिम)	396 (अनन्तिम)	450 (अनन्तिम)
(ख) कुल खर्च (ब्याज और मूल्य ह्रास सहित)	798 (अनन्तिम)	758 (अनन्तिम)	827 (अनन्तिम)
3. जितने कि० मी० बसें चलीं	5.50 लाख	4.15 लाख	5.27 लाख
4. कुल आय	रु० 13.75 लाख	रु० 10.38 लाख	रु० 13.68 लाख
5. कार्य खर्च	रु० 23.15 लाख	रु० 10.43 लाख	रु० 24.61 लाख
6. कुल खर्च	रु० 43.89 लाख	रु० 31.46 लाख	रु० 45.24 लाख
7. कार्य हानि	रु० 9.40 लाख	रु० 6.05 लाख	रु० 10.93 लाख
8. निवल हानि	रु० 30.14 लाख	रु० 21.08 लाख	रु० 31.56 लाख

[हिन्दी]

इन्जीनियरिंग कालेजों द्वारा प्रावेशिक शुल्क लिया जाना

7009. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि देश में इस समय ऐसे कितने इंजीनियरिंग कालेज हैं, जिनमें विद्यार्थियों को योग्यता की पूरी तरह से अवहेलना करके प्रावेशिक शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : इस समय छात्रों को दाखिला देते समय जिन इंजीनियरी कालेजों में कैपीटेशन फीस/अधिक फीस वसूल की जाती है, उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

राज्य	इंजीनियरी कालेजों की संख्या
बिहार	8
कर्नाटक	27
महाराष्ट्र	52
तमिलनाडु	22

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग निवारण हेतु अनुसंधान

7010. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है और इस बीमारी को दुबारा होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) क्या देश में एलोपैथी तथा आयुर्वेद पद्धतियों से इस रोग का उपचार करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी हां। एक उच्च शक्ति प्राप्त वैज्ञानिक समिति द्वारा देश में अनुसंधान प्राथमिकताओं का विस्तृत आकलन 1982 में शुरू किया गया था। कुष्ठ अनुसंधान में निश्चित लक्ष्य, प्रयोजन और तात्कालिक आवश्यकता की भावना पैदा करने के लिए अतिरिक्त बल तथा समर्थन प्रदान किया गया। देश में तथा देश के बाहर हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि नाक से भी रोगाणु शरीर के अन्दर और बाहर आते जाते हैं। इससे पहले त्वचा स्पर्श को ही रोगाणुओं के प्रवेश और बाहर निकलने का तरीका समझा जाता था। वैसे, इस रोग के पैदा होने में विभिन्न घटकों की क्या भूमिका है उसे अभी स्पष्ट रूप से मालूम किया जाना है।

(ख) जी हां। एलोपैथी में किए गए अनुसंधान का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) रिफैम्पीसिन, क्लोफेजिमाइन, और प्रोथियोनामाइड, जैसी नयी और प्रभावकारी कुष्ठ-रोधी औषधियों का पता लगाना जो रोगी के स्वस्थ्य होने में उपचार अवधि को काफी कम कर देती हैं। डेंपसोन के साथ औषधियां जारी रखना बहुत ही प्रभावकारी औषध-विधान है और इसे चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जा रहा है।

(ii) कुष्ठ-रोधी वैक्सीन तैयार करने के लिए सक्रिय अनुसंधान कार्य चल रहा है। आम उपयोग के लिए इसकी प्रभावकारिता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के बारे में इसके क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं।

स्कूल आफ ट्रॉपिकल मेडिसन-कुष्ठ अनुसंधान विभाग, कलकत्ता ने कुष्ठ के इलाज के लिए

एक स्थानीय जड़ी-बूटी मन्डूक ए पर्फी (सेन्टीनेला एसियाटिका) की आजमाइश की जिसके कुछ परिणाम सामने आये हैं। लेकिन यह पाया गया है कि रिफैम्पीसिन, प्रोथियोनामाइड क्लोफेनिमाइन और डेपसोन के एवज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जिनके मिश्रण का उपयोग बेहतर जीवाणु नाशक औषधि के रूप में तथा व्यक्ति को फिर से बीमार न होने के लिए किया जाता है।

रेलवे अधिकारियों को विदेशों में प्रति-नियुक्ति/अस्थायी स्थानांतरण (सेकंडमेंट) पर भेजना

7011. **श्री सोमजी भाई डामर : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों का विदेश में प्रतिनियुक्ति/अस्थायी स्थानांतरण पर भेजने की पद्धति क्या है ; और

(ख) वर्ष 1982-1983 और 1984 के दौरान भारतीय रेलवे से कुल कितने अधिकारी विदेशों में क्रमशः प्रतिनियुक्ति/अस्थायी स्थानांतरण पर भेजे गए और उनमें से कितने आदिवासी अधिकारी थे और तत्सम्बन्धी रेल-वार, विभाग-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) सामान्यतः रेल अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति/अस्थायी स्थानान्तरण पर विचार तभी किया जाता है जब वे जारी परिपत्रों के प्रत्युत्तर में स्वेच्छा से बाहर जाने के लिए उपलब्ध हों या वे रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लि० की देख-रेख में संचालित संगणकीकृत डाटा बैंक में नामजद किए हों। इन अधिकारियों का नामन योग्यता शर्तों जैसे कार्य—आवश्यकता, अर्हता, अनुभव आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। नामित रेल अधिकारियों की विदेशों में गैर रेलवे विदेशी संगठनों में प्रतिनियुक्ति/अस्थाई स्थानान्तरण उधार पर लेने वाले संगठनों द्वारा उनकी स्वीकार्यता पर निर्भर करता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे संस्कृत संस्थानों को वित्तीय सहायता

7012. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने की शर्तें तथा पद्धति क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य के उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिससे गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य के प्रतिवर्ष कौन से संस्थानों को सहायता मंजूर की गई और प्रत्येक को कितनी सहायता मंजूर की गई ; और

(घ) अन्य संस्थानों के आवेदन अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं और क्या जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थानों को कोई सहायता नहीं दी गई उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (घ). विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता मंत्रालय की स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नाम की योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। विशेष कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों के अनुरोध राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से आने होते हैं तथा उनसे यह आशा की जाती है कि वे संगठन/संस्था का दर्जा तथा प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिश करें। अखिल भारतीय स्वरूप के संगठनों/संस्थाओं के मामले में वित्तीय सहायता के आवेदन पत्रों पर शिक्षा विभाग सीधे ही विचार करता है। सभी प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा गठित की गई एक सहायता अनुदान समिति विचार करती है तथा समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुदान मुक्त किए जाते हैं।

2. विभाग, शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकों की खरीद, भवन की मरम्मत आदि जैसे मदों के अनुमोदित आवर्ती व्यय का 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करता है। जहां तक अनावर्ती मदों का सम्बन्ध है अनुदान समिति संगठनों/संस्था द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करती है। आदर्श पाठशाला/शोध संस्थाओं तथा वैदिक पाठशालाओं के मामले में विभाग अनुमोदित व्यय का 95 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करता है।

3. संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार के लिए कार्यरत लगभग 700 स्वैच्छिक संगठनों से प्रत्येक वर्ष मन्त्रालय में आवेदन प्राप्त होते हैं तथा उन पर विचार किया जाता है। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को मन्त्रालय की सहायता अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावों पर समिति कार्यकलापों की उपयोगिता, उपलब्ध बजट प्रावधानों, राज्य सरकार की सिफारिशों आदि के आधार पर विचार करती है। अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए स्वैच्छिक संगठन/संस्था को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराना होता है। कुछ मामलों में सहायता अनुदान समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होने से पहले किसी भी संगठन/संस्था को कम-से-कम तीन वर्षों की अवधि से पंजीकृत होना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं मदों के लिए दिया जाता है जिनका योजना के अन्तर्गत अनुमोदन किया गया है। परिणामस्वरूप संगठन द्वारा प्रस्तावित ऐसे कार्यकलापों के जो संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार की योजना के उद्देश्यों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, उन पर वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाता। स्वैच्छिक संगठन/संस्था की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए तथा वह इस स्थिति में हो कि वह 25 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत जैसा भी मामला हो, के व्यय का अपना बराबर का भाग वहन कर सकता हो ताकि वह मन्त्रालय से अनुदान प्राप्त करने का पात्र हो जाएं।

4. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, गोवा दमन तथा दीव, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादर तथा नागर हवेली, मिजोरम तथा लक्षदीप राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 की मरम्मत और अनुरक्षण

7013. **श्री एन० डेनिस : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी भाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की बुरी दशा का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित अनुरक्षण और मरम्मत के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी खण्ड भी शामिल है और यह कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना से सामान्य अनुरक्षण के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के इस खण्ड के कुछ चुने हुए पहुंचमार्गों को सुदृढ़ बनाने और इस सड़क पर सुधरी हुई मोड़ों के साथ पुलों के पुनर्निर्माण की स्कीमों का पता लगाने का भी प्रस्ताव है।

एयरबस के इंजनों में खराबी होने की घटनायें

7014. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

श्री बालासाहेब विखे पाटिल :

क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही महीने में तीन एयरबसों के इन्जनों में खराबी होना एक गंभीर चिन्ता का विषय है ;

(ख) वर्ष 1986 में हुई दुर्घटनाओं/घटनाओं का ब्यौरा क्या है, जैसाकि 13 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ग) क्या विमान चालकों और ग्राउंड इंजीनियरों के परामर्श से मामले की पूरी जांच की जा रही है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, नहीं। प्रत्येक मामले में खराबी अलग-अलग रही है। घटनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) 10 फरवरी, 1986 को एयरबस विमान वी०टी०-ई०डी०एक्स० का इंजिन नम्बर 2 कम्पन के कारण उड़ान के दौरान बन्द हो गया था। विमान उड़ान संख्या आई० सी०-403 (दिल्ली-बंगलौर) का परिचालन कर रहा था। विमान सुरक्षित रूप से हैदराबाद में उतर गया जहां इसका इन्जन बदल दिया गया था।

(2) 19 फरवरी, 1986 को एयरबस बिमान वी०टी०-ई० एच० सी० का इंजिन नम्बर 2 उड़ान के दौरान कम्पन के कारण बन्द हो गया था। विमान उड़ान संख्या आई० सी०-406 (दिल्ली-बम्बई) पर परिचालन कर रहा था। यह सुरक्षित रूप से वापिस आकर बम्बई में उतर गया जहां इसका इंजन बदल दिया गया।

(3) 11 मार्च, 1986 को एयरबस वी०टी०-ई० डी० वाई० का इंजिन नम्बर 1 उड़ान के दौरान टरबाइन कम्पन के पश्चात् उड़ान भरते समय गड़गड़ाहट की आवाज के सुनाई देने के बाद बन्द हो गया था। विमान उड़ान संख्या आई० सी०-404 (बंगलौर-दिल्ली) पर परिचालन कर रहा था। विमान सुरक्षित रूप से वापस बंगलौर में उतर गया।

(ग) जी, हां।

त्रिवेन्द्रम-बम्बई वायु मार्ग से आय

7015. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स को वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में त्रिवेन्द्रम-बम्बई वायु मार्ग से कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा त्रिवेन्द्रम-बम्बई मार्ग पर अर्जित अतिरिक्त आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	अतिरिक्त आय (करोड़ रुपए)
1983-84	6.27
1984-85	5.59
1985-86 (अनन्तिम)	5.69

गवर्नमेंट कालेज पोर्ट ब्लेयर को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना

7016. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट कालेज, पोर्ट ब्लेयर पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर इस कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के बारे में बार-बार अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार परिषद ने उक्त सम्बद्धता के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 12-3-86 के पत्र में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने बताया है कि प्रदेश परिषद के सदस्यों ने यह महसूस किया है कि भारत सरकार से एक बार फिर से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय अपना क्षेत्राधिकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तक बढ़ा सके।

(ग) इस मामले की पहले जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि राजकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर की दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता सम्भव नहीं हो सकती। यदि अण्डमान और निकोबार प्रशासन, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के साथ कालेज को सम्बद्ध करने के पक्ष में नहीं है तो यह आवश्यक होगा कि उस प्रशासन के परामर्श से अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनों का निर्माण

7017. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विकास के लिए पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई नई रेल-लाइन बिछाई गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सतना-रीवां और गोविन्दगढ़-बगवार रेल लाइन का सर्वेक्षण तथा निर्माण

7018. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतना से रीवां तक और गोविन्दगढ़ से बगवार तक बरास्ता ब्योहारी, रेल लाइनों के लिए किए गए इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान यह रेल लाइन बिछाने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). सतना और रीवां के बीच के खंड के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसके निर्माण को 1985-86 के रेल बजट में अनुमोदित कर दिया गया है । रीवा, गोविन्दगढ़ और बगवार के रास्ते सतना से ब्यौहारी तक सर्वेक्षण की समग्र प्रगति लगभग 95 प्रतिशत हैं । रीवा से ब्यौहारी तक के खंड के लिए आगे कारंवाई करने के बारे में सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर विचार किया जायेगा ।

[अनुवाद]

मनुष्यों तथा पशुओं में सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में डी० डी० टी०/ बी० एच० सी० अवशेष होना

7019. **डा० जी० विजयरामाराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भोगोलिक क्षेत्रों के नगरीय स्थानों से मनुष्यों तथा पशुओं से ली गई चर्बी के नमूनों का राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि मनुष्य तथा पशु से डी० डी० टी०/बी०एच० सी० के अवशेष सुरक्षा के स्तर से बहुत ज्यादा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक किए गए परीक्षणों और किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है अथवा करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) यद्यपि विश्व में डी० डी० टी० और बी०एच०सी० के लिए कोई सुरक्षा मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, फिर भी भारत में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के स्तर अन्य विकसित देशों अर्थात् जर्मनी, बेल्जियम और जापान की अपेक्षा ऊंचे पाये गये ।

(ख) भारत सरकार केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के माध्यम से डी० डी० टी० के अत्यधिक विवेक-पूर्ण और नियंत्रित प्रयोग पर ध्यान दे रही है ।

परीक्षणों का विवरण इस प्रकार है :—"राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने मानव वसा और माताओं के दूध के नमूनों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० अवशिष्टों पर डी० एस० टी० और जी० ई० एम० एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अध्ययन किया है । कीटनाशी स्तरों के देशव्यापी

मानीटरिंग करने पर देश के 7 शहरी केन्द्रों के 313 मेडिकोलीगल एटाप्सी वसा नमूनों में डी० डी० टी० का 11.04 पी० पी० एम० और बी० एच० सी० का 3.49 पी० पी० एम० स्तरों का पता चला जो बहुत ही निम्न है। अहमदाबाद से एकत्र किए गए नमूनों में डी० डी० टी० के अधिकतम स्तर और बम्बई से एकत्र किए गए नमूनों में न्यूनतम स्तर पाए गए। बंगलौर और भोपाल में बी० एस० सी० के अधिकतम और न्यूनतम स्तर पाए गए।

अहमदाबाद के एकत्र किए गए 50 माताओं के दूध के नमूनों में पी, पी-डी० डी० टी०, पी, पी-डी० डी० ई० और बीटा-बी० एच० सी० का औसत स्तर क्रमशः 1.1; 4.8 और 4.6 मि० ग्रा०/कि० ग्रा० वसा पाया गया।

सहार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, बम्बई में जानकारी देने की सुविधा की कमी

7020. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, बम्बई में वहां पर आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में लोगों को जानकारी देने की की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। सहार अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, बम्बई में उड़ान सूचना भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा "क्लोज्ड सर्किट टी० वी०" और सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली द्वारा दी जाती है। एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के पास भी जनता को उड़ान सूचना देने के लिए अलग-अलग प्रबन्ध हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य में हरित पट्टियों का प्रस्ताव

7021. **श्री हरीश रावत :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने रुपये की वार्षिक क्षति होती है ; और

(ख) क्या इस क्षति को रोकने के लिए सरकार का विचार सभी राजमार्गों को बीच से दो हिस्सों में विभाजित करके हरित मध्य पट्टियां बनाने का है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के बारे में अलग से सांख्यिकी नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

जालन्धर और पठानकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1-क को चौड़ा बनाना

7022. **श्री चरनजीत सिंह वालिया :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जालन्धर और पठानकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1-क को दोहरी लाइन के राजमार्ग में परिवर्तित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जालन्धर और पठानकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1-क पहले से ही दोहरी लेन वाला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जबलपुर तथा मदनमहल रेलवे स्टेशनों के गोदामों का स्थानान्तरण

7023. **श्री अजय मुशरान** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जबलपुर तथा मदनमहल के गोदामों को उनके वर्तमान स्थान से हटाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार उक्त गोदामों के स्थान पर सभी सुविधाओं तथा प्रवेश द्वार आदि से युक्त प्लेटफार्म के निर्माण करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) एक प्रस्ताव था, लेकिन पर्याप्त धन के अभाव में उसे स्थगित कर दिया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

घोसुंडा सिंचाई परियोजना

7024. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की एक मध्यम सिंचाई परियोजना-घोसुंडा परियोजना केन्द्रीय सरकार को सौंप दी गई है ताकि घोसुंडा सिंचाई परियोजना का पानी सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले सुपर साइड स्मैल्टर में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस परियोजना पर पूरी तरह से काम बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस पर काम आरम्भ नहीं किया है इस पर किया गया करोड़ों रुपए का व्यय बेकार हो गया है ; और

(घ) भारत सरकार का विचार इस पर पुनः कब तक कार्य आरम्भ करने का है और 1986-87 में इस पर कितना व्यय करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) घोसुंडा सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार को नहीं सौंपी गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मीनाक्षी एक्सप्रेस प्रति दिन चलाने का प्रस्ताव

7025. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस रेलगाड़ी सप्ताह में

केवल तीन दिन चलती है जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने तथा इसके साथ प्रथम श्रेणी का एक डिब्बा जोड़ने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस समय यह गाड़ी सप्ताह में 5 दिन चलती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली और उदयपुर के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाना

7026. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और उदयपुर के बीच बरास्ता जयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली और उदयपुर के बीच 501/502 पिंक सिटी/गरीब नवाज एक्सप्रेस नामक एक सुपरफास्ट गाड़ी जयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ के रास्ते पहले ही चल रही है।

[अनुवाद]

लौंडा-मारमागाओ लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7027. **श्री शांताराम नायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने लौंडा और मारमागोआ (गोवा) के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नए पेनल का गठन

7028. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रौद्योगिकी के बारे में एक नया पेनल गठित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह आर० डी० एस० ओ० अथवा रेलवे बोर्ड के अन्य एककों और सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा पहले से ही किए जा रहे कार्यों को किस प्रकार पूरा करेगा ; और

(ग) क्या इस पेनल द्वारा रेल वैगनों के लिए नई प्रौद्योगिकी के आयात की भी पुनरीक्षा की जाएगी ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

स्टेरायड्स युक्त हिस्टामिनिक्स-रोधी औषधियों की बिक्री

7029. श्री तारीक अनवर :

कुमारी पुष्पा देवी :

श्री हरिकृष्ण शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेरायड्स युक्त हिस्टामिनिक्स-रोधी औषधियां हानिकारक तथा खतरनाक होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी उत्पादों के नाम क्या हैं, जो हमारे देश में बेचे जा रहे हैं ; और

(ग) ऐसे उत्पादों को बेचने की अनुमति देने का क्या औचित्य है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) विशेषज्ञों द्वारा स्टेरायड्स युक्त हिस्टामिनिक्स-रोधी योगों को बाकायदा इस्तेमाल के लिए हानिकारक समझा गया था।

(ख) और (ग). सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें दमा के इलाज के लिए अन्य औषधियों से युक्त स्टेरायड्स के योगों को छोड़कर स्टेरायड्स के सभी नियत खुराक वाले योगों के आन्तरिक उपयोग के लिए निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

दमा के इलाज के लिए कार्टिकोस्टेराइड्स युक्त ब्रांचोडायलेटरस (दमा-रोधी) के योगों का बाकायदा इस्तेमाल करने के लिए विपणन करने की अनुमति दे दी गयी है।

"कनिष्क" विमान का बदला जाना

7030. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने अशुभ "कनिष्क" विमान के बदले में एक बोइंग 747 जम्बो जैट खरीदा है ;

(ख) नये जम्बो जैट की खरीद पर कितनी राशि खर्च की गई है और यह कहां से खरीदा गया है ;

(ग) क्या एयर इंडिया ने 3 माल वाहक विमान भी पट्टे पर लिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) और (घ). जी, हां। 15 जून, 1985 को एयर इण्डिया ने 1 जुलाई, 1985 से निम्नानुसार मालवाहक विमान की "वेट लीज" के लिए एवरग्रीन इन्टरनेशनल एयरलाइन्स के साथ विमान लीज करार पर हस्ताक्षर किए थे :—

(1) 2-1/2 वर्ष की अवधि के लिए एक डी० सी० 8-63 एफ० विमान।

(2) इन्हीं नियमों और शर्तों के अनुसार, दो वर्ष की अवधि के लिए डी० सी० 8-73 एफ० विमान जिसमें ठेके को आगे एक वर्ष और बढ़ाने का विकल्प है। डी० सी०-8-73 एफ० के करार में यह प्रावधान है कि इसके स्थान पर बोइंग-747 माल-

वाहक विमान बदला जा सकता है। तदनुसार, 6 अप्रैल, 1986 से डी०सी०-8-73 एफ० विमान के स्थान पर बोइंग 747 मालवाहक विमान प्रतिस्थापित किया गया है।

एयर इंडिया ने भी अप्रैल, 1982 से अपने मालवाही परिचालनों के लिए एयरोफ्लोट से आई० एल०-76 क्षमता का विमान पट्टे पर लिया है।

इन्दौर और भोपाल के बीच एक अन्तर-नगरीय तेज गाड़ी चलाना

7031. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से इन्दौर और भोपाल के बीच एक अन्तर-नगरीय तेज गाड़ी चलाने के लिए कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में कुछ संगठनों ने भी इस सम्बन्ध में मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रस्ताव की जांच गयी है लेकिन संसोधनों की तंगी के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

शिशुओं और माताओं के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

7032. **कुमारी पुष्पा देवी :**

श्री मुरलीधर माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि माताओं तथा शिशुओं के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में महिला और बाल विकास विभाग माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रहा है :—

(i) समेकित बाल विकास सेवा योजना 1975-76 में शुरू की गई थी जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषाहार, स्वास्थ्य और शक्षिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं ; और

(ii) जनवरी, 1986 से स्कूल पूर्व बच्चों और दूध पिलाने वाली/गर्भवती माताओं के लिए गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार की योजना शुरू की गई थी जिसमें आदिवासी क्षेत्रों, शहरी गन्दी बस्तियों और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। 1985-86 तक मध्य प्रदेश में 94 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं और 1986-87 के लिए राज्य को 34 परियोजनाएं आबंटित की गई है। गेहूं पर आधारित पूरक

पोषाहार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के लिए 3.50 लाख लाभप्राप्तकर्ताओं के लिए सहायता अनुमोदित की गई है।

महाराष्ट्र में 1985-86 तक 94 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं और वर्ष 1986-87 के लिए राज्य को 11 परियोजनायें आवंटित की गई है। इस विभाग में महाराष्ट्र सरकार से गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 1985-86 के दौरान परिवार नियोजन के लक्ष्य की प्राप्ति

7033. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1985-86 के लिए परिवार नियोजन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों की उपलब्धि क्या रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). 1985-86 के लिए निर्धारित किए गए परिवार नियोजन के राज्यवार और तरीके वार लक्ष्य तथा राज्यों से मिली नवीनतम रिपोर्टों के आधार पर अब तक की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1985-86 के दौरान परिवार नियोजन के तरीकों के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ एजेंसी	नसबन्दी		आई० यू० डी० निवेशन	
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि (अप्रैल, 85 से फरवरी, 1986 तक)	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि (अप्रैल, 85 से फरवरी, 86 तक)
1	2	3	4	5	6
I. प्रमुख राज्य (एक करोड़ या इससे अधिक जनसंख्या वाले)					
1.	आन्ध्र प्रदेश	530,000	383,472	140,000	117,233
2.	असम	180,000	101,488	24,000	18,722
3.	बिहार	571,000	283,073	174,000	119,631
4.	गुजरात	300,000	269,270	250,000	253,845
5.	हरियाणा	100,000	92,636	145,000	138,744
6.	कर्नाटक	336,000	304,987	160,000	142,750

1	2	3	4	5	6
7.	केरल	215,000	153,458	55,000	50,473
8.	मध्य प्रदेश	425,000	310,614	200,000	161,364
9.	महाराष्ट्र	565,000	434,803	600,000	343,264
10.	उड़ीसा	210,000	152,037	100,000	76,041
11.	पंजाब	120,000	97,755	207,000	200,635
12.	राजस्थान	285,000	229,299	85,000	75,512
13.	तमिलनाडु	475,000	419,391	168,000	115,579
14.	उत्तर प्रदेश	600,000	465,746	665,300	715,735
15.	पश्चिम बंगाल	450,000	229,353	108,000	50,779
II.	छोटे राज्य/संघ शासित क्षेत्र				
1.	हिमाचल प्रदेश	38,000	27,065	21,000	21,411
2.	जम्मू और काश्मीर	40,000	23,967*	17,000	12,784*
3.	मणिपुर	6,400	6,799	6,200	3,864
4.	मेघालय	600	427*	500	1,072*
5.	नागालैंड	400	533	200	1,045
6.	सिक्किम	700	771	1,000	958
7.	त्रिपुरा	10,000	5,664*	4,000	503*
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,400	1,238	800	765
9.	अरुणाचल प्रदेश	400	714*	1,400	975*
10.	चण्डीगढ़	3,300	2,427	10,000	5,073
11.	दादर और नगर हवेली	1,000	1,175	150	183
12.	दिल्ली	30,000	24,744	64,000	45,890
13.	गोवा, दमन और द्वीव	5,000	5,118	1,500	1,342
14.	लक्षद्वीप	100	38*	200	45*
15.	मिजोरम	3,000	2,536	2,000	1,237
16.	पांडिचेरी	7,000	5,324	3,600	3,064
III.	अन्य एजेंसीज				
1.	रक्षा मन्त्रालय	23,000	16,934	12,000	9,686

1	2	3	4	5	6
2.	रेल विभाग	28,000	20,863	16,800	8,656
3.	वाणिज्यिक वितरण	—	—	—	—
	अखिल भारत	5,560,300	4,072,711	3,243,650	2,682,855

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ एजेंसियां	प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोग कर्ता		खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां अप्रैल, 85 से फरवरी, 86 तक	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां अप्रैल, 85 से फरवरी, 86 तक
1	2	3	4	5	6
I.	प्रमुख राज्य (एक करोड़ या इससे अधिक आबादी वाले)				
1.	आन्ध्र प्रदेश	300,000	35,412	80,000	58,803
2.	असम	40,000	32,971	10,000	4,284*
3.	बिहार	150,000	87,473	50,000	11,219
4.	गुजरात	472,000	457,212	74,000	70,248
5.	हरियाणा	350,000	451,674	25,000	23,632
6.	कर्नाटक	200,000	153,112	63,000	43,279
7.	केरल	75,000	95,803	35,000	20,699
8.	मध्य प्रदेश	500,000	540,022	100,000	76,769
9.	महाराष्ट्र	600,000	537,108	148,000	167,661
10.	उड़ीसा	157,000	124,146	36,000	20,703
11.	पंजाब	260,000	303,633	28,000	20,871
12.	राजस्थान	160,000	140,699*	31,000	8,922
13.	तमिलनाडु	200,000	128,176	76,000	31,036
14.	उत्तर प्रदेश	690,000	762,422	80,000	98,197
15.	पश्चिम बंगाल	260,000	110,923	82,000	13,390
II.	(छोटे राज्य/संघ शासित क्षेत्र)				
1.	हिमाचल प्रदेश	23,000	32,410	9,000	5,109
2.	जम्मू और कश्मीर	15,000	7,940	4,000	1,644

1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	6,600	2,291	900	128
4.	मेघालय	2,200	3,376	500	656
5.	नागालैंड	1,000	79	600	369
6.	सिक्किम	400	194	1,400	1,392
7.	त्रिपुरा	3,000	1,206	2,000	851
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	500	400	200	59
9.	अरुणाचल प्रदेश	500	527	600	679
10.	चण्डीगढ़	10,000	6,444	800	246
11.	दादर और नगर हवेली	550	583	100	37
12.	दिल्ली	174,000	141,317	2,200	996
13.	गोवा, दमन और द्वीव	8,300	804	1,600	1,214
14.	लक्षद्वीप	200	585	50	49
15.	मिजोरम	3,500	1,095	700	616*
16.	पाण्डिचेरी	4,900	6,210	1,600	1,154
III.	अन्य एजेंसी				
1.	रक्षा मन्त्रालय	59,000	46,975*	3,600	2,873*
2.	रेल विभाग	288,000	261,130	2,400	3,394
3.	वाणिज्यिक वितरण	4,500,000	2,902,879	—	—
	अखिल भारतीय	9,514,650	7,702,932	960,250	691,139

आंकड़े अनन्तिम हैं।

*जनवरी, 1986 तक के आंकड़े।

रैबीज रोग के मामलों में वृद्धि

7034. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवारा कुत्तों तथा जैसे अन्य पशुओं खरगोश तथा लोमड़ी, इत्यादि के कारण रैबीज रोग के मामलों में वृद्धि हो रही है, और यदि हां, तो वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 में रैबीज के कितने मामलों की सूचना मिली है तथा कितने मामलों का अनुमान था और उनमें से कितने मामलों में रोगियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) क्या देश में बहुत बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते हैं और यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ग) क्या बहुत बड़ी संख्या में पंजीकृत घरेलू कुत्तों को भी रैबीज रोधी टीका नहीं लगाया गया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कोई व्यक्ति कुत्ते के काटने से 14 दिन से 3 वर्ष की अवधि के दौरान किसी दिन भी मर सकता है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) 1983, 1984 और 1985 के दौरान देश में कुत्ते के काटे व्यक्तियों की संख्या और इससे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कुत्ते के काटे व्यक्तियों की संख्या	मौतें
1983	59702	663
1984	84929	722
1985	92177	638

इन आंकड़ों से पता चलता है कि ललर्क की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) देश में आवारा कुत्तों की संख्या के बारे में कोई सही अनुमान नहीं है। कृषि मन्त्रालय ने 1982 में अनुमान लगाया था कि यह संख्या लगभग 2 करोड़ हो सकती है। अन्य अध्ययनों के अनुसार 5 करोड़ के बीच है।

(ग) जी, हां।

(घ) रेबीज की इन्क्यूबेशन अवधि आम तौर पर 2 से लेकर 8 सप्ताह तक होती है।

जम्मू और कश्मीर में अचानक बाढ़ आना

7035. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में विशेषकर जम्मू, ऊधमपुर और डोडा जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका रहती है जैसाकि दिनांक 18 मार्च, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सबन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में अचानक बाढ़, तूफान और वर्षा आदि एक नियमित घटनायें है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख). जम्मू और कश्मीर सरकार ने बाढ़ आने की आशंका अथवा बाढ़ आने के बारे में सूचित नहीं किया है जैसा कि समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है।

(ग) जी नहीं।

भारत में बेची जाने वाली कोडीन के मिश्रण से बनी औषधियां

7036. श्री विष्णु मोदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोडीन को विश्व के अधिकांश देशों में किसी भी मिश्रण में बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यह नशा करती है ;

(ख) भारत में बेची जा रही कोडीन के मिश्रण से बनी औषधियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कोडीन के मिश्रण से बनी औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत में और अन्य देशों में बेचे जाने वाले कोडीन वाले कुछ मिश्रणों के नामों के दो विवरण संलग्न है (विवरण-एक और विवरण-दो)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

भारत में विनिर्मित कोडीन वाले मिश्रणों के सम्बन्ध में सूचना (कुछ उदाहरण)

1. उत्पादों का नाम/सम्मिश्रण

कोडीन सहित दुस्साकोन सीरप : प्रत्येक 5 मि० लि० में :—

डाइफीन हाइड्रामाइन एच० सी० एल० 10 मि० ग्रा०, कोडीन फॉस 8 मि० ग्रा०, फिनाइलेफरिन एस० सी० एल० 4 मि० ग्रा०, पोटाशियम गोइयाकोल सल्फोनेट 100 मि० ग्रा०, सोडियम सिट्रेट 50 मि० ग्रा०, टोलु बालसम 5 मि० ग्रा०, मेंथोल 2 मि० ग्रा०, क्लोरोफार्म एस० पी० टी० 0.05 मि० लि०, ग्लसरीन 0.25 मि० लि०।

(अक्रोम फार्मास्यूटिकल्ज, अहमदाबाद)

2. ग्लायकोडीन टर्प बसाका :—

सीरप : प्रत्येक 4 मि० लि० में :—

एन्टीमनी फॉट ट्रारट्ट 0.56 मि०ग्रा०, टर्पीन हाइड्रेट 11,12 मि०ग्रा०, कोडीन फॉस 11,12 मि०ग्रा०, मेंथोल 3.75 मि०ग्रा०, टोलुसीरप 1.25 मि०लि०, सीरप बसाका 0.47 मि० लि०, अल्कोहल (95%) 0.07 मि० लि०।

(आलम्बिक केमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, गुजरात)

3. काफाल :—

लिक्विड : प्रत्येक 5 मि० लि० में :—

क्लोर फेनीरामाइन मेलोट 4 मि०ग्रा०, कोडीन फॉस 10 मि० ग्रा०, ई-फेडरिन एच० सी०एल० 10 मि०ग्रा०, क्लोरोफार्म 0.01 मि०लि०, मेंथोल 0.1 मि०ग्रा०, सोडियम

सिट्रेट 50 मि० ग्रा०, अल्कोहल 0.1 मि० लि०।

(अशोक बायोफार्मा, कलकत्ता)

4. काफाल फोर्ट :—

लिक्विड : प्रत्येक 5 मि० लि० में :—

मेपिरामाइन मेलोट 6.67 मि० ग्रा०, कोडीन फासफेट 10.7 मि०ग्रा०, बी० फेडरिन एच० सी० एल० 0.8 मि०ग्रा०, एमीनोफायलिन 21.4 मि०ग्रा०, टर्पीन हाइड्रेट 5.4 मि० ग्रा० सीरप वासक 0.81 मि० लि०, टोलु सीरप 0.08 मि० लि०. केल्शियम हाइपोफोसफाइट 136 मि०ग्रा०, अल्कोहल 4 प्रतिशत वी०/वी०।

(अशोक बायोफार्मा, कलकत्ता)

कम्पनी का नाम/प्रोडक्ट	संरचना
5. काफबिन सीरप (एम०/एस० ई० आई० पी० एल०)	अमोनियम क्लोराइड 50 मि० ग्रा०, टोलु सॉल 0.25 मि०ग्रा०, पोट गुआकाकोलसल्फेट नेट 90 मि० ग्रा०, केल्शियम हाइपोफोस 90 मि० ग्रा०, लिक्विड वसाका 0.7 मि० लि०, कोडीन फास 10 मि० ग्रा०, एथिल अल्कोहल 9.5% प्रत्येक 5 मि० लि० में
6. पावरिन टेबलेटस मैसर्ज आफरी मैनर्स	एसिटिल सेलिसिलिक एसिड 0·35 मि० ग्रा०, कैफीन एनहाइड्रो 65 मि०ग्रा०, पैरासिटामोल 65 मि० ग्रा०, सेलिसिलामाइड 65 मि० ग्राम, कोडीन फास 8.125 मि० ग्रा०
7. ग्लूकोनेट कफ मिक्सचर मैसर्ज ग्लूकोनेट	क्लोरफेनिरामाइन मेलीट 3 मि० ग्रा०, सोडियम सिट्रेट 150 मि० ग्रा०, ई-फेडरिन एच० सी० एल० 7 मि० ग्रा०, मेंथोल 1 मि० ग्रा०, कोडीन फॉस 5 मि०ग्रा०
8. कोडोमोलिनडोम टेबलेटस मैसर्ज इंडोन फार्मा	पैरासिटामोल 500 मि०ग्रा०, कोडीन सल्फ, 10 मि० ग्रा०
9. एक्सपिलोन सीरप, मैसर्ज खण्डेलवाल लेबोरटीज	ई-फेडरिन एच० सी० एल० 5 मि० ग्रा०, कोडीन फॉस 12 मि० ग्रा०, सोडियम सिट्रेट 50 मि० ग्रा०, क्लोर-फनिरामाइन मेलीट 2.5 मि० ग्रा०, मेंथोल 0·5 मि० ग्रा०
10. स्पेसमोडिन सीरप मैसर्ज पास्चुर लेबोरट्रीज	ई-फेडरिन एच० सी० एल० 11.4 मि० ग्रा०, कोडीन फॉस 5.7 मि० ग्रा०, टेरीन हाइड्रेट 5.7 मि० ग्रा०, पोट० गुआकोल सल्फोनेट 17 मि० ग्रा०, टोलुबलसम, 91.4 मि० ग्रा०, ग्लीसरीन 10 प्रतिशत वी०/वी० प्रत्येक 5 मि० लि० में।

कम्पनी का नाम/प्रोडक्ट	संरचना
11. कोसाका सीरप मैसर्ज रेलीज इंडिया (टी० सी० एफ०)	वसाका सीरप 0.5 मि० लि० इपिकाकुहा टिक 0.1 मि०लि०, पोट० गुआकोल सल्फोनेट 0.1 ग्राम, कोडीन फॉस 9 मि० ग्रा०, टर्पीन हाइड्रेट 10 मि० ग्रा०, मेंथोन 2 मि० ग्रा०, क्लोरफेनिरामाईन मेलीट 2 मि० ग्रा०, अल्कोहल 0.15 मि०लि०, प्रत्येक 5 मि० लि० में।
12. कोफ्कूर सीरप, कोडीन सहित मैसर्ज यूनिकेम लेबोरेटरीज	डाइफीन हाइड्रामाईन एच० सी० एल० 13.3 मि० ग्रा० मेंथोल 0.9 मि० ग्रा०, सोडिइम सिट्रेट 56.6 मि०ग्रा०, ए० क्यू० एक्स० वसाका (1 : 1) 0.625 मि०लि०, क्लोरोफार्म 0.022 मि०लि०, कोडीन फॉस 4.16 मि० ग्रा०।
13. केम्फो कोडी वसाका (कफ)	टर्पीन हाइड्रेट 6.65 मि०ग्रा०, केम्फोट 0.8375 मि० ग्रा० मेंथोन 0.8375 मि०ग्रा०, कोडीन फास 0.8375 मि० ग्रा० ई-फेडराइन एच० सी० एल० 1.675 मि० ग्रा०, सीरप टोलु 0.8375 मि० लि०, एक्स. आधा-टोडा वसाका 0.4125 मि० लि०, अल्कोहल कंटेट 2% वी० वी० प्रत्येक 5 मि० लि० में।

विवरण-दो

अन्य देशों में बेची जाने वाली औषधियों, जिसमें कोडिन होती है, की सूची
(कतिपय उदाहरण)

	संयोजक
1. एण्टीडायरहोएल्स :—	
1. डायरेस्ट	कोड़िन फोस, 5 मि० ग्रा०, डिसाइक्लोमाइन एच० सी० 1/2.5 मि० ग्रा०, पोटक्लोर 40 मि० ग्रा०, सोडियम क्लोर, 50 मि० ग्रा०, सोडियम साइट्रेट 50 मि० ग्रा०, प्रति 5 मि० लि० लिक्विड।
2. मेडेनबूटस	कोडिन फोस, 10 मि० ग्रा०, लाइट कोलिन 3 ग्रा० प्रति 10 मि० ली० संस्पेंशन।
2. माइगरेन	
3. माइगरेलब इन्टरनेशनल	पिन्क टेबल्टस बुक्लीजाइन हाइड्रोक्लोराइड 6.25 मि० ग्रा०, पैरासिटामोल 1/500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 0.8 मि० ग्रा०, डाकूसेट सोडियम 1/10 मि० ग्रा० यैलो टेबल्टस :—पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०,

	संयोजक
	कोडिन फोस 8 मि० ग्रा०, डाकूसेट सोडियम 20 मि० ग्रा० ।

3. एनलजोसिक एण्ड एंडीपायेरटिक्स विद एस्प्रिन एण्ड अदर सेलिसाइलाटोस :—

4. एन्टोइन कोक्स	एस्प्रिन 400 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 5 मि० ग्रा०, केफिन साइट्रेट 15 मि० ग्रा०, बिटोस्कोरड टेबलट्स
5. कोडिस	एस्प्रिन 500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा०, टेबलेट्स
6. हाइफन काल्मिक	एस्प्रिन 325 मि० ग्रा०, केफिन 10 मि०ग्रा०, कोडिन फोस 5 मि० ग्रा०, टेबलेट्स
7. मेडोकोडेनमिडो	पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा०, टेबलेट्स
8. मायोलजिन कोक्स	पैरासिटामोल 200 मि०ग्रा०, एस्प्रिन 200 मि०ग्रा०, कोडिन फोस 5 मि० ग्रा०, केफिन साइट्रेट 15 मि० ग्रा०, वाइट स्कोर टेबलेट्स
9. न्यूरोडायन रोरेड़	पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०, कोडिन कोफ 8 मि० ग्रा० केप्सूल
10. पनाडेइन विनथ्रोप	परासिटामोल 500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा० टेबलेट्स
11. पनाडेन फाइसन	पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा० टेबलेट्स
12. पराहाइपन काल्मिक	पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०, केफिन 10 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 5 मि० ग्रा०, स्कोर्ड टेबलेट्स
13. पार के बेलिन	पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा० टेबलेट्स
14. परातगिन रोटन	पैरासिटामोल 450 मि० ग्रा०, केफिन 20 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 6 मि० ग्रा० टेबलेट्स
15. पराउल मार्टिन डेल	पैरासिटामोल 400 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 9 मि० ग्रा०, केफिन हाइड्रेट 10 मि० ग्रा० टेबलेट्स
16. फार्मिडोन करमिटेलि	कोडिन फोस, 10 मि० ग्रा०, डायफेन हाइड्रेमाइन 5 मि० ग्रा०, परासिटामोल 400 मि० ग्रा०, केफिन 50 मि० ग्रा० टेबलेट्स
17. प्रोपेनल्युरफोल्ड	कोडिन फोस 10 मि० ग्रा०, डाईफेनहाइड्रेमाइन एम०

	संयोजक
	सी० एल० 5 मि०ग्रा०, पैरासिटामोल 400 मि०ग्रा०, केफिन 50 मि० ग्रा०, टेबलेट्स
18. सफापरियन पोफिजर	एस्प्रिन 300 मि० ग्रा० (इनसी-सी-करोर) पैरासिटामोल 250 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा०, टेबलेट्स
19. सोलपाडेन	पैरासिटामोल 500 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 8 मि० ग्रा० केफिन 30 मि०ग्रा०, इफेरवेसेन्ट टेबलेट्स
20. सिडोंल	परासिटामोल 1/450 मि० ग्रा०, कोडिन फोस 10 मि०ग्रा०, डोक्सीलेमिन सुक्कीनेर 5 मि० ग्रा०, केफिन 5 मि० ग्रा०, टेबलेट्स

4. एक्सपेक्टोरेन्टस, कफ सुपरेसेंन्टस, म्यूकोलाइटिक्स एण्ड डिकोनजेसेन्टम :—

21. बेनिलिन एक्सपेक्टोरेण्ट	डाइफेनडाइड्रेमाइन एम० सी० एल० 10 मि० ग्रा०, एमोनियम क्लो 135 मि० ग्रा०, सोडियम साइट्रेट 57 मि० ग्रा०, मेन्थोल 1.1 मि० ग्रा०/5 मि०लि० सिरप
22. डायमोटेनं एक्सपैक्टो रोबिन्स	ब्रोमफेनिरेमाइन मिलीपुर 2 मि० ग्रा०, गुआफेसिन 100 मि० ग्रा०, फेनिलफारन एच०सी० एल० 5 मि० ग्रा०, फेनिललैण्टो पेनोलामाइन, एच०सी०एल०5 मि० ग्रा०/ 5 मि० लि०

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शव-परीक्षा सुविधा

7037. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने वर्ष 1978 में स्वेच्छापूर्वक शव-परीक्षा करना आरम्भ किया था और अब उसने केवल चुनिन्दा मामलों में शव-परीक्षा आटोपसी करने का निर्णय किया तथा दिल्ली प्रशासन से कहा है कि वह दक्षिण दिल्ली के शव-परीक्षा सम्बन्धी मामलों को स्वयं देखें ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने इसके विकल्प के लिए उनके मन्त्रालय से अनुरोध किया है, ताकि दक्षिण दिल्ली के शव-परीक्षा के मामलों को दूर सब्जी मंडी स्थित शव-गृह में न ले जाना पड़े ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए अलग-अलग भवन तथा अधिक कर्मचारियों, इत्यादि की व्यवस्था करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संसाधनों में पूरी वृद्धि करके उससे इस कार्य को करते रहने का परामर्श देने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का दक्षिण दिल्ली के लोगों को किस प्रकार सुविधा सुनिश्चित करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (घ). इस तथ्य को

ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ष में की जाने वाली शव परीक्षाओं की कुल संख्या में वृद्धि हुई है और यह अब आरम्भ में की जाने वाली 500 शव परीक्षाओं से बढ़ कर 1700 से अधिक हो गई है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर पड़े कार्यभार को कम करने के लिए सफदरजंग अस्पताल अथवा दक्षिण दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में शव परीक्षा की सुविधाएं प्रदान करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यभार को कम करने के लिए सफदरजंग अस्पताल में शव परीक्षा सम्बन्धी कार्य शुरू करने की संभावना का पता लगा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कहा गया है कि वह उस संस्थान को भेजे गए सभी शवों का परीक्षण करना तब तक जारी रखे जब तक कि सफदरजंग अस्पताल में ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती और दोनों संस्थाओं के बीच शव परीक्षा के कार्य के यौक्तिक विभाजन का हिसाब नहीं लगाया जाता।

मिनी कम्प्यूटरों का कार्यकरण

7038. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 टर्मिनलों पर लगाए गए मिनी कम्प्यूटर रेलवे के बारे में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं ; और

(ख) क्या कम्प्यूटर की सहायता से आंकड़े किसी महीने से अगले महीने की 20 तारीख तक उपलब्ध हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। रेलों के कार्य संचालन के बारे में बुनियादी सांख्यिकीय आंकड़ों के संचयन और उनकी आसानी से पुन: प्राप्ति के लिए रेल विभाग में 16 टर्मिनलों वाले एक मिनी कम्प्यूटर की अक्तूबर, 1985 में स्थापना की गयी है। आवश्यकता पड़ने पर यह कम्प्यूटर आन-लाइन पर सूचना पुनः प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध सूचना साधन के रूप में कार्य करता है। इस कम्प्यूटर द्वारा आंकड़ों का बुनियादी संकलन नहीं किया जाता है जो फील्ड यूनिटों में किया जाता है।

(ख) प्रबन्ध सूचना के लिए मासिक सांख्यिकीय रिपोर्ट सर्वप्रथम सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलों और फील्ड यूनिटों द्वारा इकट्ठी की जाती हैं और संकलित की जाती हैं ये संकलित आंकड़े अगले महीने की 20 तारीख तक रेलवे बोर्ड को भेजे जाते हैं और तत्पश्चात इन आंकड़ों को कम्प्यूटर में भर लिया जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम का संचालन घाटा

7039. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम को विभिन्न डिपो से बस सेवा आरम्भ करने के स्थान तक खाली बसें चलाने से, बस यात्रियों द्वारा टिकटें न खरीदने के कारण राजस्व की हानि से और रियायती पास जारी करने से कितना औसत वार्षिक घाटा हुआ है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : डिपो से प्रारम्भिक स्थान और वापस डिपो तक बसों के खाली चलने के कारण होने वाले घाटे का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है क्योंकि बसों का यह आवागमन दिल्ली परिवहन निगम की अपरिहार्य प्रचालनात्मक अपेक्षाओं का एक अंग समझा जाता है। तथापि, इन मार्गों पर भी यात्रियों को बस में चढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

यात्रियों द्वारा टिकट न खरीदने से राजस्व की जो हानि होती है उसकी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

यह अनुमान है कि वर्ष 1985-86 के दौरान जारी किए गए विभिन्न प्रकार के पासों पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लगभग 10.12 करोड़ रु० की रियायत दी गई।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पुनपुन नदी पर पुल

7040. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने नवम्बर 1980 में बिहार राज्य लोक निर्माण विभाग के निर्माण आयुक्त को निदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पुन पुन नदी पर वर्ष 1966 में स्वीकृत मूल प्रारूप में परिवर्तन किए बिना पुल बनाया जाए ;

(ख) क्या उक्त निदेश के बाद मूल रूप से स्वीकार किए गए 20 लाख रुपये के टेंडर को बाद में अस्वीकृत कर दिया गया और 54 लाख रुपये का नया टेंडर स्वीकार किया गया और पुन पुन नदी पर प्रस्तावित पुल के केवल दो स्तम्भ बनाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों को पहले की तरह ही कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में यदि कोई जांच की जाती है तो इस जांच के बाद इस पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी अथवा उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। पुल के लिए पहुंच मार्ग के सम्बन्ध में 1966 में अनुमोदित नक्शे का अनुपालन किया जाना था।

(ख) प्रारम्भ में टेंडर मांगे जाने के दौरान जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन्हें पटना और मोकामह के बीच सड़क के नक्शे को अन्तिम रूप दिए जाने तक रोके रखा गया गया था। बाद में सड़क के उक्त नक्शे को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद नए टेंडर आमन्त्रित किए गए थे और टेंडर पर आधारित 53.50 लाख रुपए के संशोधित अनुमान को स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद काम शुरू किया गया था। जब पुल पर आंशिक कार्य अर्थात् दो खम्भों के आधार और एक पाये का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था कि ठेकेदार ने काम छोड़ दिया और इस तरह काम रुक गया। यातायात को चालू रखने के लिए मौजूदा पुल की मरम्मत की गई है।

(ग) शेष कार्य को पूरा करने के लिए उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। इस मामले की जांच कराने का प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

स्वतन्त्रता सेनानियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने के लिए निःशुल्क आल रूट पास

7041. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन ने दिल्ली में स्वतन्त्रता सेनानियों को यात्रा करने के लिए निःशुल्क "आल रूट पास" जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पास दिल्ली परिवहन निगम की केवल आर्डिनरी बसों में ही वैध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन पासों को डिलक्स बसों, प्वाइंट टू प्वाइंट, रेल स्पेशल और रात्रि बसों में भी वैध करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत का विलय

7042. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत का विलय करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस नए प्रस्ताव से क्या लाभ होगा ; और

(घ) इन एयरलाइनों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें किस प्रकार प्रभावित होंगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ). एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइन्स के साथ मिलाने के सुझाव की प्रारम्भिक जांच की जा रही है। कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।

एक बाल रोगी को फंगस से दूषित ग्लूकोज का चढ़ाया जाना

7043. **श्री मोहम्मद महफूज अली खान** :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री सुभाष यादव :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "फंगस फाउंड इन ग्लूकोज बाटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि फंगसयुक्त ग्लूकोज चढ़ाये जाने के कारण एक बच्चे की हालत बिगड़ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली में अन्य अस्पतालों से भी इसी प्रकार के मामलों का पता चला है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन के औषध निरीक्षकों द्वारा की गई

जांच से यह पता चला कि डाक्टर बी० एल० कपूर अस्पताल में बच्चे को कोई फंगस युक्त ग्लूकोज नहीं चढ़ाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर-हैदराबाद सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का सुधार

7044. **श्री टी० बाल गौड़ : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर से हैदराबाद के बीच कामारेड्डी से आदिलाबाद सेक्शन (200 किलोमीटर की दूरी) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 खराब हालत में है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को मालूम है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग में इस सेक्शन पर दैनिक यातायात में बहुत वृद्धि हुई है और सड़क की हालत खराब रहने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को विश्व बैंक के ऋण से मजबूत बनाया जा रहा है ;

(घ) इस राजमार्ग के उपर्युक्त सेक्शन का हाट मिक्स प्रक्रिया द्वारा कब तक सुधार करने का विचार है ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का कामरेड्डी-आदिलाबाद खण्ड यातायात के लिए ठीक है। देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह इस खण्ड पर भी यातायात में वृद्धि हुई है। सड़क की घटिया हालत के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। नागपुर-हैदराबाद खण्ड के 390 कि० मी० से 440 कि० मी० तक के 50 कि० मी० लम्बे खण्ड और हैदराबाद बंगलौर खण्ड के 22/0 से 120/0 कि० मी० तक के 98 कि० मी० लम्बे खण्ड को पहले विश्व बैंक ऋण सहायता स्कीम के तहत सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई थी। लेकिन अब इसे सामान्य योजना के तहत ही किए जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त हो गए हैं। मंजूरी दिए जाने के बाद यदि निधियों की उपलब्धता रही, तो इस कार्य के लगभग 4 वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

मंजूरी के लिए कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

7045. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य की उन बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं ;

(ख) मंजूरी के लिए ये सिंचाई परियोजनाएं कब से विचाराधीन हैं ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग). कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित

सिचाई परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग को भेजी हैं। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त होने के कारण ये परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं।

	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख
बृहद् स्कीमें		
1. भीमा लिफ्ट	45.75	19-12-1985
2. भीमा प्रवाह	43.49	1-10-1981
3. हिप्पार्गी	124.16	1-12-1985
4. कंरजिया	60.00	16-08-1983
5. अपर कृष्ण चरण दो	783.44	5-02-1982
मध्यम स्कीमें		
1. यागाची	35.30	15-03-1985
2. अर्कावथी	22.25	16-05-1985

कलाइकुण्डा रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की कमी

7046. **श्री नारायण चौबे :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में कलाइकुण्डा रेलवे स्टेशन पर रेल साइडिंग पर्याप्त शेड, रोशनी, पेय जल इत्यादि जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं और इस संबंध में अनेक बार अभ्यावेदन किए गए हैं ; और

(ख) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 में उक्त साइडिंग रेलवे को कितनी आय हुई है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जल प्रबन्ध में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी

7047. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जल प्रबन्ध में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) देश में जल प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने वाले कितने संस्थान हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(घ) ऐसे प्रत्येक संस्थानों में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रवेश दिया जाता है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ). जल प्रबन्ध में प्रशिक्षित कार्मिकों

की कमी के कारण, जल तथा भूमि प्रबन्ध संस्थान अब तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश नामक दस राज्यों में स्थापित किए गये हैं। महाराष्ट्र में यह संस्थान 1980 से कार्य कर रहा है। परन्तु अन्य संस्थान विकास के विभिन्न चरणों में हैं। विभिन्न संस्थानों में प्रवेश क्षमता अलग-अलग है तथा अधिकतम संख्या जल तथा भूमि प्रबन्ध संस्थान, महाराष्ट्र में है जो कि 625 हैं।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल का बंटवारा

7048. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा न्यायाधीकरण के पंचाट के अन्तर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के लिए कृष्णा नदी के जल का कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोटे के पुननिर्धारण हेतु जल के उपयोग और उपलब्धता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 के पश्चात् इसकी पुनरीक्षा की जानी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी के जल के उपयोग के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं तथा राज्य-वार कितनि प्रस्ताव लम्बित हैं ; और

(ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकरण के आदेश की पुनरीक्षा 31 मई, 2000 के पश्चात् की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र की 26 स्कीमों, कर्नाटक 12 स्कीमों तथा आंध्र प्रदेश की एक स्कीम को स्वीकृति दी जा चुकी है। 1981 तथा उसके पश्चात् महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई 6 परियोजनाओं और कर्नाटक सरकार द्वारा भेजी गई 4 परियोजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी 1983 और उसके बाद 4 परियोजनाएं भेजी हैं किन्तु उनसे सम्बद्ध अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल किया जाना है।

नकली औषधियों के सेवन से अन्धापन और अंगघात

7049. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ देशों और भारत में भी नकली औषधियों के सेवन से अन्धा होने और अंगघात के कुछ मामलों की जानकारी मिली है ;

(ख) क्या हमारे देश में हाइड्रोक्सी क्विनालीन वर्ग के मिश्रण पर प्रतिबन्ध है परन्तु इसकी अभी भी बिक्री हो रही है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) भारत में उपलब्ध सूचना के अनुसार क्लियोक्विनाल औषधियों के सेवन से अन्धेपन तथा लकवा होने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

वैसे आयुर्विज्ञान सम्बन्धी पत्रिकाओं में पहले कुछ रिपोर्टें छपी थीं कि आयोडोक्लोरो हाईड्राक्सीक्विनोलिन (क्विनआयोडोक्लर क्लियोकिनाल) तथा ब्रोमोहाईड्रोक्सीक्वीनोलिन (ब्रोक्सीक्विनोलिन) के इस्तेमाल से जापान में इक्का-दुक्का मामलों में परिसरीय तान्त्रिकाशोध तथा दृष्टि-तन्त्रिकाओं को नुकसान हुआ है। इस आशय की रिपोर्ट मिलने के बाद-क्लियोकिलान न्यूरोलाजीकल सिड्रोम, जो सब-एक्यूट माइलोआप्टिक न्यूरोपैथी के रूप में जाना जाता है, हो सकता है, जापान के बाजारों से क्लियोकिनाल योग वापिस उठा लिए गए थे।

(ख) और (ग). देश में हाईड्रोक्सीक्विनोलीन वर्ग के मिश्रणों के प्रयोग पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वैसे, सरकार ने अतिसार एवं पेचिश तथा बाह्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले योगों को छोड़कर हाईड्रोक्सीक्विनोलीन के निर्धारित मात्रा वाले मिश्रण बनाने तथा उनको बेचने पर रोक लगा रखी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की देख-रेख में फाइलेरियासिस रोग को नियन्त्रित करने के लिए डाइल्ड्रिन आदि का छिड़काव

705'. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में डाइल्ड्रिन लार्वानाशी के छिड़काव और बड़े पैमाने पर डी० ई० सी० का प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो देश में अब तक फाइलेरियासिस रोग को कम करने में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में डी० ई० सी० कार्यक्रम के मूल्यांकन पर निगरानी रख रहा है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर डी० ई० सी० कार्यक्रम के मूल्यांकन में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन किया जाता है।

गम्भीर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का रेलवे अस्पताल द्वारा उचित इलाज न किया जाना

7051. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** :

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गम्भीर दुर्घटना के शिकार एक व्यक्ति का रेलवे अस्पताल, नयी दिल्ली में इलाज नहीं किया गया, जैसा कि 26 मार्च, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना किसी भेद-भाव के सभी आपात मामलों को भर्ती करने के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में रेलवे कर्मचारियों की आपात मामलों में भर्ती करने

से इनकार किया जाता है और यदि हां, तो दुर्घटना के शिकार उक्त व्यक्ति को क्यों नहीं भर्ती किया गया ; और

(घ) क्या रेलने द्वारा उक्त दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिवार को उपयुक्त मुआवजा दिया जायेगा ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग). सम्भवतः इसका सम्बन्ध दुर्घटना के शिकार उस व्यक्ति के मामले से है जिसके सिर में चोट लगी थी और जिसे तिपहिया स्कूटर में उत्तर रेलवे के सेंट्रल हास्पिटल में लाया गया था। इस घायल व्यक्ति की उस समय ड्यूटी पर मौजूद आपत्कालिक डाक्टरों और बुलाये गए शल्यचिकित्सक दोनों के द्वारा तत्काल इलाज किया गया था। चूंकि सिर की चोट के निदान के लिए 'कैट-स्केन' जांच और सम्भव अन्तः कपालीय आपरेटिव उपचार द्वारा न्यूरो-सर्जिकल आंकन करने की तत्काल आवश्यकता थी इसलिए रोगी को सलाह दी गयी थी कि यह उसके हित में है कि वह आवश्यक 'कैट-स्केन' जांच के लिए तत्काल डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चला जाये क्योंकि उत्तर रेलवे के सेंट्रल हास्पिटल में 'कैट-स्कैन' जांच की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। मेडिकल प्रोफ़ेसन और मेडिकल प्रैक्टीशनरों के दायित्व के रूप में ऐसे सभी आपातिक मामलों की, चाहे वे रेलवे से सम्बन्धित हों या न हों, बिना किसी भेदभाव के रेलवे अस्पताल में भर्ती की जाती है। ऐसी विशिष्ट जांच प्रक्रिया अथवा उपचार के जो रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, जरूरतमंद रेल कर्मचारियों को भी अन्य अस्पतालों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा जाता है जो ऐसी सुविधाओं से सज्जित हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव

7052. **श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की डिपो फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है ;

(ख) क्या इंजेक्शनों के द्वारा/आधान किये जाने वाले योग्य द्रवों के उत्पादन का कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है और यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दी जायेगी ; और

(ग) इसके विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण हेतु प्राप्त की जाने वाली नई मशीनों का ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए "कैडमैक डबल रोटेरी मशीन" और "कालिऔड मिल"

7053. **श्री एम० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए एक "कैडमैक डबल रोटरी टेबलेट

मशीन और कोलिभ्रांड मिल" प्राप्त करने का जो विचार था उन्हें अब प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस डिपो फैक्ट्री के लिए इन मदों को खरीदने में क्या रुकावट है ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कौन-कौन सी मशीनें खरीदने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) धन की कमी की वजह से इन दो मशीनों को खरीदना सम्भव नहीं है।

(ग) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए कोई भी अन्य मशीनें खरीदने का प्रस्ताव नहीं है।

जैव प्रयोगशाला तथा पशुगृह का सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के साथ विलय करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

7054. **श्री एस० महालिंगम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को जैव प्रयोगशाला और पशु गृह का सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के साथ आर्थिक कारणों से विलय करने के बारे में सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के मान्यता प्राप्त मजदूर संघों से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के आन्तरिक कार्य अध्ययन यूनिट ने अपनी हाल की रिपोर्ट में सरकार के अलाभकर जैव प्रयोगशाला को बन्द करने की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं। यह प्रस्ताव केवल बायोलाजिकल विंग को बन्द करने तथा मेडिकल विंग को गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में स्थानांतरित करने के बारे में है।

(ख) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या में वृद्धि

7055. **श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली परिवहन निगम की बसों की वर्तमान संख्या में 300 बसों की वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 अतिरिक्त बसें प्रर्याप्त होंगी ; और

(ग) यदि नहीं, इस बारे में क्या औपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम का वर्ष 1986-87 के दौरान पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने की शर्त पर 643 बसें (36 बसें

पुरानी बसों के बदले और 607 नई बसें) खरीदने का प्रस्ताव है। पहले से आबंटित की गई निधि 460 बसें खरीदने के लिए पर्याप्त होगी।

(ख) और (ग). 1985-86 में खरीदी गई 202 चेसिसों पर इस समय बांडी बिल्डिंग का काम चल रहा है और मई, 1986 के अन्त तक ये निगम के बस-बड़े में शामिल हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्राइवेट आपरेटरों की 100 बसों को बहुत जल्द निगम के बस-बेड़े में लगाने का प्रस्ताव है। इन बसों के निगम के मौजूदा बेड़े में शामिल हो जाने से दिल्ली की आबादी का तात्कालिक यात्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएंगी। भविष्य में यात्रा सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने दिल्ली सहित अन्य महानगरों के लिए वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों का सुझाव देने के वास्ते एक कार्य दल का गठन किया है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर होम-गार्ड तैनात किये जाना

7056. **श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए 1 अप्रैल, 1986 से डी० टी० सी० बस स्टापों पर होम गार्डों को तैनात करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन होम गार्डों के कर्तव्य तथा शक्तियां क्या हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां। दिल्ली परिवहन निगम ने प्रोद्योगिक आधार पर 1 अप्रैल, 1986 से एक माह के लिए 509 होमगार्डों को लगाया है। उन्हें महानगर के प्रचालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बस स्टापों पर तैनात किया गया है।

(ख) होमगार्ड, यात्रियों को नियमित रूप से पंक्ति बनाने की आदत डलवाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बस स्टापों पर सही ढंग से बसें खड़ी हों, जिम्मेदार होंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यात्री सुरक्षित ढंग से बसों पर चढ़े/बसों मे उतरें। होमगार्ड के इन जवानों को दिल्ली परियहन निगम के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध शक्तियों से भिन्न किसी प्रकार की विशिष्ट शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है।

[अनुवाद]

आल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली द्वारा दिया गया ज्ञापन

7057. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली ने मार्च, 1986 में सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें अन्य बातों के अलावा डीजल का मूल्य कम करने, राज्यों की सीमाओं पर से चौकियां समाप्त करने में ट्रकों/बसों पर उत्पाद शुल्क कम करने, ट्रकों और बसों की बाडी पर उत्पाद शुल्क वापस लेने, सत्यपाल समिति के प्रतिदिन में की गई सिफारिशों और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो की गई मांगों का ब्योरा क्या-क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) किस संभावित तिथि तक कार्रवाई करने का विचार है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापनों में जो मांगें रखी गई, वे हैं— दो महीने में सभी

राज्यों में चुंगी समाप्त करना, डीजल की कीमत 30 प्रतिशत कम करना, पूरे देश में डीजल की समान कीमत, मौजूदा सभी राजमार्गों की सड़क सतहों में सुधार का काम सातवीं योजना अवधि के मध्य तक पूरा हो जाना, ट्रक/बस पर उत्पाद शुल्क में 10 प्रतिशत कटौती, ट्रकों और बसों की बाडियों पर उत्पाद शुल्क वापस लेना, लागत आधार पर वाहन की कीमत को युक्तिसंगत बनाना, टायरों, नियमों और विनियमों में एकरूपता, सड़क परिवहन के सम्बन्ध में कराधान कानून, राष्ट्रीय परमिटों पर संयुक्त शुल्क में कटौती, सड़क परिवहन से जो सड़क ट्रांसपोर्टर नहीं जुड़े हैं, उनको उत्तर प्रदेश में बगैर बेबाकी वाले ट्रांजिट पासों पर शुल्क वसूलने की पद्धति बन्द करने के बारे में सत्यपाल समिति रिपोर्ट तथा औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों को तत्काल कियान्वित करना, ट्रांसपोर्ट नगरों में पट्टे के आधार पर भूमि देना, वाहन खरीदने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता तथा बीमा पालिसी को व्यापक क्षेत्र में लागू करना। बड़ी संख्या में जो ये मांगें रखी गई हैं, वे केन्द्र और राज्य सरकारों के भिन्न-भिन्न विभागों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्हें इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र लिख दिए गए हैं।

विमान पत्तनों का दर्जा बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाना

7058. **श्री अनादिचरण दास : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्तमान विमान पत्तनों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन बनाने की सिफारिश करने सम्बन्धी विवरण पर विचार करने के लिए एक पृथक निकाय गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान पत्तनों का दर्जा बढ़ाने/चयन करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक उड़ीसा आते हैं, भुवनेश्वर विमान पत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन बनाने पर विचार किया जा रहा है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). यद्यपि इस प्रकार की किसी निकाय की स्थापना नहीं की गयी थी लेकिन बम्बई हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से इस प्रश्न की जांच करने के लिए जनवरी, 1985 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर और बाद में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए यातायात सर्वेक्षण के आधार पर, यह विचार किया गया कि कुछ अधिक हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने से बम्बई हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने में सहायता मिलेगी।

(ग) फिलहाल, सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मेहसाना रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के उत्तर की ओर निचली रेलवे लाइनों का निर्माण

7059. **डा० ए० के० पटेल : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में मेहसाना रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर निचली रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था ;

(ख) क्या इस निचली रेलवे लाइन के संकरे मार्ग पर गोपी सिनेमा के निकट भामरिया नौका पर इस बीच सड़क यातायात कई गुना बढ़ गया है जिसके कारण आजकल दुर्घटनायें होती रहती हैं ;

(ग) क्या गुजरात के संसद सदस्यों और विधायकों की ओर से इस निचली रेलवे लाइन के

मार्ग को चौड़ा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था ताकि यातायात का सुगम और सुरक्षित आवागमन हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) मेहसाणा स्टेशन के उत्तर में रेलपथ के नीचे मौजूदा पुल से हल्के वाहन यातायात की गुजरने की अनुमति वर्ष, 1944 में दी गयी थी।

(ख) जब रेल पुल से यातायात गुजरने की अनुमति दी गयी थी, सड़क यातायात में वृद्धि हो गयी है। सड़क दुर्घटनाओं का मामला राज्य सरकार/स्थानीय सड़क प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

(ग) और (घ). मौजूदा पुल को चौड़ा करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु तकनीकी दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के जनरल सेल्स एजेन्ट

7060. **श्री साइमन तिग्गा : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के जनरल सेल्स एजेन्टों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में जनरल सेल्स एजेन्टों के माध्यम से प्रति वर्ष किए गए कारोबार का ब्यौरा क्या है और उन्हें कमीशन के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) क्या निकट भविष्य में और अधिक जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जबकि इंडियन एयरलाइन्स के भारत में कोई सामान्य विक्रय एजेन्ट नहीं है, परंतु एयर इंडिया के इंडियन एयरलाइंस, जनता ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और आर्य ट्रैवल्स नामक तीन सामान्य विक्रय एजेन्ट हैं। जिन क्षेत्रों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सूचना एकित्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स का प्रतिनिधित्व सभी यात्री और माल प्रजननित क्षेत्रों पर उसके अपने स्वयं के कार्यालयों अथवा यात्री/माल विक्रय एजेन्टों के द्वारा भलीं-भांति हो रहा है। वर्तमान सामान्य विक्रय एजेंट पर्याप्त रूप से देश में एयर इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विवरण

वे क्षेत्र जिनका तीनों सामान्य विक्रय एजेन्ट प्रतिनिधित्व करते हैं

(1) **इंडियन एयरलाइन्स** : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, केरल, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगलौर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद,

	पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश नागालैण्ड और त्रिपुरा के शहरों को छोड़कर, भारत।
(2) **जनता ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड :**	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, हरियाणा, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और राजस्थान।
(3) **आर्य ट्रैवल्स :**	बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता महानगर को छोड़कर) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा।

"अरोबिले" का प्रबन्ध

7061. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री अरविन्द सोसाइटी ने सरकारी प्रबन्ध के विकल्प के रूप में अरोविले का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार अरोबिले के प्रबन्ध के लिए एक व्यवहारिक प्रस्ताव पर विचार करेगी क्योंकि सरकार की इच्छा प्रबन्ध में केवल थोड़े ही समय के लिए रहने की थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) एक सामान्य सुझाव प्राप्त हो गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इसका स्थाई समाधान तैयार करते समय विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को स्वीकृत की गई अतिरिक्त धनराशि

7062. **श्री सोडे रमैया :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को सामान्य बजट आवंटन के अतिरिक्त 108 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त आवंटन राशि को किन-किन मदों पर खर्च किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान शिक्षा विभाग को 110.07 करोड़ रुपए का प्रतिपूरक अनुदान प्राप्त हुआ था। इस राशि में 108 करोड़ रुपए का आवंटन भी शामिल है, जो वर्ष 1985-86 के बजट में कुछ योजनागत योजनाओं के लिए किए गए योजनागत प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्राप्त किया गया था।

(ख) 108.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान किए गए व्यय सहित 108 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का कार्यक्रम/योजना-वार ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	कार्यक्रम/योजना	अतिरिक्त बजट आवंटन	अतिरिक्त आवंटन में से वर्ष 1985-86 के दौरान किया गया व्यय
स्कूल शिक्षा			
1.	गैर औपचारिक शिक्षा	21.53	2.65
2.	माडल स्कूल	25.58	1.23
3.	शिक्षक प्रशिक्षण	3.41	1.90
प्रौढ़ शिक्षा			
4.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	11.00	0.84
5.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	4.00	3.23
6.	साक्षरता के लिए जन अभियान	9.00	—
विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा			
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं	6.00	3.88
तकनीकी शिक्षा			
8.	सामुदायिक पालिटेक्नीक	9.00	8.75
9.	अप्रचलित प्रथाओं को समाप्त करना	12.00	12.00
10.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों, भारतीय प्रबन्ध संस्थानों के लिए	3.40	3.40
11.	भाषा विकास	2.17	—
12.	छात्रवृत्तियां	0.91	—
	कुल :	108.00	37.88

टिप्पणी—ऊपर निर्दिष्ट व्यय के आंकड़े अस्थायी हैं। इनमें वर्ष 1985-86 के अन्तिम लेखे प्राप्त होने पर थोड़ी भिन्नता हो सकती है।

आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव

7063. श्री सी० सम्बु : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठन माध्यम से प्रकाशम जिले के चुरिडा में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में कुल कितने समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में ऐसी कितनी परियोजनाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों सम्बन्धी कल्याण संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की गई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में इस समय निम्नलिखित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं हैं :—

(1) **गुंटूर जिला**

(1) गुंटूर टाऊन (शहरी)

(2) मचरला (ग्रामीण)

(3) पल्लापटला (ग्रामीण)

(2) **प्रकाशम जिला**

(1) यरंगगोंडापल्लम (ग्रामीण)

(2) ओंगोल टाऊन (शहरी)

(3) वेटापल्लम (ग्रामीण)

(4) उल्वपुंड (ग्रामीण)

(5) कानीगिरी (ग्रामीण)

राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती है। कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य स्वयंसेवी संगठनों को सौंपा जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उपरोक्त किसी समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का कार्यान्वयन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए किसी संगठन को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

सोवियत रूस के साथ सांस्कृतिक करार

7064. **सरदार त्रिलोचन सिंह तुर :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और सोवियत रूस ने किसी सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) क्या इस करार के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सोवियत रूस में आयोजित भारतीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले भारतीय शिष्ट मण्डल को वैसी ही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो सोवियत रूस के शिष्ट मण्डल को भारत में उपलब्ध होंगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सोवियत रूस में भारतोत्सव और भारत में सोवियत रूस का उत्सव आयोजित करने के लिए अभी हाल ही में भारत और सोवियत रूस के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

[अनुवाद]

नमक, कोयला और उर्वरकों के लाने ले जाने के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान गुजरात को वैगनों का आवंटन

7065. **श्री सी० डी० पटेल** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कृषि और उद्योग की अविलम्ब आवश्यकता पूरी करने के लिए 'लिंकेज' के अनुसार लदान करने और अहमदाबाद तथा उकई के दो बिजली घरों के लिए 'लिंकेज' में 30,000 मीट्रिक टन तक की वृद्धि करने हेतु रेलवे विभाग से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि गुजरात में बिजली घरों को कोयले का लदान सहबद्ध क्षेत्रों, विशेष रूप से भूमिगत खानों से किया जाये ताकि बेहतर किस्म का कोयला मिलना सुनिश्चित हो सके ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य में कोयला वैगनों के आबंटन में अत्यधिक कमी किए जाने के कारण विभिन्न उद्योगों में व्यापक उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है ;

(घ) वर्ष 1985 तथा 1986 में राज्य की वैगनों की आवश्यकता की तुलना में विभिन्न किस्म के कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों का स्वीकृत आबंटन कितना था ;

(ङ) नमक और उर्वरकों के लदान के लिए रेलवे में कितने पंजीकरण लम्बित पड़े हुए हैं ; और

(च) इस संकट को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार का तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। अनुबन्ध कम्पनियों द्वारा की गयी कोयले की पेशकश के अनुसार लदान किया जा रहा है। स्थायी अनुबन्ध समिति द्वारा अहमदाबाद और उकई ताप बिजली घरों के अनुबन्ध [illegible]र जनवरी 1986 से क्रमशः प्रतिमास 20,000 टन और 40,000 टन कर दिए गए हैं।

(ख) बिजली घरों के लिए कोयले का लदान कोयला कम्पनियों द्वारा की गयी पेशकश के अनुसार सम्बद्ध स्रोतों से किया जाता है।

(ग) रेलों ने 1984-85 में ढोये गये 91.58 मिलियन टन की तुलना में 1985-86 में 100.68 मिलियन टन (अनंतिम) राजस्व उपार्जक कोयले की ढुलाई की है जो लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। रेलों को कोयले के माल डिब्बों के आवंटन में इस समग्र वृद्धि के भीतर बिजली घरों को

अधिक कोयले का लदान करने के निदेश दिये गए थे। तथापि, भाप कोयले की उपलब्धता मांग से कम है।

(घ) गुजरात के लिए 1985 और 1986 में भिन्न-भिन्न किस्म के कोयले की निर्धारित अधिकतम मसीमा नीचे दी है :—

(प्रतिमास माल डिब्बों में)

कोयले की किस्म	1985	1986
भाप	3175	2875
स्लैक	260	285
साफ्ट कोक	225	150
हार्ड कोक	275	275
कोक फैकशन	400	510

(ङ) रेलों ने 1985 में 13.54 मिलियन टन उर्वरक की ढुलाई की जबकि लक्ष्य 10.50 मिलियन टन का था रेल द्वारा उर्वरक के संचलन की व्यवस्था कार्यक्रमबद्ध आधार पर की जाती है, जिसकी 1985-86 में न केवल पूर्ति की गयी बल्कि उसमें वृद्धि हुई। पश्चिम रेलवे पर नमक लदान वाले स्टेशन अधिकांशतः गुजरात में स्थित हैं। पश्चिम रेलवे पर नमक की ढुलाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो 1983-84 में 1.66 मिलियन टन से बढ़कर 1984-85 में 1.95 मिलियन टन और 1985-86 में और बढ़कर 2.12 मिलियन टन हो गयीं। फिर भी 31-3-1986 को पश्चिम रेलवे पर 37800 माल डिब्बों के लिए मांग-पत्र बकाया थे। इनमें से 17600 मांग पर केवल राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश के लिए हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए मांग के सन्तुलित वितरण से समग्र संचलन में मदद मिलेगी।

(च) रेलों ने 1985-86 में 250.00 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 257.65 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई की है। इस प्रकार वास्तविक संचलन सरकार द्वारा रेलों के लिए निर्धारित लक्ष्य से बेहतर रहा।

वायुदूत सेवा से जुड़े हवाई अड्डे

7066. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय वायुदूत सेवा द्वारा किन-किन स्थानों को जोड़ा गया है तथा इन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : विभिन्न राज्यों में वायुदूत द्वारा विमान सेवाओं से जोड़े जाने वाले स्टेशनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	स्टेशन
1. असम	—गुवाहाटी, सिलचर, लीलाबाड़ी, डिब्रुगढ़
2. आन्ध्र प्रदेश	—हैदराबाद, राजामुंदरी, कुडापा, तिरूपति, वारंगल, विशाखापतनम्

राज्य	स्टेशन
3. बिहार	—जमशेदपुर, रांची, पटना
4. गुजरात	—कांडला, सूरत, भावनगर
5. हरियाणा	—हिसार
6. हिमाचल प्रदेश	—कुल्लु
7. कर्नाटक	—मैसूर, बंगलौर, बेलारी
8. मध्य प्रदेश	— गुना, ग्वालियर, इंदौर
9. महाराष्ट्र	—बम्बई, पुना, रत्नागिरि, औरंगाबाद, नान्देड
10. मेघालय	—शिलांग
11. उड़ीसा	— राऊरकेला, भुवनेश्वर
12. पंजाब	—लुधियाना
13. राजस्थान	—कोटा, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर
14. उत्तर प्रदेश	—देहरादून, पन्तनगर, कानपुर, राय बरेली, आगरा, इलाहाबाद
15. पश्चिम बंगाल	— कलकत्ता, कूच बिहार
संघ शासित क्षेत्र	
1. अरुणाचल प्रदेश	—जेरो, पासीघाट
2. चंडीगढ़	—चंडीगढ़
3. दिल्ली	—दिल्ली
4. मिजोरम	—एजवाल

स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

7067. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का मुख्य ब्योरा क्या है और इस योजना को कब से कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह योजना ग्रामीणों के हित में है क्योंकि वहां खेलकूद का विकास उपेक्षित स्थिति में है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना जिस पर कार्यान्वियन के लिए पहले ही कार्यवाही की जा रही है उसमें फुटबाल जहां टूर्नामैंट केवल लड़कों के लिए होंगे, को छोड़कर, अलग-अलग से लड़के और लड़कियों के लिए एथलेटिक्स, हाकी, फुटबाल, बास्केटबाल और वालीबाल में हुए जिला स्तरीय टूर्नामैंट में प्रत्येक विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्कूल को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ). योजना ग्रामीण स्कूलों को, अपने क्षेत्राधिकार से कुछ स्कूलों की श्रेणियों को छोड़कर जिन्हें ऐसे ग्रामीण स्कूलों के मुकाबले में सहज लाभ प्राप्त हैं, उपयुक्त अवसर प्रदान करती है।

खाड़ी के देशों के यात्रियों से एयर इण्डिया को आय

7068. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व और लाभ का एक बड़ा भाग खाड़ी देशों के यात्रियों से अर्जित किया जाता है ;

(ख) एयर इण्डिया को 1985-86 के दौरान खाड़ी देशों के यात्रियों तथा अन्य देशों के यात्रियों से क्रमशः कितनी आय होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार को खाड़ी देशों से आने वाले/खाड़ी के देशों को जाने वाले भारतीय यात्रियों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें एयर इण्डिया की उड़ानों में पर्याप्त सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान अनुसूचित सेवाओं पर खाड़ी मार्गों से अनुमानित राजस्व 317.77 करोड़ रुपए और अन्य मार्गों से 464.8 करोड़ रुपए हुआ है।

(ग) जब कभी भी एयर इण्डिया के विमानों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उपचारी कार्रवाई की जाती है।

गुजरात से नमक की ढुलाई के लिए वैगनों का आबंटन

7069. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात से नमक की ढुलाई के लिए आबंटित किए गए वैगन आवश्यकता से बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में आबंटित किए गए वैगनों का ब्यौरा क्या है और मांग पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनवरी से मार्च, 1986 तक तीन महीनों के दौरान बड़ी लाइन के 14562 और मीटर लाइन के 10356 माल डिब्बे नमक से लादे गए थे जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक थी। विभिन्न राज्यों की मांगे कार्यक्रमानुसार सामान्यतः पूरी की जा रही हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं के लिए पदों का आरक्षण

7070. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्तर तक बच्चों की शिक्षा देने के लिए अध्यापिकाएं अधिक उपयुक्त पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समूचे भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति करना उचित समझेगी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न को राज्यों के साथ उठाया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). यह महसूस किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति दाखिला बढ़ाने, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर और छात्राओं में निश्चलता की स्थिति को कम करने में सहायक होगी। तथापि, प्राथमिक कक्षाओं के लिए महिला शिक्षकों के लिए पदों के आरक्षण की स्पष्ट रूप से सिफारिश नहीं की जा सकती है। कानूनी और प्रशासनिक जैसे अन्य कारणों के अलावा महिला शिक्षक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संख्या में तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में राष्ट्रीय पैनल की सिफारिशें

7071. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा हाल ही में की गई प्रत्येक सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-I तथा II की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है।

नई औषधों की बिक्री की अनुमति की प्रक्रिया

7072. **श्री विष्णु मोदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 30क में दी गई परिभाषा के अनुसार नये रासायनिक उत्पाद, कोई औषध जिसे कुछ विशिष्ट लक्षणों के लिए उपयोग करने की मंजूरी दी गई है और जिसे अन्य लक्षणों के लिए प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है, तथा दो या अधिक ऐसी औषधों को मिला कर जिन्हें अलग-अलग प्रयोग करने की मंजूरी दी गई हो एक निर्धारित खुराक के बनाए गए प्रस्तावित फार्मूलेशन इन सभी को नई औषधि माना गया है ;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित नयी औषधों की परिभाषा के अनुसार देश में उनकी बिक्री की अनुमति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्धारित प्रक्रिया की आलोचना करके कुल मामलों में अनुमति दी गई ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 30क के अधीन की गई व्याख्या में यद्यपि "नई औषधि" बनाने की विभिन्न सम्भावनाओं का उल्लेख मिलता है, फिर भी "नई औषधि शुरू करने सम्बन्धी दिशा निर्देशों में इस बात का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि नई औषधियां कौन सी है" अर्थात् (1) एक नई

कैमिकल एंटिटी (एन० सी० ई०) (2) जिसे किसी खास रोग लक्षण के लिए किसी खास तरीके से तथा किसी खास औषधि विधान के लिए स्वीकृत किया गया है लेकिन जिसे अब किसी अन्य रोग लक्षण के लिए किसी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य औषध विधान के लिए इस्तेमाल करने का विचार है ; (3) दो अथवा उससे अधिक औषधियों का मिश्रण जिन्हें यद्यपि अकेले-अकेले देने के लिए मंजूर किया गया हो, लेकिन जिन्हें पहली बार एक नियत खुराक वाले फार्मुलेशन में मिश्रित करने का विचार हो। इन दिशानिर्देशों में नई औषधि मोलेक्यूल की सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रक्रिया और आंकड़े दिए गए हैं जिनमें अन्य अपेक्षाएं भी शामिल हैं यथा नयी औषधियों पर भारत में क्लीनिक परीक्षण करने और देश में बेचने की मंजूरी देने से पहले उन औषधियों का दूसरे देशों में क्या स्टेटस था।

(ग) और (घ). औषधियों का निर्माण तथा बिक्री करने के लिए लाइसेंस राज्य औषध नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। इस मन्त्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उक्त प्राधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित कुछ निश्चित प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हुए कुछ मामलों में अनुमतियां दी गई थीं।

विमान यात्रियों को "बोर्डिंग पास" जारी करने का प्रस्ताव

7073. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिन की उड़ानों पर जाने वाले यात्रियों को हवाई टिकट जारी करते समय "बोर्डिंग पास" देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि हवाई यात्रा से पहले जारी किए जाने वाले बोर्डिंग पासों का किसी आवांछित व्यक्ति द्वारा किसी दुष्प्रयोजन हेतु प्रयोग न हो ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने सम्बन्धी कार्यविधियां तैयार की जा रही हैं।

कलकत्ता-काठमांडू उड़ान की दुर्घटना के सम्बन्ध में की गई जांच के निष्कर्ष

7074. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 में कलकत्ता-काठमांडू उड़ान के दौरान बोइंग 737 विमान की दुर्घटना के सम्बन्ध में नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा की गई अदालती जांच के निष्कर्ष प्राप्त हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) सम्बन्धित विमानचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा

7075. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेष रूप से जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रों द्वारा अब तक की गई प्रगति से सन्तुष्ट है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है और उन्हें और अधिक कारगर बनाने के लिए कुछ नये निर्देश जारी किए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कामकाज की समीक्षा आवधिक रिपोर्टों, क्षेत्रीय दौरों और अध्ययनों के माध्यम से निरन्तर की जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में सुदृढ़ केन्द्रीय संस्थान के रूप में उभरे हैं। इस आधारभूत ढांचे ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में जो प्रमुख कारण बाधक रहे हैं वे हैं :—पूरे स्टाक का तैनात न होना, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, परिवहन का अभाव, स्वास्थ्य कर्मचारियों का व्यवहार सहानुभूति पूर्ण न होना, प्रेरणा कार्य कम होना, अनेक मामलों में केन्द्रों की मात्र दूरी आदि।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कारगर संस्थाएं बनाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे हैं :—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए जनसंख्या कवरेज, कम करना, साल की योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए धन के आबंटन में वृद्धि करना, आठवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों के लिए आवास, मकान किराया भत्ता और ग्रामीण भत्ता देने की विशेष व्यवस्था करना, चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों आदि का प्रशिक्षण।

खाड़ी के देशों में जाने वाली उड़ान में घटिया किस्म के खाने की सप्लाई

7076. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और खाड़ी के देशों के बीच विमान यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों से एयर इंडिया की उड़ानों में उन्हें सप्लाई किए गए खाद्य की किस्म के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों में खानपान की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार को खाड़ी देशों से और खाड़ी देशों को यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों से भोजन की किस्म के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, खाड़ी स्टेशनों पर तैनात एयर इण्डिया के भारतीय मूल के अधिकारियों द्वारा भोजन के किस्म का पर्यवेक्षण किया जाता है। एयर इण्डिया के मुख्यालयों से भेजे गए वरिष्ठ खान-पान अधिकारियों द्वारा सावधिक जांच भी की जाती हैं।

खाड़ी के देशों में जाने वाली एयर इण्डिया की उड़ानों में खान-पान सेवा के कर्मचारियों की अनुपलब्धता

7077. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरजाह, आबू धाबी, बहरीन और जेद्दा जैसे अनेक स्थानों पर एयर इण्डिया में खानपान सेवा के कर्मचारी नहीं होते यद्यपि इन जगहों पर भारतीय उड़ानों में खाना लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर एयर इण्डिया की उड़ानों में खाद्य सप्लाई करने की जिम्मेदारी भारतीय नागरिकों को दी गई है अथवा विदेशियों को दी गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एयर इण्डिया के शारजाह, आबू-धाबी, बहरीन में कोई खान-पान कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। इन स्टेशनों पर पर्यवेक्षण का कार्य भारतीय बेस के एयर इण्डिया के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है और जो नियमित रूप से उड़ानों की देख रेख और पर्यवेक्षण करते हैं। एयर इंडिया के वरिष्ठ खान-पान अधिकारियों को सावधिक जांच के लिए इन स्टेशनों पर भेजा जाता है। जेद्दाह अब आगे ऐसा कोई प्रमुख स्टेशन नहीं रहा है जहां से भोजन विमान में पहुंचाया जा सके।

(ख) सम्बन्धित विमान क्षेत्रों पर भोजन की आपूर्ति स्थानीय खान-पान प्रबन्धकों द्वारा की जाती है जो भारतीय नागरिक नहीं होते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलना

7078. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1985 तक प्रत्येक राज्य में और विशेषकर उड़ीसा राज्य में अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र खोले गए हैं ; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1985 तक उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई हैं।

विवरण

31-12-85 की स्थिति के अनुसार खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों तथा 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप केन्द्र	1986-87 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य प्राथमिक स्वा० केन्द्र	सामुदायिक स्वा० केन्द्र	उप-केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	963	26	6516	100	20	500
2.	असम	234	12	1711	35	7	500

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	774	50	7699	200	15	1000
4.	गुजरात	310	21	5406	100	15	300
5.	हरियाणा	158	4	1814	40	10	150
6.	हिमाचल प्रदेश	137	28	952	16	1	70
7.	जम्मू और कश्मीर	121	12	403	50	3	150
8.	कर्नाटक	402	57	4914	50	—	300
9.	केरल	192	4	2245	144	25	600
10.	मध्य प्रदेश	810	75	8615	100	10	700
11.	महाराष्ट्र	1343	146	6391	50	50	1200
12.	मणिपुर	40	5	317	8	3	20
13.	मेघालय	41	2	274	9	2	50
14.	नागालैंड	49	1	153	2	—	25
15.	उड़ीसा	512	42	4127	100	10	200
16.	पंजाब	1706	10	2603	40	10	50
17	राजस्थान	438	76	3790	40	10	500
18.	सिक्किम	18	—	82	1	—	20
19.	तमिलनाडु	698	30	6096	100	2	500
20.	त्रिपुरा	74	3	239	2	3	25
21.	उत्तर प्रदेश	1161	67	14545	500	56	150
22.	पश्चिम बंगाल	1157	22	6533	100	20	1500
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	6	—	32	2	1	8
24.	अरुणचल प्रदेश	61	—	66	6	2	20
25.	चण्डीगढ़	5	1	10	—	—	—
26.	दादर और नगर हवेली	3	—	16	1	—	4
27.	दिल्ली	8	—	42	—	—	—
28.	गोवा, दमन और द्वीप	15	3	171	2	1	2
29.	लक्षद्वीप	7	—	14	—	—	4
30.	मिजोरम	46	1	164	4	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	पांडिचेरी	41	1	73	2	1	—
	योग	11530	699	84013	1804	278	9910

जैसाकि योजना आयोग ने वार्षिक योजना के विचार-विमर्श में अन्तिम रूप दिया है।

वायुदूत द्वारा डोरनियर विमानों की खरीद

7080. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री साइमन तिग्गा :

श्री आर० एम० भोये :

क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि 16 यात्रियों की क्षमता के बहुत छोटे डोरनियर विमानों की खरीद करने और उन्हें चलाने का निर्णय बहुत गलत सिद्ध हुआ है क्योंकि ये विमान यात्रियों की मांग को पूरी करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विमान के पुर्जों को जोड़ना उसके आयात करने से दो गुना महंगा पड़ता है ;

(ग) क्या इसकी खरीद शर्तें देश के हित में नहीं हैं ; और

(घ) क्या जर्मन मुद्रा के मूल्य में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि से इसका मूल्य और बढ़ गया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

शिशु शिक्षा कार्यक्रम

7081. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान "शिशु शिक्षा कार्यक्रम" परियोजना के अन्तर्गत राज्यवार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) शिशु शिक्षा केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे उड़ीसा में कहां-कहां स्थित है तथा उनका विस्तार किये जाने का यदि कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). शिशु शिक्षा के लिए वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान स्वैच्छिक एजेन्सियों के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों की स्वैच्छिक एजेन्सियों को दी गई सहायता

और गठित शिशु शिक्षा केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

उड़ीसा में पुरी, कटक, गंजम, बालासोर, सम्बलपुर क्योंझार, बुलनगीर, मयूरगंज, कोरापुट, फुलबनी और ढेन्कनाल के जिलों में शिशु शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

विवरण

		1984-85		1985-86	
क्र० सं०	राज्य	सहायता	शिशु शिक्षा केन्द्रों की संख्या	सहायता	शिशु शिक्षा केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,11,050	170	20,59,020	402
2.	बिहार	83,350	10	1,52,530	20
3.	मध्य प्रदेश	1,85,175	35	4,01,645	72
4.	उड़ीसा	4,36,305	96	5,57,730	100
5.	राजस्थान	3,30,650	74	10,53,781	190
6.	उत्तर प्रदेश	3,18,630	71	5,22,735	91
7.	पश्चिम बंगाल	6,27,382	148	9,17,392	146
	कुल :	27,92,542	604	56,64,833	1021

सौराष्ट्र क्षेत्र (पश्चिम रेलवे) में गोंडल रेलवे वर्कशाप का बन्द किया जाना

7082. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में सौराष्ट्र क्षेत्र में गोंडल रेलवे वर्कशाप को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है अथवा इसे बन्द करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति रेलवे कर्मचारियों, जनता, समाचार-पत्रों वाणिज्य मंडल और अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारी असंतोष/विरोध प्रकट किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव/निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). रेलों पर चल-स्टाक मरम्मत कार्यों के लिए एकयौक्तिक आधार पर योजना बनायी जा रही है ताकि यूनिटें परिचालन धन/लागत सार्थक हों। गोंडल कारखाने में प्रति मास 14 चौपहिया कोचिंग यूनिटों के आउट टर्न के वर्तमान स्तर और उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या 228 होने तथा कारखाने की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए इस कारखाने को बन्द करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ). अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म सेंसरशिप

7083. **श्री सुनील बसु : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि फिल्में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के क्षेत्राधीन है तब भी फिल्म सेंसर शिप मानव संसातन विकास मंत्रालय के पास है ;

(ख) क्या फिल्म सेंसरशिप की सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को अन्तरित करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान व्यवस्था से क्या लाभ मिल रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। केवल सितम्बर, 1986 में फिल्म सेंसर का कार्य सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय से स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह महसूस किया गया था कि यह ज्यादा उचित होगा यदि इस विषय वस्तु का कार्य मानव संसाधान विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग द्वारा किया जाए।

टेलीविजन के प्रभाव को दूर करने के लिए पुस्तक

7084. **डा० ए० के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1986 को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों और लेखकों ने सिफारिश की हैं कि बच्चों पर टेलीविजन के प्रभाव को दूर करने के लिए उपयुक्त पुस्तकों का होना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दूरदर्शन के प्रभाव को रोकने के लिए "सूचना युग में बच्चे और पुस्तक" से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 8-10 फरवरी, 1986 तक आयोजित किया गया। सेमिनार की सिफारिशों को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिन्हें अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

7085. **श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां है और उड़ीसा सरकार के परामर्श से उड़ीसा में ऐसा कोई संस्थान स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में उड़ीसा के कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है और उनके चयन के क्या मानदंड है तथा क्या इनमें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा नहीं, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). शिशु शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा दिल्ली में स्थित हैं।

शिक्षा विभाग का उड़ीसा में ऐसे किसी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

उड़ीसा से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की संख्या इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है चूंकि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले प्रत्येक संस्था द्वारा स्थानीय तौर पर किए जाते हैं।

बाक्स एन० वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई

7086. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात के ताप बिजली केन्द्र में प्रति वर्ष लगभग 60 लाख मीटरी टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है ;

(ख) क्या लगभग 60 प्रतिशत कोयले की ढुलाई बाक्स एन० वैगनों से की जाती है जिनकी न्यूनतम क्षमता लगभग 56 मिटरी टन है ;

(ग) यदि हां, तो कोयले के वैगन के प्राप्त होने के बाद पता चला है कि वास्तविक वजन क्षमता 50 से 52 मीटरी टन के आस-पास है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कम लदान के कारण हुए नुकसान की गुजरात बिजली बोर्ड वहन करता है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। इस समय 55 मीटरिक टन भार के लिए न्यूनतम प्रभार लिया जाता है।

(ग) यदि सही ढंग से लदान किया जाये तो बी० ओ० एक्स० 'एन' माल डिब्बों में आसानी से 57 से 58 मीटरिक टन कोयला लादा जा सकता है। यदि कोई कमी होती है तो वह मुख्यतः ठीक से लदान न करने के कारण होती है।

(घ) इसका सम्बन्ध माल डिब्बों में सप्लाई और लदान करने वाली कोयला कम्पनियों और गुजरात बिजली बोर्ड से है।

गोंडल कर्मशाला, सौराष्ट्र क्षेत्र में किया गया 'आउट टर्न' कार्य

7087. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के सौराष्ट्र क्षेत्र में गोंडल कर्मशाला द्वारा 'आउट टर्न' कार्य बिना किसी अतिरिक्त योजना के संतोषजनक ढंग से किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोंडल कर्मशाला में कितनी 'आउट टर्न' कार्य किया गया ;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे पर सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ और भावनगर कर्मशाला की अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा 1980 से 85 के दौरान (वर्ष-वार) भावनगर और जूनागढ़ रेलवे कर्मशाला के कर्मचारियों को कितनी अतिरिक्त भुगतान किया गया ; और

(ङ) क्या गोंडल कर्मशाला का कार्य सस्ता तथा बेहतर किस्म का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा निर्मित सवारी डिब्बों के अतिरिक्त अन्य कोचिंग स्टाक की आवधिक ओवरहाल (पी० ओ० एन०)/नामांकित मरम्मतें (एन० पी० ओ० एच०) गोंडल कारखाने में संतोषप्रद ढंग से की जा रही हैं। कार्य-निष्पादन के आधार पर भुगतान करने की कार्य प्रोत्साहन योजना इस कारखाने में प्रचलित नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गोंडल कारखाने में ऐसे कोचिंग स्टाक का औसत मासिक कार्य निष्पादन चौपहियों के हिसाब से नीचे दिया गया हैं :—

वर्ष	आवधिक ओवरहाल	नामांकित मरम्मत	जोड़
1983-84	18.5	1.1	19.6
1984-85	18.1	0.58	18.68
1985-86	14.1	0.16	14.26

(ग) भावनगर कारखाने में कार्य-निष्पादन के आधार पर भुगतान की प्रोत्साहन योजना कुछ समय पहले से प्रचलित है, किन्तु जूनागढ़ कारखाने में यह योजना केवल 2-4-1984 से आरम्भ की गयी है।

(घ) कार्य-निष्पादन के आधार पर भुगतान की प्रोत्साहन योजना की मुख्य-मुख्य बातें दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भावनगर और जूनागढ़ कारखानों के कर्मचारियों की कार्य-निष्पादन के आधार पर भुगतान की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किए गए भुगतान की मात्रा नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भावनगर कारखाना	जूनागढ़ कारखाना
	(आंकड़े लाख रुपयों में)	
1980-81	3.89	कुछ नहीं
1981-82	4.21	कुछ नहीं
1982-83	4.65	कुछ नहीं
1983-84	4.27	कुछ नहीं
1984-85	4.19	1.10

(ङ) गोंडल कारखाना एक छोटा कारखाना है, जिसमें कर्मचारियों की कुल संख्या 228 है। यह लागत सार्थक और अर्थक्षम यूनिट नहीं है।

विवरण

रेल कारखानों में प्रोत्साहन योजना की मुख्य-मुख्य बातें

रेल कारखानों में आजकल प्रचलित प्रोत्साहन योजना कार्य निष्पादन के आधार पर भुगतान की पद्धति पर आधारित है। प्रोत्साहन योजना के अंतर्ग्रस्त न केवल सीधे उत्पादन से संबंधित कर्मचारी आते हैं बल्कि सेवा कर्मशालाओं जैसे मिलराइट कर्मशाला टूल रूम आदि के कर्मचारी भी आते हैं। उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस के बदले 15 प्रतिशत विशेष वेतन दिया जाता हैं।

(2) अर्जित प्रोत्साहन बोनस की राशि का परिकलन मानक घंटेवार दर के सम्दर्भ में किया जाता है।

(3) अर्जित लाभ पर अधिकतम सीमा प्रत्येण कार्य/पारिचालन के सम्बन्ध में लिए गए समय के 50% पर निर्धारित किया आता है।

(4) सभी कामगारों के मूल वेतनों की गारंटी है, भले ही कार्य-निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन बोनस योजना लागू है, लेकिन किसी विशेष महीने में हुई हानियां उसी महीने में हुए लाभ में संमजनीय है।

(5) प्रोत्साहन योग्य कार्य के निष्पादन का निर्माण सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा जाव कार्डों पर पास की गयी कुल मात्रा के आधार पर किया जाता है।

(6) कामगारों द्वारा प्रत्येक निष्पादित कार्य के लिए प्रोत्साहन निष्पादन बचाये गए समय (अनुमेय समय में से लिया गया समय घटाकर) को मानव घंटे वार दर से गुणा करके परिकलित किया जाता है। प्रत्येक परिचालन/कार्य के लिए अनुमेय समय दर निर्धारक द्वारा समुचित अध्ययन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(7) प्रोत्साहन निष्पादन का परिकलन करते समय विभिन्न कारकों के कारण बुक किए गए निष्क्रिय समय के लिए छूट दी जाती है। तथापि, कार्य की कमी तथा औजारों की कमी के कारण निष्क्रिय समय के लिए कारखाना चार्जमैन/मिस्त्री नाम खाते में एक निर्धारित प्रतिशत लिख दिया जाता है और चार्जमैन/मिस्त्री द्वारा अर्जित लाभ में से आवश्यक कटौती की जाती है।

(8) अनुमेय समय का परिकलन करते समय तैयारी समय, श्रांति छूट, आकस्मिक छूट आदि जैसी विभिन्न छूटें दी जाती हैं और अनुमेय समय में प्रोत्साहन बोनस के 33-1/3 % अर्जन की क्षमता पहले से ही शामिल होती है।

केरल के आदिवासियों में कुष्ठ रोग

7088. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के आदिवासियों में कुष्ठरोग फैलने के बारे में सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से पीड़ितो के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में केरल के हरिजन कल्याण विभाग से कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) मार्गदर्शी सर्वेक्षण यूनिट द्वारा किए किए आकलन के आधार पर केरल सरकार ने कुष्ठ नियंत्रण यूनिट और एस० ई० टी० केन्द्र खोले हैं जिनके अन्तर्गत केवल आदिवासियों की अधिकांश जनसंख्या कवर हो जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन

7089. **श्री नारायण चौबे : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 30 प्रतिशत बजट को वापस किया जा रहा है जबकि शिक्षा के लिए अधिक राशि की मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). वर्ष 1985-86 के लिए शिक्षा विभाग के कुल बजट प्रावधान का लगभग 12.81 प्रतिशत लौटा दिया गया है। यह मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई मितव्यता सम्बन्धी हिदायतों का पालन करने, नई योजनागत योजनाओं की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन और उनकी समीक्षा करने में लगे समय के अलावा नए पदों के सृजन तथा खाली हदों के भरने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण ऐसा किया गया था।

देश में खेल शिक्षा के विकास की योजना

7090. **श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेल शिक्षा के विकास के लिए कोई कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में क्या उपाय किए जायेंगे ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) देश में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर, सरकार ने पहले ही खेल छात्रों/अनुसंधान कामगारों को खेलों से सम्बन्धित मामलों में विशिष्ट प्रशिक्षण/अनुसंधान करने के लिऐ यात्रा अनुदान की एक योजना शुरू की है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पहले ही विभिन्न खेल विषयों में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चला रहा है।

(ख) जबकि केन्द्रीय सरकार के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष सुविधाएं उत्पन्न करना सम्भव नहीं है, फिर भी, उड़ीसा सहित सारे देश से खिलाड़ी उपर्युक्त योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ उठा सकते हैं।

रतलाम सैक्शन से राजकोट और भावनगर डिवीजन को डीजल इन्जनों का आवंटन

7091. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम सैक्शन में रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो जाने के पश्चात् कुछ डीजल इंजन फालतू हो जायेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने डीजल इंजन फालतू होने की संभावना है ;

(ग) क्या उपर्युक्त में से कुछ डीजल इंजन पश्चिम रेलवे के राजकोट और भावनगर डिवीजन में सौराष्ट्र क्षेत्र को लम्बी दूरी की गाड़ियों और हाया-राजकोट अहमदाबाद अंतर-नगरीय गाड़ियों आदि के लिए उपलब्ध किए जायेंगे ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजनायें क्या हैं और उस पर कितना परिव्यय होगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भ में प्रन्द्रह।

(ग) से (ङ). डीजल रेल इंजन अखिल भारतीय आधार पर 'पूल' में रखे जाते हैं। उन्हें आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है जिसमें यात्री यातायात की अपेक्षा माल यातायात को प्राथमिकता दी जाती है।

फार्मास्यूटिकल्स, किस्म और सुरक्षा सम्बन्धी विचार गोष्ठी की सिफारिशें

7092. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन और आरगेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसर्स आफ इण्डिया द्वारा 4 अक्तूबर, 1985 को संयुक्त रूप से आयोजित फार्मास्यूटिकल्स किस्म और सुरक्षा सम्बन्धी एक विचार गोष्ठी में अनेक सिफारिशें की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस विचार गोष्ठी के आयोजन के पश्चात् औषध और फार्मास्यूटिकल्स की निष्प्रभावी दर में कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) 4 अक्तूबर, 1985 को कलकत्ता में आयोजित फार्मास्यूटिकल्स, किस्म और सुरक्षा पर एक विचारगोष्ठी में की गई कोई सिफारिश इस मन्त्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

औषधों के मिश्रण के हानिकारक प्रभाव

7093. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे देश में बनाये गये नये औषध मिश्रणों के नाम क्या हैं और प्रत्येक में किन-किन औषध का कितना-कितना मिश्रण किया गया है ; और

(ख) ऐसे मिश्रणों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में मानवों द्वारा उपयोग के पश्चात् उन पर हानिकारक प्रभाव होने की सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख). राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल कर्मचारियों को उपलब्ध पासों और पी० टी० ओ० का तुलनात्मक अध्ययन

7094. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **परिवहन मंत्री** पासों और पी० टी० ओ० के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में 15 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को उपलब्ध पी० टी० ओ० और पासों की सुविधा की विदेशों में उपलब्ध इस प्रकार की सुविधा की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित देशों के सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना जो पहले कभी प्राप्त की गयी थी, नीचे दी गयी है :—

यू० के०	पासों की संख्या	पी० टी० ओ० की संख्या
अधिकारी और प्रबंध कर्मचारी		
(i) 10 वर्ष या अधिक सेवा	पहले दर्जे में 9 सेट	किराये का चौथा भाग भुगतान करने पर असीमित सं० में पी० टी० ओ०
(ii) 10 वर्ष से कम सेवा	पहले दर्जे में 6 सेट	उपर्युक्त
कर्मचारी		
(i) 10 वर्ष या अधिक सेवा	दूसरे दर्जे में 7 सेट	उपर्युक्त
(ii) 10 वर्ष से कम सेवा	दूसरे दर्जे में 4 सेट	उपर्युक्त

(नोट : इसमें बच्चे और पत्नी शामिल हैं)

फ्रांस		
सभी रेल कर्मचारी	स्वयं कर्मचारी के लिए असीमित	10 प्रतिशत भुगतान करने पर असीमित पी० टी० ओ०
कर्मचारियों के परिवार	8 सेट	आधा किराया देने पर असीमित पी० टी० ओ०

	पासों की संख्या	पी० टी० ओ० की संख्या
जर्मन संघ गणराज्य		
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए	स्वयं के लिए 8 सेट और परिवार के लिए 4 सेट	—
पाकिस्तान		
श्रेणी-1 के अधिकारी सीधे भर्ती किए गए और 926 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले पदोन्नत अधिकारी	वातानुकुलित दर्जे में 6 सेट	वातानुकूलित दर्जे में 6 सेट
926 रु० से कम वेतन पाने वाले पदोन्नत अधिकारी	पहले दर्जे में 6 सेट	पहले दर्जे में 6 सेट
कर्मचारी		
1 वर्ष तक	—	—
1 से 10 वर्ष की सेवा वाले	1 सेट	2 सेट
10 से 25 वर्ष की सेवा वाले	2 सेट	4 सेट
25 वर्ष से अधिक सेवा वाले	3 सेट	6 सेट

(नोट :—पाकिस्तान रेलवे पर 480 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारी पहले दर्जे के तथा शेष कर्मचारी दूसरे दर्जे के पात्र हैं)

भारतीय रेलें		
'क' और 'ख' ग्रुप के अधिकारी	पहले दर्जे में 6 सेट	पहले दर्जे में 6 सेट
'ग' और 'घ' ग्रुप के कर्मचारी	(i) 5 साल की सेवा तक उपर्युक्त दर्जे में 1 सेट	6 सेट
	(ii) सेवा के छठे वर्ष और अधिक उपयुक्त दर्जे में 3 सेट	उपयुक्त दर्जे में 6 सेट

चिकित्सकों के लिए समान वेतन ढांचा

7095. डा० वी० वेंकटेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी डाक्टरों के लिए एक समान वेतन ढांचा लागू करने और एकीकृत चिकित्सा सेवा आरम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली में एक रोगी की मृत्यु

7096. **प्रो० राम कृष्ण मोरे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के बड़े अस्पतालों में लापरवाही के कारण अनेक रोगियों के मर जाने की जानकारी है ; यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इन मामलों की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में एक डाक्टर की कथित लापरवाही और बुरे बर्ताव के कारण दिसम्बर, 1985 में इसी प्रकार एक रोगी की मृत्यु हो गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई है, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं, जांच किस स्तर पर की गई थी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में लापरवाही के कारण हुई रोगियों की मृत्यु के बारे में सरकार को किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) और (घ). कथित लापरवाही सम्बन्धी शिकायत की जांच अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा की गयी थी। लापरवाही सिद्ध नहीं हुई थी चूंकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था, इसलिए फिर से जांच करने का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है।

दिल्ली और बम्बई में इनलैंड कन्टेनर डिपों में कुप्रबन्ध

7097. **श्री एन० वेंकटरत्नम :** क्या **परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व शुरू किए गए 'इनलैंड कन्टेनर डिपो' जो बम्बई पत्तन का एक एक्सटेंशन है, में बड़े पैमाने पर कुप्रबन्ध व्याप्त है ;

(ख) बम्बई पत्तन ने गत दो वर्षों में दिल्ली के कितने निर्यात और आयात कन्टेनरों से माल चढ़ाया/उतारा ; और

(ग) क्या दिल्ली और बम्बई दोनों में हों कन्टेनरों से माल चढ़ाने-उतारने में काफी विलम्ब किया जाता है जिससे पोत गुम हो जाते हैं और निर्यात आदेश आदि रद्द हो जाते हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) बम्बई पोर्ट द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान सम्हाले गए दिल्ली अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो के निर्यात और आयात कन्टेनरों की संख्या में नीचे लिखे अनुसार वृद्धि हुई है :—

वर्ष	टी० ई० यू० (20 फुट के बराबर की यूनिटें) के हिसाब से सम्हाले गए कन्टेनरों की संख्या	
	निर्यात	आयात
1984-85	1238	1054
1985-86	2853	4961

(ग) समुद्री निर्यात कन्टेनरों को जहाज न मिलने का इक्का-दुक्का मामला नोटिस में आया है। प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने तथा विलम्ब को दूर करने के लिए बन्दरगाह प्राधिकारियों, भारतीय जहाजरानी निगम, आबकारी विभाग और रेलों के बीच संयुक्त बैठकें आयोजित की गयी हैं। दिल्ली अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो तथा बम्बई पोर्ट के बीच आई० एस० ओ० कन्टेनरों में लगी देरी के कारण निर्यात आदेश रद्द किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमन्, नियम 376 में कहा गया है कि व्यवस्था का प्रश्न किसी नियम या संविधान आदि की व्यवस्था करने या उसे लागू करने से सम्बधित होना चाहिए। मैं गलत व्याख्या करने और चर्चा के दौरान माननीय सदस्य की टिप्पणियों की कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने आदि से सम्बन्धित नियम 380 को लागू करने के बारे में व्यवस्था करने का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्रीमन्, कल जब आप सभा में नहीं थे तो एक-एक करके सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। हमने प्रधान मन्त्री द्वारा बंगलौर में कही गई कुछ बातों का उल्लेख किया। उस मामले की नई बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की गई थी। आज हम देखते हैं कि उन सभी टिप्पणियों को गिलोटिन करके, उनका सारांश ही दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब, प्रश्न यह है कि व्यवस्था का प्रश्न उस मामले से संबंधित होता है जिस पर चर्चा हो रही हो, लेकिन इस समय ऐसा कोई मामला ही नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मुझे व्याख्या करने दीजिए। मैं आपका निर्णय स्वीकार करूंगा। श्रीमन्, आपका अधिकार है। किन्हीं भी दो मामलों के अन्तराल में भी हमें बोलने की आप अनुमति दे सकते हैं। अत: मैंने आपकी अनुमति मांगी है। श्रीमन्, सभा का कल की कार्यवाही का वृत्तान्त हमारे सामने है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, नियम 376 में भी सभा की वर्तमान कार्यवाही वृत्तान्त के बारे में ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सभा की कार्यवाही से सम्बधित है।

अध्यक्ष महोदय : ···अभी तो···

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे कल उठाया जाना चाहिए था।

प्रो० मधु दण्डवते : यह अभी-अभी समाप्त हुई कार्यवाही से सम्बन्धित है क्योंकि आपको इसे हटाने की शक्तियां प्राप्त करनी हैं। आप सदस्यों और प्रेस को मुश्किल में डाल रहे हैं। आपके अनुदेशों के बावजूद आप पायेंगे कि सभी समाचार पत्रों में यह अंश छपा है, क्योंकि आपने जो निर्देश दिये वे लागू ही नहीं किये जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने कहा है कि सभा से उठ कर जाने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि सदन-त्यागने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट बात है। प्रत्येक दफा, नियमों के अधीन इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को अध्यक्षपीठ की अनुमती लेनी होती है। जब कभी मैं किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति देता हूं, तो यह अनुमति है ; लेकिन जब मैं कहता हूं अनुमति नहीं है, तो इसका अर्थ है अनुमति नहीं है। जब मैं अनुमति नहीं देता तो इसका अर्थ है बोलने की अनुमति नहीं है। यह काफी सरल बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें बोलने की अनुमति दी गई थी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें टिप्पणी करने की अनुमति दी गई थी।

प्रो० मधु दण्डवते : संसदीय कार्य मन्त्री को अनुमति दी गई थी। कृपया मेरी बात सुनिए, इसे इस तरह समाप्त न कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमन्, संसदीय कार्य मन्त्री को अनुमति दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती, आप का एक विशेषाधिकार का मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात को कल उठाना चाहिए था, आज नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम क्या मैं आपको आपके कक्ष में मिल सकता हूं। (व्यवधान)...आपके कक्ष में हम इसका फैसला कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, आपका हर वक्त स्वागत है, हम फैसला कर सकते हैं। अगर आप मुझे किसी बात का विश्वास दिला सके तो मैं आपको न नहीं कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको आपके कक्ष में मिलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, किसी भी समय। मैंने कब मना किया है। लेकिन इस सम्बन्ध में नहीं। आप मेरा मार्ग दर्शन कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आने वाले समय के लिए, यह एक गलत परिपाटी होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने कई दफा सभा में कहा है कि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। मैं उन माननीय सदस्यों से भी मार्ग दर्शन ग्रहण करता हूं जो मेरे से अधिक अनुभवी हैं। मैंने अभी और सीखना है, आदमी जितना भी अधिक सीखता है, उतना ही अधिक आपको पता चलता है कि आप कितना कम जानते हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अतः मैं हमेशा बात मान लेता हूं, मैं खुले मन से किसी भी अच्छी सलाह को स्वीकार कर लूंगा जो मुझे दी जायेगी। अगर किसी नियम की दूसरे ढंग से व्याख्या की जा सकती है तो हम वे भी मानने को तैयार करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे नियमों के तहत ही कार्य करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमन्, हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, कई दफा आप बिना किसी आधार के ही स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह संगत क्यों नहीं है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे मामले है जिन्हें सही प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जाना चाहिए —विशिष्ट प्रस्तावों द्वारा या जो कुछ हो गया है उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव द्वारा। लेकिन यह मामला उस वर्ग में नहीं आता। मैंने नियमों के विरुद्ध किसी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैं नियमों के अन्तर्गत ही मामलों को पेश करने की अनुमति दे दूंगा। आप अन्य प्रस्तावों के अधीन भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपको किसीने मना नहीं किया है। वे कुछ भी करने को स्वतन्त्र हैं। वे विरोध कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता। नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती—आपका विशेषाधिकार का प्रस्ताव है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

12.05 म० प०

सैयद शाहबुद्दीन, संसद सदस्य, द्वारा श्री आरिफ मोहम्मद खां, संसद सदस्य, के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों, जो कि 4 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुई थीं, के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री ब्रजमोहन महन्ती से कहा है जो विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। अनुमति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमन्, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन की कोई बात नहीं है। नहीं। नियमों में इसकी अनुमति नहीं है। नियमों में इसकी अनुमति नहीं है और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों?

अध्यक्ष महोदय : क्यों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती की बात सुनिए, वे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : श्रीमन्, मैंने...के विरुद्ध विशेषाधिकार और सभा की अवमानना की सूचना दी है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे कुछ भी कहें, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। आप किसी अन्य प्रस्ताव पर ऐसा कह सकते हैं, मैं इसकी अनुमति दूंगा। लेकिन इस तरह नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : कौन सा प्रस्ताव?

अध्यक्ष महोदय : आप कई प्रस्ताव ला सकते हैं—ध्यानाकर्षण, नियम 193 या कोई अन्य। मैं आपको इन्कार नहीं करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या हम इसे नियम 193 के अन्तर्गत ला सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं? आपको कौन रोकता है। मैंने कभी आपको नहीं रोका।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह स्थगन का मामला बिल्कुल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, एक बात समझें। आप इस पर सूखे की स्थिति के समय चर्चा कर सकते हैं। आप कृषि के अन्तर्गत इसकी चर्चा कर सकते हैं; लेकिन इस तरह नहीं। स्थगन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं।

हां, श्री महन्ती...

यह मेरा अधिकार है, और जो मैं ठीक समझता हूं, वही मैं कहता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैंने विशेषाधिकार और सभा की अवमानना की सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यही हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कोई प्रश्न नहीं। बिल्कुल असंगत है। कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए। हां, श्री महन्ती।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैंने माननीय संसद सदस्य सैयद शाहबुद्दीन द्वारा भूतपूर्व मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां के खिलाफ की गई गम्भीर अपमानजनक टिप्पणियां जो कि 4 मार्च, 1986 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुई थी के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार और सभा की अवमानना की सूचना दी है। लेकिन, मुझे आरोप रखने की अनुमति दी जाए। हुआ यह था कि समाचार पत्रों में···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। उन्होंने सैयद शाहबुद्दीन द्वारा माननीय संसद सदस्य के विरुद्ध कही गई कुछ बातों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने जांच की है कि प्रत्यक्षतः यह विशेषाधिकार का मामला बनता है या नहीं तभी इसकी अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने जांच की है।

शांति, शांति। मैं सभा में शांति चाहता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती : इसी बीच श्री शाहबुद्दीन द्वारा भूतपूर्व मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खां पर अवसरवादी का आरोप लगाए जाने संबंधी जारी किए गए वक्तव्य से जनता विधान सभा के कई सदस्य भी सकते में आ गए हैं। अगले पैरो में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने श्री खांन का पूरी तरह से अविश्वास किया है। उनका बहिष्कार किया है और अपने राजनैतिक जीवन के लिए उन्हें हिन्दू अतिराष्ट्रीयवादी लांबी के पीछे लगाना होगा।

(व्यवधान)

अतः मेरा निवेदन है कि यह अभित्रास है और विशेषाधिकार भंग किए जाने और सभा की अवमानना करने के समान है।

प्रो० मधु दंडवते : हम इन टिप्पणियों से तो सहमत नहीं हैं। यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य के बारे में की गई टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन विशेषाधिकार का मामला कहां है? हमारे बारे में, सभा के बाहर इस तरह की बातें कहीं जाती हैं। यह कहा जाता है कि हम राष्ट्रविरोधी हैं। प्रधानमन्त्री तक हमें राष्ट्र-विरोधी कहते हैं। लेकिन हमने इसे कभी विशेषाधिकार का मामला नहीं बनाया। भूतपूर्वमन्त्री के बारे में ये विचार नहीं हैं, क्योंकि सभा की

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अवमानना करने विशेषाधिकार का मामला भंग कहां है ? ...(**व्यवधान**)

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री दण्डवते की इस टिप्पणी का सख्त विरोध करता हूं कि प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वे राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है और इस टिप्पणी को सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने यह पिछले दिनों कहा था। सबके बारे में नहीं, केवल कुछ वर्गों के बारे में।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने यह सदन में ही कहा था। आप उपस्थित नहीं थे।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा चुनावों से पूर्व, रत्नगिरि में एक आम सभा में उन्होंने कहा था कि कुछ वर्ग अन्य देशों के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन हमने इसे विशेषाधिकार का मामला नहीं बनाया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भूतपूर्व मन्त्री के विरुद्ध इन टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं। विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, कुछ लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न कहां उठता है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार एक सदस्य के विरुद्ध है, जिसने दूसरे सदस्य के विरुद्ध कुछ कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा के बाहर, हमारे विरुद्ध जो कुछ कहा जा रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। क्या आप प्रत्यक्षः इसे विशेषाधिकार का मामला मानेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : विशेषाधिकार का प्रत्यक्षतः क्या मामला है ? ऐसा कोई मामला नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर सभा फैसला करती है तो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हमें बताइए।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें आपसे जानने का हक है कि विशेषाधिकार के लिए प्रत्यक्षतः क्या आधार है। थोथे आधार पर हमें बताया गया है कि विशेषाधिकार का क्या मामला नहीं बनता है। लेकिन इस मामले में, सभा से बाहर की गयी कुछ टिप्पणियों के लिए विशेषाधिकार का मामला बनता है। मैं इनकी टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसका फैसला नहीं करना है। मैं फैसला नहीं करूंगा। मैं यह सभा छोड़ता हूं। मैंने कभी फैसला नहीं लिया।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन प्रत्यक्षतः कोई मामला तो होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने आप कभी फैसला नहीं लिया है। मैं इस बारे में एकमात्र सता नहीं हूं। सभा या विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला कर सकती है। यह सीधी सी बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया मेरी बात सुनिए। हमारे द्वारा पेश कितने ही विशेषाधिकार प्रस्ताव आपने अस्वीकृत कर दिए हैं। हमें वक्तव्य, भी नहीं देने दिया गया। अब प्रश्न यह उठता हैं कि इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव से प्रत्यक्षतः कोई मामला बनता है, या नही यह भी प्रश्न उठता है कि सभा के बाहर, सभा के सदस्य द्वारा ही क्यों न दूसरे सदस्य के बारे में की गई टिप्पणियों···

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको याद है कि प्रधान मन्त्री ने आनन्दपुर साहिब संकल्प के बारे में हमारे विरुद्ध क्या बातें कहीं थी? क्या आपको याद है? क्या मैं आपको इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों की करने दूं?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री ने आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। ··· (**व्यवधान**)·· अगर आप डरा कर सभा के एक माननीय सदस्य के कृत्य में बाधा पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

प्रो० मधु दण्डवते : सभा के किसी माननीय सदस्य के कृत्य में बाधा पहुंचाने की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय तो सभा को करना होगा। मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यक्तिगत नामों का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया है कि हम लोग अवसरवादी हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि हम साम्प्रदायिकतावादी हैं। सभी प्रकार की बातें कही गई हैं। किन्तु हमने कभी सभा में यह मामला नहीं उठाया।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह देखना होगा कि क्या सभा के पर्याप्त संख्या में सदस्य इसका समर्थन करते हैं, या नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : कोई भी असहमत हो सकता है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : गलत प्रथा मत डालिए।

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : यह कोई टिप्पणी नहीं है। यह माननीय सदस्य का भाषण है। वास्तव में मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह उसका अनुमोदन कर रहे हैं। अथवा वह इसके विरुद्ध हैं। यह मूल भूत प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी, नहीं। जी, नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप हमारी बात सुनें, आप हमारा अनुरोध सुनें। सभा में अपना अनुरोध करने की हमें अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ न कुछ करना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब तक प्रथमदृष्टया सबूत का मामला न हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यान दिया है। मैं संतुष्ट हूं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको हमारा अनुरोध सुनना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया पीछे जाइये और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आप यहां क्यों खड़े हैं? अपने स्थान पर खड़े होइये। आप इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं। आपको पता है कि कहां खड़ा होना चाहिए और कब बोलना चाहिए। अपने स्थान पर जाइये और वहां जाकर खड़े होइये। कल यदि आपका मुंह बन्द कर दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपके लिए भी वही करूंगा, जो किसी के लिए किया जाता है। मैं किसी के साथ भेद-भाव नहीं करता।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने पहले ऐसा नहीं किया था और न भविष्य में करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा द्वारा भविष्य के बारे में पता लगेगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप नाराज क्यों होते हैं?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पहले कि आप इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए रखें, हमें अपना निवेदन कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति देने के पक्ष में 25 सदस्य से अधिक दिखाई देते हैं। किन्तु मैं फिलहाल इसे रोक रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती आप अपना प्रस्ताव पेश करिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं हाउस आफ कामन्स का श्री ब्राउन का मामला उद्धृत कर रहा हूं···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने दें, किसी भले आदमी को।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं श्री ब्राउन का मामला उद्धृत कर रहा हूं। हाउस आफ कामन्स की विशेषाधिकार समिति ने ब्राउन के मामले में कहा था कि :

> "कोई कार्यवाही करना या कार्यवाही करने की धमकी देना एक विशेषाधिकार भंग का मामला है। इससे संसद में न केवल सदस्य के कार्य पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है अपितु यह एक ऐसी कार्यवाही है, जिसके विरुद्ध सदस्य की सुरक्षा निश्चित रूप से की जानी चाहिए जिससे कि वे दण्ड दिये जाने के भय बिना अथवा किसी पारितोषिक की प्रत्याशा से मुक्त होकर स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कर्त्तव्य पालन कर सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अपना निर्णय लेने से पूर्व हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्री आरिफ मोहम्मद खां को यह धमकी दी जा रही है कि अपना राजनैतिक जीवन सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चाहिए कि वह हिन्दुओं के अन्ध विश्वासों की पैरवी करें।

एक दूसरी बात और है। मैं श्री सईद शाहबुद्दीन का कृतज्ञ हूं। अपने उत्तर में उन्होंने उस वक्तव्य को स्वीकार किया है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है तथा उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि जहां तक अवसरवादियों का सम्बन्ध है इससे श्री आरिफ मोहम्मद खां के राजनैतिक आचरण पर बहुत ही गम्भीर प्रभाव पड़ता है। मैं उनका उत्तर आपके समक्ष रख रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : अब मैं मे की "पार्लियामेनटरी प्रैक्टिस", के पृष्ठ 159 से उद्धृत करूंगा :

"लिखित आरोप जोकि संसद सदस्य पर प्रभाव डालते हैं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम लोगों के विरुद्ध कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों को मैं प्रतिदिन बताऊंगा। श्री सैयद शाहबुद्दीन ने भूतपूर्व मन्त्री के बारे में जो मूल्यांकन किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। किन्तु मैं यह महसूस नहीं करता कि इसका सम्बन्ध विशेषाधिकार से है। प्रधान मन्त्री हम लोगों की नाम लेकर सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करते रहे हैं। हमारे अध्यक्ष, श्री चन्द्र शेखर की भर्त्सना की गयी है। हमारी भर्त्सना की गयी है किन्तु हमने कभी भी विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं उठाया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया हमारी बात तो सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी सज्जन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रख रहे हैं। बिना सोचे-विचारे सभा प्रस्ताव पर अपना मत किस प्रकार दे सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा की अनुमति मांगी है। यदि यह पारित हो जाता है, तो इस पर चर्चा की जायेगी। यह सीधी सी बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह तो आश्चर्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो सभा तय करेगी। मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : विशेषाधिकार मामले की सूचना मैं पहले से दे रहा हूं। कल मैं विरोधी दल के सदस्यों का नाम लेकर प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए भाषणों को प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, इसे मत तोड़िये। आपके हाथ तोड़ दिये जायेंगे। मुझे इसी बात से चिन्ता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब सभा की परम्परा ही तोड़ी जा रही है, तो मुझे अपने हाथों की चिन्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ में ही क्रोध क्यों कर रहे हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं क्यों न क्रोध करूं, जबकि पूरी सभा ही संतुलन खो रही है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे मत दीजिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : मे की "पार्लियामेनटरी प्रैक्टिस" के पृष्ठ 159 में यह कहा गया है कि :

"संभवत: सामान्य नियम में मानहानि न होते हुए भी, किसी संसद सदस्य पर लगाया गया लिखित आरोप विशेषाधिकार भंग का मामला हो सकता है किन्तु किसी भी सदस्य पर विशेषाधिकार का भंग वह मानहानि होगी जो उस हैसियत से सदस्य के चरित्र अथवा आचरण से सम्बन्धित है।"

मेरा निवेदन है कि वह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यह एक गम्भीर आक्षेप और यह एक गम्भीर आरोप है। इस बात को वह स्वीकार कर चुके हैं और अब प्रश्न यह उठता है कि उनका कहना है कि उन्होंने सही टिप्पणी की है और सही टिप्पणी न्यायालय में होगी तथा न्यायालय से इस बात की जांच की जा सकती है कि उनकी टिप्पणी सही है अथवा नहीं। किन्तु जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, यह एक गम्भीर आरोप है और यह डराने धमकाने का गम्भीर मामला है, इसलिए यह विशेषाधिकार भंग और सभा के अपमान का सही मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने से पहले, आपको हमारी बात सुननी होगी। यह हमारा मूलभूत अधिकार है। इस संसार में हमारे मूलभूत अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मोशन पढ़िये।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं प्रस्तुत करता हूं :

> "कि मामले को जांच करने हेतु और प्रतिवेदन देने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।"

प्रो० मधु दंडवते : शाहबुद्दीन को यहां बुलाकर आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विशेषाधिकार की सूचना स्वीकार कर ली गई है और आप स्थिति स्पष्ट करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। इसके बाद यदि यह निर्णय लिया जाता है कि मामले को समिति के समक्ष ले जाया जाए, तो ऐसी स्थिति में श्री शाहबुद्दीन को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए। उनसे इस समय कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मेरा अनुरोध है कि इस मामले को आज नहीं, अपितु बाद में किसी और समय लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं क्या करूं (**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

आप घबराया मत करो।

[**अनुवाद**]

मैं केवल इस सभा की सहमति से कार्य करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको इस सभा के नियमों के अनुसार भी कार्य करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप एक गलत प्रक्रिया पर सहमति की मांग नहीं कर सकते। कल यदि आप यह कहेंगे कि मधु दंडवते को फांसी दी जाए, इस पर मतदान लिया जाए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रोफेसर साहब, इतने आगे की बात मत सोचिए। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, कृपया सुनिए। समस्या उसी समय खड़ी होती है, जब हम धैर्य खो देते हैं और कारण का स्थान भावना ले लेती है। मैं केवल कारण लेता हूं। यहां तक कि यदि दोनों पक्षों में लोग चाहें तो मैं अपने कक्ष में चर्चा कर सकता हूं और तर्क सुन सकता हूं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं होती। मैं स्थगित कर सकता हूं···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप इसकी सभा में ही अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कहां ले जाऊं? क्या इस बात को मैं अपने घर ले जाऊंगा? इसे तो इस सभा में ही करना होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने इससे पहले तो कभी भी इस बात की सभा में अनुमति नहीं दी थी। गत एक वर्ष से स्वीकार किए जाने से पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति नहीं मांगी गई है।

अध्यक्ष महोदय : कभी लाया ही नहीं गया। मैं क्या कर सकता था? यदि कोई समस्या ही नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता था?

प्रो० मधु दंडवते : विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में आप उत्तेजित हो रहे हैं और हृदय के दौरे के शिकार हो रहे हैं। मैं आपके लिए क्या करूं?

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बता दूं कि विशेषाधिकार प्रस्तावों के मेरे जिन नोटिसों में आपने मेरे पक्ष में निर्णय दिया है, उन मामलों में भी आपने प्रथम दृष्टया मामले का अध्ययन करने के पूर्व सदन में निवेदन करने की अनुमति नहीं दी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह काम बहुत ध्यान से करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जहां तक भूतपूर्व मन्त्री के बारे में विचारों का सम्बन्ध है मैं उनसे पुरी तरह सहमत हूं। लेकिन जहां तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है, सवाल दूसरा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि मुझे भी उत्तेजित कर देते हैं। मैं निष्पक्ष बनने की कोशिश करता हूं। मैं सुनना चाहता हूं। अपना धैर्य मत खोइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं नही चाहता कि मेरे ऊपर चिल्लाया जाए। मैं एक सम्माननीय सदस्य हूं और जितने दूसरे सदस्य सम्माननीय हैं उतना ही मैं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही कह रहा हूं। मुझे उत्तेजित मत करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं भी उत्तेजित हो जाता हूं। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बीमारी झेली है। मुझे चिल्लाने से एलर्जी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उत्तेजित मत होइए। मैं यही कह रहा हूं। आप मुझे उत्तेजित क्यों करते हैं ? कृपया बैठ जाइए।

श्री सैफुद्दीन चोधरी (कटवा) : महोदय, इसमें बात श्री आरिफ मोहम्मद खां को भयभीत करने के बारे में है और मैं सोचता हूं कि यह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रधान मन्त्री के खिलाफ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उन्हें जाने से रोका था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप हर एक को शामिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए ना। अब आप सुन क्यों नहीं रहे ? कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी न करें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुरूप जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कुरूप जी, मैंने आपको भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कुरूप जी बैठ जाइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि···कृपया बैठ जाइए। जयपाल जी, दोबारा कहेंगे कि अब मैं चिल्ला रहा हूं। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं सलाह ले सकता

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। अगर आप इस बारे में इतने उत्तेजित हैं तो हम इस मामले को स्थगित कर सकते हैं। मैं किन्हीं नियमों से बंधा हुआ नहीं हूं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह इस सम्मानीय सदन और सदन से सम्बन्धित एक सीधा-साधा सवाल है और अगर हम इस मामले को ले और बात करें तो बात कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं। मेरा सीधा-साधा फार्मूला यह है कि सदन के समक्ष मामले को रख दो और जैसा सदन कहे वैसा करो। अगर आप चाहते हैं, यह पक्ष भी चाहता है और वह पक्ष भी चाहता है। आप मेरे पास आइए और जैसा कि आप चाहते हैं हम इस पर बात कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं बताना चाहता हूं कि आप इस सदन में सबसे बड़ी तटस्थ ताकत हैं।

अध्यक्ष महोदय : वही तो मैं हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप यहां तटस्थ व्यक्ति हैं। इसलिए दोनों पक्षों को सुनिए और रास्ता निकालिए। अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने की अनुमति देंगे तो हम सभी तरह की कठिनाइयों में पड़ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बुलाऊंगा और सुनूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है। मैं आपके सुझाव को स्वीकार करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं प्रो० दंडवते को नाराज नहीं करना चाहता। वह सदन से एक बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य है लेकिन कठिनाई यह है कि सभी सदस्य समान है। उनके पास बोलने की असीमित शक्ति नहीं है मैंने सुझाव दिया है कि इस मामले को आज न लिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यही तो। अब आप भी चाहते हैं और वे भी। मुझे खुद तो कुछ नहीं करना। आप दोनों पक्ष—मेरे पास आकर बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। यही तो मैं हमेशा कहता हूं। उत्तेजित मत होइए। अगर आप शान्त रहेंगे तो मैं भी शान्त रहूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा, आपसे बात करूंगा और फिर अपनी राय बनाऊंगा। कुछ भी पक्का नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मन्त्री जी से एक टिप्पणी प्राप्त करने के लिए हमें अपना आपा खोना पड़ता है। यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यह अनावश्यक था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे एक दूसरी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कहना है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने प्रधान मन्त्री और योजना राज्य मन्त्री श्री अजीत पांजा के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सारे कागजात दे दिए हैं। मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन पर विचार करना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने 11 अप्रैल को दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उन पर विचार कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) मैंने सारे तथ्य दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो दे दिए पर मुझे तो तथ्यों का पता लगाना होगा।

12.30 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कृषि मन्त्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं वर्ष 1986-87 की कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2503/86]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 550 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2504/86]

(2) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ के वर्ष

1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2505/86]

विधि और न्याय मन्त्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं वर्ष 1986-87 की विधि और न्याय मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2506/86]

वायुयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, इंडियन एयरलाइन्स का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और समीक्षा तथा इंडियन एयरलाइन्स से सम्बन्धित पत्रों को रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 557 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2507/86]

(2) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2508/86]

युवा कार्य और खेल विभाग की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैं वर्ष 1986-87 की युवा कार्य और खेल विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2509/86]

महापत्तन न्यास अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 497 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (कल्याण निधि) संशोधन विनियम, 1985 अनुमोदित किये गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2510/86]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 92 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 13 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अहमदाबाद से आरम्भ होकर नडियाद, आणंद नगरों के निकट से होते हुए बडोदरा में समाप्त होने वाले राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2511/86]

विश्व भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) विश्व-भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2512/86]

(3) वर्ष 1986-87 की मानव संसाधन मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2513/86]

(4) 1986-87 की शिक्षा विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2514/86]

(5) वर्ष 1686-87 की कला और संस्कृति विभागों की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2515/86]

12.32 म० प०

प्राक्कलन समिति

31वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं विधि और न्याय मन्त्रालय—उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों के लम्बित रहने के बारे में प्राक्कलन समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उक्त समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.32-1/2 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं कृषि मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)—राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन के लिए पेय जल की पूर्ति की समस्या के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.33 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

[अनुवाद]

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) के संकल्प संख्या एफ० 1-2/85 पी० एन० 2 दिनांक 10 अप्रैल, 1986 के साथ संलग्न अनुबन्ध की मद संख्या 5 (एक) के साथ पठित इस संकल्प के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) के संकल्प संख्या एफ० 1-2/85 पी० एन० 2 दिनांक 10 अप्रैल, 1986 के साथ संलग्न अनुबन्ध की मद संख्या 5 (एक) के साथ पठित इस संकल्प के पैरा 5 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.35 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[**अनुवाद**]

(एक) केरल में सूखा-पीड़ित लोगों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता देने की मांग

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : पालघाट जिले के कई भाग भयंकर सूखे की चपेट में हैं। चित्तूर ताल्लुक के 13 गांव, अलाथूर ताल्लुक में 3 गांव, मन्नारकड ताल्लुक में 7 गांव, पालघाट जिले के 5 गांव और ओट्टापलान ताल्लुक के 5 गांवों को सूखा-पीड़ित घोषित किया गया है। वास्तव में इस जिले के और कई क्षेत्र सूखे की चपेट में आ रहे हैं। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के भाग हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती और इसीलिए यहां बार बार सूखा पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। अनुमानतः 1879। एकड़ भूमि पर करीब 10 करोड़ और 8 लाख रुपए की फसलों का नुकसान हुआ है। पालघाट केरल का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। यह कहने की जरूरत नहीं कि वहां पर फसलों के नष्ट होने से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तथ्य यह है कि इनमें से अधिकांश क्षेत्र में पेय जल भी उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में पशु मरे हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश लोगों को जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन भी समाप्त हो गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने राहत कार्य किए हैं, किन्तु धन के अभाव के कारण यह समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर सकती।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करें और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल को पालघाट भेजें जो अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों का सुझाव दें।

(दो) नवयुग स्कूलों के जूनियर विंग के छात्रों का सीनियर विंग में स्वतः प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए जूनियर नवयुग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर सीनियर नवयुग स्कूलों में बदलने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ प्रसाद (मोहनलालगंज) : सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में नवयुग स्कूल खोले हैं। इस समय दिल्ली में चार जूनियर नवयुग स्कूल हैं किन्तु सीनियर नवयुग स्कूल एक ही है। जूनियर नवयुग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सीनियर नवयुग स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। कई बार बच्चों के माता-पिता और अन्य लोगों ने जूनियर नवयुग स्कूल के छात्रों को सीनियर स्कूलों में दाखिला दिए जाने के लिए कहा है किन्तु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। अधिकारियों ने इसके जो कारण बताए हैं वह अधिक विश्वसनीय नहीं है।

महोदय, जूनियर स्कूल से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, दुर्भाग्य से जिन बच्चों को 70 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं होते उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इस छोटी उम्र में उन्हें किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेने के लिए बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है। उन्हें अन्य स्कूलों में भी दाखिला

नहीं मिलता क्योंकि उनका कहना है कि नवयुग स्कूल के सीनियर खंड को अपने जूनियर नवयुग स्कूल के छात्रों को प्रवेश देना चाहिए। यह भी सुना गया है कि अधिकारियों के पास धन की कमी होने के कारण उनके लिए जूनियर नवयुग स्कूलों को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे तथा जूनियर नवयुग स्कूलों को सीनियर नवयुग स्कूल बनाया जाना चाहिए अथवा छठी कक्षा में प्रवेश का प्रतिशत कम किया जाए ताकि जिस उद्देश्य से नवयुग स्कूल खोले गए है, वह समाप्त न हो और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

[हिन्दी]

(तीन) मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के वन-उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में राष्ट्रीय वन उपज की खरीदी, लैम्पस सोसायटी के द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था पिछले 10 वर्षों से प्रारम्भ की गई है। इस व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य आदिवासियों को बिचौलियों के शोषण से बचाना रहा है। पूरे प्रदेश में लैम्पस सोसायटी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। वन विभाग और सहकारिता विभाग में तालमेल का अभाव है जिसके कारण यह अव्यवस्था है। इस हर्रा, महुआ की खरीदी ठीक ढंग से नहीं की गई, जिसके कारण आदिवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आगामी समय में इस वर्ष तेंदू पत्ता और साल बीज की अच्छी उपज होने की सम्भावना है और यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आदिवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि लेम्पस सोसायटी सामान खरीदने के बाद कई दिनों तक पैसे के अभाव में भुगतान नहीं कर पाती और कई जगह पैसे के अभाव में खरीदने से ही इंकार कर दिया जाता है। चूंकि राष्ट्रीयकृत होने की वजह से और कहीं दूसरी जगह उसे बेचा नहीं जा सकता है अतः समस्या का समाधान बहुत आवश्यक है।

भारत सरकार से निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार करे। वन विभाग और सहकारिता विभाग में तालमेल कर सिंगल एजेन्सी की व्यवस्था हो, खरीदी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए यथा पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए, ब्लाक, जिला और प्रदेश स्तर पर शासकीय और अशासकीय लोगों की निगरानी समिति का निर्माण किया जाए, ताकि समय समय पर व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जा सके।

(चार) सरकारी सेवाओं में ग्रुप "घ" के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे को भरने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

हमारे भारत वर्ष की पुरानी परम्पराओं को कायम रखने के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान रखा गया है। गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों का आर्थिक, सामाजिक उत्थान हमारे संविधान की एक विशेषता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार

[श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर]

वचनबद्ध है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में संरक्षण प्रदान करेगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे कि इन जाति के लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव है। इस सम्बन्ध में यद्यपि ये संवैधानिक प्रावधान सर्व-विदित हैं तथापि कुछ सरकारी मन्त्रालयों/विभागों में ये प्रावधान पूर्णरूपेण लागू नहीं हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरी सूचना के अनुसार सरकार के बहुत से मन्त्रालय एवं विभागों में वर्ग "डी" के कर्मचारियों के कोटे से अनुसूचित जाति के लोग बहुत कम कार्यरत हैं। इस बारे में गृह मन्त्रालय को शीघ्र कदम उठाने चाहिए। मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे सदन के सभा-पटल पर एक प्रतिवेदन रखें, जिसमें अनुसूचित जाति के वर्ग "डी" के कर्मचारी कितने होने चाहिए और वास्तव में कितने कार्यरत हैं, इस बारे में जानकारी दी जाए। अगर यह कोटा पूरा नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

(पांच) पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और काश्मीर के क्षेत्रों से आए शरणार्थियों के दावों को तत्काल निपटाने और विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से जम्मू और काश्मीर आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जम्मू और कश्मीर राज्य के ऐसे बहुत से शरणार्थी हैं जिनके क्षेत्रों पर पाकिस्तान सरकार ने 1947 में कब्जा कर लिया था इसलिए वे जम्मू-कश्मीर के अन्य भागों में बस गए हैं। लेकिन भारत सरकार के पुनर्वास मन्त्रालय ने अभी तक उनके दावों का निपटारा नहीं किया है। कुछ अन्य शरणार्थी भी हैं जो देश के विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर राज्य में बस गए थे लेकिन उन्हें राज्य ने अभी तक नागरिकता के अधिकार नहीं दिए हैं।

मेरा अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के पाक अधिकृत क्षेत्रों से आए शरणार्थियों के दावे तुरन्त निपटाए जाएं और राज्य सरकार को जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार देने के लिए राजी किया जाना चाहिए।

(छह) मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 को वापस लेने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 जिसे सरकार पास करने की कोशिश कर रही है, का विरोध किया है। देश के प्रगतिशील लोगों की तरह उनमें भी रोष है कि इतने लम्बे संघर्ष के बाद उन्हें जो अधिकार प्राप्त हुए थे वे स्वतन्त्रता के 38 वर्ष के बाद उनसे वंचित होने जा रही हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि पति को तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण का खर्चा देने से मुक्त किया जा रहा है। साथ ही यह भी धमकी दी गई है कि मुस्लिम महिलाएं भारत देश का जो धर्म निरपेक्ष कानून अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है उसके अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा से वंचित हो जाएंगी मुस्लिम महिलाओं के इस विधेयक का विरोध किया है और इसलिए उन्होंने हमें बताया है कि वे इस बारे में क्या महसूस करती हैं। इस विधेयक के कारण देश में तलाक दिए जाने के मामलों में वृद्धि होने की भी संभावना है। इस विधेयक के द्वारा कुछ राजनैतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए मुस्लिम औरतों के अधिकारों को रेहन रखा जा रहा है। यह सब उनके अधिकारों के संरक्षण का दिखावा करने के लिए है। इससे अन्य समुदायों के रूढ़िवादी तत्वों के लिए रास्ता खोला जा रहा है क्योंकि वे भी इसका फायदा उठायेंगे।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें और इस विधेयक को वापिस लें तथा मुस्लिम महिलाओं में विश्वास जमाएं और उनके साथ न्याय करें।

(सात) आई० डी० पी० एल० की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : महोदय, इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो एशिया का सबसे बड़ा औषध निर्माण कारखाना, है, को अब तक 143 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इसकी 50 प्रतिशत उत्पादन-क्षमता बेकार पड़ी है। इस कम्पनी की मशीनरी पुरानी हो गई है, उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में साज-सामान पड़ा है जबकि इसके कर्मचारी कार्यकुशल हैं। आई० डी० पी० एल० इस समय गम्भीर संकट की घड़ी से गुजर रहा है और निजी क्षेत्र, जिसमें ट्रांस नेशनल भी शामिल है, इसे हथियाने के चक्कर में है। वे इसके संकट का लाभ उठाकर इसका प्रबन्ध कार्य पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथों में लाकर इसे संयुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एशियन डेवलपमैंट बैंक ने निजी पक्षों को जो सीधे ऋण देने का फैसला किया है और वह भी बिना सरकारी गारंटी के उससे उसने आग में घी का काम किया है। आई० डी० पी० एल० के प्रबन्ध को स्वायत्तशासी बनाया जाना चाहिए और साथ उसकी जवाबदेही भी निर्धारित होनी चाहिए। उसमें श्रमिकों/कर्मचारियों का सभी स्तरों पर पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए और इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी खरीद आई० डी० पी० एल० से करनी चाहिए और तुरन्त उसका भुगतान करना चाहिए क्योंकि इस समय उनका बकाया राशि 24 करोड़ रुपए है। कुछ समय पूर्व आई० डी० पी० एल० विदेशी औषधियों का व्यापार भी कर रहा था जिससे इसे कुछ फायदा हो रहा था। हैदराबाद संयंत्र में एल्कोहल, पानी और बिजली की कमी है। मद्रास संयंत्र फार्मूलेशन तैयार करने, सामान्य इन्जीनियरिंग, और स्कैलपैल के मामले में प्रगति कर रहा है किन्तु शल्य उपकरणों के मामले में पिछड़ रहा है। मुजफ्फरपुर संयंत्र में मद्यसार की कमी है। गुड़गांवा में संयंत्र क्षमता से कम काम कर रहा है। परन्तु इन इकाइयों को बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो केन्द्र-सरकार की नीतियों पर यह एक आघात होगा। शल्य शास्त्र के संयंत्र अलाभकारी है क्योंकि उत्पादन वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता और केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा इसे नहीं खरीदा जाता। निष्कर्ष यही है कि आई० डी० पी० एल० की समस्यायें सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं से भिन्न नहीं है। वे मूल रूप से पर्याप्त योजना और प्रबन्धन की समस्याएं हैं। सरकार को इस कम्पनी के लिए निर्धारित पूंजी से अधिक नकद पूंजी लगानी चाहिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी का आबंटन नहीं कर रही है। अन्ततः सरकार को, इस कम्पनी में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और इसे अधिक लाभकारी उत्पादों में लगाने के लिए इसकी सहायता की जाए ताकि सन 2000 तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य' का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

(आठ) दिल्ली की विद्युत आवश्यकता पूरी करने के लिए यहां एक और ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :—

"दिल्ली में आई० पी० एस्टेट थरमल पावर में 150 मैगावाट बिजली मिलती है और बदरपुर थरमल पावर में 300 मैगावाट बिजली मिलती है, जबकि हमें संगरौली से 150 मैगावाट बिजली मिलती है। दिल्ली के लिए 250 मैगावाट बिजली कम

[श्री भरत सिंह]

पड़ती है, वह हरियाणा से लेनी पड़ती है। दिल्ली की आबादी को देखते हुए बिजली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आजकल फसल को घर में लाने के लिए खेतों में थ्रेशर चलते हैं। अगर बिजली की कमी रहेगी, खलिहानों में बारिश से अनाज खराब हो जाएगा। इसलिए खलिहानों के लिए हर समय बिजली रहनी जरूरी है और दिल्ली में बिजली की कमी को देखते हुए एक थरमल पावर स्टेशन लगाया जाए जिससे 500 मैगावाट बिजली तैयार हो, ताकि दिल्ली की बिजली की समस्या का समाधान हो सके। जिससे हर घर में उजाला हो सके और महिलाएं भी छोटे-छोटे उद्योग घर में लगाकर अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।"

[अनुवाद]

(नौ) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अलीगंज, पतियाली और भरगैन में कृषि विकास बैंक की शाखाएं खोलने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खान (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान जी, इस समय केवल केनरा बैंक ही ऐसा एकमात्र बैंक है जो एटा जिले में लीड बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। अलीगंज में, जोकि एक तहसील है और ब्लाक मुख्यालय है और जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक हैं वहां भारतीय स्टेट बैंक की केवल एक कमर्शियल बैंक शाखा है और इस शाखा में जमाराशि और अग्रिम वर्ष 1985-86 में एक करोड़ रु० के लगभग थी।

अलीगंज में कृषि विकास बैंक की एक शाखा खोलने की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही है। इसी प्रकार पटियाली तहसील मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय में बैंक की कोई शाखा नहीं है और सरकारी कार्य के लिए भी अलीगंज जाना पड़ता है। भारगेन कसबे में 20,000 से भी अधिक आबादी होते हुए कोई बैंक शाखा नहीं है जबकि इससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कामर्शियल बैंकों की शाखाएं हैं। तीन किलोमीटर अर्धव्यास के क्षेत्र में खोले गए ग्रामीण बैंक कृषि के लिए कोई ऋण नहीं देते और इस प्रकार गांवों में ग्रामीण बैंक खोलने का उद्देश्य ही नहीं रहा।

इस प्रकार इन क्षेत्रों में प्रर्याप्त बैंकिग सेवा जुटाने को दृष्टि में रखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार और इस भव्य सदन से अलीगंज, पटियाली और भारगेन में एक-एक कृषि विकास बैंक खोलने का अनुरोध करूंगा, जोकि लोगों की भलाई व उनकी प्रगति की दिशा में एक कदम होगा।

12.47 म० प०

अनुदानों की मांगें—1986-87—जारी

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 लेंगे—खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के नियन्त्रण में अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान। डा० राजहंस।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं कह रहा था कि होल सेल प्राइज चाहे कम हुआ हो, लेकिन रिटेल प्राइज कम नहीं हुआ है। सिविल सप्लाई की जो रिपोर्ट है, इसके पेज नम्बर 6 में लिखा है :

[अनुवाद]

"औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रैल-नवम्बर 1985 में इसी समय वर्ष 1984 की अपेक्षा 6.6 प्रतिशत से बढ़कर 7 5 प्रतिशत हो गया है। नवम्बर 1985 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष 1984 में इसी महीने के सूचकांक से 5.9 प्रतिशत बढ़ गया।"

[हिन्दी]

हम सभी जानते हैं कि प्राइज इंडेक्स कैसे बनता है ? कहने का अर्थ यह है कि बाजार में जिस तरह से महंगाई आई है, उससे आम जनता बहुत ही त्रस्त हो गई है। अगर माननीय मन्त्री जी हमारे साथ बाजार चलें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि कैसे चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं। हम अपनी रिपोर्टों में अपने भाषणों में लाख कहें, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। चीजों के दाम कम करने में खुद मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। जितना फूड प्रोडेक्शन का हाथ है, उससे बहुत ज्यादा फूड मैनेजमेंट का हाथ है। इसी रिपोर्ट के 11वें पेज में जो लिखा है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"पृष्ठ 11 मद संख्या 4.2 : बहुत सी आवश्यक वस्तुओं और जन उपयोग के मदों की उपलब्धता भी सन्तोषपूर्ण थी। तथापि अधिक आवंटन के बावजूद मिट्टी के तेल की कमी की रिपोर्ट मिली है।"

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं अत्यन्त विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। लोगों को बहुत आसानी से मास कंजम्पशन की चीजें सही मूल्य पर नहीं मिलती हैं। ठीक हैं आपने बहुत हल्का सा इशारा किया कि कहीं-कहीं से केरोसिन तेल की शिकायत मिलती रही है। परन्तु आपका केरोसिन तेल नेबरिंग कन्ट्रीज को स्मगल होता है। इस बात को आप जानें या जानें, आप इस बात की तहकीकात कीजिए।

हम लोग जब अपनी कांस्टीच्यूएन्सी में जाते हैं तो बिजली महीने में दो-तीन घंटे आती है और केरोसिन तेल मिलता नहीं है। कितनी कठिनाई से हम अपने दिन काटते हैं, यह हमीं जानते हैं। सरकार कहती है कि केरोसिन तेल बहुत आसानी से मिल जाता है। यह सही नहीं है बिहार में उसकी सप्लाई में कमी आई है।

इसके बाद आपने ट्रेन्ड इन दि प्रोडक्शन आफ फूडग्रेन्स के बारे में लिखा है। मैं आपको कहूं कि आप यह कह सकते हैं कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मिनिस्ट्री के अण्डर में नहीं हैं, लेकिन आपने इसके बावजूद भी जो इसमें लिखा है वह एक बहुत आई ओपनर है, आंख खोल देने वाली बात है। आपका फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जिसका ढिंढोरा आप सारी दुनिया में पीट रहे हैं, वह फूड ग्रेन्स और सीरियल्स का प्रोडक्शन आपका घटा है। ठीक है, आपके फूड कारपोरेशन के पास पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा अनाज आया है। लेकिन फूड-ग्रेन्स का प्रोडक्शन घटा है। यह एक बहुत चिंता जनक बात है। आपने कभी यह पता लगाने का प्रयास किया है कि यह फूड ग्रेंस का प्रोडक्शन क्यों घटा है ? हम देहातों में जाते हैं, हमें किसान कहते हैं कि हमारे इनपुट्स के बराबर भी मूल्य हमें नहीं मिलता है तो हम पैदावार क्यों करें ? हम कहीं नौकरी कर लेंगे, किसी तरह से अपने दिन काट लेंगे, हम अनाज पैदा नहीं करेंगे। सरकार अभी इस बात पर सोई हुई है। अभी तो बहुत थोड़ा-सा गिरा है। परसेंटेज

[श्री गौरी शंकर राजहंस]

में आपको बहुत कम दिखाई देता है, क्वान्टम में वह बहुत ज्यादा है और यदि यही रवैया रहा तो दो-तीन चार साल में आप डेफिसिट में चले जायेंगे। सरकार इस बात को सोच नहीं रही है कि यह कितनी गम्भीर समस्या है कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अपने देश में कम हो रहा है।

अपने ही देश में हमारी आपकी गलत नीतियों के कारण, हमने शुगर केन प्रोड्यूसर्स को ठीक दाम नहीं दिया जिसके कारण लोगों ने शुगर केन की उपज करना बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि लाचार होकर आपको चीनी का आयात करना पड़ा। कितना प्रेशस फारेन एक्सचेंज हमने इसमें जलाया है ? इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, मैं आपको कहता हूं, जो चीज शुगर के केस में हुई है वही जूट के केस में होने जा रही है। जूट प्रोड्यूसर के साथ जितनी बेइन्साफी इस देश में हुई है उसके कारण लोगों ने हजारों टन जूट जला दिया। उनकी कास्ट प्राइस का चौथाई भी उनको नहीं मिला है। तो जो चीज शुगर में हुई, जूट में हुई वही अब दूसरे फूड आइटम्स में होने जा रही है। आप समय रहते हुए इस बात पर ध्यान दें। कहीं ऐसा न हो कि हम बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन-ग्रीन रेवोल्यूशन की चर्चा करते हैं और ऐसा वक्त आ जाए चार-पांच साल में कि अकाल पड़ जाय और हमें अनाज का इम्पोर्ट करना पड़े। हमारे बैलेंस आफ पेमेंट की पोजीशन बहुत ही खराब है। अगर कहीं ऐसी स्थिति हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।

आपने इसमें एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में पृष्ठ 14 पर लिखा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसमें आप कहते हैं कि आपने मैनेजमेंट को सुधारा है। लोगों को ट्रेनिंग दी है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो फूड कारपोरेशन है या जो दूसरे आपके कारपोरेशन्स हैं उनमें आफिसर्स इतने भ्रष्ट हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कल इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और अगर महाभारत खोली जाये तो बहुत-सी बातें इसमें निकलेंगी।

दो-एक बातें और कहकर समाप्त करूंगा। पेज 15 पर एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है, उसको आप सुन लीजिए :

[अनुवाद]

कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम 1980 केन्द्रीय व राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों को नजरबन्द करने का अधिकार देता है जिनकी गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के रखरखाव में हानिकारक है। इस अधिनियम को राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के लागू होने से 31 अक्तूबर, 1985 तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 849 व्यक्तियों को नजरबन्द करने का आदेश दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

इतने बड़े देश में केवल 849 आदमी ही गिरफ्तार किये गए। यह सभी जानते हैं कि कितना घपला है और कितनी बेईमानी है।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : और सजा एक की भी नहीं हुई।

डा० गौरी शंकर राजहंस : इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फूड एण्ड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री के एक-या दो कारपोरेशन्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं ; जैसे कि माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रहा है और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है।

अन्त में एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। इस देश में फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्कोप है। भागलपुर में आम और मिलचर में पाइन एपल प्रोसेसिंग फैक्टरी आपने लगाई है। इससे ज्यादा रा-मैटीरियल नार्थ बिहार के मिथिला रीजन में मौजूद है, वहां पर आम बहुत सस्ता मिलता है। यदि वहां पर फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज स्थापित की जायें तो गरीब किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी तथा लोगों को बहुत सस्ते दर पर ड्रिंक्स मिलेंगी। आपने 77-ड्रिंक्स बनाई है लेकिन यदि आप मैंगो या किसी दूसरे फ्रूट से ड्रिंक बनावें तो बहुत अच्छा रहेगा। 76-ड्रिंक तो उसी तरह से है जैसे कि 77-की गवर्नमेंट थी। मैं तो कहूंगा कि अब वक्त आ गया है जब सारे फूड एण्ड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के बारे में सही तौर से सोचा जाए क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक मन्त्रालय है। फूड मैनेजमेंट पर ही इस देश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। आपने यदि इसके मैनेजमेंट को ठीक नहीं रखा, यदि लोगों को ठीक भाव पर चीजें प्राप्त नहीं हुई तो देश में हाहाकार मच जाएगा। एक छोटी-सी बात है, रोज रेडियो टेलीविजन पर कहा जाता है कि हलवाई मिठाई का डिब्बा साथ में नहीं तौल सकते हैं लेकिन आप एक भी ऐसी दुकान कहीं पर बतला दीजिए जहां मिठाई के साथ डिब्बा न तौला जाता हो ?

कहने को तो मेरे पास बहुत-सी बातें थी लेकिन समय ही नहीं है। टेलीविजन पर रजनी प्रोग्राम के अन्तर्गत दिखलाया गया कि किस तरह से फेयर प्राइस शाप्स पर अन्याय होता है—ऐसा अन्याय पूरे देश में हो रहा है। इस अन्याय को दूर किया जाए वरना देश में हाहाकार मच जायेगा।

[अनुवाद]

***श्री आर० अण्णानम्बी** (पोलाची) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, जी मेरी पार्टी और आल इंडिया अन्ना डी० एम० की ओर से मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के लिए वर्ष 1986-87 के लिए अनुदान की मांगों के समर्थन में कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

1.00 म० प०

मैं यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्राय दोहराई गई इस बात को स्मरण करवाता हूं कि आर्थिक क्रान्ति को राजनैतिक क्रान्ति का अनुसरण करना चाहिए केवल तभी साधारण व्यक्ति राजनैतिक क्रांति का लाभ उठाएगा। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कृषि की प्रगति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं आरम्भ की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से एक कृषि की योजना थी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए ताकि पानी जोकि कृषि के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है देश में सारी कृषि-योग्य भूमि को मिल सके। उन्होंने कृषि अनुसन्धान को भी बढ़ावा दिया। उनकी सरकार द्वारा किए गए कठिन कार्य ने ही आज देश को खाद्यानों में आत्मनिर्भर बनाया है। वास्तव में हम आजकल खाद्यानों का निर्यात कर रहे हैं। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने यह आश्वासन दिया है कि खाद्यानों को अफ्रीका में भूख से मर रहे लाखों लोगों को भेजा जायेगा। कृषि उत्पादन में भारतीय क्रान्ति की संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भी प्रशंसा की है। आज हमारे पास 240 लाख टन खाद्यान्न संचित है ताकि हम किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे भविष्य में सूखा आदि का सामना कर सकते हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकार खाद्यानों में आत्म निर्भरता से सन्तुष्ट होकर नहीं बैठी है। आत्म निर्भरता को बनाये रखने के लिए कृषि पर आधारित योजनाओं को लागू करके सभी प्रयास

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० अण्णानम्बी]

किए जा रहे हैं। वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय बजट में 1600 करोड़ रु०की धनराशि का प्रावधान केवल कृषि की प्रगति के लिए किया गया है ताकि हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके।

पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत चाहते थे। उन्होंने उनकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया। वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि सारे देश में बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए। हमारे मुख्य मन्त्री श्री पुराची थालेवर डा० एम० जी० आर० भी इसी प्रकार राज्य के बच्चों के प्रति उतने ही चिन्तित हैं। उन्हें भी इस बात का विश्वास है कि बच्चे भविष्य की सम्पत्ति है। यही कारण है कि उन्होंने बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के लिए पौष्टिक आहार योजना का सूत्र-पात किया है। दोपहर के लिए इस पौष्टिक अहार योजना ने कई अन्तर्राष्ट्रीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अतिरिक्त खाद्यान की मांग नहीं की है। राज्य सरकार इस योजना को अपने खाद्यान के कोटे में से ही लागू कर रही है इस प्रशंसनीय प्रयत्न का मान बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोपहर के पौष्टिक आहार योजना को योजना की एक स्कीम के रूप में लिया गया है। सरकार की खाद्य नीति को दोषपूर्ण ढंग से लागू किए जाने के कारण मैं इसका उल्लेख करने के लिए विवश हूं। मैं केन्द्रीय भण्डार से खाद्यानों को सौंपने के मामलों में होने वाली परस्पर विरोधी बातों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा।

वर्ष 1983-84 में तमिलनाडू में भयंकर तूफान से विनाश हुआ था और तमिलनाडू के अन्न भण्डार के रूप में प्रसिद्ध तंजाबुर जिले की हजारों एकड़ भूमि की खड़ी फसलें जलमग्न हो गई थी। उस समय भी हमारे विद्वान नेता डा०एम०जी०आर०के नेतृत्व में तमिलनाडू सरकार नेअतिरिक्त खाद्यानों के आबंटन की मांग नहीं की थी। परन्तु पिछले वर्ष तमिलनाडू में भयंकर अकाल पड़ा था और केन्द्रीय भंडार से खाद्यानों की आपूर्ति में विलम्ब ने लोगों के कष्ट को बढ़ा दिया। इससे मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के समक्ष तमिलनाडु के लोगों की समस्याओं पर प्रकाश डालने पर विवश हो गए। उन्होंने तमिलनाडु राज्य में एक दिन की भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। यह भूख हड़ताल खाद्यानों की अनियमित आपूर्ति पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए थी। मन्त्रालय का जवाब बहुत अपर्याप्त था। ऐसे कठिन समय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय तमिलनाडू के लोगों के बचाव के लिए नहीं आया। हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० आर० ने हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी, जिनकी गरीबों पर असीमित कृपा है के ध्यान में तमिलनाडू के लोगों की दयनीय स्थिति को ला दिया है और तभी हमारे प्रधान मन्त्री के स्पष्ट निदेशानुसार तमिलनाडू में चावल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई थी।

तमिलनाडू के लोगों ने अलग राज्य की मांग नहीं की। वे अपनी सताने वाली भूख को शान्त करने के लिए खाद्यान्न चाहते थे। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली आना पड़ा और माननीय प्रधान मन्त्री महोदय को राज्य में लोगों की दुर्दशा से अवगत कराना पड़ा। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने मुख्य मन्त्री महोदय की अनुनय-विनय का विशाल हृदयता से प्रत्युत्तर दिया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक बार जब राज्य सरकार ने केन्द्रीय निकाय में चावल भेजना चाहा तो राज्य सरकार को बताया गया कि केन्द्रीय निकाय को चावल नहीं चाहिए तथा राज्य सरकार इसका निर्यात कर सकती है। मैं केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य नीति के कार्यान्वियन में की जाने वाली इस प्रकार की असंगतियों की सराहना करने में असमर्थ हूं।

1977 में जब हमारे नेता डा० एम० जी० आर० ने मुख्यमन्त्री पद का कार्यभार सम्भाला उस

समय राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 62 लाख टन था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को सशक्त ढंग से लागू किया गया है जिससे 1986 में तमिलनाडु में खाद्यान्न उत्पादन 80 लाख टन हो गया है। आज तमिलनाडू में लोगों को चावल 2 रुपये 25 पैसे प्रतिकिलो दिया जा रहा है। ऐसा आपको किसी अन्य राज्य में नहीं मिलेगा। किसानों को 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत सप्लाई की जा रही है। वाणिज्य फसलों और कई अन्य फसलों को कर एवं शुल्क मुक्त कर दिया गया है। सहकारी कृषि ऋणों को रद्द कर दिया गया है। खेतों में काम करने वाले पुरुष एवं स्त्रियों को धोतियां तथा साड़ियां दी गई हैं। अनन्तिम नेता डा० एम० जी० आर० की अध्यक्षता में तमिलनाडू सरकार ने इस तरह के प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देकर पिछले वर्ष 80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया है। जब ऐसा राज्य केन्द्रीय निकाय से खाद्यान्नों की मांग करता है तो उस राज्य को खाद्यान्नों की आवश्यक मात्रा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

1985 में उचित दर की दुकानों द्वारा केवल 15,4,50,000 टन खाद्यान्न सप्लाई किये गये। इसका अर्थ है कि केन्द्रीय योजना आयोग के अनुसार 42 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे है उनको इतना ही खाद्यान्न दिया गया है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस बात का खण्डन नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण धीरे-धीरे मृत्यु रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। गरीब लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं बनाया गया है। माननीय मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि यह कार्य राज्य सरकार को करना पड़ेगा। केन्द्रीय निकाय से सुनिश्चित खाद्यान्न सप्लाई के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राज्य सरकार कैसे सुदृढ़ कर सकती है। 30 जून, 1985 को देश में 3.20 लाख उचित दर की दुकानें थीं। इनमें से मेरा विश्वास है कि लगभग 2 लाख उचित दर की दुकानें शहरी क्षेत्रों में होंगी, शेष 1.20 लाख उचित दर की दुकानें 5.5 लाख गांवों में होंगी। आप लोगों के दुःखों का अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। यदि गाँवों का विनाश होता है तो क्या शहरों का अस्तित्व कायम रह सकता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए हमारे पास केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग है। फिर भी गांवों में उचित दर की दुकानें नहीं हैं जिनसे कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का आश्वासन मिल सके। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित रखनी चाहिए ताकि राज्य सरकारों द्वारा और अधिक उचित दर की दुकानें स्थापित की जा सकें।

केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को इमदाद के रूप में 1650 करोड़ रुपये दिए। हाल ही में एक खबर थी कि समस्त देश में सी० बी० आई० द्वारा मारे गए छापों में भारतीय खाद्यनिगम के कई वरिष्ठ अधिकारी बेहिसाब पैसा बटोरने के दोषी पाये गए। इस वाद-विवाद के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहिए कि कितने अधिकारियों को वास्तव में दण्डित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए गैर-सरकारी भण्डारों के लिए लाखों रुपये बतौर किराया देता है। भारतीय खाद्य निगम अपने भण्डार गृह क्यों नहीं बनाता? लगभग 31.12 लाख टन खाद्यान्नों का भण्डारण खुले में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 5 लाख टन खाद्यान्न चूहों और कीड़ों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। क्या हम यह राष्ट्रीय हानि सह सकते हैं जबकि हमारे लोग खाद्यान्नों के लिए भूखों मर रहे हैं। केन्द्र सरकार की चुप्पी और निकम्मापन मेरी समझ में नहीं आता जबकि भारतीय खाद्य निगम का घाटा वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाए।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 67 वस्तुयें आती हैं। इस अधिनियम की धाराओं का

[श्री आर० अण्णानम्बी]

उल्लंघन करने के दोषी पाए गए जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजरियों के विरुद्ध 1985 में कुछ कार्यवाही की गई थी। परन्तु उनको उचित दण्ड नहीं दिया गया। जमाखोर, मुनाफाखोर तथा कालाबाजारी करने वाले मूल्यवृद्धि, और बनावटी कमी के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्हें इस कानून के अन्तर्गत दण्ड दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों मिट्टी का तेल, खाना पकाने तथा जलाने के लिए मुख्य ईन्धन के रूप में प्रयुक्त होता है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल उचित मात्रा में सप्लाई नहीं किया जाता तो लोग फिर जंगलों की कटाई करने लग जाएंगे। इस प्रकृति को किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। डा० एम० जी० आर० जिनका हृदय गरीबों के प्रति सदैव ही सहानुभूति से भरा रहता है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में हर झोपड़े में एक विद्युत बल्ब की नीति लागू कर रहे हैं। तमिलनाडू में सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। एक झोंपड़े में एक विद्युत बल्ब के लिए विद्युत राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में दी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि इस योजना पर किए जा रहे खर्च की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा इसे योजना कार्यक्रम मानकर की जानी चाहिए। उदुमालपेट्टाई जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है, में एक सहकारी चीनी कारखाना है। मेरा सुझाव है कि एक ऐसी ही चीनी की मिल सहकारी क्षेत्र में कोयम्बटूर के निकट थोंडामुथूर में लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है तो चीनी की एक मिल निजी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के लिए अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

प्रारम्भ में मैं अपनी सरकार को बधाई देती हूं जिसकी नीति का मुख्य बल उत्पादन बढ़ाने और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के प्रबन्ध में सुधार पर रहा है। आवश्यक वस्तुओं और जनखपत की वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य तौर पर पूरे वर्ष सन्तोषजनक रही। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय एवं सरकार का शुक्रिया करती हूं।

1.16 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

हाल ही के वर्षों में दालों के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चीनी का उत्पादन भी सन्तोषजनक रहा है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विशेष तौर पर 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के बाद समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई एवं वितरण के लिए अर्थव्यवस्था का स्थाई अंग मान ली गई है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित दर की दुकानें खोली जानी चाहिएं।

महोदय प्रत्येक गांव, जिसकी जनसंख्या 500 है, में एक उचित मूल्य की दुकान होनी चाहिए। दालें, साबुन, कपड़ा इत्यादि जैसी सभी वस्तुएं इसमें होनी चाहिए। यह अधिक सही और उचित होगा यदि मैदा, चीनी, चावल इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुएं नपे-तुले डिब्बों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की जायें ताकि इन वस्तुओं की कमी से बचा जा सके।

दूसरे मेरा सुझाव है कि इन वस्तुओं की प्राप्ति, सप्लाई और वितरण में बेहतर समन्वय होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कारखानों से चीनी प्राप्त करने में असाधारण देरी हो जाती है। मुझे बताया गया है कि लेवी की चीनी को प्राप्त करने में बहुत देर हो जाती है और कारखानों को बहुत

अधिक घाटा हो रहा है। अन्ततः यह भार किसानों पर डाल दिया जाता है जो वास्तव में कष्ट उठाता है।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि लेवी की चीनी उगाहते समय एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए, उदाहरण स्वरूप ऐसी घटनाएं हैं जहां राज्य सरकारें चीनी, चावल, गेहूं इत्यादि की वसूली के मामले में देर कर रही हैं। इससे निचले स्तरों पर वितरण के समय भी बहुत असुविधा हो रही है। इसलिए यहां भी मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने-अपने राज्यों में चीनी या खाद्यान्न उठाने का एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

महोदय, देश भर में खाद्यान्नों की भंडारण सुविधा अपर्याप्त हैं। उपयुक्त भण्डार गृह नहीं हैं। कुछ महीने पूर्व पंजाब में वर्षा के पानी के कारण सैंकड़ों टन गेहूं बरबाद हो गया। देश के विभिन्न भागों में भण्डार गृहों में आग की घटनाओं और ऐसी ही घटनाओं की सूचनाएं मिली हैं। अतः हमारी सरकार को खाद्यान्नों की उपयुक्त भंडारण की सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

उचित दर की दुकानों में हर समय सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कभी-कभी कुछ वस्तुओं की कमी होती है। इस तरह की भी घटनाएं हैं कि वितरक 'स्टाक नहीं है' के बोर्ड लगा देते हैं जबकि वस्तुयें उनकी दुकानों में उपलब्ध होती हैं ऐसी घटनाओं और दफ्तरों में भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। मिलावट देश में एक रोग की भांति फैल गई हैं। खाने के तेल, चावल, गेहूं इत्यादि में मिलावट है और देश के विभिन्न भागों से मिट्टी के तेल में भी मिलावट की घटनायें देखी जा रही हैं। मिलावट और कमियों के मामलों में सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। कालाबाजारियों और जमाखोरों को सख्त सजा देनी चाहिए। उन राज्यों को विशेष इमदाद देनी चाहिए जो भयंकर सूखे से प्रभावित हुए हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर राज्य-कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भाग इस वर्ष भयंकर सूखे से बहुत प्रभावित हुए हैं। जहां तक प्रभावित लोगों को कम दर पर अधिक खाद्यान्न मुहैया कराने का प्रश्न है सरकार को इस पर पूर्ण रूप से अलग से विचार करना चाहिए।

महोदय, ग्रीन कार्ड धारकों को अनाज कम कीमत पर मिल रहा है। परन्तु किसान जो मध्यम वर्ग से सम्बन्धित हैं, उन्हें इस अवसर से बिल्कुल ही वंचित कर दिया गया है। मेरा सुझाव है कि यहां तक कि वे किसान जो मध्यम वर्ग से सम्बन्धित हैं उनको प्रति महीना ऋण के आधार पर एक या दो बोरे गेहूं या चावल देना चाहिए ताकि फसल करने के बारे कीमत वसूल की जा सके। इस अवसर पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मैं अधिकतर किसानों को, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से सम्बन्धित है देखता रहा हूं कि उनको इस अवसर से बिल्कुल वंचित कर दिया गया है। क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं हैं उनको कम दर पर अनाज देने से मना कर दिया गया है।

मुझे बताया गया है कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को कुछ अनाज मुफ्त में आबंटित किया है। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या राज्य अनाज मुफ्त में बांट रहे हैं। परन्तु मुझे बताया गया है कि राज्य उस अनाज को कम कीमतों पर बेच रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या राज्य उस अनाज को मुफ्त बांट रहे हैं अथवा उसे कम कीमत पर बेच रहे हैं; यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों का आबंटित भाग कितना है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं।

महोदय, वितरण व्यापार में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन की प्रमुख भूमिका होती है। उप-

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

भोक्ता सहकारी संस्थाओं का विस्तृत जाल दुर्लभ वस्तुओं के समान वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और मूल्य संरचना, गुणवत्ता और उपभोक्ता सेवाओं पर अच्छा प्रभाव डालता है। इस सम्बन्ध में सुपर बाजार, अपना बाजार और कामधेनू इत्यादि अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत उपेक्षा की गई है। शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के 3200 खुदरा बाजार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 70 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है, केवल 40,000 ग्रामीण सहकारी संस्थायें हैं जिन्हें केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, जनजाति क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु खुदरा बाजार खोलने हेतु वित्तीय सहायता दी गई है। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

अतः मैं मन्त्री जी से अनुरोध करती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्र कम से कम पांच गुना बढ़ाये जायें। मैं दिल्ली जैसे शहर में चलते-फिरते सुपरबाजार शुरू करने के विचार की सराहना करती हूं। इस आन्दोलन के जरिये आवश्यक वस्तुएं स्वयं लोगों तक पहुंच पायी हैं बजाय इसके कि लोग इन्हें खरीदने के लिए उन दूरस्थ स्थानों में जायें जहां इस प्रकार के सुपरबाजार स्थित हैं। इस प्रकार की चलती फिरती दुकानों या बाजारों की संख्या लोगों की जनसंख्या के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह इस प्रकार की चलती-फिरती दुकानें सभी शहरों में शुरू करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सहकारी समितियों में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए क्योंकि इस प्रकार का कार्य उनके अनुकूल है इस प्रणाली का और विस्तार किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम को अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवश्यक वस्तुएं हमारे देश के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचे। इस प्रणाली के द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में काफी घोटाला होता है। इसे शीघ्र रोका जाना चाहिए। केवल तभी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कीमतों पर नियन्त्रण और गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुओं देकर सहायता करने के दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। आगे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिकाधिक राष्ट्रीय कार्यशालायें और विचारगोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों का समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा अधिक प्रचार किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को यह बताया जाना चाहिए कि कैसे उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राशन कार्ड ठीक प्रकार से वितरित नहीं किए गए हैं। वहां बहुत भेद-भाव किया किया गया है। जरूरतमंद लोगों को ये हरे कार्ड नहीं मिले हैं। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरतमंद लोगों को हरे कार्ड मिलें जिनकी सहायता से वे इन प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न कम दरों पर प्राप्त कर सकें एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगी कि वह जिला स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलकर उचित जांच-पड़ताल करने, कमियों को रोकने, उपभोक्ता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने तथा गुणावत्ता नियन्त्रण, आदि के लिए सलाहकार समितियां बनाये। ये कार्य प्रत्येक जिले में इन समितियों को सौंपे जाने चाहिए। ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं जबकि स्टाक में कमी, मिलावट, आदि के मामले देखे गए हैं। अधिक से अधिक उचित दर की दुकानें खोली जानी चाहिए और वे जिला स्तर पर इस सलाहकार समिति को सौंपी जानी चाहिएं।

अन्त में मुझे अपने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को अफीकी देशों के लोगों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसी प्रकार मैं उन किसानों को, जिन्होंने

वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आत्म निर्भरता प्राप्त की है इस सभा में बधाई देना चाहती हूं।

अन्त में मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने उन क्षेत्रों के लिए जहां आदिवासी रहते हैं कम दर पर खाद्यान्न सप्लाई करने की घोषणा की है। मैं सभापति महोदय को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे खाद्य और पूर्ति मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : सभापति महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। मन्त्रालय का जन-जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध गरीबों आदिवासियों और आम जनता के साथ है और इसके द्वारा उन्हें जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, जब भी किसी मन्त्रालय की अनुदान मांगें इस सदन में प्रस्तुत की जाती हैं तो सभी नागरिकों और ग्रामीणों का ध्यान उस तरफ जाता है कि इस साल सरकार हमारे लिए कौन-सी नई नीति लागू करने जा रही है जिससे हमें लाभ मिले।

आपूर्ति विभाग की सफलता कुछ बातों पर निर्भर होती है, जैसे वस्तुओं की आपूर्ति कैसी होती है, उसका आपूर्ति प्रबन्ध कैसा है, उत्पादकता के सम्बन्ध में उसकी नीतियां कैसी हैं, मूल्य नियन्त्रण कैसे होता है और आपूर्ति की व्यवस्था कैसी है इन बिन्दुओं की ओर ही मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

सरकार के द्वारा इस मन्त्रालय की जो समीक्षा पेश की गई है, मैंने उसको पढ़ने का प्रयत्न किया है। एक सीमा तक तो इस खाद्य और आपूर्ति मन्त्रालय के कार्य अच्छे हैं, इसने उल्लेखनीय कार्य किया है, परन्तु इस बात से मुझे काफी निराशा हुई कि आदिवासी इलाकों में हमारी सरकार के द्वारा सस्ती दर पर चलती-फिरती दुकानों की जो व्यवस्था की गई है उनके द्वारा ऐसे इलाकों में गरीब लोगों को हर तरह की चीजें, खाद्य सामग्री, दालें, चीनी और तेल उपलब्ध कराया जा सके, परन्तु मेरी अपनी जानकारी के अनुसार ये सारी चीजें यहां से तो उनके नाम पर जाती है परन्तु वहां पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाती है। इसकी देखरेख की व्यवस्था उचित तरीके से किए जाने की आवश्यकता है ताकि हमने आदिवासी इलाकों में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाया है, उसमें हमें सफलता मिल सके और हमारी योजना सफलता के साथ कार्यान्वित हो।

दूसरी बात मैं मूल्य नियन्त्रण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी। क्योंकि इस विभाग की सफलता का यही एकमात्र मेरुदण्ड है और इसे विभाग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है कि कहां तक आपका मूल्य नियन्त्रण होता है, उचित कीमतों पर जनसाधारण को ये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती है। वर्ष 1985-85 के सम्बन्ध में आपने जो आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं, समग्र मूल्य सूचकांक की स्थिति दर्शाते हुए आपने कहा है कि हर चीज के मूल्यों में काफी गिरावट आई है, मैं समझ नहीं पाई कि आप ने कहां से ये सारे फीगर्स एकत्रित करके लाये हैं, थोक मूल्य सूचकांक आपने कैसे निकाला। मैं, लोक सभा की सदस्या होने के साथ-साथ एक ग्रहिणी भी हूं, मुझे घर भी चलाना पड़ता है और इसीलिए मैं जानती हूं कि आपने जो मूल्य नियन्त्रण का दावा किया है, वह सही नही है। आप बाजार में जाकर किसी भी खाद्यान्न की कीमतें मालूम कर लीजिए, वैसे हमारी चावल की फसल दिसम्बर में हुई और अब अप्रैल का महीना चल रहा है, क्या आपने देखा कि आज मोटे चावल के बाजार में क्या दाम हैं, महीन चावल के क्या दाम हैं। सभी चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं। कमरतोड़ महंगाई हैं। आज

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी चीजों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें और ये चीजें ठीक ढंग से उचित मूल्य पर लोगों को मिल सकें, इस बात का प्रबन्ध आप करें।

आपने दूसरी बात यह कही है कि हमारे यहां दालों की कमी है। आपने चने की दाल को छोड़कर विशेष तौर पर कहा कि अरहर और मूंग की दाल की कमी है। इन दालों की कमी को दूर करने और इनके उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिए हमारी सरकार को प्रयास करने चाहिएं। हमारे बीस सूत्रीय कार्यक्रम में भी इन दालों के उत्पादन को बढ़ाने की बात का उल्लेख किया गया है। आज देश में जितनी मात्रा में तिलहनों ओर दलहनों की आवश्यकता है उस हिसाब से अभी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आप जानते हैं कि दालों में प्रोटीन होता है और आम नागरिकों तथा गरीब लोगों को प्रोटीन की पूर्ति मात्र दालों से ही होती है, इसलिए इनका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, आपने एक राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ सन् 1965 में स्थापित किया था। उसके तहत गांव और शहरों में उसकी ईकाइयां खोली गई जिनके जरिये उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की चीजों की सप्लाई की जाती है, लेकिन दालों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दालों की कीमत बाजार में दस, ग्यारह और बारह रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि दालों के बारे में कम से कम सरकार को एक मूल्य निर्धारित करना चाहिए जिसके तहत दालें ज्यादा से ज्यादा छः-सात रुपए किलो में आम नागरिक और गरीब जनता को मिल सकें।

सभापति महोदय, आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी, गेहूं और चावल तो पहुंचा दिए हैं किन्तु दालें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके अन्तर्गत दालें भी गांवों और शहरों में पहुंचाई जाएं। गांवों में तो फिर भी कुछ दालें पैदा हो जाती हैं और वहां पर लोग उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन शहरों में मध्यम और गरीब वर्ग के लोग रहते हैं और वहां दालें पैदा भी नहीं होती हैं। इसलिए शहरों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालें बिकवानी चाहिएं। इनकी कीमत 6 रुपये प्रति किलो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, तीसरी बात मैं चीनी के बारे में कहना चाहती हूं। आप इस बात पर गौर करें कि चीनी बाहर से आ रही है, वह कैसी है? इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि वह चीनी हमारी स्वदेशी चीनी के मुकाबले बहुत ही कम मीठी है। इसका मुझे स्वयं अनुभव है। अगर हम देशी मोटे दाने की चीनी एक चम्मच डाल दें, तो मीठा हो जाता है, किन्तु विदेशी चीनी के तीन-चार चम्मच डालने के उपरान्त भी उतना मीठा नहीं होता है। इसलिए आप इस तरफ विशेष ध्यान दें क्योंकि शर्करा मानव के लिए बहुत आवश्यक है। आयातित चीनी कम मीठी होने से महंगी भी पड़ती है।

बाजार में चीनी का बहुत मूल्य बढ़ गया है, उसका कारण आपकी चीनी के बारे में दोहरी मूल्य नीति है। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी बेची जाती है और दूसरे खुले बाजार में चीनी बेची जाती है। राशन की चीनी तो महोदय यूनिट के हिसाब से मिलती है, जिसमें गुजारा नहीं होता है। इसलिए परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीनी को खुले बाजार से खरीदना पड़ता है। खुले बाजार में मुंह मांगा मनमाना दाम देना पड़ता है। हमारे यहां बिहार में तो गांवों में चीनी दस रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। कहीं-कहीं तो लोग बारह रुपये प्रति किलो भी चीनी खरीद रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिहार में इस प्रकार से चीनी के दाम न बढ़ें, इसके नियन्त्रण के लिए आप आवश्यक पग उठाएं। जब तक आप चीनी की आपूर्ति सक्षम और सशक्त तरीके से नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहेगा। इस आपूर्ति के सक्षम और सशक्तता के अभाव में आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ढांचा चर-

मरा कर टूट जाएगा। इसलिए मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि इस तरफ आप तुरन्त ध्यान दीजिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर खींचना चाहती हूं और वह यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानें वर्ष 1979 में 2.19 लाख थीं जो वर्ष 1985 में बढ़कर 3.20 लाख हो गई हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस संख्या को काफी बढ़ा दिया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गांवों में मिट्टी के तेल का भी वितरण करवाएं क्योंकि अभी तो इन दुकानों के माध्यम से केवल गेहूं, चावल और चीनी ही मिलती है। हालांकि चीनी भी हर गांव में उपलब्ध नहीं होती है। जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, जो नदियों के किनारे गांव बसे हुए हैं, जो पिछड़े हुए गांव हैं, वहां पर चीनी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने आजादी के अड़तीस वर्ष बाद भी रेल और बस की शकल नहीं देखी, उनको चीनी चीनी कैसे मिले, इसकी ओर हमारी सरकार और हमारे आपूर्ति मंत्री महोदय को ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति जी, एक विशेष बात मैं और कहना चाहती हूं और वह यह है कि आपने गेहूं आटा चक्की मिल वालों के लिए 220 रु० प्रति क्विटल का रेट रखा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये से रु० 190 प्रति क्विटल रखा है। यह उचित ही है क्योंकि गरीब और आम नागरिक को तो सस्ती दर पर मिलना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि आपको यहां 13 लाख मिलियन टन गेहूं है और इस गेहूं के 4 मिलियन टन के खाद्य का भण्डारण का प्रबन्ध है। 9 मिलियन टन तो खुले में पड़ा रहता है क्योंकि आपके पास भण्डारण की क्षमता नहीं है। इस तरह से इस विशाल गेहूं के भण्डार के खराब हो जाने की पूरी आशंका है। इसको सड़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि गेहूं की दोहरी मूल्य नीति को समाप्त करें तथा आटा मिल वालों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह 190 रुपए प्रति क्विटल गेहूं दिया जाये क्योंकि आपने इन मिल मालिकों को खुले बाजार में भी गेहूं खरीदने की छूट दे रखी है। बाजार में गेहूं 190 रु० प्रति क्विटल आसानी से मिल रहा है, तब मैं यहां 220 रुपये क्विटल के भाव से गेहूं क्यों खरीदेंगे ?

आपको भंडारण की क्षमता बढ़ानी चाहिए। आज अनाज आदि का उत्पादन दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जब तक उसको रखने की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उसका फायदा नहीं हो पायेगा। भारतीय खाद्य निगम इस मामले में बिल्कुल असफल और अक्षम रहा है जिससे हमारा अरबों रुपये का अनाज बरबाद हो जाता है। इस भण्डारण की व्यवस्था को ठीक करने के बाद ही हमारे भारतीय खाद्य निगम और आपूर्ति मन्त्रालय को अच्छा मन्त्रालय कहा जा सकता है।

आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं का भाव 190 रुपये क्विटल है जबकि इंटरनेशनल मार्किट में उसी गेहूं का भाव एक रुपये किलो है से आप कहते हैं कि गेहूं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे यह कितनी अव्यवहारिक बात है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक रुपया किलो भाव है तो वे आपका गेहूं 190 रुपये क्विटल के भाव से क्यों खरीदेंगे ?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, लेकिन साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि आप मूल्य नियन्त्रण करिए और भंडारण व्यवस्था को और अच्छा बनाइए। अंत में मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाई की डिमांड्स का समर्थन करता हूं। जो साधारण व्यक्ति है, जिसका इससे सीधा सम्बन्ध है, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं।

वितरण प्रणाली सही होने पर ही सरकार अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है। इसी तरह से जो आवश्यक वस्तुयें हैं, जिन को सस्ती दर पर जनता को देना चाहिए, वह आज खराब बितरण प्रणाली की वजह से जनता तक नहीं पहुंच पातीं जिनसे जनता को काफी अधिक परेशानी उठानी पड़ती है और सरकार भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाती।

अब मैं फेयर प्राइज शाप्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आज जो भी फेयर प्राइज शाप्स में सामान मिलता है, वह बहुत ही गन्दा होता है। जो गेहूं मिलता है वह इतना गन्दा और बदबूदार होता है कि खाना मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी मजबूर होता है, उसको कोई दूसरा चारा नहीं होता है, जिससे उसको मजबूरन वह सामान वहां से लेना पड़ता है।

फेयर प्राइज शाप्स किसी स्थान पर कैंसिल होने के बाद 2-2 महीने तक खोली नहीं जाती हैं और न ही किसी दूसरे आदमी को एलाट की जाती हैं जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इसी तरह से जो राशन कार्ड बनाने की प्रणाली है जिसमें भी काफी बाधाएं और परेशानियां आती हैं। जब कोई स्थानीय व्यक्ति राशन कार्ड बनाने जाता है तो वह जब तक 200 रुपये नहीं देगा तब तक उसका राशन कार्ड नहीं बनता है। अगर हम इस प्रणाली को सही नहीं करेंगे तो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं।

कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कंट्रोल क्लाथ नहीं दिया जाता है। मुझे पता नहीं इस की क्या वजह है ? दिल्ली में गरीब आदमी नहीं रहता ? दूसरी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कंट्रोल क्लाथ नहीं दिया जाता जैसे कर्नाटक है, केरल है, क्या वहां सारे अमीर आदमी रहते हैं ? अगर आप दिल्ली की आबादी को और दिल्ली की बस्तियों को देखिए तो वह गरीब आदमियों से भरी पड़ी हैं। स्लम कटरों, झुग्गी झोपड़ियों और रीसेटिलमेंट कालोनियों में रहने वाले लोगों ; को यह कंट्रोल क्लाथ नहीं मिलता। क्या कंट्रोल क्लाथ सिर्फ गांव वालों के लिए है ? शहरों में क्या गरीब आदमी जो रहते हैं उनको कंट्रोल क्लाथ नहीं मिलना चाहिए ? मैं नहीं समझ सका कि जहां आप फेयर प्राइस शाप खोलते हैं वहां कोआपरेटिव्ज या और जो साधन हैं उनके माध्यम से कंट्रोल का कपड़ा दिल्ली की जनता को क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाता ? क्या वजह है जो यह नहीं मिलता ?

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान जो फेयर प्राइस शाप्स के दूकानदार हैं जो माल खरीदने जाते हैं उनकी कुछ दिक्कतों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत अजीब बात है कि उनसे पैसा पूरे माल का ले लिया जाता है कि आपको 100 किलो गेहूं दिया जायगा लेकिन जो वह तौलते हैं उस तौल में दस किलो, पन्द्रह किलो या बीस किलो जो भी कमी होती है वह कमी बनी रहती है और वह माल उनको नहीं मिलता है। अब आप यह देखें कि वह फेयर प्राइस शाप का दूकानदार जिसको पूरा माल नहीं देते हैं लेकिन फिर जब उसके यहां चैकिंग करा देते हैं, माल उसके यहां पूरा नहीं निकलता है तो उसको आप जेल भेज देते हैं, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं, तो एक तरफ तो आप उसको पूरा माल नहीं देते हैं दूसरी तरफ उसके गले में फन्दा डाल देते हैं तो यह तो आपके सिस्टम में खराबी है।

इसी तरह जो चीनी आप दूकानदार को देते हैं बड़ी हास्यास्पद बात है, उसमें 2 रुपया 15 पैसे

दूकानदार को कमीशन दिया जाता है लेकिन 3 रुपया 85 पैसे दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज मजदूरी लेता है एक बोरी की ढुलाई के लिए तो आप कैसे यह सोच सकते हैं कि वह दूकानदार बेईमानी नहीं करेगा ? जब आप उसके ऊपर इतना खर्च डाल देते हैं और कमीशन देते हैं सिर्फ 2 रुपये 15 पैसे तो बेईमानी तो करेगा ही करेगा। आप जाकर देखिए, एक एक महीने तक लोगों को चीनी नहीं देते हैं। एक हफ्ते तक वह जाता है वहां चीनी या गेहूं लेने तो कह देते हैं कि अभी चीनी आई नहीं है, दस दिन बाद आएगी। उसके बाद पन्द्रह दिन तक दूकान बन्द रहती है। फिर आदमी जाता है तो कहते हैं कि अभी चीनी नहीं है। इस तरह से इस प्रणाली में दोष है, आप इस प्रणाली को सही कराइए। अगर यह प्रणाली सही नहीं होगी तो गरीब आदमी तो जो सरकार या राजीव गांधी जी चाहते हैं कि हम गरीब आदमी तक पहुंचें और सस्ते दाम पर अच्छी चीजें उनको दें उस मकसद में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते।

इसी तरह जो सुपर बाजार हैं उनमें भी वह बाजार से माल लेकर वहां उसको देचते हैं। तो होल सेल में जो दाम है जिस पर अभी भी लोगों को वह सामान उपलब्ध है, सुपर बाजार में उन्हें उस से महंगे दाम में वह मिलता है। आप सुपर बाजार में यह कह कर माल बेच रहे हैं कि हम यहां माल सस्ते दाम पर देंगे। लेकिन जो आप बाजार से कपड़ा खरीद कर सुपर बाजार में बेचते हैं तो वहां आप के दलाल बैठे हुए हैं, उन दलालों के माध्यम से कपड़ा और महंगा उनको मिलता है। तो आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो वितरण प्रणाली है वह अच्छी है ? मैं समझता हूं कि इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो शायद जनता खड़ी होकर सरकार के ऊपर दोषारोपण करेगी कि यह प्रणाली गलत है। तो मैं समझता हूं इस पर और ओर ध्यान देंगे और इसमें और ज्यादा सुधार किया जाएगा।

अब मैं एन० टी० सी० की मिलों का जो कपड़ा है जो कपड़ा गरीब आदमियों के लिए बनता है, जो गरीब आदमियों तक पहुंचना चाहिए उसके बारे में दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं ये बोगस कोआपरेटिव सोसाइटियां खोल लेते हैं। उसमें वह सस्ते दाम का कपड़ा खरीद लेते हैं और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच देते हैं। आपकी जो प्रणाली है, जो सस्ते दाम का कपड़ा गरीबों के लिए बनता है और गरीबों को दिया जाना चाहिए वह शायद किसी को पता ही नहीं चलता, आप की एडवंटाइजिंग का कोई सिस्टम नहीं है जिससे लोगों को यह पता लगे कि सस्ते दर का कपड़ा इस दुकान में मिल सकता है। वे बड़ी दूकानों में जाते हैं···(व्यवधान)···इसीलिए मैंने कहा कि वे बड़ी दूकान में जाते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जैसे दिल्ली में ही ऐसी दूकानें नहीं हैं जहां यह कपड़ा मिलता हो। दूसरे जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वह प्राइवेट दूकानदारों को सस्ते दाम पर बेच देते दिया जाता है। तो जहां कपड़े की इतनी मांग है, गरीब आदमी परेशान रहता है, वहां सरप्लस प्रोडक्शन होता है, मैं नहीं समझता कहां से सरप्लस प्रोडक्शन का नाम दे दिया जाता है और कहां वितरण में सही दाम पर बेच दिया जाता है ? आप उस कपड़े का स्टाक करिए, देश के कोने-कोने में उस कपड़े की बहुत जरूरत है, हर गरीब आदमी को वह कपड़ा चाहिए, उसके तन पर फटे हुए कपड़े होते हैं, वह सस्ते दाम पर वह कपड़ा खरीदना चाहता है, उस कपड़े के लिए वह लालायित है लेकिन आपकी जो प्रणाली है डिस्ट्रिब्यूशन की वही सही नहीं है। इस प्रणाली में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। है। आपकी आज जो मंशा है, आप जो सुविधायें गरीब लोगों को देना चाहते हैं वह सुविधायें उनको मिल ही नहीं पाती हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आपकी जो एडवाइजरी कौंसिलें हैं—मुझे ठीक से पता नहीं है कि हैं भी या नहीं, लेकिन अगर एड़वाइजरी कौंसिलें हैं तो उसमें आप पब्लिक के आदमियों को रखिए, अलग अलग कांस्टीटुएंसी-वाइज, ताकि वे वहां पर अपने सुझाव दे सकें और पब्लिक की तकलीफों को सामने रख सकें।

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

एसेंशियल कमाडिटीज एक्ट के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने ऐक्ट बना रखा है कि अगर किसी दूकानदार के पास पांच, दस या बीस बोरी अनाज कम या ज्यादा मिलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है लेकिन अगर किसी व्यापारी के पास पांच हजार बोरी का स्टाक है, उसमें अगर उसने कहीं पांच बोरी की स्लिप दे रखी है माल उठाने के लिए और वह माल नहीं उठाया गया है या अगले दिन माल उठाया जाने वाला है या जोड़-घटे में ही कोई कमी है तो उसके लिए आप उसको इतनी बड़ी सजा क्यों देते हैं कि उसको जेल भेज दिया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। उसने किसी का कत्ल तो किया नहीं है। अगर उसकी कोई जेन्युइन दिक्कत है तो उसके लिए उसको सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, बजाए इसके कि उसको चोर समझ लिया जाये।

इसी तरह से आपका लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वह 1955 का बना हुआ है जिस समय देश में अनाज की बड़ी दिक्कत थी और उसके अन्तर्गत दूकानदार को दूकान के आगे लिखकर लगाना पड़ता था कि उसके पास इतनी बोरियां थीं और इतनी बिक गई हैं और इतना इतना बैलेन्स है। मैं समझता हूं आज उस कानून की कोई जरूरत नहीं है। फूड-ग्रेन्स के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर है और देश में पैदावार बहुत हो रही है। अब व्यापारी को चोर समझकर उसके गले में फंदा डालना ठीक नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह अपनी वितरण-प्रणाली को सही करे, उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा गुंजायश है। लोग इससे बहुत परेशान हैं। साथ ही सरकार का जो मकसद है, इस प्रणाली के माध्यम से सरकार गरीब आमिदयों तक पहुंचना चाहती है लेकिन पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसमें बहुत खामियां हैं। इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ इस मिनिस्ट्री की जो मांगें हैं उनकी मैं ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : इस विभाग के लिए सरकार एक स्पष्ट प्रस्ताव लायी है कि वह गेहूं और चावल के लिए 650 करोड़ रु० की सहायता देगी। क्या सहायता वास्तव में गरीब लोगों तक पहुंच रही है या नहीं इसका अध्ययन किया जाना होगा। सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न आंकड़ों से मुझे ज्ञात हुआ है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। आप किसानों को प्रति किलो के लिए 1.52 रुपये या 1.57 रुपये दे रहे हैं। इस साल आपने लगभग 200 लाख टन से अधिक गेहूं और चावल (1985-86) प्राप्त किया है—जोकि पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान की खरीद से लगभग दुगने से अधिक है। यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने गेहूं और चावल इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त किया है। परन्तु गेहूं और चावल किसानों से लेने के पश्चात् हमें यही देखना है। जहां तक राष्ट्रीय हित का सवाल है, भारीतय खाद्य निगम की वितरण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य निगम का लागत मूल्य 262 रुपए है। इस प्रकार प्रतिकिलो पर 1.05 रुपये का व्यय भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस पर किया गया जिसमें से 50 पैसे देखभाल एवं भंडारण के लिए और 55 पैसे वसूली के खर्च पर व्यय होते हैं। जो किसान गेहूं और चावल पैदा करते हैं, उन्हें आप 152 रुपये प्रति क्विन्टल दे रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम का कुल व्यय 67 % अधिक है। आप इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। और आप कहते हैं कि प्रति किलो पर 62 पैसे की राज सहायता दे रहे हैं। तो यह वास्तव में यह बहुत अधिक है। चावल के मामले में भी यही हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसानों से 1.57 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से खरीद करते हैं और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा इसे 2 रुपये प्रति-

किलो बेच देते हैं। और उस पर आप गेहूं और चावल के लिए 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि देते हैं। क्या यह समूची सहायता राशि गरीबों तक पहुंच रही है? वह वास्तव में नहीं पहुंच रही है।

मिट्टी के तेल पर आप 52 पैसे प्रतिलिटर की राज सहायता देते हैं जो कि ठीक नहीं है। मिट्टी के तेल पर एकत्र किया गया कुल उत्पाद शुल्क 309 करोड़ रुपए है। आप एक लिटर मिट्टी के तेल पर 55 पैसे उत्पाद शुल्क के रूप में ले रहे हैं और एक लिटर पर 52 पैसे की राज सहायता दे रहे हैं। इस-लिए सरकार कुछ भी नहीं गवां रही है। श्री जनार्दन पुजारी ने 17 मार्च को इस सभा में कहा था कि गरीबों को 5349 करोड़ रुपये की कुल आर्थिक सहायता दी जाती है।

जनता कपड़े का ही मामला लें। आप कहते हैं कि आप जनता कपड़े पर प्रतिमीटर 2 रुपये की छूट दे रहे हैं। परन्तु जिन गरीबों के लिए यह कपड़ा बना है यह उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा। परन्तु स्वयं व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। मैं एक दुकान चला रहा हूं। मुझे सस्ता कपड़ा मिल रहा है और मैं उसे वितरित कर रहा हूं। परन्तु अन्य स्थानों पर बड़े कपड़ा दुकानदारों द्वारा लाइसेन्स खरीद लिए जाते हैं और इस प्रकार एक मीटर सस्ता कपड़ा भी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यह बम्बई में हो रहा है। अन्य स्थानों में क्या हो रहा है यह मैं नहीं जानता हूं।

पोलिएस्टर युक्त कपड़ों पर प्रति मीटर 3.50 रुपये की अर्थ सहायता दी जाती है। आप पोलिएस्टर कपड़ों पर कुल 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं जो कि न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

उर्वरकों पर 1600 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। 5000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि की सहायता विभिन्न मदों पर गरीबों के लाभ के लिए दी जाती है। परन्तु इनसे वास्तव में गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। यही उचित समय है कि सरकार गरीबों के लिए इन मदों की समुचित विवरण की व्यवस्था पर विचार करे।

भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष 200 लाख टन गेहूं और चावल की वसूली की है और वह आने वाले वर्ष में फसल के अच्छे होने के कारण 100 लाख टन की और वसूली भी करेगा। वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण इन मदों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास केवल 50 प्रतिशत क्षमता है, 50 प्रतिशत की और क्षमता के लिए भारतीय खाद्य निगम जनता से भन्डार गृह किराये पर ले रहा है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं को सार्वजनिक नीलामी के द्वारा 192 रुपए और 197 रुपए प्रतिक्विटल के बीच बेचने का फैसला किया। मार्च तक लगभग 17 लाख टन गेहूं की नीलामी की गयी। मैं इस सार्वजनिक नीलामी का कड़ाई से विरोध करता हूं। इन काला बाजारियों को भारतीय खाद्य निगम से गेहूं 192 रुपये प्रतिक्विटल मिलता है और वे इसे फिर अपने भंडारगृहों में भर लेते हैं। फसल की कटाई से थोड़े समय पहले वे इसे 4 रुपए, 4.50 रुपए और 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं यह बन्द होना चाहिए, क्योंकि इससे न तो किसान को और न उपभोक्ता को फायदा होता है। केवल कालाबाजार करने वाले को ही फायदा होता है। वह खुले बाजार में इसे आपकी किसान से खरीद की कीमत से तीन गुना कीमत पर बेचता है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी इस गैर सरकारी धन्धे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अतः यह उचित समय है कि सरकार इन सभी गतिविधियों को कम करने की कोशिश करे।

गत वर्ष 15 लाख टन चीनी का आयात किया गया था। इस सम्बन्ध में भी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। आप चीनी थोड़ी मात्रा में दे रहे है। उसका कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अतः यही उचित समय है जबकि सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

[डा० दत्ता सामन्त]

मैं जानना चाहता हूं कि आप चीनी किस मूल्य पर आयात कर रहे हैं और किस मूल्य पर बेच रहे है। मैं सोचता हूं चीनी के खरीदवे व बेचने में तीन से चार गुणा अन्तर है।

हमारे देश में फलों व सब्जियों को संसाधित करने की पर्याप्त क्षमता है हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। यह एक कृषि प्रधान देश है और निसन्देह इसको बढ़ाया जा सकता है। फलों व सब्जियों के सम्बन्ध में हमारे देश की क्षमता 570 लाख टन है। लेकिन उन्हें संसाधित करने की कितनी क्षमता है? यह मुश्किल से चार लाख टन है। हमारे देश में 1000 किग्रा० उत्पादित फलों व सब्जियों में से मुश्किल 7 से 8 किग्रा० सब्जियों को संसाधित किया जाता है। यह एक प्रतिशत भी नहीं है। ऐसे कृषि प्रधान देश की सरकार क्या कर रही है? आम और दूसरी वस्तुएं यहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस एक संसाधन प्रतिशत से ही हम 55 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार को संसाधित करने की ओर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अगर वे गूदा, चटनी, आचार, जैम और दूसरी प्रकार की सभी वस्तुएं थोड़ी और संसाधित करें और उन्हें निर्यात करें तो वे इससे 2000 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे। इतनी मुद्रा वह इन उत्पादों का 10 प्रतिशत संसाधित करके भी कमा सकते हैं।

इनकी पोष्टिकता के वारे में मैं नहीं जानता। मैं एक डाक्टर हूं लेकिन मैं नहीं जानता कि कितने सर्वे किए गए है। हमारे देश में कुपोषण की मात्रा किस सीमा तक है? गरीबी के कारण; कुपोषण की बजह से एक वर्ष में 1000 में से 92 बच्चे मर जाते हैं। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। लेकिन मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। इसलिए, यह बहुत उपयुक्त समय है कि सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए। निसन्देह अन्ततः प्रत्येक वस्तु गरीबी के साथ जुड़ी है। लेकिन कम से कम कुछ सस्ता प्रोटीन युक्त भोजन और कुछ इसी प्रकार के विटामिनों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। लोहा बुनियादी आवश्यकता है। पिछड़े देशों में लोहे की कमी से एनीमिया और कमजोरी आ जाती है। मुश्किल से एक या दो रुपये 1000 गोलियों की कीमत होगी। अतः सरकार आसानी से गरीब स्थानों पर इनको बाँट सकती है। लेकिन मैं नहीं सोचता कि सरकार चिकित्सक से प्राप्त सलाह पर गम्भीरता से विचार कर रही है। निस्सन्देह अन्ततः यह गरीबी का प्रश्न है लेकिन सरकार को जो कुछ भी संभव हो इन चीजों की पूर्ति के लिए करना चाहिए।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं सोचता हूं गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल और चीनी के वितरण के मामले में किसानों और उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है जबकि इन सब बातों की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हें तब तक लाभ नहीं पहुंचेगा जब तक कि सरकार 54 पैसे प्रति कि० ग्रा० वसूली प्रभार में कमी नहीं करती। मैं सोचता हूं यह बहुत आश्चर्यजनक है। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि हम यहां जो भी अच्छा वाद-विवाद करते हैं और जो भी हम करते हैं; जनता और किसानों को उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा।

उपभोक्ता मूल्य सूची को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। यह 30 वर्ष पहले तैयार की गई थी और इसमें केवल 3 मदों को शामिल किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान समितियां नियुक्त की गई हैं। लेकिन सरकार उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में समर्थ नहीं हुई है। क्योंकि उनको मूल्य सूची झूठी दिखानी पड़ती है। इसलिए सरकार उसे जानबूझकर देर कर रही है। मैं पर्याप्त समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1986-87 के लिए खाद्य और

आपूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

हमने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ और परियोजनाएं आरम्भ की हैं। परन्तु मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि ये सभी योजनाएं केवल कागज पर ही रही हैं, जिसके फलस्वरूप 37 वर्ष की आजादी के बाद भी ये लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सामाजिक और भूगौलिक पिछड़ेपन के कारण वे उस सराहनीय स्तर पर नहीं आ पाये हैं, जिस पर उनके दूसरे भाई हैं। ये लोग केवल आर्थिक या शिक्षा के क्षेत्र में ही पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इनको दिन प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए पूर्ति विभाग सामने आता है।

तथापि मुझे आशा की एक किरण दिखायी देती है कि हमारे युवा और गतिशील प्रधानमन्त्री जी इन लोगों को ऊपर उठाने में बहुत रुचि ले रहे हैं। वे उनके पास दूरस्थ व अगम्य क्षेत्रों में जाते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं का पता लगाते हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं उसी समय हल कर देते हैं।

इस समय, मैं स्वयं को अपने निर्वाचन क्षेत्र, रायगढ़ मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति तक ही सीमित रखूंगी। मेरे विचार में यह सभी जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है।

यह एक जनजातीय क्षेत्र है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातीयों की है। यहां कोई उद्योग नहीं है। रेलवे व सड़कें नाम मात्र के लिए भी नहीं है। वर्षा के दिनों में कई क्षेत्र पूरी तरह से अलग-अलग हो जाते हैं।

2.00 म० प०

ऐसे क्षेत्र के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केवल 75 समितियां हैं जिनमें से 38 सेवा सहकारी समितियां है और 37 जनजाति सेवा से सहकारी समितयां हैं जिनके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का, जैसे चावल, नमक, मिट्टी का तेल, तेल, कपड़ा, चीनी आदि का, वितरण 152 स्थानों से किया जाता है। इन थोड़ी सी समितियों में कर्मचारियों की कमी है। सामान्यतः वर्तमान कर्मचारी 1/5 क्षेत्र को भी पूरा नहीं कर सकते हैं।

जहां तक निधियां का सम्बन्ध है इनके पास धन की बहुत कमी है और जो कुछ पैसा उपलब्ध है—वह बेईमान व्यापारियों द्वारा गबन कर लिया जाता है या उनका दुरुपयोग किया जाता है। अतः इन समितियों के कार्य संचालन में क्या कहा जा सकता है? इन समितियों के बारे में जितना कम कहा जाये बेहतर होगा। इन समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदिवासियों से उनका माल लाभकारी मूल्य पर खरीदें। लेकिन कर्मचारियों और धन की कमी के कारण ये समितियां आदिवासियों से उनके उत्पादन का 1/10 हिस्सा भी नहीं खरीद पाती जिसके कारण वे लोग व्यापारियों और साहूकारों के शिकंजे में फंस जाते हैं।

इन समितियों को वर्षा के दौरान उपयोग की वस्तुएं जैसे खाद, बीज, दवाइयां आदि उचित मूल्य पर अगम्य स्थानों पर वितरित करनी होती है। ऐसे पदार्थों का अग्रिम संग्रह करके, वर्षा के दौरान अगम्य स्थानों पर वितरित करना पड़ता है दुर्भाग्यवश वे स्टाफ व धन निधि की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते।

केवल यही समस्या नहीं है। इन समितियों के पास भण्डारन क्षमता भी नहीं है उनके पास अपने गोदाम नहीं हैं जहां कहीं उनके गोदाम हैं उनकी हालत खस्ता है जो गोदाम डोंगरीपाली में ई० ई०

[कुमारी पुष्पा देवी]

सी० के अधीन बनाया गया था वह एक ही वर्ष में गिर गया क्यों ? कोई नहीं जानता। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से इस विषय में बात की लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

पांच साल पहले जिले में 10 गोदामों के निर्माण का कार्य राज्य सहकारी विभाग द्वारा आरम्भ किया गया था। परन्तु वे अभी भी अधूरे पड़े हैं। जिसका परिणाम यह है कि व्यय किया गया धन रुक गया है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है एवं निर्माण की लागत भी बढ़ती जा रही है।

कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे सुपर फास्फेट की सप्लाई भी संतोषजनक नहीं है। यह मध्यप्रदेश कोआपरेटिव संघ द्वारा खरीदी जाती है और सभा मुख्यायलय के माध्यम से बितरित की जाती है। मुश्किल से पूरे जिले में चार केन्द्र हैं—एक रायगढ़ में एक खरीसया में, एक कूनकुरी में और एक सारंगगढ़ में है। इसके परिणमस्वरूप समितियों को दूरस्थ क्षेत्रों में माल भेजने में भारी व्यय करना पड़ता है।

इसका परिणाम यह है कि समूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत कमजोर है और उसे बहुत घाटा हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप वे शोषित लोगों की सेवा करना का उद्देश्य पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। इन सबके पीछे कारण यह है कि सम्बन्धित अधिकारी जनजातीय लोगों की समस्याओं और आकाक्षांओं के प्रति उदासीन हैं। बुनियादी कमी यह है कि विकास और दूसरी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक वितरण आदि के लिए योजना और धन के आबंटन के संबंध में सरकार रायगढ़ को एक आदिवासी जिले का दर्जा देती है जिसके कारण रायगढ़ में ग्वालियर भोपाल, इन्दौर आदि विकसित और औद्योगिक जिलों की भांति कोई रेल या सड़क मार्ग नहीं है।

इसलिए इसका केवल हल यह है कि सभी आदिवासी जिलों की और जिसमें रायगढ़ भी शामिल है, धन और इससे सम्बन्धित सुविधाओं के मामले में विशेष ध्यान दिया जाए—इसलिए नहीं कि यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। बल्कि इसलिए कि यह आदिवासी क्षेत्र हैं और यह एक एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा यहां कोई उद्योग, रेल और सड़क नहीं है। अगर सरकार वास्तव में इन आदिवासियों की दयनीय स्थिति को सुधारना चाहती हैं तो आदिवासी जिलों को अवश्य ही अधिक धन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक कर्मचारी गण मुहैया करवाने चाहिए। इनमें पर्याप्त मात्रा में सहकारी समितियां होनी चाहिए जिनके पास पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त गोदाम होने चाहिए। विद्यमान गोदामों की सफाई और रखरखाव में भी सुधार किया जाना चाहिए।

घरघोरा, धर्मजयगढ़, पठालगांव, कुनकुरी और ब्रह्मकेला के तहसील मुख्यालयों में गोदामों की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। समितियों को उत्पादों की बिक्री के द्वारा ऋण वसूली किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जनजाति के लोगों को पुराना ऋण चुकाने के बाद नया ऋण मिल सके 'स्टेट गवर्नमेंट माइनर फारेस्ट सहकारी संघ' को समितियों से उत्पाद खरीदने चाहिए अन्यथा उन्हें उत्पाद दूसरी जगह बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऊंचे परिवहन व्यय को कम करने और समय पर रसायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए जशपुरनगर, पठालगांव, घरघोरा, धर्मजयगढ़ आदि जैसे जिलों में अधिक केन्द्र खोले जाने चाहिए। पठालगांव, बगीचा, जयधर्मगढ़ और कुनकुरी में 'इफको' के भण्डारण केन्द्र खोले जाने चाहिए।

मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे द्वारा बताई गई समस्याओं पर ध्यान देगी तथा समय नष्ट किए बिना इनका समाधान करेगी।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि सभी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। एफ० सी० आई० के बारे में दो शब्द कहूंगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का और अधिक विस्तार करने और इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा ऐसा अनुभव है कि एफ० सी० आई० खुले बाजार से गेहूं लेकर कंज्यूमर को उचित दर पर गेहूं उपलब्ध कराता है, इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हटाने का तो सवाल ही नहीं है, इसको और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। एफ०सी०आई० को इस बारे में दोबारा सोचने की आवश्यकता है कि खुले बाजार में आक्शन से गेहूं बेचना बन्द कर दें। ऐसे व्यापारी ज्यादा पैसा कमाते हैं। आक्शन से बेचने के बजाए उस गेहूं को नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम या महाराष्ट्र की एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम ने तहत दिया जाए या भूमि सुधार के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें यह अनाज दिया जाए, क्योंकि हमारा अनाज का भण्डार सड़ रहा है। इसी तरह से कई ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहां बच्चों के लिए खाना नहीं है, ट्राइबल एरियाज में आश्रम स्कूल होते हैं जहां बच्चे बढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, उनके होस्टल में अनाज दिया जाना चाहिए, इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। अनाज के भण्डार को बेचने से व्यापारी के हाथ में देना मैं अच्छा नहीं मानता, इसको तुरन्त बन्द करना आवश्यक है। मुझे बताया गया था अभी एक महीना पहले कि इसको बन्द कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

दूसरी बात मैं एफ० सी० आई० में सुधार मानता हूं। मैं यह मानता कि एफ० सी० आई० के सभी काम गलत हो रहे हैं या जितने अधिकारी हैं सभी गलत काम कर रहे हैं। एफ० सी० आई० में सुधार होना चाहिए, उनका मार्जिन फ्राम परचेजेज कंज्यूमर जितना कम हो, उतने सस्ते दाम पर कंज्यूमर को अनाज दिया जा सकता है और किसान को भी हम ज्यादा दाम दे सकते हैं, लेकिन जब किसान को ज्यादा दाम देने की कोशिश करेंगे तो कंज्यूमर को ही कुछ न कुछ इसका हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसिडी 1100 करोड़ थी जो अब 1600 करोड़ और 3000 करोड़ तक हो जाने वाली है। मैं यह कहूंगा कि जब एफ० सी० आई० नहीं होता था तो व्यापारी किसान को भी लूटता था और कंज्यूमर को भी लूटता था, लेकिन एफ० सी०आई० के आने के बार यह लूटने का काम समाप्त हो गया है। पहले जब ज्यादा अनाज पैदा होता था तो व्यापारी किसान से सस्ते दाम पर गेहूं खरीदता था और जब अनाज कम होता था तो चौगुने दाम पर कंज्यूमर को बेंचता था। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण संस्था है और अगर अच्छे सुझाव आएं और कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा पब्लिक अंडरटेकिंग्स को या गवर्नमेंट अंडर टेकिंग्स को क्रिटिसाइज किया जाए तो यह उचित नहीं है। सभी गलत काम करते हैं, सभी अधिकारी गलत काम करते हैं तो इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है वह नहीं चल सकता था।

कोआपरेटिव सोसायटीज के अन्तर्गत जो फेयर प्राइस शाप्स चल रही हैं वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं मुझे महाराष्ट्र और गुजरात का अनुभव है, लेकिन कुछ लोग सोसायटी को खा रहे हैं, यह तो मारल की बात है, कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आखिरी प्वाइंट है। कोआपरेटिव सोसायटीज को सरकार द्वारा कपड़ा सप्लाई नहीं किया जाता, जिससे उनको निजी लोगों से कपड़ा खरीदना पड़ताहै। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय आपको अपने इलाके का अनुभव होगा। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो दूकानदार है वह कैसे अच्छा काम करे इस पर ध्यान देना जरूरी है। अभी हमारे एक भाई

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

ने कहा कि अनाज का ज्यादा भण्डार होने के कारण बोर्ड लगाना जरूरी नहीं है, स्टाफ लगाना जरूरी नहीं है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। कंजूमर को पता होना चाहिए कि दुकानदार किस दाम पर माल बेच रहा है और वहां लिखा हुआ क्या दाम है और उसके अन्दर कितना स्टाक है। क्योंकि यह एक अर्थ नीति की बात होती है उससे हटना सम्भव नहीं है। वरना इससे कंजूमर को भारी नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी तरह से कपड़े की बात और इसी सिलसिले में कई दूसरी चीजें भी आती हैं।

यह बात ठीक है कि जो लोग बुरा काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते उनकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल करके अच्छे काम करने वाले जो ग्राम पंचायतें हैं, सहकारी समितियां हैं और कई लोग हैं, उनको देकर उनसे काम चल सकता है। जिससे कंजूमर को राहत मिल सकती है। क्योंकि एफ० सी० आई० के अन्दर ज्यादा पैसा लगाने के कारण फाइनेंशियल क्राइसेज हो रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि हमारे ज्यादा फण्ड्स ब्लाक होने के कारण हमारी वित्तीय स्थिति सही नहीं हो पा रही है। क्रेडिट फेसिलिटी होने से ज्यादा पैसा हमारा वहां इंवेस्ट हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एफ० सी० आई० खुद अनाज का भण्डार रखती है या वह बेचना नहीं चाहती है। एफ० सी० आई० का तो काम ही यही है, लेकिन हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में आपके अनाज का भाव और खुले बाजार में अनाज का भाव एक ही होता है। लोग दूकान में खरीदने के अलावा खुले बाजार से खरीद लाते हैं और आपका काम करते हैं इसलिए राशन का अनाज नहीं उठ रहा है। एफ० सी० आई० जो एक्सपोर्ट देती है उसके लिए कोई दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। उसमें कभी घाटा होगा, कभी नफा होगा। अगर एफ० सी० आई० की एक्सपोर्ट दीर्घकालीन नीति नहीं होगी, जो भण्डार के बारे में बातें जानी हैं मुझे उनमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एफ० सी० आई० के कारण देश को लाभ हो रहा है यह कहने में मुझे संकोच नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट की दीर्घकालीन नीति बनाई जानी चाहिए। इससे विदेशी मुद्रा मिलेगी।

मैं एक्सपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। किसान की कई चीजें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक नई अथोरिटी भी बनाई गई है, एफ० सी० आई० भी कुछ कार्य करती है। इसलिए एक ही जगह से एक्सपोर्ट नाम से जिससे काम सही ढंग से चल सके।

तीसरी बात मैं फ्लोर मिल के बारे में कहना चाहता हूं। पहले कुछ फ्लोर मिल्स बन्द कर दी गई थी। अभी फिर कुछ फ्लोर मिल्स के लिए आप प्रमिशन दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप फ्लोर मिल्स लगाएं तो कंजूमर को भारी राहत मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फ्लोर मिल्स लगाने की नई नीति तय करके जगह-जगह फ्लोर मिल्स लगाने के लिए परवाना दी जायेंगी तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ अनाज वहां चला जाएगा और उससे कुछ भण्डार कम हो सकता है। और आम लोगों को राहत मिलेगी।

सस्ते कपड़े के बारे में भी मैं थोड़े में ही कहना चाहूंगा। सहकारी समितियां सस्ते कपड़े के लिए इधर उधर जाती हैं तो वह चिट्ठी लिखते लिखते थक जाती हैं, उनको माल नहीं मिलता, जबकि निजी व्यापारी चिट्ठी से ही सस्ता कपड़ा ले आते हैं। इसमें भी सुधार करना आवश्यक है। बैंकों में लैटर आफ कोई क्रेडिट सिस्टम सहकारी समितियों के लिए लागू करना चाहिए। बैंक गारंटी दे और एन० टी० सी० से ज्यादा माल देकर हमें ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज को फायदा पहुंचाना चाहिए।

(व्यवधान)

मैंने अभी तीन मिनट की बात कही है, मैं तीन मिनट और लेना चाहूंगा। चीनी के बारे में मैं

मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि चीनी की लाइसेंसिंग नीति जल्दी से जल्दी तय करने की आवश्यकता है। दुनिया में हम कभी चीनी के उत्पादन में पहले नम्बर पर हुआ करते थे। लेकिन अभी हमने दो मिलियन टन चीनी का आयात किया है। हम इसमें फारेन एक्सचेंज कमाने के बदले इसमें कीमती फारेन खर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी इसमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि चीनी की खपत 5-6 साल में काफी बढ़ गई है। आने वाले समय में इसकी खपत 90 लाख टन प्रति साल हो जाएगी। इसके लिए समें कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसका कारण है हम किसानों को जो दाम देते हैं वह तीन-चार साल से बढ़ा नहीं है। अभी देख लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात में 80 प्रतिशत से ज्यादा चीनी के लिए गन्ना दिया जाता है और उत्तर भारत में कभी 25 प्रतिशत कभी 45 प्रतिशत देते हैं। यह जो अन्तर है इसको खत्म करना चाहिए। हमें किसानों को आश्वासन देना चाहिए कि उसको समय पर ठीक दाम मिल जायेंगे ···इस बारे में मेरा सुझाव है कि आप स्वयं देख लीजिए और उचित समझें तो जानकारी करवा लीजिए सहकारी आन्दोलन के माध्यम से चलने वाली चीनी मिलों, सरकारी चीनी मिलों और निजी चीनी मिलों में अन्तर क्यों है। किसान को किस तरीके से उसकी फसल के अच्छे दाम मिलते हैं, चाहे कितना ही मिनिमम आपने गन्ने का रेट तय क्यों न किया हो। किसान को किस व्यवस्था में ज्यादा सुविधा है, किस व्यवस्था में उसको ज्यादा अच्छे दाम मिलते हैं। आप गुजरात और महाराष्ट्र के उदाहरण ले सकते हैं। वैसे तो सारे देश में जगह चीनी की मिलें चल रही हैं जिनमें बहुत सी सहकारी क्षेत्र में हैं, कुछ निजी क्षेत्र में हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के उदाहरण को लेकर आप सरकारी चीनी मिलों को सहकारी क्षेत्र परिवर्तित करें और उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों को भी उसके प्रबन्ध में भागीदार बनाएं, हिस्सेदार बनाएं, तभी किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है और वे उत्पादन बढ़ाने की ओर प्रवृत होंगे।

चीनी मिल मालिकों के बारे में हम प्रतिदिन शिकायतें सुनते हैं और उनके संबंध में कई तरह की बातें की जाती हैं, मैं यहां उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब हम किसान के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको अच्छा दाम देंगे तो कुछ न कुछ ज्यादा चीनी अवश्य बनेगा। देश में जितनी चीनी बनती है, उसका 42 परसेंट भाग महाराष्ट्र में बनता है। उसका कारण यही है कि हम लोग किसान का गन्ना उसके खेत से लेते हैं, गेट पर नहीं मंगवाते। उसको दाम भी अच्छा देते हैं, 25-30 रुपये क्विंटल तक भी देते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में किसानों को दूसरी जगह की अपेक्षा ज्यादा फायदा है और हमें यह कहते हुए गर्व है, अभिमान है कि वहां अब कुछ कोआपरेटिव आन्दोलन तक सीमित रहा, बल्कि वह तो ग्रामीण विकास का आन्दोलन बन गया है। वहां कई मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पोलिटैकनिक और आई० टी० आई० कालेज और शिक्षा संस्थाएं खोले गए हैं और हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में लोग सहकारी आन्दोलन के प्रति इतना रुझान क्यों रखते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में ज्यादा चीनी मिलें क्यों चाहते हैं, उसका कारण यही है कि :

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के लिए यह एक साधन है।

[हिन्दी]

और रूरल डैवलपमेंट का इंसट्रूमेंट होने के कारण और इसलिए कि किसान उसका खुद मालिक बन जाता है। वैसे हम मालिक से संतुष्ट नहीं हैं लेकिन वह एक उद्योगपति के कारण अनुभव करता है और कई किसानों ने तो कोआपरेटिव के अन्तर्गत बाई-प्रोडक्ट तक लगाई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव के लिए आप ज्यादा अच्छी नीति तय करें और

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

ज्यादा से ज्यादा पैसा कोआपरेटिव के विस्तार पर लगायें और इन तमाम मिलों को कोआपरेटिव के तहत चलायें। तभी हम अपने उस मिशन में कामयाब हो सकते हैं, जिस दिशा में हम हिन्दुस्तान को ले जाना चाहते हैं, रुरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमारे यहां चीनी मिलों के माध्यम से कैसे काम हो रहा है, उसको आप देखें और उदाहरण लें।

एक बात मैं शुगर डेवलपमेंट फण्ड के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि अभी तक कितना फण्ड सरकार के पास इकट्ठा हुआ है, पता नहीं सरकार उसको क्यों छिपाना चाहती है लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार उस फण्ड को वितरित करवाने की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र करे और इसके आधुनिकीकरण यानी नई टैक्नोलोजी के इम्पोर्ट के लिए, नई टैक्नोलोजी के उपयोग की भी व्यवस्था करे क्योंकि तभी इसकी प्रोडक्टिविटी, परफोरमैंस इफिशियेन्सी आदि बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहे, और मैं समझता हूं कि सिक यूनिट की चीनी मिलों में डाइवसिफिकेशन के लिए व्यवस्था हो तभी हम उन मिलों को अच्छी बना सकते हैं और उनको कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं।

जहां तक एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि सभी चीनी मिलों के लिए एक जैसी व्यवस्था—सिंगल विन्डो कन्सैप्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे वन-विन्डो कन्सैप्ट भी कहा जा सकता है। क्योंकि इसके एक्सपोर्ट का काम एस०टी०सी०करती है, आयात का काम कोई दूसरी एजेंसी करती है, गन्ने का दाम और कोई निश्चित करता है और चीनी के दाम और कोई दूसरी मिनिस्ट्री तय करती है और इस तरह 5-6 जगह जाना पड़ता है। मेरी मांग है कि जैसा हमारे प्रधानमन्त्री जी भी चाहते हैं, वही वन-विण्डो कन्सैप्ट आप चीनी मिलों में लागू कीजिए जिससे सभी को कुछ न कुछ राहत मिले और इनका काम भी आगे बढ़े। तभी हम विकास की ओर ज्यादा तेजी से अग्रसर हो सकते हैं।

अभी मैं कोआपरेटिव का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे यहां 57 या 60 परसेंट से ज्यादा चीनी कोआपरेटिव सैक्टर में बन रही है और मैं यहां फिर से कहना चाहूंगा और मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप एक स्टडी ग्रुप बनाइए और पता लगवाइए कि महाराष्ट्र और गुजरात की चीनी मिलों तथा दूसरी जगह की चीनी मिलों में इतना भारी अन्तर क्यों है। महाराष्ट्र और गुजरात में चीनी मिलें किसान को ज्यादा क्यों अट्रैक्ट करती हैं और उनमें डाइवसिफिकेशन बाय-प्राडक्ट कम क्यों है जबकि दूसरी जगह डाइवसिफिकेशन नहीं है, लोगों का झुकाव सहकारी आन्दोलन की तरफ क्यों होता जा रहा है, इन स्टेटस में ही रूरल डैवलपमैंट क्यों ज्यादा हो रहा है जबकि बाकी स्टेटस में उतना नहीं हो रहा है और हम लोग सोश्यल कमिटमैंट को क्यों मानते हैं। उसका कारण यही है कि हमें समाज में रहना होता है, हमें समाज के साथ सम्बन्ध रखने पड़ते हैं और जब समाज के साथ सम्बन्ध रखने पड़ते हैं तो हमें समाज की जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ता है, देश की जरूरतों, कन्ज्यूमर्स की जरूरतों, किसान की जरूरतों और उद्योग की जरूरतों सभी को इकट्ठा करके सोचना पड़ता है और इसीलिए चीनी उद्योग के माध्यम से किसान स्वयं कुछ अनुभव कर रहा है। उद्योगपति का बेटा उद्योग पति और उसका बेटा उद्योगपति बने, ऐसी कोई बात सहकारिता में नहीं है। एक बिल्कुल अनपढ़ किसान चीनी उद्योग और उसके बाई-प्रोडक्ट चला रहा है। सभापति जी मैं एक मिनट में कहकर खत्म करूंगा क्योंकि अभी डक्कन शुगर इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र चीनी उद्योग ने पुणे में स्थापित की है। वह तो खाली न्यू टैक्नॉलोजी, रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट के लिए है। सरकार ने अभी तक उसको एक पैसा भी नहीं दिया है। इसलिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि यह वालंटरी आर्गे-

नाइजेशन है और किसानों ने चन्दा करके बनाई है। इसलिए कुछ देख और सोचकर इसके लिए पैसा देने की कृपा करेंगे। नेशनल इन्जीनियर के कारण कम्पटीशन कीमत के बारे में हो रहा था, उन्होंने काफी कीमत में कमी की है और उद्योग तथा किसान को लाभ हुआ है।

आखिर में, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि :

[अनुवाद]

"1950-71 के दौरान चीनी के उत्पादन की विकास दर 3.1 प्रतिशत थी जो 1930-51 की 3.3 प्रतिशत की तुलना में कम थी क्योंकि उसी समय के दौरान उपज की दर 1.2 प्रतिशत से कम होकर 0.9 प्रतिशत हो गयी। क्षेत्रीय विकास दर में 2.2 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत कमी होने के कारण, फिर से, 1970-84 तक 13 वर्षों के समय में, उत्पादद विकास दर 1950-71 में 3.1 प्रतिशत से कम होकर 2.6 प्रतिशत हो गयी, हालांकि उपज की विकास दर सीमांत रूप से 0.9 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत बढ़ गयी।"

[हिन्दी]

तो हम जब बोलते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इन टोटल यह शुगर इंडस्ट्री का रिजल्ट है। तो मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइसेंसिंग नीति को भी देख लीजिए और दीर्घकालीन नीति बनाइए जिसमें हमें कोई घाटा न पड़े। किसान भी मजबूर हो जाता है और कंजूमर को भी ज्यादा दाम देना पड़ता है जिसके कारण गवर्नमेंट को भी काफी क्रिटिसिज्म भुगतना पड़ता है। लोग भी आपकी तरफ बुरी नजरों से देखते हैं। इसलिए आप एक ऐसी दीर्घकालीन नीति की घोषणा कीजिए जिससे देश का भी फायदा हो, किसान का भी फायदा हो और कंजूमर का भी फायदा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब चेयरमैन साहेब,...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जनाब तारीफ ही करिएगा।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : डागा जी, तारीफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा मजबूर हूं, क्योंकि ऐसी बैंच पर खड़ा हूं।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : आप हकीकत तो बता दीजिए कि क्यों तारीफ नहीं कर पाएंगे ?

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : हकीकत तो वही है जो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और कुछ और मैम्बरान ने कही है।

जनाब चेयरमैन साहेब, आज के मौजूं फूड एण्ड सिविल सप्लाई की डिमांड पर बहुत मैम्बरान बहुत कुछ बोल चुके हैं। यहां पर मैं चन्द शिकायतों के बारे में कहते हुए अपनी राय देना चाहता हूं। असल वजह क्या है, जो कास्तकार अपना गल्ला बाजार में बेचता है। इसकी मैं मौजूदा मिसाल देना चाहता हूं। अब रबी की फसल कट चुकी है, थ्रेशर चल रहे हैं। कास्तकार की जिंदगी उसके गल्ले पर

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

है। वह उसी से कपड़ा खरीदता है, उसी से अपने बच्चों की तालीम का इन्तजाम करता है और उसी से अपने बच्चों की ब्याह शादी की व्यवस्था करता है। मगर अभी तक एफ० सी० आई० ने सेन्टर्स नहीं खोले हैं। तो वह गरीब क्या करेगा ? वह गरीब अपना गल्ला कहां ले जाएगा ? वह सिवाय इससे कि मार्केट में अपना गल्ला लेकर जाए, दूसरा कोई रास्ता उसके सामने नहीं है। मार्केट में दलाल और बनिया बैठे हुए हैं, वे चाहेंगे जिस रेट में उसका गल्ला खरीद लेंगे। उसको तो अपना गुजारा करना है वह बेच देता है।

दूसरी चीज यह है कि एफ० सी० आई० जो गल्ला खरीदती है, उसका मोड आफ पेमेंट ठीक नहीं है। वह अजीबोगरीब है क्यों थ्रू बैंक्स है। बैंक वाले कहते हैं कि अभी हमें अलाटमेंट नहीं आई है, कभी कहते हैं कि हमें आर्डर नहीं मिले हैं। यदि उसको चैक मिल भी गया, तो बैंक वालों को यह अटैस्ट करा के लाओ कि महफूज अली खां आप ही हैं। सबसे बड़ी परेशानी कास्तकार के सामने जो आती है, वह यही आती है। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। इस मोड आफ पेमेंट को बहुत जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों ने एफ० सी० आई० को तिजारत समझ रखा है।

क्या एफ० सी० आई० के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने गोदाम बना सके। प्राइवेट सेक्टर इस फिक्र में रहता है कि हमको किसी तरह गोदाम बनाने की परमिशन मिल जाए। इन्होंने हर जिले में अपने छोटे-मोटे गोदाम बना रखे हैं और वहां पर केवल एक काला तिरपाल लगा देते हैं जिससे आधा गल्ला बाहर पड़ा रहता है और वह बारिश में गीला होता रहता है। बाद में वही गल्ला राशन की दुकानों में बिकता है। आपको इसमें अवश्य सुधार करना चाहिए।

इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार सारी सहूलियतें देने की कोशिश करती है, लेकिन वह अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के जरिये भी पैदा करती है। अधिकारी लोग घर में बैठकर ऐसी स्कीमें बनाते हैं जिससे वह मालोमाल हो जाते हैं।

मैंने अपनी कांस्टीटुयेंसी में देखा है कि अगर एस०डी०एम० को दो हजार रुपये दे दो तो फेयर प्राइज शाप्स खोलने का लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। वह यह नहीं देखते हैं कि कहीं माइनारेटिज भी रह रही है और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी रह रहे हैं। जो उनको रिश्वत दे देगा उनको उन शाप्स के लाइसेंस मिल जायेंगे।

आज कोआपरेटिव सोसाइटियां भी बिल्कुल फेल हो गई हैं। इसमें जितनी बेईमानी है, वह बताने लायक नहीं है।

आज फेयर प्राइज शाप्स वाले नाप-तोल में भी काफी बेईमानी करते हैं। वह इस कारण से बेईमानी करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास चीनी और गेहूं के जो बोरे आते हैं वह वजन में काफी कम होते हैं। राशन शाप वाला कहता है कि हम भी क्या करें, सरकार हमें ठीक वजन से गेहूं और चीनी नहीं देती है।

देहातों में आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि राशन की मिट्टी के तेल की जो दुकानें हैं वह 4-5 मील दूरी पर हैं जिससे कोई इतनी दूर जाना पसन्द नहीं करता है। गरीब आदमी कहता है कि 2-3 लीटर मिट्टी के तेल के लिए इतनी दूर आ नहीं सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप देहात में घरों के पास ही मिट्टी के तेल की दुकानें खोलने की व्यवस्था करें।

हमने यह भी देखा है कि अगर कोई 30-31 तारीख को राशन लेने जाएगा तो उसे कभी राशन

नहीं मिलेगा। दुकानदार कहता है कि अब 30 तारीख हो गई है हमारे पास गेहूं चावल आदि सब समाप्त हो गया है।

यह भी देखने में आया है कि कई स्थानों पर बोगस राशन कार्ड बनते हैं। अगर किसी जगह की 2 हजार की आबादी है तो उस स्थान पर 2300-2400 राशन कार्ड होंगे जिसमें से 2300 कार्ड बिल्कुल बोगस होंगे। इसको भी आपको देखना चाहिए। तो यह हमारा निदान है। इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है।

कोआपरेटिव सोसाइटीज को दूकानें मिलती हैं उनका तजर्बा देख लीजिए, वे टोटली फेल हो चुकी हैं। ये प्राइवेट वाले तो कुछ दे भी देते हैं, कोआपरेटिव सोसाइटी वाले तो बिलकुल देते ही नहीं हैं। उनका तो हाजमा ही दुरुस्त है।

मिलावट के बारे में मैंने अभी एक अखबार में पढ़ा था कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल की फेयर प्राइस शाप्स से पामोलीन आयल लिया गया। उसमें मिलावट थी जिससे बच्चे मर गए। उसको नहीं देखा गया। उसको कोई चेक नहीं करता और चेक तो क्या करेगा ? वहां तो इंसपेक्टर की, डी० एस० ओ० की रकम मुकर्रर है मन्थली। उन्हें गर्ज क्या है चेक करने की। कोई सवाल ही नहीं उठता चेक करने का।

यही नहीं एक ही चीज नहीं है...

श्री मूलचन्द डागा : आप कहते हैं कि मिलावट है और इतना महंगा मिलता है। लेकिन आप की तन्दुरुस्ती फिर भी बहुत अच्छी है। आपकी तन्दुरुस्ती से और आपकी आवाज से मालूम होता है कि कोई मिलावट कहीं नहीं है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मुझे कहीं नजर न लग जाय डागा जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी मुहब्बत का। आप मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है।

इसी तरह सीमेंट के अन्दर भी देखिए। जिस चीज पर आप कंट्रोल कर दीजिए वह गायब हो जाती है। कंट्रोल मत कीजिए, वह चीज अवेलेबल होती है। सीमेंट पर कंट्रोल कर देते हैं, अब वह मिलता नहीं है। उसमें भी सुन लीजिए लेवी का और गैर लेवी का...

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी भी गायब हो गई।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मैं उस वक्त कांग्रेस में था, लोक दल में तो बाद में आया हूं।

2.32 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उस समय मैं कांग्रेस में था। बाद में, मैं इस दल में शामिल हुआ हूं। उस समय और सारे समय के दौरान में कांग्रेस में ही था।

[हिन्दी]

अब डिस्ट्रीब्यूशन जो दूकानों का वह बड़ा गलत है। उसमें यह सोचना चाहिए कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या जो माइनारिटीज के लोग हैं उनको वह दूकान नहीं देते, तो उनका भी कंसिडरेशन करना चाहिए। कस्बे में, टाउन में, शहर में जहां भी आप दूकान दे रहे हैं वहां यह भी कंसिडरेशन करना

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

चाहिए कि यहां आबादी इस कस्बे में, इस वार्ड में, इस जाति की ज्यादा है तो उनको भी दूकान देनी चाहिए।

करप्शन और रिश्वत को खत्म करना चाहिए। ये आपके अफसरान, डी० एस० ओ०, इंसपेक्टर वगैरह ये करप्शन करते हैं। उनकी यह हालत है जिसकी वजह से यह करप्शन चल रहा है। यह ठीक है, सरकार तो बहुत इन्तजाम करती है, लेकिन जो सरकार की मशीनरी है वह इसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करती है।

मुझे यह कहना था कि ये दूकानें जो हैं सही तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो और यह करप्शन जो चल रहा है इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे कि आखिर पब्लिक को सही चीज क्यों नहीं मिलती, सही तरीके से मिट्टी का तेल क्यों नहीं मिलता ? आप देहात में जाकर देखिए। देहातों की आबादी बहुत ज्यादा है। शहर वालों को तो बिजली भी मिल जाती है लेकिन देहात में तो सिवाय मिट्टी के तेल के और वह जला क्या सकते हैं ? वह भी उनको नहीं मिलता। शकर भी उनको खास को नहीं मिलती है। हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को चाहिए कि वह अपना सजेश्चन दें कि फर्ज कीजिए कि शक्कर का एरिया कौन सा है, गन्ने का एरिया कौन सा है, वहां पर कोआपरेटिव की फैक्ट्री खोली जाय। यह आपके सजेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इससे आसानी से शक्कर हमको खाने को मिल सकेगी।

तो मैं दरख्वास्त करूंगा मिनिस्टर साहब से कि जो मैंने सजेश्चन दिए हैं, उनका ख्याल किया जाय।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय हस्तक्षेप करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे सिर्फ बीच में बोल रहे हैं। आप सभी बाद में बोल सकते हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : क्या यह हस्तक्षेप करने का ढंग है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागाजी के बगैर हम कैसे वाद-विवाद को पूरा कर सकते हैं ? चिन्ता मत कीजिए।

योजना मन्त्रालय में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मेरे वरिष्ठ सहयोगी द्वारा श्री डागा जी को उत्तर दिए जाएंगे।

श्रीमान, मुझे इस समय हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब तक विभिन्न विषयों पर 22 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के विभिन्न और विशेषकर भारतीय खाद्य निगम के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। इस सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मैंने यह भी कहा था कि यहां कुछ ऐसे विभिन्न पहलू भी हैं जिन पर सरकार द्वारा ध्यान देना आवश्यक है और माननीय सदस्यों की आलोचना कुछ हद तक ठीक थी। मैं उनका और सरकार द्वारा खाद्य और पूर्ति विभाग को अपेक्षित स्तर के योग्य बनाने के उद्देश्य से उठाये गए कदमों का वांछनीय ढंग से जिक्र करूंगा।

उठाये गए विभिन्न मुद्दों से निपटने से पहले, समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाये। जहाँ तक हमारे देश का सम्बन्ध है, यहाँ पर 5,70,00 से कुछ अधिक आबादी वाले गांव हैं। और ये 356 जिलों के 5056 प्रशासनिक खंडों में स्थित हैं। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार, हमारे देश की जनसंख्या 69 करोड़ है। आजकल, हमारे देश की इस जनसंख्या के लिए, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग को कुछ निश्चित कर्त्तव्य निभाने हैं। जैसाकि आप जानते हैं, उत्पादन के बाद, प्रथम कार्य अनाज का इन्तजाम करने का है। जब अपेक्षित स्तर पर अनाज की प्राप्ति कर ली जाती है अर्थात् पौष्टिकता और दूसरे गुण का हिसाब से जैसे कि अनाज में नमी की प्रतिशत कितनी है इत्यादि, यह भंडारण तक पहला कार्य हो जाता है। फिर, भंडारण के बाद इसे सारे भारत में उपलब्ध कराना पड़ता है। वर्तमान में हमारे देश में वितण के लिए लगभग 3,25,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं या कम से कम इन दुकानों के जरिए पर अनाज की ऐसी मात्रा उपलब्ध करवाते हुए कि अगर वे खुले बाजार में जाये तो जहां तक सम्भव हो सके वे विचौलियों के शिकार न बनें। इसलिए हर रोज सुबह से लेकर सायं तक पर उनकी जरूरत के अनुसार भोजन देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उचित मूल्य की दुकानों और बाजार में भी उचित मूल्य पर इसका प्रबन्ध करना है। इसके साथ-साथ हमें जनजातीय लोगों पर भी विचार करना है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और बिभिन्न योजनाओं जैसे 'काम के बदले अनाज' के तहत कार्य कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी श्रेणी के लोगों जैसे गर्भवती महिलाओं बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ 29600 फीट ऊँचे केतु शिखर से लेकर बिल्कुल नीचे (जीरो लेवल) तक विभिन्न तरह के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ लम्बे पर्वतीय ढलानों, मरुस्थल क्षेत्रों, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात, फिर 7000 किलोमीटर लम्बे समुद्री किनारों तक हमें विशेष बल देना है—और यह हमारी भारत माता है। अब, हमें यहाँ पर विशेष कर्त्तव्य निभाना है। हमारी प्रिय श्रीमती इन्दिरा जी ने अप्रैल 1984 में राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्षता करते हुए पूर्व सांतवीं पंचवर्षीय योजना—जो अभी नीति पत्र के रूप में ही थी—को तीन शब्दों में उल्लिखित किया था भोजन, काम और उत्पादकता पूर्ण साँतवीं योजना में इस पर सबसे पहले बल दिया गया था। इसलिए जहां तक लोगों के लिए भोजन का सम्बन्ध है, हम सरकार को सौंपे गए विशेष कर्त्तव्य से पूरी तरह अवगत हैं। भोजन, काम और उत्पादकता पर बल प्रदान किया जायेगा। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कभी-कभी उचित आलोचना की है और प्रश्न पूछे हैं कि क्या ये चीजें लोगों को प्राप्त हो रही हैं या नहीं। इसलिए अब हमारे प्रधानमन्त्री ने भोजन काम और उत्पादकता के बाद दो शब्दों गतिशीलता और दक्षता पर जोर दिया है।

इस सामान्य पृष्ठ भूमि के साथ, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का एक-एक करके मूल्याँकन किया जाये, कि क्या सभी कर्त्तव्यों और जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए हम एक मूल्यांकन कर रहे हैं, कि हम उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, कि क्या लोगों लिए उत्तम भोजन मुहैया कराने और वितरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या हम पीछे रह रहे हैं। क्या इसमें सिर्फ आँकड़ों में सुधार हो रहा है या फिर असलियत में सुधार हुआ हैजिससे कि लोगों को यह महसूस हो कि उनका कुछ तो भरण पोषण हो रहा है, और इस योजना और भविष्य के लिए विस्तृत योजना प्रणाली के संबंध में एक परियोजना है।

सारे मामले की व्याख्या करने के लिए कुछ निश्चित आँकड़ों को पेश करने की आवश्यकता है। सन् 1983-84 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 152.37 मिलियन टन हुआ जो एक रिकार्ड है। और सन् 1985-86 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन उतना अपेक्षित है जितना गत वर्ष हुआ था। उत्पादन में थोड़ी सी गिरावट आने पर भी 1983-84 से खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ी है क्योंकि लगातार

[श्री ए० के० पांजा]

अच्छी फसल हुयी है और वितरण की संरचनाओं, अनाज प्राप्ति साधनों, भंडारण संरचनाओं तथा वितरण में प्रबन्धकीय सुधार हुआ है।

मैं यहां भारतीय खाद्य निगम के 125 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के घाटे का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं और मेरे माननीय वरिष्ठ साथी सबसे पहले इन घटनाओं के क्षेत्रों को अलग-थलग करने के लिए हर रोज बैठक बुलाते हैं। कौन-कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी बातें हैं और तत्व ही इस घाटे का कारण है? इस घाटे के कारणों को अलग-थलग करने के बाद, हम कमियों को दूर करने के लिए इस ढंग से एक-एक कदम उठा रहे हैं कि जहां तक सम्भव हो सके कम से कम घाटा हो और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं यह दिखाने के लिए आंकड़ों का जिक्र भी करूंगा कि कैसे नुकसान को कम किया गया है।

जहां तक समर्थन मूल्य देने का सम्बन्ध है, इसकी आलोचना कभी-कभी तो उचित और कभी-कभी गलत आंकड़े पेश करके की गयी है, यह कहा जाता है कि यद्यपि हम किसानों को 4 रुपये बढ़ोतरी के रूप में दे रहे हैं, फिर भी निर्गम मूल्य को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। जिन किसानों को समर्थन मूल्य और बढ़े हुए निर्गम मूल्य दिये गये हैं, उनका इतिहास लेते हुए मैं निश्चित तौर पर कुछ आंकड़े बताऊंगा जो यह दर्शाएंगे कि सभी वर्षों में ऐसा नहीं होता। यहां, कुछ निश्चित आंकड़ों की आवश्यकता है। जहां तक वर्ष 1984-85 का सम्बन्ध है। खाद्यान्नों की प्राप्ति का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। यह 20.17 मिलियन टन है। यह खास तौर पर वर्ष 1983-84 के 17.70 मिलियन टन के पूर्व कीर्तिमान से अधिक है। चावल प्राप्ति का भी 9.82 मिलियन टन का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और गेहूं की प्राप्ति 10.34 मिलीयन टन की थी। यह प्रभावित समर्थन मूल्य की वजह से हुआ है। अब हम दो बातों पर विचार कर रहे हैं। एक तो यह कि कोई मजबूत बिक्री नहीं होनी चाहिए और दूसरी यह कि हमें खाद्यान्नों की खरीद जरूर करनी चाहिए। अगर हमारा समर्थन मूल्य उचित नहीं है तो हम इतनी अधिक खरीद करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे। मजबूरन बिक्री की हमें कुछ शिकायत मिली हैं किन्तु उनको भी सही नहीं पाया गया। खाद्यान्नों की खरीद मशीनरी ने प्रथम बैशाखी से ठीक ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया था और यह लगातार लगभग 8 मास तक कार्य करती रहेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस कष्टदायक उत्तरदायित्व और खाद्यान्नों की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में विचार करें। और निश्चित रूप से, मैं माननीय वरिष्ठ और योग्य सदस्य और खासतौर से मेरे आदरणीय साथी श्री रेड्डी से यह देखने का अनुरोध करूंगा कि दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए और जो साधन उनके पास उपलब्ध है, उसे ध्यान में रखकर देखें कि किस ढंग से खाद्यान्नों को लाया और ले जाया जाता है।

कमी की समस्याओं की बजाये भारत अब प्रचुरता की समस्याओं का सामना कर रहा है। कमी की समस्या का सामना परीक्षण द्वारा किया गया है। हम अकाल और भुखमरी का सामना कर चुके हैं। लेकिन आज यहां खड़े होकर मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में अकाल के कारण भुखमरी से मौते पूर्णतया समाप्त कर दी गई है।

निस्सन्देह हमारे देश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं और जो भोजन उन्हें मिलता है उसमें पर्याप्त कैलोरी तथा पौष्टिक तत्व नहीं होते। मैं यह कहकर भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता कि यह राज्यों का प्राथमिक कर्त्तव्य है। वास्तव में यह राज्यों का प्राथमिक कर्त्तव्य है, परन्तु हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है। और जहां भी हम किसी प्रकार की त्रुटि पा रहे हैं, लगभग

प्रति दूसरे दिन हम राज्यों को अनुदेश दे रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मैं मुख्य मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधानों का ध्यानाकर्षित करने के लिए उन्हें पत्र लिख रहे हैं कि उचित मूल्य की दुकानें बढ़ाई जाये यह जानने के लिए कि किसी विशेष राज्य में कितनी कमी है, उनकी कठिनाइयां जानने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि कुछ चीनी मिलें सही ढंग से क्यों नहीं चल रही हैं, यह सुझाव देने के के लिए कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र का विकास कैसे किया जाने, गन्ना उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि जानने के लिए आदि आदि। प्राथमिक तौर पर ये सभी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की है।

मैं कुछ आंकड़े निश्चित तौर पर देना चाहूंगा। इन आंकड़ों से यह साफ हो जायेगा कि यह आलोचना कि किसानों को 5 रुपये प्रदान करके एफ० सी० आई० अधिक कमा रही है, गलत है। गेहूं का विक्रय वर्ष अप्रैल से मार्च होते हुए, मैं 1979-80 से वसूली मूल्य (प्रति कुन्तल आंकड़े) के उदाहरण दूंगा। 1979-80 में वसूली मूल्य 115 रुपए था जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अन्तंगत 130 रुपए था। 1980-81 में वसूली मूल्य 117 रुपये था यानि किसानों को थोड़ा और लाभ मिला। लेकिन निर्गम-मूल्य 130 रुपये ही रहा। 1981-82 में वसूली मूल्य 130 रुपए हो गया। 1083-84 से वसूली भूल्य 151 रुपए रहा। 1982-83 में वसूली मूल्य 142 रुपए हो गया और निर्गम मूल्य 145 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गया। 1983-84 में वसूली मूल्य 151 रु० था, जबकि निर्गम-मूल्य 172 रुपये रहा। 1984-85 में वसूली मूल्य 152 रुपए था, और निर्गम मूल्य 172 रुपये। आंकड़े नियत रखने का प्रयास किया गया है। 1985-86 में वसूली मूल्य 157 रुपये था। अब भी निर्गम-मूल्य 172 रुपये बना हुआ है। पहली अप्रैल 1986 से वसूली मूल्य, वास्तव में बढ़कर 162 रुपए हो गया और 1-2-1986 से निर्गम मूल्य 190 रुपए।

यदि हम वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य की, पिछले तीन सालों की गणना करें, तो निर्गम मूल्य 193 रुपए होता, लेकिन हमने इसे 193 रुपए तक नहीं बढ़ाया, यह 190 रुपए था क्योंकि गिरावट का भी ध्यान में रखना पड़ा था।

दूसरे, किसानों को न केवल लाभजनक वसूली मूल्य दिया जाना चाहिए बल्कि कृषि से संबंधित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। हमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से वह धन प्राप्त करना है जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा वांछित कृषि सुविधाओं अर्थात, उवरंकों, जल प्रदाय, तथा सिंचाई के लिए आवश्यक है। हमें इन सब पर विचार करना है। इसलिए, विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा योजना-कार्यक्रमों के अन्तंगत दिये गए लाभ के लिए यह किया गया है। अन्यथा, विकल्प निर्गम मूल्य को बढ़ाने का नहीं है। बल्कि कुछ योजनाओं अथवा परियोजनाओं को रोकने का है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे सहमति नहीं प्रकट करेंगे। यह देखा गया है कि धन की तंगी के कारण निर्धन और कमजोर लोगों के लिए अभिप्रेत परियोजनाओं के रोक दिये जाने पर शहरी क्षेत्र के लोग जो समाचारपत्र पढ़ते हैं तथा अपनी बात संप्रेषित कर सकते हैं, चिल्लाने लगते हैं। गांवों में जिनकी संख्या 5-72,000 है, का पक्ष उठाने वाला कौन है? यह माननीय सदस्यों पर है जो कि जनता द्वारा चुने गए हैं कि वे ग्रामीण वासियों के सम्बन्ध में सोचे। उनके हित के लिए चिल्लाने वाला कोई नहीं है। इसलिए दोनों में समानता लानी होगी, गांवों के लिए सर्वश्रेष्ठ एक तरीका खोजना होगा। और यह खोजा जा चुका है।

इसलिए, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण वसूली मूल्य में 5 रुपये की वृद्धि के तर्क की सराहना करेंगे। सातवी योजना की समग्र विकास पद्धति और उस पर पूर्ण जोर भारत को सभी क्षेत्रों में महान बनाने का है। हमारे सबके प्रयत्नों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा।

[श्री ए० के० पांजा]

अगला मुद्दा, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं भण्डार के सम्बन्ध में…

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कृपया धान के सम्बन्ध में भी बतायें। आपने केवल गेहूं के बारे में आंकड़े दिए हैं।

श्री ए० के० पांजा : मैं बताऊंगा। गेहूं के बारे में मैंने उदाहरण के रूप में बताया। धान और दूसरी अन्य चीजों के बारे में निश्चित तौर पर बताया जाएगा।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री ए० के० पांजा : चावल पं० बंगाल में भी पैदा किया जाता है और मैं चावल भी खाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : चावल खाने के बाद भी, आप इस विषय को श्री शिवशंकर जी पर छोड़ रहे हैं।

श्री ए० के० पांजा : चावल के हम दोनों ही शौकीन हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : अचानक ही 18% की वृद्धि…(**व्यवधान**)

श्री ए० के० पांजा : दो कारणों से : (क) हम चावल किसानों को 5 रुपए अधिक देना चाहते थे और (ख) यदि आप इन तीन सालों, में आसादन मूल्य और निर्गम मूल्य में हुई वृद्धि की गणना करें तो निर्गम मूल्य 193 रुपये होता जबकि हमने इसे 190 रुपए रखा। जब तक कि हम इन क्षतियों को दूर न करें, हमें यह धन अन्यत्र कहीं से लेना होगा। क्या आप इस धन को मरुस्थल विकास कार्यक्रमों अथवा अन्तःस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से प्राप्त करना चाहते हैं ? क्या आप मुझसे चाहते हैं कि इसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से प्राप्त करें ? नहीं क्या आप मुझसे चाहते हैं कि इसे मैं जन-जीतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सेप्राप्त करूं ? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम से प्राप्त करूं ? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि इसे मैं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से लूं ? नहीं। फिर कहां से इसे प्राप्त करूं ? हमें इसके लिए प्रस्थापित प्रक्रिया के अनुसार भूमि नियमों के अर्न्तगत कर में वृद्धि करनी पड़ती है, जिसे धनी लोगों से वसूल करना होता है। अकस्मात, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे प्रत्यक्ष करारोपण द्वारा धनी लोगों से वसूल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने वित्त मन्त्री को कहते सुना है कि विकास प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। मैं माननीय सदस्य गणों से अनुरोध अपील करूंगा कि वे धन जुटाने के विषय में सोचें। नहीं तो इसे नासिक मुद्राणालय में मुद्रित करना पड़ेगा। हम इस तरह से धन तो जुटा सकते हैं लेकिन मैं पूछता हूं क्या होगा ? हम लोगो को यह कहकर धोखा नहीं दे सकते कि कर में वृद्धि नहीं की गयी है। हमने कीमतें नहीं बढ़ायी हैं। लेकिन जब एक ग्रामीण गरीब आदमी 10 रुपये लेकर जाता है और इसकी कीमत 5 रुपये पाता है तब उसे कष्ट की अनुभूति होती है। इससे अत्यधिक मुद्रास्फीति होगी। क्या आप हमसे यह कराना चाहते हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : थैला भरकर रुपए ले जाओ और जेब भरकर चाकलेट लाओ।

श्री ए० के० पांजा : मेरे वरिष्ठ साथी ने बताया है कि थैला भरकर रुपये ले जाओ और जेब भरकर चाकलेट लाओ। इसलिए कृपया इस पर विचार कीजिये कि हम या तो नासिक प्रिंटिंग प्रैस में और नये नोट छापें या हम कहीं और से कटौती करें। अन्यथा कहने का मतलब है कि हमें मूल्यों को

बढ़ाने से बहुत खुशी होती है जबकि इसका भार निर्धन लोगों पर पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनके नासिक जाने का मतलब है कि आप सभी परियोजनाओं से कटौती कर रहे हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इसमें लोगों की क्रय क्षमता के अनुरूप वृद्धि होती है ?

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : पांच रुपए क्विंटल आप किसान को देते हैं और 18 रुपए कमाते हैं, यह बात हमको समझाइए।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जिस ढंग से इसे किया गया है उसे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपने स्पष्ट किया होगा लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपने माननीय मन्त्री जी को सुन लिया है आप इन सब बातों को उस समय उठा सकते हैं जब आप बोलेंगे।

श्री ए० के० पांजा : जब आप इस तरफ आयेंगे तब आप निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करेंगे। जहां तक सार्वजनिक वितरण स्टाक का सम्बन्ध है, हम सौभाग्यशाली हैं। यह स्टाक 1 जुलाई 1984 में 224.5 लाख टन की तुलना में 1 जुलाई 1985 को 286.5 लाख टन तक पहुंच गया है। हम किसानों, खेतों में काम करने वाले लोगों और श्रमिकों के आभारी हैं। ये आकड़े वांछित स्तर से अधिक हैं अर्थात सुरक्षित भंडार में 100 लाख टन रखने के बाद के हैं हमारे पास 1 जुलाई को 100 लाख टन सुरक्षित भण्डार और 114 लाख टन परिचालन भण्डार होना चाहिए। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 114 लाख टन परिचालन स्टाक में रखने के बाद और 100 लाख टन सुरक्षित भंडार में रखने बाद हमारे पास जो फालतू खाद्यान्न बचा है उसका प्रयोग हम अत्यन्त जरूरतमन्द लोगों के लिए कर रहे हैं। 1 जुलाई को 134 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से भंडार के आंकड़े दे रहा हूं। 1 जुलाई 1984 को यह 178 लाख टन था। 1 जुलाई 1985 को यह 207 लाख टन था। चावल की अपेक्षित मात्रा 80 लाख टन है ; 1 जुलाई 1984 को यह 46 लाख टन था और 1 जुलाई 1985 को यह 77 लाख टन था। अपेक्षित भण्डार में उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मानक प्रतिमान के अनुसार इस प्रयोजन के लिए 50 लाख टन का सुरक्षित भण्डार शामिल है ताकि भारत को उन मुश्किलों का सामना न करना पड़े जिनका उसने आरम्भिक वर्षों में किया था। वितरण में वृद्धि होने से हमें कुछ उपाय करने पड़े हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि प्रचुरता की समस्या आ जाती है। जब अच्छी खरीद होती है तो हमारे पास उचित भण्डार होना चाहिए। और न केवल उचित भण्डार होना चाहिए बल्कि इस तरह से भंडार होनी चाहिए कि हम ठीक ढंग से वितरण कर सकें। इसलिए राज्य सरकारों को खाद्यान्न आबंटन के मामले में हमने उदारता बरती है और कार्डधारियों को यह अनुमति दी गई है कि वे जितना गेहूं चाहें ले सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। यद्यपि हमने इस बारे में जहां तक सम्भव हो सका है केन्द्रीय सरकार के ऊपायों के माध्यम से जनता को सूचित करना शुरू किया है। राज्य सरकारों को भी अपना कर्त्तव्य पूरा करना होगा। निश्चित रूप से माननीय सदस्यगण भी जनता तक यह संदेश पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं वे कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही कार्डधारियों को यह बता सकते

[श्री ए० के० पांजा]

हैं कि वे राशन की दुकानों से अपनी आवश्यकतानुसार गेहूं ले सकते हैं। यदि कोई शिकायत आती है तो कृपया हमें सूचित करें। सामान्य शिकायतों से समस्याएं पैदा होती हैं। परन्तु यदि हमें विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम आपको आश्वाशन देते हैं कि जब कभी ऐसी शिकायतें की जाएंगी उनका तुरन्त निवारण किया जावेगा।

3.00 म० प०

जहां तक रोलर आटे की चक्की का सम्बन्ध है उन्हें अपनी क्षमता के 125 प्रतिशत तक पीसने की अनुमति दी गई थी देश में गेहूं की वृद्धि को देखते हुए उसे बाद में 150 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था।

हमारे प्रिय प्रधान मंत्री, स्वर्गीय इन्दिरा गांधी के जन्म दिन 19 नवम्बर, 1985 पर हमारे प्रधान मन्त्री ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न के वितरण के वास्ते तीन नई कल्याण योजनाओं की घोषणा की ताकि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है। खाद्यान्न के वितरण के लिए पहली योजना जनजाति क्षेत्रों में विशेषरूप से कम दर पर अनाज देना है। इस योजना के अन्तंगत जनजाति क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं और 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से साधारण चावल दिया जा रहा है। इस योजना से 570 लाख लोग लाभान्वित होते हैं।

दूसरी योजना एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० का विस्तार करना है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को निःशुल्क खाद्यान्न देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना और ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्मति बनाना है।

तीसरा, युवा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पोषक माताओं के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम को अतिरिक्त समर्थन दिया गया है।

इन उपायो के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की कुल खरीद 1984 में 133.3 लाख टन से बढ़कर 1985 में 155 लाख टन दी गई है।

ये मुख्य बातें थी जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता था। परन्तु माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाये हैं।

एक वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री सी. माधव रेड्डी ने यह कहा था कि पिछले पांच वर्षों में एफ. सी० आई० को 600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और खाद्यान्न के भण्डार में होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं परन्तु हम इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश में अनाज को बर्बाद या खराब किया जाता है जबकि 69 करोड़ लोगों में से 27 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे हैं इसलिए इसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है और इस बारे मे पहले से ही कुछ कदम उठाए गए हैं। आप देखेंगे कि कदम उठाए जाने के कारण हानि का प्रतिशत 1982-83 में 2.37 प्रतिशत से घटकर 1983-84 में 2.11 प्रतिशत तथा 1984-85 में 1.94 प्रतिशत हो गया है। 1982-83 में 143.66 करोड़ रुपये की, 1983-84 में 140.70 करोड़ रुपये की और 1984-85 में 122.76 करोड़ रुपए की कुल हानि हुई है। यदि हम उसके लिए सबको दोष दें तो शायद हम न्याय नहीं करेंगे। इतने अधिक श्रमिकों में से, इतने अधिक कर्मचारियों में से और इतने अधिक अधिकारियों में से कुछ बहुत अच्छे लोग पूर्ण कुशलता के साथ कार्य करते हैं और कहीं कुछ

गलत लोगों के कारण निश्चित रूप से हमें हानि हो रही है। जहां तक सम्भव है हम प्रचलित कानूनी प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं और जहां तक सम्भव है हम कदम उठा रहे हैं परन्तु उनके साथ मैं श्री रेड्डी से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। 1982-83 में 312.8 लाख टन खाद्यान्न का क्रय और विक्रय किया गया था जिसकी कीमत 5968 करोड़ रुपये है। कृपया हानि की तुलना करें। मैं इसका समर्थन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हम पता लगा रहे हैं कि न्यूनतम हानि कितनी होनी चाहिए, ढुलाई में कितनी हानि जायज है। यदि हम एक मुट्ठी अनाज ले जाना चाहते हैं तो इसमें से कितना नीचे गिरना जायज है एक दो या पांच। अतः हम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वास्तविक रूप में कितनी हानि होना जायज है। इसको पंजाब से, जहां इसे उगाया जाता है ट्रक द्वारा निकटतम डिपो में ले जाया जाता है इसके बाद रेल द्वारा कभी-कभी खुले माल डिब्बे और कभी-कभी बन्द माल डिब्बों में देश के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए ले जाया जाता है, जहां कभी है जहां इतना अधिक चावल या गेहूं की पैदावार नहीं होती है। इसलिए, हमें पता लगाना होगा कि हानि की कौन सी सीमा होनी चाहिए जो कि उचित हो। 1983-84···(व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपए की हानि है जिसका अर्थ 10 करोड़ रुपए प्रति महीने जिसका मतलब 33 लाख रुपए प्रतिदिन। आपने इस बारे में क्या लेखा दिया है···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि आप इसकी और आगे गणना करते हैं तो यह प्रतिघंटे एक लाख रुपये से अधिक होगा।

श्री राम सिंह यादव : अब प्रतिदिन 33 लाख रुपए की हानि है जिसका आप हिसाब बता रहे हैं? इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? यह हिसाब आपको बताना चाहिए।

श्री ए० के० पांजा : मुझे खेद है, शायद मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट नहीं कर सका हूं। मैं सौंपी गयी जिम्मेदारी के बारे में बता रहा था। और इस जिम्मेदारी को लेते हुए—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हानि उचित है उचित हानि क्या होनी चाहिए। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने वो किया है परन्तु मैं तुलनात्मक आंकड़े दे रहा हूं। वहां बहुत से लोग काम करते हैं। यदि मैं एकदम यह कह दूं कि खाद्य विभाग में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गरीब श्रमिक और क्लर्क से ऊंचे अधिकारी तक सभी भ्रष्ट हैं तो यह उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि ये सभी लोग वहां काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको करना है। 1983-84 में 319.8 लाख टन का क्रय और विक्रय किया गया था जिसकी कीमत 6,469 करोड़ रुपये है। उस वर्ष में 1.40 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह उचित है परन्तु मैं तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं। 1984-85 मे 295.1 लाख टन का क्रय-विक्रय किया गया था जिसकी कीमत 6,128 करोड़ रुपये थी। उस वर्ष 122.76 करोड़ रुपये की हानि हुई। हमारे वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ढुलाई में और भण्डार प्रणाली द्वारा कितनी उचित हानि होनी चाहिए और उसके बाद हम निश्चित रूप से इस सभा में बताने की कोशिश करेंगे और कहेंगे··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उचित हानि का पता लगाने के बजाए हमें यह देखना चाहिए कि हानि को किस प्रकार से रोका जाए। मैं समझता हूं कि यह अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैं यह कह रहा हूं। हम वास्तविकता से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। हमें व्यावहारिक होना होगा। कुछ चीजें प्रणाली में स्वतः लगी हुई है। क्या पूरे भारत में कोई

[श्री ए० के० पांजा]

गृहिणी कह सकती है कि अनाज का एक दाना भी घर में खराब नहीं हुआ है ? परन्तु अच्छी गृहिणी कह सकती है कि उसने हानि में इस प्रकार से कमी की है कि उपयोगिता बढ़ी है और खाद्य-सामग्री सुरक्षित रखी गयी है। इस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं। परन्तु जहां तक भण्डारण हानि का सम्बन्ध है तत्काल कदम उठाने होंगे। हमने कुछ कदम उठाए हैं। पहला, निर्दिष्ट श्रेणी का खाद्यान्न खरीद करना है। 18 प्रतिशत नमी से अधिक गेहूं और अनाजों को स्वीकार करने के लिए कुछ राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हम उसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब गेहूं को भण्डार में रखते हैं तब यह ठीक नहीं रहता है।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि 100 रु० में से 2 रुपए की हानि हुई है। प्रत्येक 100 रुपये में से यदि एक नौकर प्रतिदिन 2 रुपये की चोरी करता है तो क्या आप इस तरह के नौकर को रखना चाहेंगे ? मैं नहीं समझता कि उसे कोई रखेगा ?

श्री ए० के० पांजा : मुझे खेद है ; मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने इसे कहां सुना है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने गृह पत्नी कहा था न कि घरेलू नौकर।

श्री ए० के० पांजा : इस घाटे को पूरा करने के लिए कतिपय कदम उठाये गये हैं। यद्यपि वे सभी बहुत सन्तोषजनक नहीं हैं। निर्देशन के अन्तर्गत खरीददारी शर्तों में से एक है जिस पर हम बल दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, मात्रा भरने में कटौती। यह कहा गया है कि एक बोरी में 95 किलोग्राम होता है और अगर उसमें और अधिक डाला जाये तो ठूसकर भरने के कारण बोरे फट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हानि होती है। अतः यह कदम उठाने से स्थिति में सुधार हुआ है और काफी हद तक नुकसान रुक गया है। हम 95 कि० ग्रा० भर रहे हैं—इसमें 95 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हम बोरों के 100 % तौलने तथा जिन डिपुओं की जिनकी क्षमता 5000 टन या अधिक है उनमें तुलाएं लगाने पर भी बल देते हैं। हम खुले हुए वैगनों का प्रयोग भी न्यूनतम कर रहे हैं यह भी घटकों में से एक है। हम रेलवे विभाग से जितने अधिक से अधिक बन्द वैगन दे सके देने का निवेदन करते हैं परन्तु कभी-कभी इस 8 सप्ताह या 2 माह के दौरान मांग इतनी अधिक होती है कि रेलवे विभाग स्वयं भी मांग को पूरा नहीं कर पाता है। परन्तु हम खुले वैगनों के प्रयोग को कम से कम कर रहे हैं। 1982-83 में 13.7 प्रतिशत से कम करके इसे 1984-85 में 1.3 प्रतिशत कर दिया गया था इसके अतिरिक्त कतिपय सुरक्षा को कड़ा करने, अचानक जांच पड़ताल को बढ़ाने तथा गुणवत्ता नियन्त्रण जैसे प्रशासनिक उपाय किए गए थे। माननीय सदस्य ने टिप्पणी की थी : "आप उन लोगों पर धावा क्यों नहीं बोलते ?" एक लोकतांत्रिक देश के उपलब्ध कानून के अन्तर्गत जो सम्भव है वह शुरू में में ही कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सबकुछ कर दिया गया हो। सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से कतिपय जांच-पड़तालें की गयी हैं। मैं आपको दोषी अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं उनका विवरण दूंगा। इन कदमों के अलावा कतिपय अन्य कदम भी उठाए गए हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं अगले मुद्दे पर बात करूंगा।

श्री अनूप चन्द शाह ने पूछा है कि सारे देश में एक जैसी नीति का पालन क्यों नहीं किया जाता तथा भिन्न नीति का अनुसरण क्यों नहीं किया जाता है, जहां तक केरल और बंगाल का सम्बन्ध है।

जहां तक केरल और बंगाल का सम्बन्ध है, वितरण सम्बन्धित राज्यों द्वारा शुरू नहीं किया गया है, खुदरा व्यापारियों को भी, विशेष रूप से, वितरण भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों से करना

पड़ता है। हमने यह बात सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठायी थी और वे सहमत हो गयी हैं। जब तक हम समझौते के अन्तर्गत कार्य करते रहे हैं, वे सहमत नहीं हो रहे थे, राज्य सरकारें सहमत नहीं हो रही थीं। अब वे सहमति हो गयी हैं, मुझे बताया गया है, तथा इसे किस प्रकार से उन्हें सौंपा जाना है उसकी रूपात्मकतायें तैयार की जा रही हैं। अतः सारे भारत में, केरल और पश्चिम बंगाल सहित, सभी राज्यों में एक ही नीति रखने का प्रयास कर रहे हैं।

शाह जी ने भी राज्य खाद्य निगम की स्थापना सम्बन्धी एक और मुद्दा उठाया था। इस समय हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके माध्यम से हम सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और अब उन क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि निरीक्षण अधिक हो तथा इसे ठीक से चलाया जा सके।

जहां तक खुदरा वितरण का सम्बन्ध है मैंने पहले ही बता दिया है कि यह सम्बन्धित राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यहां, इस समय, मैं कतिपय त्रुटियों को बता सकता हूं जो हमारे ध्यान में आयी हैं और हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों से उन पर बातचीत की है। प्रत्येक 2000 जनसंख्या के पीछे एक उचित दर दुकान होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भवतः अगर कार्डधारियों के आधार पर हिसाब लगाया जाए तो अच्छा है। उदाहरण के तौर पर, 500 कार्डधारी अथवा परिवार, इसी तरह से, संख्या के बजाय आप कार्डधारियों की संख्या को लें।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, इस समय नीति यह है, 2000 जनसंख्या के पीछे एक उचित दर दुकान होनी चाहिए। यह वर्तमान नीति है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। जैसाकि आपने कहा है, महोदय, निश्चित ही मैं इस पर गौर करूंगा क्या इसे इस तरह-तरह से भी किया जा सकता है। परन्तु समस्या यह हो रही है। उचित दर दुकानों की स्थापना करना राज्य का काम है। हम क्या देख रहे हैं कि कतिपय राज्य यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिमान को पार कर लिया है, जैसे किसी राज्य ने प्रतिमान को पार कर लिया है, परन्तु हम देखते हैं कि प्रतिमान को गणितीय हिसाब से, संपूर्ण जनसंख्या को 2000 से भाग करके, पार किया गया है। परन्तु औचित्यपूर्ण वितरण पर्ट्रन का पालन नहीं किया गया है—शहरी क्षेत्र में 10 इकट्ठी जबकि उन 10 में से 8 पर्याप्त रहतीं, दो किसी और स्थान पर खोली जा सकती थी। ऐसा नहीं किया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रामीण क्षेत्रों में वे अधिक प्रभावित हैं क्योंकि शहरों में जनसंख्या झुंडों में होती है। जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां पर 5 या 6 गांव है, 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे पुरवा हैं। अतः यदि आप वहां पर वही प्रतिमान अपनाते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं। अतः इसमें रियायत करनी होगी। यहां पर हजार कार्डधारियों पर एक दुकान का अर्थ है 300 या 500 कार्डधारियों पर वहां एक दुकान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उन पर असर पड़ेगा।

श्री ए० के० पांजा : अवश्य। जैसा आप कह रहे हैं, महोदय, यह बिलकुल ठीक है। परन्तु यह पता लगाना राज्य का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : बार-बार निर्देश दिये हैं, जैसा मैंने कहा है। वास्तव में मैंने कुछ दिन पहले व्यक्तिगत रूप से सभी सम्बन्धित मन्त्रियों को यह कहते हुए पत्र लिखा था कि यह कार्य करना है, और न सिर्फ गिनती पूरी करनी हैं बल्कि औचित्यपूर्ण वितरण भी करना है—शहरी क्षेत्रों में जहां

[श्री ए० के० पांजा]

जनसंख्या घनी है वहां कितनी जरूरत है। हमने उन राज्यों को भी लिखा है, जहां पर जनजातियों की जनसंख्या बहुत हैं, कि वे चलते-फिरते वाहन प्राप्त करें जिन पर सीधी 25 प्रतिशत केन्द्रीय रियायत होगी तथा 75 प्रतिशत आसान शर्तों पर, लम्बी अवधि के ऋण दिए जाएंगे। एक वाहन खरीदने के लिए दो लाख रुपये चाहिए और हमने 71 वाहनों की बड़ी संख्या स्वीकृत की थी, जिनकी उनको जरूरत है। परन्तु यह बताते हुए दुःख होता है कि कुछ राज्यों ने सीधे ही यह कह दिया कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है, जबकि आपको मालूम है कि उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है और अगर वे इस बुनियादी ढांचे का संचालन करें तो वे उन दूर-दूर के स्थानों पर जहां आदिवासी लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के स्तर से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं या ग्रामीण लोग रहते हैं सरलता से पहुंच सकेंगे। कुछ राज्यों ने मना कर दिया है और मुझे बहुत खेद है···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : कितने राज्य इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : ···कितने राज्यों को मिल रही है ?

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : यह एक नया कार्यक्रम है। सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने इसे स्वीकार कर लिया है सिवाय, दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल राज्य के। मैं आपके ध्यान में क्यों ला रहा हूं···

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : हमें गलत नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक 2000 यूनिटों पर एक दुकान होनी चाहिए न कि 2000 जनसंख्या पर, जहां तक मुझे ज्ञात है। इसके अलावा, किसी भी उपभोक्ता को 1.5 कि० मी० से अधिक दूर न जाना पड़े। वर्तमान समय में यह नियम है। परन्तु इस 2000 यूनिट के नियम को गांवों पर प्रयोग किया जा सकता है न कि शहरों पर।

श्री ए० के० पांजा : मैं अलग बात कह रहा था। मैं चलती-फिरती उचित दर दुकानों के बारे में कह रह रहा था जो दूर-दूर के क्षेत्रों में जाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

जहां तक कमी का प्रश्न है, मुझे आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। परन्तु आंकड़ों से मैं देखता हूं कि 16 राज्यों ने प्रतिमान प्राप्त कर लिए हैं हालांकि औचित्यपूर्ण वितरण के अनुसार प्राप्त नहीं किया है, तथा 15 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने प्रतिमानों का पूरा नहीं किया है, जहां तक खुदरा दुकानों का सवाल है।

दूसरा मुद्दा जो श्री शाह ने उठाया था वह भारतीय खाद्य निगम के बोर्ड में भूतपूर्व पदेन निदेशकों, गैर अधिकारिक निदेशकों के बारे में था। अब हमारे 6 भूतपूर्व संवेद निदेशक तथा 6 दूसरे निदेशक हैं, कुल बारह। इसमें से डा० के० कृष्णामूर्ति जो आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक हैं वे बोर्ड के गैर-अधिकारिक निदेशकों में से एक हैं। दूसरे निदेशकों के अभी भी 4 स्थान रिक्त पड़े हैं। मुझे बताया गया है कि इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए हम कदम उठा रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने कहा है, मुझे बताया गया है, हम कदम उठा रहे हैं ? "हम" का मतलब क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार कदम उठा रही है। मन्त्रालय उठा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : मन्त्री जी ने साहसिक कदम उठाये हैं। जहां जरूरत हो आप आलो-

चना कर सकते हैं और जहां वह कार्रवाई भी करते हैं वहां आपको मन्त्रीजी की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं यह आधे घंटे की चर्चा के दौरान भी कह सकती है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आप इनके लिए आधे घंटे का समय निकालिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री ए० के० पांजा : श्री सैयद मसूदल हुसैन, श्री व्यास और श्री सुमन ने ठेकेदारों के लाभ के लिए अनावश्यक स्टाक भेजने के बारे में तथा स्टाक को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए, के बारे में मामला उठाया था। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा खुले रूप से खाद्यान्नों की बिक्री करने तथा भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ को रिश्वत देने के बारे में भी उल्लेख किया था।

कुछ कदम मैंने तथा मेरे वरिष्ठ साथियों ने सीधे ही उठाये हैं। पहला है, स्टाफ की कार्य-कुशलता को सुधारने के लिए कड़ी नजर रखी जाती है तथा भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्यवाई भी की जाती है। कमी के लिए ठेकेदारों पर जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाती हैं और उनसे उसकी वसूली की जाती है। जब कभी मैं प्रबन्धकों तथा सरकार के ध्यान में विशिष्ट शिकायते लायीं जाती हैं तो उन पर ध्यान दिया जाता है और उपचारात्मक कार्यवाई की जाती है। 1985 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम के 609 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाई शुरू की गई थीं और 778 कर्मचारियों पर सीधे ही दण्डित किया गया था। 1985 के दौरान, 76 कर्मचारियों को, जिसमें 2 प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी थे, सवामुक्त या सेवा-निवृत किया गया था। हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के 26 अधिकारियों के घर पर, 18 दर्ज किये गये मामलों के सम्बन्ध में, छापे मारे हैं।

व्यास जी ने भी कतिपय विशिष्ट आरापों के बारे में मामला उठाया था। उनका भाषण सुनते हुए मेरे वरिष्ठ साथी ने पहले ही सभा में खड़े होकर सभा को आश्वस्त किया था कि अगर किसी भी माननीय सदस्य द्वारा विशिष्ट मामले और नाम के बारे में विवरण दिया जायेगा तो उस पर कार्यवाई की जायेगी। आप जानते हैं कि देश के कानून के अनुसार हमें कम से कम प्रथम दृष्ट्या मामला बनाने के लिए हमें कुछ विवरण की आवश्यकता होती है। कृपया हमारी मदद कीजिए, ऐसे ही आरोप लगाने की बजाय हमें आप विशिष्ट मामले दें, यह हमारा आपसे आग्रह है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे। परन्तु विशिष्ठ मामले, खास नाम देने से तथा कम से कम कुछ खास उदाहरण देने से, निश्चित ही कानून के हाथ भ्रष्ट अधिकारी को, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, पकड़ने के लिए पर्याप्त लम्बे हो जाते हैं।

जहां तक तोलने की सुविधाओं तथा वास्तविक सत्यापन का सम्बन्ध है, श्री गिरधारी लाल व्यास ने कतिपय बहुत ही उपयुक्त बातें उठायी हैं और मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा।

भारतीय खाद्य निगम ने उन सभी डिपुओं पर, जहां 5000 टन या इससे अधिक की क्षमता हैं, सीरी तुला चौकियों को उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया है।

दूसरे, 256 डिपुओं में तुला चौकियां पहले से ही लगायी जा चुकी हैं और दूसरे डिपुओं के मामले में कार्यवाई प्रगति पर है।

बोरों के मानकीकरण, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, तथा 100 प्रतिशत तोल, को करना हैं। बोरों का 95 किलोग्राम पर मानकीकरण किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं का, सूचना के साथ तथा आकस्मिक जांच के द्वारा, वास्तविक सत्यापन करने के लिए विशेष दस्तों का गठन किया गया है। सूचना के साथ, खास उद्देश्य के लिए

[श्री ए० के० पांजा]

उन्हें पर्याप्त समय देना अगर ताकि कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक कर लें तथा आकस्मिक जांच वहां पर जाकर पता लगाने के उद्देश्य से।

इसके साथ साथ, कुछ निकाय हैं जो सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ बिना सूचना के किसी भी बड़े गोदाम पर जाकर वहां के सारे स्टाक का जो वहां पर है, हिसाब-किताब करते हैं, सभी बोरों की जांच करते हैं और भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन के माध्यम से सरकार को सीधे प्रतिवेदन देते हैं।

श्री राजकुमार राय ने श्री टी० एल० बासी पर भारतीय खाद्य नियम के छापे के बारे में मामला उठाया था और पूछा था कि क्या कदम उठाये गये हैं। भारतीय खाद्य निगम के छापे के परिणामस्वरूप 18 मामले बनाये गये थे···

उपाध्यक्ष महोदय : तीन मिनट बाकी है। अगर आप अपनी बात जारी रखना चाहते हैं तो आप सोमवार को जारी रख सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहें तो आप अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : मैं 3.30 तक बोलूंगा। कतिपय बहुत ही मूल्यवान बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं। कोई एतराज नहीं है।

3.30 तक आप बोल सकते हैं और उसके बाद, अगर आप चाहे···

श्री ए० के० पांजा : जहां तक श्री बासी का सवाल है, उसे निलम्बित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई कदम नहीं उठाया गया है। उसे निलम्बित रखा गया है। वह भारतीय खाद्य नियम, दिल्ली के सहायक प्रबन्धक थे।

कतिपय दूसरे मुख्य मुद्दे हैं। मैं निश्चित ही सोमवार को अपना पूरा उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो-तीन मिनट तक और अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : आज एक माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया है कि कतिपय उचित दर की दुकानों में नियन्त्रित मूल्य का कपड़ा क्यों नहीं दिया जाता है। जैसा कि मैंने सदस्यों को बताया है कि ये राज्य सरकार के कर्त्तव्य हैं।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है बहुत से वस्तुओं की आपूर्ति यहां की जाती है जैसे कि गेहूं, आटा, मिट्टी का तेल, चीनी, रेपसीड तेल, सोयाबीन तेल, पाम तेल, पामोलीन तेल तथा दालें। मदों की एक लम्बी सूची है। परन्तु कुछ राज्यों को चार या पांच मदों की ही आपूर्ति की जाती है मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ऐसा समझ सकते हैं कि मैं उनके प्रति पक्षपात कर रहा हूं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी दिक्कतें क्या हैं वे हमें बतायें।

परन्तु माचिस जैसी आवश्यक वस्तुओं को भी ले लीजिए।

कुछ महिला सदस्यों ने दालों पर जोर दिया है। हम चाहते हैं कि दालें भी दी जायें।

श्री सी० जंगा रेड्डी : ट्रैक्टर तथा साईकिल के टायर भी उचित दर की दुकानों पर बेचे जाने चाहिएं।

श्री ए० के० पांजा : जी हां, साईकिल के टायरों की आपूर्ति की जा रही है। कुछ उचित दर की दुकानें ये बेच रही हैं। परन्तु दिक्कत यह है कि अगर राज्य सरकारें अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाती हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि जहां तक मुमकिन हो सके हम इस काम को आगे बढ़ाएं। अतः जहां तक···

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : ये आवश्यक वस्तुयें भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्यों नहीं राशन की दुकानों पर पहुंचाई जाती हैं।

श्री ए० के० पांजा : हम काम कर रहे हैं। परन्तु फिर भी हमारी आलोचना हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : दाल तथा खाद्य, न कि टायर। ये आपको अन्न की आपूर्ति कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : ···के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। (व्यवधान)

परन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कार्य करने पर जो शक्ति मुझे मिल रही है एवं प्रभारी मन्त्री श्री पी० शिव शंकर द्वारा दिये गये निर्देशन से माननीय सदस्यों द्वारा बताई गयी समस्याओं को न सिर्फ जल्दी ही हल कर दिया जायेगा अपितु जल्दी ही कई बातों में इन्हें सुधार भी दिखाई पड़ेगा। आप चाहे सिर हिलाकर न करते रहें परन्तु आपको छह महीने की अवधि के बाद 'हां' कहना पड़ेगा।

अन्य बातों को मैं सोमवार को लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। पुरस्थापन के लिए विधेयक।

3.30 म० प०

विधेयक

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 310 तथा 311 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 17-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये भाग 21क का अन्तःस्थापन आदि)

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) ; मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(तीन) उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित आरक्षित उद्योग विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्पादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिये कृषि पर आधारित उद्योगों के आरक्षण हेतु उपबन्ध करने तथा ऐसी सहकारी समितियों को कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपादकों तथा कर्मकारों की सहकारी समितियों के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों के आरक्षण हेतु उपबन्ध करने तथा ऐसी सहकारी समितियों को कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) छोटे तथा सीमान्त कृषकों को सहायता विधेयक*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे तथा सीमान्त कृषकों को ऋण तथा अन्य आर्थिक राजसहायता प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 17-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे तथा सीमान्त कृषकों को ऋण तथा अन्य आर्थिक राजसहायता प्रदान करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) सरकारी कर्मचारियों हेतु विशेष चिकित्सा सुविधायें विधेयक*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष चिकित्सा परिचर्या के जरूरतमन्द सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष चिकित्सा परिचर्या के जरूरतमन्द सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(छह) कृषि कर्मकार प्रतिकर विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों को दुर्घटना से चोट लगने पर सरकार द्वारा प्रतिकर दिये जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों को दुर्घटना से चोट लगने पर सरकार द्वारा प्रतिकर दिये जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जायनल आबेदिन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 101 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 17-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनूपचन्द शाह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 311 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कुरूप : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक* (नये अनुच्छेद 333क का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

डा० पी० वल्लल पेरूमान (चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० पी० वल्लल पेरूमान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 324 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 17-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 315 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म० प०

बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक (धारा 2 में संशोधन) आदि

—श्री अजित कुमार साहा–जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयकों पर विचार करेंगे तथा पारित करेंगे।

4 अप्रैल 1986 को श्री अजित कुमार साहा द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार :—

"कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री थम्पन थामस—अनुपस्थित हैं। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डीशंस आफ एम्पालयमेंट) अमेन्डमेंट बिल में और आगे संशोधन करने का जो प्रस्ताव श्री अजित कुमार साहा जी ने प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

---

*दिनांक 17-4-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

इस समय देश में चालीस लाख बीड़ी मजदूर हैं जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इम्पलायर्स के द्वारा इन मजदूरों का बड़ा शोषण किया जा रहा है। जहां कहीं भी बीड़ी मजदूर काम करते हैं वहां पर एम्पलायर्स द्वारा उनका बड़ा भारी शोषण किया जाता है। एम्पलायर्स किसी भी कानून का पालन नहीं करते हैं। वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वे किसी भी कानून का, इण्डस्ट्रियल ला का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये मजदूर मिनिमम वेजेज ऐक्ट का लाभ भी नहीं उठा सकते हैं। न ही उनके पास ऐसी कोई संगठन शक्ति है जिसके द्वारा वे इन कानूनों का लाभ उठा सकें। बहुत सी स्टेट्स में तो इन मजदूरों पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट भी लागू नहीं है और इसीलिए उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है मेरा सुझाव है कि बीड़ी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए एक काम्प्रिहेंसिव सेन्ट्रल लेजिस्लेशन बनाया जाना चाहिए और उसमें वह सारे प्राविजन्स होने चाहिए जिनके माध्यम से इन बीड़ी मजदूरों की स्थिति को सुधारा जा सके। अभी तो स्थिति यह है कि जो महिलायें इसमें काम करती हैं वे काम तो पुरुषों के बराबर करती हैं लेकिन पुरुषों के मुकाबले में उनको मजदूरी कम मिलती है। इसी प्रकार से जो बच्चे इसमें काम करते हैं, उनकी भी बड़ी दुर्दशा है। उनको तीन या चार रुपये पर-डे मिलते हैं। उनके कार्य करने के घंटे निर्धारित हैं लेकिन आठ, दस या बारह घंटे तक लगातार उनको काम करना पड़ता है परन्तु उसके उपरान्त भी उनको वेजेज कहीं पर 6 रु० मिलते हैं, कहीं पर 8 रुपये मिलते हैं या कहीं पर 10 रु० मिलते हैं और कहीं कहीं तो केवल 4 रुपए ही मिलते हैं। इसलिए उनकी स्थिति सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार की ओर से कोई कांप्रिहेंसिव सेन्ट्रल लेजिस्लेशन लाया जाए। इस बिल में जो प्राविजन्स रखे गए हैं वह सफीशिएन्ट, पर्याप्त नहीं हैं। इनके द्वारा बीड़ी मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इस विचार का हूं कि बीड़ी मजदूर, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई कांप्रिहेंसिव सेन्ट्रल लेजिस्लेशन लाया जाए और जिसमें वह सारे प्राविजन्स हों जिन के माध्यम से बीड़ी मजदूरों की स्थिति को सुधारा जा सके। आज सारे देश में जिस क्षेत्र में भी अन-आर्गेनाइज्ड लेबर है उसकी दुर्दशा है। बीड़ी वर्कर्स भी आर्गेनाइज्ड नहीं हैं, उनके लिए कोई ऐक्ट नहीं है और उनके एम्पलायमेंट की कोई गारन्टी नहीं है। एम्पलायर्स जब भी चाहते हैं उनको कार्य से अलग कर देते हैं। इस प्रकार उनके एम्पलायमेंट की कोई भी गारन्टी नहीं है। उनके लिए पेंशन, प्राविडेन्ट फंड, ग्रैच्युटी के सम्बन्ध में कोई प्राविजन्स नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि बीड़ी वर्कर्स के लिए एक कांप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाकर उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए।

इन शब्दों के साथ, जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसकी भावना की कद्र करते हुए उसका समर्थन करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे अपने ही क्षेत्र में सीगार और बीड़ी मजदूरों की संख्या काफी है। कम से कम एक लाख लोगों की जिन्दगी इस बीड़ी और सीगार उद्योग पर निर्भर करती है। इस उद्योग में पांच लाख से लेकर 10-11-12 साल तक के लड़के-लड़कियां अपने माता-पिता के काम में सहयोग करते हैं। चाहे वह धागा बांधने का काम हो, पत्ता काटने का काम हो, उसमें सहायता करते हैं। इस काम को भी ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। वे अपने एजेंटों को कमीशन देते हैं। यदि किसी कारण से लेबर एक्ट को इंपलीमेंट करने के लिए लेबर कमीशनर आता है, तो कह दिया जाता है कि इनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। ठेकेदार से कहा जाता है, तो कह दिया जाता है कि मेरा कोई कारखाना नहीं है। मैं

दूसरों से तम्बाकू लेता हूं, पत्ता लाता हूं, धागा लाता हूं उसके आधार पर बीड़ी बनाता हूं। इसलिए मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस वजह से जो मजदूर काम करते हैं, उनको बोनस देने से भी इंकार कर दिया जाता है। बोनस ही नहीं प्रोविडेंट फण्ड और दूसरी सुविधाओं से उनको दूर किया जाता है। मैं इसके बारे में दो-तीन बार पत्र भी लिख चुका हूं कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। प्रोविडेंट फण्ड में इनको शामिल करना चाहिए और एक समग्र बिल लाकर सीगार और बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट भी इम्पलीमेंट नहीं होता है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शहर में तो बारह रुपए हजार बीड़ी बनवाई जाती है, लेकिन देहातों में पांच-छः रुपये पर ठेकेदारों द्वारा बीड़ी बनवाई जाती है। इसलिए ठेकेदारी प्रथा खत्म कराया जाना चाहिए। बीड़ी बनाने वालों के लिए लाइसेंस जरूर होना चाहिए, बिना लाइसेंस के यह काम नहीं होना चाहिए। तम्बाकू खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए और तम्बाकू एक्साइज इन्सपैक्टर से लाइसेंस लेकर बिना रजिस्ट्रेशन के बिना लेबर एक्ट के तहत बीड़ी बनवा ली जाती है। बीड़ी मजदूर को उचित मजदूरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उनको मजबूर होकर बीड़ी कारखाने में काम करना पड़ता है। बीड़ी कम दाम पर बनवाते हैं और ऊंचे दाम पर बेचते हैं, इससे उनको काफी लाभ होता है। मैं चाहता हूं उस लाभ का बंटवारा मजदूरों को होना चाहिए। यह लाभ मजदूरों को न मिलने के कारण उनका शोषण किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में कर्मनगर, वारंगल आदि सूखा-अकाल पीड़ित इलाकों में बीड़ी का काम होता है। इन्दौर, भोपाल मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी और सीगार का बहुत बड़ा घरेलू उद्योग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बिल को एक्सेप्ट करें, नहीं तो वे अपनी तरफ से एक समग्ररूप से बिल लायें, ताकि बीड़ी और सीगार मजदूरों को बचाने की कोशिश की जाए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, इस देश में बीड़ी और सीगार उद्योग में लाखों लोग लगे हुए हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में मजदूरों में महिलायें और बच्चे ज्यादा है। किसी भी उद्योग में एम्पलायटेशन को देखना हो, शोषण को देखना हो तो आप बीड़ी उद्योग को देख सकते हैं। कागज पर कहीं कोई मालिक नहीं है और जो मालिक है, वह साल में बिना कोई टैक्स दिए, बिना किसी परेशानी के लाखों रुपया बना लेता है। मेरे ख्याल से बहुत कम बिजनैस ऐसे होंगे, जिनमें इतना कम इन्वेस्टमेंट किए बिना किसी लेबर ट्रबल के इतना अधिक फायदा हो इस उद्योग में और एक बात यह है कि इस उद्योग में व्हील विद इन व्हील है। मजदूरी जो दी जाती है, उसका पुरुषों का अलग रेट है और औरतों का अलग रेट है। कई जगहों पर औरतों ने कहा कि हम जो बीड़ी बनाते वह पुरुषों हैं, की बीड़ी से अलग नहीं होती है और ये बीड़ी जो बनती हैं, उनको व्यापारी या मालिक एक ही जगह भेजता है। जब ऐसी बात है तो फिर पुरुषों की 8 रु० हजार की दर से और औरतों को 4 रु० हजार की दर से मजदूरी क्यों दी जाती है। इस उद्योग में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है, कोई कारखाना बैठाने की जरूरत नहीं है। तेन्दु का पत्ता दे दिया जाता है, तम्बाकू दे दिया जाता है और औजार के नाम पर एक कैंची होती है, एक नेल होती है और इसके अलावा धागा होता है और इनको इस्तेमाल करके बीड़ी तैयार हो जाती है। गरीबी के मारे लोग अपने 5-6 साल के बच्चों को भी इस उद्योग में लगा देते हैं। गरीब यह सोचता है कि यह औरत और यह बच्चा, जो खाली बैठा है, इसको इसमें लगा दो और वह इस बहाने से कुछ कमा लाएगा लेकिन उस कमाने के

[श्री गौरी शंकर राजहंस]

चक्कर में कितना बड़ा नुकसान होता है, यह उनको पता नहीं होता है । बीड़ी उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं, उनमें से 25 से 30 प्रतिशत लोग टी० बी० से ग्रसित हैं । वे कहीं नहीं जा सकते हैं और किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उनका इलाज कराया जाए । बहुत से लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है । टी० बी० के अलावा इस उद्योग में लगे हुए मजदूरों को कैंसर की बीमारी हो जाती है, जिस का इलाज सम्भव नहीं है । जैसाकि पूर्व-वक्ता ने कहा, इस उद्योग का मजा यह है कि कोई मालिक नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है और कोई ठेकेदार नहीं है और जब ऐसी स्थिति है, तो आप किसी को नहीं पकड़ सकेंगे । मालिक कहेगा, कि मैं क्या जानता हूं, मैं किसी को पहचानता नहीं हूं, जो मजदूरों से बीड़ी बनवाता है, उसको पकड़ो और ठेकेदार कहता है कि मैं तो तुम्हारी तरह से मजदूर हूं । बीच में थोड़ी सी कमीशन मिलती है । मुझे कुछ लेना देना नही है । मालिक को पकड़ो । कभी किसी ने यूनियन बनाने की कोशिश की, तो उसको मान्यता नहीं मिलती है और यही बात कह कर टाल दिया जाता है कि इस उद्योग में कुछ नहीं है और जो बात आप कहते हैं वह गलत है । इसलिए मामला बहुत ही भयानक है । मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी भी उद्योग में ऐसा नहीं होता होगा कि कोई व्यक्ति साल में 365 दिन 18 घंटे काम करे और उसकी एक दिन की छुट्टी भी न होती हो । उसको मजदूरी इतनी भी नहीं मिलती कि वह अपना पेट भर सके, परिवार की बात तो जाने दीजिए । इसलिए यह मामला बहुत ही गंभीर है । जिन्हें आप बंधुआ मजदूर कहते हैं, सही अर्थों में बंधुआ मजदूर इस उद्योग में काम करते हैं । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लाया जाए और ऐसा कानून बनाया जाएं जिसकी गिरफ्त से ये बीड़ी उद्योग के लोग निकल न सकें ।

अधिकतर राज्यों में केन्दु के पत्ते राज्य सरकार द्वारा नीलाम किए जाते हैं और होल सेलर्स उन्हें खरीदते हैं । उसी समय ऐसा प्रोविजन हो जाए कि ये केन्दु के पत्तों की अकाऊंटेबिलटी हो जाए । इन केन्दु के पत्तों से कितनी बीड़ियां बनीं, किसने बनाई और वे कहां पर भेजी गयीं । क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि बीड़ियां का असली मालिक कौन है और कौन उन बीड़ी मजदूरों का शोषण कर रहा है । अन्यथा कोई उपाय नहीं है यह पता लगाने का ।

एक बात मैं यह कहूंगा कि जब हम सिग्रेट के पैकेट पर यह लिखते हैं कि "सिग्रेट स्मोकिंग इज इन्जुरियस टू हेल्थ" और बावजूद इसके भी लोग सिग्रेट पीते हैं, तो क्यों नहीं हम बीड़ी के बंडल पर भी यह लिखें—चाहे उर्दू में लिखें, चाहे हिन्दी में लिखें—कि 'बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।' इसके बावजूद भी जिसको बीड़ी पीना हो, वह पिए ।

बीड़ी पीना या न पीना अलग बात है लेकिन इस उद्योग में लगे हुए मजदूरों का बुरी तरह से शोषण हो रहा है । ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं कि जिस मजदूर ने 40-50 साल तक बीड़ी बनाने का काम किया, उसको मरने के बाद कफन तक प्राप्त नहीं हो सका । उस मजदूर की औरत अपने पति के मरने के बाद मालिक के पास गयी तो उसको मालिक ने कहा कि हम कफन के लिए तब पैसा देंगे जब तुम अपने बच्चे को हमारे यहां काम करने के लिए भेजोगी । उस औरत ने लाचार होकर अपने बच्चे को भेजा और फिर वह बच्चा सारी जिन्दगी के लिए गुलाम हो गया ।

हम चाइल्ड लेबर के बारे में बहुत कहते हैं, बंधुआ मजदूर के बारे में बहुत कहते हैं । यह भी कहते हैं कि चाइल्ड लेबर और बंधुआ मजदूर भीषण रूप से पिस रहा है । उनको उबारने के लिए तो सारी दुनिया की नजर जाती है और यह सोच कर जाती है कि उन पर बहुत अन्याय हो रहा है । लेकिन

बीड़ी उद्योग में जो बच्चे काम करते हैं, बंधुआ मजदूर काम करते हैं उनकी चर्चा हम नहीं कर पाते क्योंकि उनको हम देख नहीं सकते और इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वे एक जगह काम नहीं करते।

इसलिए यह बड़ी गंभीर समस्या है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके सम्बन्ध में एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन वह लाये जिससे इन लोगों का शोषण रुक सके। ये लोग एक्सप्लोयटर्स के हाथों बहुत जल्दी मौत के शिकार हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा बीड़ी श्रमिकों के दुखी जीवन में हितकारी परिवर्तन लाने के लिए इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं। न सिर्फ ये लोग ज्यादा घण्टों तक ही काम करते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद भी इन्हें कम मजदूरी मिलती है बल्कि अधिकतर नियोजक उनकी स्थिति का फायदा उठाकर, कानून में खामियों का फायदा उठाकर इन लोगों को इनकी कड़ी मेहनत से कमाई मजूरी से वंचित करते हैं। यह तो एक ही तरह के श्रमिकों की बात है। सच तो यह है कि यह दुख भरी कहानी सभी वर्गों के असंगठित श्रमिकों पर लागू होती है तथा हमारे देश में ये लोग संगठित श्रमिकों से निश्चित ही काफी ज्यादा हैं, इनका अनुपात 10:1 है। महोदय संगठित क्षेत्र के उद्योगों को वास्तविकता में प्रमुखता दी जाती है इसका कारण है उनका संगठन, बड़ी एवं मध्यम-स्तर के कारखानों का होना जोकि कई कारणों से राष्ट्रीय महत्व की बात है। इन कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को न सिर्फ तुलनात्मक रूप में असंगठित क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों से ज्यादा पगार मिलती है बल्कि काम के घण्टे भी सामान्य होते हैं, काम करने का स्थान सफाईयुक्त होता है, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति, उपदान आदि जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। जब भारत जैसा देश अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अपना प्रतिनिधि भेजता है, तो हम उन आंकड़ों को देख सकते हैं जो हम अपने श्रमिकों को दे रहे हैं परंतु हम इस बात का जिक्र नहीं करते कि हमारे असंगठित श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है। हम कहते हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उसके घोषणा पत्र का अनुसरण कर रहे हैं। हमने श्रमिकों के लिए चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। परन्तु बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए ये प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें सुविधाएं प्राप्त हैं, 90 प्रतिशत श्रमिक लोग गरीबी में आसन्न हैं तथा उनका शोषण भी हो रहा है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके हितों की रक्षा करने वाले कानून ही नहीं बनाये गये है। यह समय है जबकि हमने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों न सिर्फ बीड़ी श्रमिकों के बारे में, जिनमें बारे में हमारे सामने विधेयक है परन्तु सम्पूर्ण असंगठित श्रमिकों के बारे में हमने सोचना एवं कुछ करना शुरू किया है।

उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख व्यक्ति बीड़ी श्रमिकों की तरह घरों में दर्जी का काम करते हैं। वे लोग अपने टेलर मास्टरों के लिए काम करते हैं। वे पास के मकानों में रहते हैं तथा प्रातः छः से रात दस बजे तक, मध्याह्न भोजन का थोड़ा समय छोड़ कर, कठोर मेहनत से थोड़ी सी मजूरी प्राप्त करते हैं। उन्हें महीने में कुछ ही दिन मजूरी मिल पाती है। सभी स्थानों पर असंठित श्रमिकों की यही दशा हैं, इसे सुधारने के लिए कानून बनाये जाने चाहिएं। उनके हालात का अध्ययन किया जाना चाहिए। श्रम मन्त्रालय द्वारा उनके हालात का कतई अध्ययन नहीं किया गया। श्रम मन्त्री महोदय विराजमान हैं, इन श्रमिकों के बारे में उनके मन्त्रालय का दायित्व है। उन्हें सबसे पहले इनके कार्य की दशा का अध्ययन कराना चाहिए सफाई, स्वास्थ्य, इनकी मजदूरी आदि का सर्वे-

[श्री अमल दत्त]

क्षण किया जाना चाहिए। उनकी संख्या और उनके कार्य के दशा का पता लगाकर उनके हितों के संरक्षण के लिए व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए जैसाकि मेरे मित्र श्री राजहंस ने सुझाव दिया है। मेरा सुझाव है कि मैं संगठित श्रमिकों के लिए व्यापक कानून बनाया जामा चाहिए। उनके लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण तथा उनके कार्य की शर्तें अवश्य तय की जानी चाहिए। उनकी मजदूरी की अदायगी के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए जो यह कह कर न बच सके कि मैं आपका नियोक्ता नहीं हूं, अन्य कोई व्यक्ति आपका नियोक्ता है। इस तरह के हालात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4.00 म० प०

क्या बात है कि स्वाधीनता के 40 वर्ष बाद भी हमारे, 90 प्रतिशत श्रमिक आदिकालीन स्थिति में रह रहे हैं। यह असहनीय है तथा संसद को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि यह उनका प्राथमिक दायित्व है जोकि उन्हें अवश्य निभाना चाहिए; उन्होंने इसे अपना कर्त्तव्य ही नहीं माना। उन्हें इस संसद की अवधि के भीतर सभी सम्भव कार्य करना चाहिए। मैं उन्हें पर्याप्त समय दे रहा हूं, इससे उन्हें 3-1/2 वर्ष मिल जायेंगे। सर्वेक्षण कराने, कानून बनाने तथा उसे लागू करने के लिए यह समय पर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि श्री संगमा जोकि सभा में विराजमान हैं, असंगठित श्रमिकों के कल्याण का बीड़ा उठाएंगे।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिल का सपोर्ट करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, प्राईवेट मैम्बर्स बिल के रूप में, इसके पहले भी पार्लियामेंट में बीड़ी मजदूरों के सवाल पर बिल आया है और इस प्रकार के कानून बनाने की बात बराबर कही जा रही है। इस बहस के दौरान आमतौर पर तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की है कि एक व्यापक बिल लाया जाए जिसमें बीड़ी मजदूरों की अवस्था में सही सुधार हो सके और इन्सान की तरह उनको भी जिन्दा रहने का कानूनी हक प्राप्त हो सके।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में लगभग चालीस लाख बीड़ी मजदूर है। उनके परिवारों की अगर तादाद जोड़ दी जाए तो बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाने के काम में जो लोग लगे हुए हैं, अकेले उनकी तादाद और उन पर आश्रित रहने वाले लोगों की तादाद लगभग दो करोड़ हो जायेगी।

4.02 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जो लोग तम्बाकू की खेती कर रहे हैं या दूसरे अलाइड कामों में लगे हुए हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो उनकी संख्या और भी ज्यादा हो जायेगी। यह बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकार.का ध्यान इतनी बड़ी आबादी पर अभी तक नहीं गया है। इस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, वह सचमुच में किसी भी आजाद देश के लिए काफी चिन्तनीय और अफसोसनाक बात है। इस उद्योग में जो कारखानेदार हैं, लगता है देखने में कि उद्योग बहुत छोटा होगा, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपया लोगों ने इस उद्योग के जरिए से बनाया है। नालन्द मेरी कास्टीच्यु-ऐंसी है, वहां दस हजार मर्द और पांच हजार महिला बीड़ी मजदूर काम कर रहे हैं। अकेले उस इलाके में एक्साइज के एक्साइज ड्यूटी के नाम पर करोड़ों रुपया सरकार का कारखानेदारों ने मारा है। कम

से कम मजदूरी सरकार ने जो तय की है, वह न देकर उन्होंने जो फायदा उठाया है, वह भी कई करोड़ों में आता है। अगर पूरे हिन्दुस्तान का नक्शा लिया जाए तो कितना बिलियन हो जाएगा, यह कहना मुश्किल है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग मजदूरी है, अलग-अलग पैटर्न है। देहात का इलाका है, म्युनिसिपेलिटी का या टाउन है या कारपोरेशन का है टाउन तो कहीं पर डियरनेस अलाउंस है और कहीं पर नहीं है। जितनी भी मजदूरी तय की गई है, वह बीड़ी मजदूरों को पूरे हिन्दुस्तान में नहीं मिल रही है। इस तरह से ये कारखानेदार बीड़ी मजदूरों का रुपया मारकर अरबपति हो रहे हैं। मैं ऐसी बात नहीं समझता कि केन्द्र सरकार चिन्तित नहीं है, वह चिन्तित है। मैं 1980 से पार्लियामेंट का मेम्बर रहा हूं। मैंने लगभग 50-60 प्रश्न केवल बीड़ी मजदूरों के बारे में जरूर किए होंगे। हमेशा एक सवाल पैदा होता है कि जो कानून बने हुए हैं उनका इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा, इम्पलीमेंटेशन के लिए उसका कार्यान्वियन करने के लिए कोई सक्षम मशीनरी केन्द्र सरकार के पास अभी तक नहीं बनी है। नतीजे के तौर पर एक लम्बी रोप (rope) कारखानेदारों को मिल गया है जिसके होते हुए कानून का उलंघन कारखानेदार कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। जो मिनिमम वेजेज तय होता है उसका इम्पलीमेंटेशन कोई भी कारखानेदार नहीं करता। ट्राई पार्टटाई कांफ्रेंस होती है उसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, कारखानेदारों के प्रतिनिधि होते हैं और बीड़ी मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं तीनों की मौजूदगी में यह मामला तय किया जाता है, लेकिन जब सरकार का नोटिफिकेशन आ जाता है तो यह लोग मिनिमम वेजेज नहीं देते हैं।

मैंने पहले भी पार्लियामेंट में प्रश्नों के दौरान या और अन्य माध्यम से इसके बारे में बोला है। मैं लेबर मिनिस्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिसमें काम्प्रीहेंसिव बिल अगर आ जाये, जिसमें ट्राई पार्टटाई कांफ्रेंस हो जाए और उसमें मिनिमम वेजेज तय कर दिये जाने पर कारखानेदारों को उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जब मिचुअल कन्सलटेशन के आधार पर कोई मजदूरी तय की जाती है वह वास्तव में बीड़ी मजदूरों के कहने के मुताबिक तय नहीं होती है। जितनी मांग उनके प्रतिनिधि करते हैं उसके अनुसार तय नहीं होती है। उसमें कारखानेदारों का ख्याल रखा जाता है, सरकार के भी लोग जबकि उसमें रहते हैं। लेकिन जो भी मजदूरी तय की जाती है वह भी उनको नहीं मिलती है। इसलिए इसमें इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि मिनिमम वेजेज तय हो जायें तो वह कोर्ट में जाकर उसको स्टे नहीं कर सकें, रोक नहीं सकें। इसके लिए कानून में कुछ सेक्शन बनाना चाहिए जो नही देते हों उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था कानूनी तौर पर की जानी चाहिए।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा, वह बात सही है मौजूदा सरकार की घोषित नीति है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जायेगा, समान मजदूरी दी जाएगी। लेकिन इस उद्योग में जो औरतें काम कर रही हैं, हिन्दुस्थान के किसी भी कोने में उसको मर्दों के मुकाबले में मजदूरी नहीं मिलती है, यह बहुत दुखद स्थिति है। महिलाओं के बारे में हम लोग एक से एक सुविधा देने की बात करते हैं और मर्दों के बराबर उनका सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। क्या इस बात की गारन्टी नहीं की जा सकती है, क्या उनकी बीड़ी मालिक कम रेट पर बेचते हैं, क्या औरतें कम अच्छी क्वालिटी की बीड़ी बनाती हैं?

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हू बीड़ी एक ऐसा उद्योग है जिसमें जिसका हाथ जितना मुलायम रहेगा उससे उतनी अच्छो बीड़ी बनेगी। इसलिए जो कम उम्र वाले लोग हैं वह बहुत अच्छी बीड़ी बनाते हैं। जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनसे बीड़ी बनना कम हो जाता है और उसकी

[श्री विजय कुमार यादव]

क्वालिटी भी खराब हो जाती है। हालांकि वह आदमी दूसरे उद्योगों में अनुभवी माना जाता है, लेकिन बीड़ी उद्योग में जो आदमी ज्यादा पुराना हो गया, ज्यादा उम्र का हो गया तो वह अच्छी बीड़ी नहीं बना सकता है और उसकी बीड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो औरतें इस उद्योग में काम कर रही हैं, मर्दों के मुकाबले उनकी क्वालिटी में कहीं कमी नहीं है, कहीं उनकी बीड़ी कम दाम में नहीं बेचनी पड़ती है फिर भी महिलाओं का इस तरह से शोषण होता है। यह शहर-देहात और कोपोरेशन का मामला है यह बहुत भयंकर मामला है। इसके जरिये यह होता है कि शहर में जब मजदूर मिनीमम वेज के लिए आन्दोलन करते हैं तो कारखानेदार अपने कारखाने उठाकर वहां ले जाते हैं जहां कम मजदूरी है। देहातों में ले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं। वैसे यह मजदूर पूरी तरह ओर्गेनाइज्ड नहीं हैं, अन-ओर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन इनकी अगर कहीं यूनियन है और वह जायज मजदूरी के लिए संघर्ष करते हैं तो कानून को तोड़ने के लिए वहां से कारखाने उठा देते हैं। नतीजा यह होता है कि सरकार के पास इसे रोकने का कोई चारा नहीं रह जाता है। इसलिए पूरे देश के पैमाने पर, अखिल भारतीय स्तर पर, एक जैसी मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे यहां शहरों में, देहातों में और कार्पोरेशन्स में मजदूरी का जो फर्क है, उसको खत्म किया जाना चाहिए तथा औरत और मर्द, दोनों को एक-समान मजदूरी मिले, इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति जी, आज हमें देखना चाहिए कि बीड़ी मजदूरों के सामने कौन सी कठिनाइयां हैं, उनकी दुर्दशा क्यों है। वैसे कानून बने हुए हैं, उनका अभाव नहीं है। किसी फैक्टरी का कोई मजदूर माना जा सके, उसके लिए कानून में प्रावधान है, जिस समय वह काम शुरू करता है, उनके 72 घण्टे में उसे सर्विस कार्ड मिल जाना चाहिए इसकी हमारे कानूनों में व्यवस्था है परन्तु कुछ समय पूर्व जब मैंने पार्लियामेंट में इसी विषय पर प्रश्न किया था और सरकार से पूछा था कि पूरे हिन्दुस्तान के जिन स्टेटस में बीड़ी उद्योग हैं, जहां बीड़ी बनाने का काम होता है, उनमें जितने मजदूरों को सेवा कार्ड दिया गया है तो सरकार की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उसमें कहा गया कि ऐसे मजदूरों की संख्या 60 से 70 हजार के बीच है, जब कि हमारे देश में लगभग 40 लाख मजदूर इस कार्य में लगे हैं। यह सेवा कार्ड कारखानेदारों ने नहीं दिए बल्कि वे आपके लेबर सुपरीन्टेन्डेंट के दिए हुए हैं जो आपने यहां प्रस्तुत किए। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटस ने यह सेवा कार्ड दिये हैं जिनकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। इस तरह से उनको जो आइडेन्टिटी कार्ड दिया गया है इसके द्वारा वैल्फेयर फण्ड से उनको भले ही कुछ सहूलियत मिल जाए, कानूनी तौर पर या ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक उनको जो अधिकार प्राप्त हैं, जैसे प्रोवीडेंट फण्ड, बोनस, उन मामलों में उनको कहीं से कोई मदद इससे नहीं मिल सकती। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल बनायें जिसमें इन सब चीजों की व्यवस्था करें। कानून को लागू करने की मशीनरी के बारे में सोचें, टाइम लिमिट करें कि यदि कोई मजदूर एक निश्चित समय तक काम करता है तो उसको सेवा कार्ड अवश्य मिले। क्योंकि इस उद्योग में 50-50 साल से मजदूर काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोग मर भी गए लेकिन आज तक उनको मजदूर की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी सेवा कार्ड नहीं मिला। मैं समझता हूं कि शायद ही किसी दूसरे उद्योग में ऐसा होता हो, जैसी हालत बीड़ी उद्योग के मजदूरों की है। इसलिए जहां तक सर्विस कार्ड का सवाल है पूरे देश में सभी मजदूरों को कारखानेदारों ने सर्विस कार्ड नहीं दिए हैं, इसकी भी आप व्यवस्था करें, यदि कोई कानून बनायें तो उसमें भी इसकी व्यवस्था करें क्योंकि जब भी कोई सवाल आता है तो केन्द्रीय सरकार केवल एक ही जवाब देती है कि हम क्या करें, इसको लागू करने की जिम्मेदारी

राज्य सरकारों पर है। यह बात ठीक है कि राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं लेकिन पूरे देश के शासन की बागडोर आपके हाथों में है, कानून आपने बनाये हैं और जब आपने कानून बनाये हैं तो उनको राज्यों की सरकारों के माध्यम से लागू करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी आप लेबर मन्त्रियों को कान्फरेंस भी करते हैं और उसमें भी इस विषय पर चर्चा की जाती है कि सारे देश में अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों को एक-समान मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा और वाइटल सवाल है, क्योंकि मजदूरों को सर्विस कार्ड नहीं मिल रहे हैं और मालिक भी उनके साथ न्याय नहीं करते और जब कभी इस तरह का सवाल आता है तो वे कह देते हैं कि यह हमारा मजदूर ही नहीं है। इस तरह से उनके सिर पर हमेशा छंटनी की तलवार लटकती रहती है, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, भगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसका काम खत्म हो सकता है। इस पर श्रम मन्त्रालयों के सम्मेलन में विचार हो।

आपके यहां वैसे तो लेबर वैल्फेयर फण्ड बना हुआ है लेकिन उस फण्ड की स्थिति क्या है, वह एक आमदनी का जरिया, खुद सरकार के लिए है। अभी इसी सिलसिले में मैंने जब एक सवाल किया था और तीन चार साल के आंकड़े मांगे थे कि कितना लेबर वैल्फेयर फण्ड आपको प्राप्त हुआ और उसमें से आपने अब तक कितना डिस्ट्रीब्यूट किया तो सरकार की ओर से आंकड़ों में यह कहा गया कि करोड़ों रुपया सरकार के पास बचा हुआ है जब कि दूसरी ओर बीड़ी मजदूर, उसके बच्चे, दवा के अभाव में, पढ़ाई-लिखाई के अभाव में मर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर जो मजदूर शहरों में रहते हैं, न उनके पास कोई हाउस साइट है, न अपना कोई मकान है लेकिन आपके पास वह सारा पैसा मौजूद है, फण्ड मौजूद है और उसके बावजूद आप उनको वे सुविधायें उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो लेबर वैल्फेयर फण्ड है, उसका आप मजदूरों के हित में पूरी तरह इस्तेमाल कीजिए बल्कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उसमें मालिक लोगों की ओर से प्रति हजार के पीछे जो 10-15 पैसे आप लेते हैं, यह बहुत ही कम हैं। उसे बढ़ाकर कम से कम एक रुपया किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट भी उसमें अपनी तरफ से एक रुपया प्रति हजार के हिसाब से दे जिससे आप उनकी हाउसिंग प्रौब्लम, एजूकेशन की प्रौब्लम को हल कर सकें, और मैडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करवा सकें। बहुत कम पैसा सेंटर गवर्नमेंट का लगेगा और इस तरह से आप एक बहुत बड़ी, दो-तीन करोड़ लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो कांस्टीट्यूएंसी है नालन्दा, बिहार-शरीफ उसका हैड क्वार्टर है, वहां पर आपका टी०बी० सेंटर एक अस्पताल बनाने का फैसला था। बीड़ी उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें से अस्सी प्रतिशत लोगों को प्राइमरी स्टेज की टीबी है या कुल लोगों में तो इस प्राइमरी स्टेज से भी आगे के स्टेज की टी०बी० है। उनको अनहैल्दी कंडीशंस में, टोबेको में काम करना पड़ता है। उससे ज्यादातर लोग टी०बी० के शिकार होते हैं और ऐसी हालत में जहां कंसनट्रेशन है मजदूरों की वहां पर ये टी०बी० सेंटर्स खोलने चाहिएं। मैं यह नहीं कहता हूं कि डेढ़, दो, तीन, चार या पांच सौ मजदूरों पर ही आप एक अस्पताल सेंटर खोल दें, लेकिन जहां पन्द्रह हजार मजदूर एक इलाके में, एक शहर में काम करते हैं, वहां पर आपको अस्पताल और टी० बी० सेंटर जरूर बनाना चाहिए और इसके लिए आपके पास फण्ड है। इसलिए बीड़ी फैक्ट्री औनर्स और गवर्नमेंट दोनों की सहायता से ये सेंटर बनने चाहिएं। आपने फैसला लिया था कि बिहार शरीफ में आप एक अस्पताल टी०बी० सेंटर खोलेंगे, जिसके बारे में अब सुनने में आ रहा है उसको वहां न खोलकर कहीं और खोला जा रहा है। आप देखें यह बात कहां तक सही है? अगर यह बात सही है, तो जो मैन सेंटर है जहां से इसको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है,

[श्री विजय कुमार यादव]

जहां पर कि कम मजदूर हैं, वहां बनाया जा रहा है, तो भी मैं उसका विरोधी नहीं हूं। वहां भी बनना चाहिए लेकिन इसके लिए जो जस्टिफिकेशन है, उसको सामने रखकर उसको बिहार शरीफ (नालन्दा) में बनाने की बात करें।

सभापति जी, जहां डी० ए० और बोनस की बात है तथा इसी तरह से ठेके वाला जो मामला है, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है, वह सही है और यह जो ठेकेदारी की प्रथा है, इसको लेकर के मालिक लोग, जो कुछ भी कानून बने हुए हैं, उनसे बच निकलने का एक रास्ता निकाल लेते हैं। इसके कारण फैक्ट्री ओनर्स क्या कर रहे हैं कि घरों में सूखा पत्ता दे रहे हैं और वहां पर बीड़ी बनवा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो बात होती है, उसको बन्द होना चाहिए। जो घरों में बीड़ी बनवाते हैं और यह कहते हैं कि यह तो हमारा फण्डामेंटल राइट है कि हम अपना व्यापार कहीं भी करें, चाहे घर में करें या बाजार में, ऐसे लोगों के ऊपर जितने भी कानून लगाए जा सकते हैं, लगाने चाहिएं क्योंकि अगर उनकी यह बात सही है, तो आपको भी अधिकार है कि बीड़ी मजदूरों का पोषण न होने दें और ऐसे लोग जो बीड़ी बनवाते हैं, उसमें चाहे एक मजदूर हो दस हों या पन्द्रह हों, उनको वही सब सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो सुविधाएं एक फैक्ट्री के मजदूर को मिलती हैं। इस प्रकार की आप व्यवस्था करिए।

आखिर में, सभापति जी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो व्यापक बिल आप लाएं, उसमें आप यह जरूर करें कि कम से कम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, उनको आप बुला करके उनकी उनकी राय लेकर, जहां तक आप उनकी राय को मान सकते हैं, वहां तक उनकी राय को अवश्य मान लें। लेकिन इस बारे में एक मीटिंग अवश्य बुलाकर, उन लोगों की राय लेकर एक कांप्रिहेंसिव बिल लाने की बात कीजिए।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं जैसा कि कहा गया है आप एक यंग और एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं और अगर आप चाहें, तो चूंकि बीड़ी मजदूरों की हालत निश्चित तौर पर काफी दयनीय है, इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा कल्याण का काम आप कर सकते हैं, यह बिलकुल ठीक बात है। इसलिए मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप इन बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याण का काम अवश्य करें।

मान्यवर, अभी हमारे राजहंस जी ने कहा, वह ठीक कहा कि सुप्रीमकोर्ट के डिसीजन हैं कि जिनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है उनकी हालत बंधुआ मजदूर जैसी हालत है और बंधुआ मजदूर जैसी हालत मानी जाए, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो उस दृष्टि से भी, कानून के लिहाज से भी इन बीड़ी मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूरों की हालत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर एक कांप्रिहेंसिव बिल जरूर लाएंगे।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपर गांव) : सभापति महोदय, यह बीड़ी और सिगरेट बिल लाकर हमें चेतावनी दी है कि बीड़ी और सिगार उद्योग में काफी मजदूर काम करते हैं और उसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम जो तम्बाकू खाते हैं जिसको च्युइंग-टोबैको कहते हैं, उस काम में भी काफी मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन उन मजदूरों का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। गवर्नमेंट आफ

महाराष्ट्र ने इस बारे में एक कमेटी बनाई थी और एक कानून भी बनाना था, लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, हालत वही है। अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है।

बीड़ी और उद्योग में लगभग 40 लाख मजदूर काम करते हैं, यह सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इस उद्योग में काम करने वाले मजदूर का हो रहा है, हम शोषण-रहित समाज व्यवस्था चाहते हैं। जब हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो दोनों तरफ शोषण हो रहा है, एक तो पैसे के कारण और दूसरे स्वास्थ्य के कारण। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

22 प्रतिशत महिलाएं इस उद्योग में काम कर रही हैं और 1. परसैंट बच्चे काम कर रहे हैं। यदि उम्र की बात कही जाये तो करीब-करीब 68 परसेंट लोग 40 साल से कम उम्र के हैं और 33 परसेंट 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। 25 साल की उम्र वाले 33 परसेंट हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने सही बात कही है कि कम उम्र वाले अधिक से अधिक जवान इस उद्योग में लगे हुए हैं। काफी देहातों, शहरों, पहाड़ी इलाकों और आदिवासी इलाकों में यह उद्योग लगा हुआ है।

एक बात इस सदन में पिछली लोक सभा में कही गई थी कि हम ज्यादा मजदूर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसमें बेरोजगारी बढ़ सकती है। अगर इस उद्योग में मैकेनाइज्ड मशीनें लगायेंगे तो यह धन्धा मैकेनाइज्ड हो जाएगा और ये लोग बेकार हो जायें तो इस तरह से इस समस्या को हल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह काफी नहीं होगा। जिन मजदूरों का शोषण होता है, हमें देखना है कि कैसे उन्हें न्याय दें और शोषण रोक दें।

अभी तक सिर्फ 40 लाख मजदूरों के लिए एक हस्पताल है। 50 बैड के दो हस्पताल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन टी०बी० के सैनेटोरियम कितने हैं? कोई नहीं है। लोगों को निजी सैनेटोरियम में जाना पड़ता है या गवर्नमैंट के हस्पताल में जाना पड़ता है। वहां उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो कुछ मिलना चाहिए, खास हस्पताल न होने के कारण नहीं मिल पाता है। कई महिलाओं को कैंसर हो जाता है। अभी 60 से 80 परसैंट तक लोग टी०वी० से बीमार हैं, काफी महिलाएं कैंसर की शिकार हो रही हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा कैंसर के उपचार के लिए सैंटर खोलने चाहिए। यह ठीक है कि उद्योग वाले कुछ पैसा लगाते हैं, लेकिन हम कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं?

अभी 17 हजार बच्चों को स्कालरशिप दिया है। आप देखें कि जितना स्कीम के अन्दर सैस मिलता है, उससे आधा भी खर्च नहीं कर पाये हैं। सरकार कुछ पैसा लगाना चाहती है, लेकिन जो सैस आता है, उससे आधा भी हम मजदूरों के लिए नहीं खर्च करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के नाते हम कौन सी जिम्मेदारी इसमें निभा रहे हैं? हमें मजदूरों के लिए न्याय को ध्यान में रखते हुए माफिक काम करना चाहिए।

लेबर कमिश्नर कई राज्यों में कहता है हम कहते हैं कि यह स्टेट सबजैक्ट है। लेबर कमिश्नर है, एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, कई ट्रस्ट बीड़ी उद्योगों ने बना दिए हैं। चैरिटी कमिश्नर है। यह उद्योग बीड़ी वालों ने इतना बड़ा बनाया है कि इनके रहने के लिए महल बनाया है। मेरे ख्याल से मजदूरों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है।

जो यह फण्ड और चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं, मजदूरों के लिए ट्रस्ट बना रहे हैं, उसमें ट्रस्टी कौन हैं? मजदूरों के जो बड़े-बड़े जवान होते हैं या कोई मुंशी होते हैं, उनको ट्रस्ट में लगा देते हैं और उससे फायदा कौन लेता है? सोचने की बात यह है कि इस बारे में वर्कर्स को भी ट्रेन्ड करना पड़ेगा।

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

कई बार वर्कर्स स्ट्राइक भी करते हैं और डेढ़-डेढ़, 2, 2 और 3, 3 महीने तक स्ट्राइक चल जाती है, सरकार मदद नहीं कर पाती। मजदूर भूखे रह जाते हैं।

अगर आप मजदूरों को 1000 पत्ता दे दें तो भी बीड़ी बनती नहीं है। 5000 पत्ता देते हैं तो उसमें खराब बहुत होते हैं, उससे 2000 बीड़ी बनती है। घर पर सब बच्चे, मां, बाप बीड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा नहीं हो रही है। क्या किसी स्कालरशिप की कोई योजना है? 4 कानूनों के तहत मजदूर आता है। आप 4, 6 के बजाय कोई कम्प्रीहेंसिव कानून क्यों नहीं बनाते, जिससे उद्योग का भी हित हो और मजदूरों को भी न्याय मिल जाये।

कई यूनियनें इस बारे में काम कर रही हैं, लेकिन यूनियनें इतनी इफैक्टिव नहीं हो रही हैं क्योंकि हमारे यहां अन-एम्पलायमेंट के कारण मजदूर निकालने के बाद उनका सब्स्टीट्यूट उनको मिल जाता है।

अभी इंडस्ट्री डिसप्यूट ऐक्ट है, लेकिन उससे बीड़ी मजदूरों को जितना फायदा मिलना चाहिए, उतना फायदा मिल नहीं पाता है। आज आप मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा 15 रुपये मजदूरी देते हैं, लेकिन वह मजदूरों को नहीं मिल पाती है। अधिकतर मजदूरों को 5 रुपये ही मजदूरी मिलती है। महिला मजदूरों की बात तो छोड़ ही दीजिए। उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। मेरे विचार में मर्द और औरत दोनों को एवं जितनी मजदूरी दी जानी चाहिए। इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए।

इसके साथ ही कई जगहों पर जितनी बीड़ी बनती हैं उसके हिसाब से ही आप मजदूरों को मजदूरी देते हैं। 7-8 साल पहले हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी ने इसमें सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किया था और सरकार ने उसके पत्ते का नेशनालाइजेशन भी किया था, लेकिन इसके बाद भी उन मजदूरों को एक दिन का 2-3 रुपया ही मिला। इस कारण अब भी वह गरीब रो रहे हैं। उद्योग ने साथ नहीं दिया। हमारे महाराष्ट्र में चन्द्रपुर में इससे सम्बन्धित जो उद्योग हैं, उसमें एक लाख वर्कर काम कर रहे हैं। वह किसी भी कानून का अमल नहीं आते हैं। जहां पर भी आपने मिनियम वेजिस का कानून बनाया हुआ है, वहां पर वह अमल नहीं होता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसको भी देखे।

आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटियां भी बनी हुई है, लेकिन इनको पूरी सुविधायें नहीं मिली हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून भी बनाया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको इन समितियों में मैम्बर बनना है, उनको पूरी सुविधायें सरकार की तरफ से प्रदान की जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सभी जगहों पर लागू करें और यह सहकारी समितियों सभी जगह खोली जायें।

आज बीड़ी मजदूर सब से ज्यादा शोषित है, सरकार को इसके बारे में अवश्य कुछ गहराई से सोचना चाहिए। कांट्रेक्ट लेबर की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जब उनको काम में लगाया जाता है उसी समय एक कागज पर उसके साईन करा कर रख लिए जाते हैं और जो ट्रस्टी बनाते हैं वह भी पहले से ही रेजिग्नेशन लैटर पर साइन करा कर रख लेते हैं। जब उनकी ऐसी दयनीय दशा हो तो कितने दिन तक स्टेट सबजैक्ट कह कर इस मामले को टालते रहेंगे। कितने दिन तक मजदूरों को यह कहते रहेंगे

कि हमें आपके प्रति पूरी सहानुभूति है। आज हमारे मजदूर मजबूरीवश कुछ नहीं पाते हैं। अगर वह थोड़ी हिम्मत करके कुछ कहते हैं तो उनको डराया और धमकाया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी स्थिति में आपको इन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना होगा।

आज आप मार्डन टेक्नालजी की बात कहते हैं। आप कोआपरेटिव सोसाइटिज को अच्छी मशीनें दें और कुछ डोनेशन आदि दें। ऐसा करने से ही इन मजदूरों में हिम्मत, विश्वास और शक्ति आयेगी।

आज आप मजदूरों की वैलफेयर स्कीम की जो बातें करते हैं, उसकी ओर आपका और अधिक ध्यान जाना चाहिए। स्वास्थ्य की सेवा जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एम्पलायमेंट हैल्थ स्कीम इन मजदूरों के ऊपर भी लगा दीजिए। बोनस और प्राविडेंट फण्ड की बात तो ठीक है लेकिन जो रोजगार कमाने वाले व्यक्ति हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं जब आप इसको इंडस्ट्री मानते हैं तो वही इन्श्योरेंस स्कीम इन मजदूरों पर क्यों नहीं लागू करते? इसके बारे में आप सारे प्रदेशों की सरकार से पूछ लीजिए कि वह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं?

महिलाओं के बारे में मैं कहूंगा कि मैटरनिटी लीव के लिए कई प्रदेशों में प्रावधान है लेकिन उद्योग वाले फिर भी उनको मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं। तो मैटरनिटी लीव जब महिला को नहीं मिलेगी तो हम क्या न्याय उनको देंगे?

सोशल सेक्योरिटी क्या है? इन सब मजदूरों के लिए क्या सोशल सेक्योरिटी है? दवा की सुविधा नहीं है, शिक्षा की नहीं है, स्वास्थ्य की, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, एम्पलायमेंट सेक्योरिटी नहीं है। उनके भविष्य की तो बात ही करना बेकार है। तो सोशल सेक्योरिटी के बारे में हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनको सोशल सेक्योरिटी देने जा रहे हैं? ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। इनके बारे में प्रदेश सरकारों से आप जिक्र कर लीजिए।

सेंट्रल बीड़ी वर्कर्स बोर्ड जो है वह मेरे ख्याल से मालिकों का बोर्ड है। वह कोई लेबर का बोर्ड नहीं है। उसमें यूनियन के प्रतिनिधि तो होते हैं लेकिन जो खुद कामगार नहीं हैं वही उसके मैम्बर होते हैं। वह दत्ता सामन्त जैसे लोग जो लीडर हैं वही सेंट्रल बोर्ड में हैं···(व्यवधान) मैं बीड़ी वर्कर्स की बात बोल रहा हूं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : 8 दिन दे दो चलाने को तो मैं सब सुधार दूंगा।··· (व्यवधान)···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : ये कह रहे हैं कि आपके जैसों को बना दें।

डा० दत्ता सामन्त : खाली चाय पीने वाला मैम्बर नहीं ··(व्यवधान)···

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मैं यह कह रहा था कि जब तक आप उसमें कामगार ज्यादा से से ज्यादा लेंगे नहीं तब तक काम मजदूरों के हित में नहीं होगा।···(व्यवधान) ··चर्चा करना तो जरूरी है। चर्चा के वगैर तो क्या हल हो सकता है? हम कोई डिक्टेटर तो नहीं हैं कि एक दफा कानून लगा दो और सब बात खत्म कर दो। यह तो लोकशाही है। यहां डेमोक्रेसी में हम काम कर रहे हैं तो चर्चा तो करनी ही होती है···

डा० दत्ता सामन्त : पूरे अनआर्गेनाइज्ड लेबर के ऊपर यह लगा दिया जाय।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : हां, यह बात तो ठीक है, पूरे अनआर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में यह हम चाहते हैं। लेकिन मैं यह कह रहा था कि सोशल सेक्योरिटी मजदूरों की होनी बहुत जरूरी है।

यही कह कर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल आने के बाद थोड़ी सी चुनौती मिली है इसके बाद सरकार मजदूरों को कुछ न कुछ इस तरीके का राहत देने के लिए सोचेगी और कोई कदम उठाएगी। इसके साथ ही देश के अन्दर जो 7 लाख मजदूर खाने वाली तम्बाकू में लगे हैं उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। यही कहने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के इस बारे में कुछ अच्छी बात कहने के बाद हमारे साथी जो यह बिल लाए हैं वह इस को वापस ले लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***कुमारी ममता बैनर्जी** (जाधवपुर) : महोदय, मैं अपनी मातृभाषा बंगला में बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं लाखों बीड़ी और सिगार श्रमिकों की भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूं तथा इस संवेदनशील मामले पर मैं कुछ बंगला उद्धरण भी देना चाहती हूं।

बेशक संशोधन विधेयक से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं फिर भी मैं इस विधेयक की आत्मा तथा इसके पीछे निहित भावना का समर्थन करती हूं। इस महान सभा में बहुत से मामलों पर चर्चा होती है। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ सनसनीखेज होते हैं। परन्तु हमें इन उपेक्षित बीड़ी श्रमिकों की हालत पर बोलना है क्योंकि कोई भी उनकी दशा पर ध्यान नहीं देता। न कोई उसके बारे में सोचता है न ही सुनता है। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूं। बंगला में एक कहावत है :—

"आपन बेदना सिझोन बोझे
ये जन भुक्त भोगी।
रोग मन्त्रणा कभु न बोजे
होयनी जे कभु रोगी"

जिस व्यक्ति को दुर्भाग्य का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, जिसे इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है वह इस बारे में प्रभावी रूप से बोल नहीं सकता। महोदय, मैं स्व रचित कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूं :—

"अयी पृथ्वीर विपोदे आपोदे
घुरनी झनझा जादेर स्थान
जादेर ताजा रक्त कोरेचे"
"गुखी समाजेने गोरने प्राण
तराओ आजके समाजेर नीचे
सुखे भागी अल्प होय
दुःखेर तारा क्षोहीबे केबौल
सुखेर जनयों तरा की नोय?

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं इस बीड़ी श्रमिक संशोधन विधेयक सम्बन्धी सभी व्यक्तियों के बारे में बोलना चाहती हूं। सबसे पहले मैं विधेयक के प्रस्तावक से निवेदन करती हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले, तथा सरकार बीड़ी श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधेयक लायें। व्यापक विधेयक में बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कल्याण योजनाओं तथा अन्य लाभों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे भारी मन से कहना पड़ता है कि गांवों-गांवों का दौरा करते समय मैंने देखा है कि उनके कार्य के कोई निश्चित घंटे नहीं हैं। उनके कार्य के घंटों की कोई सीमा नहीं है। उन्हें आठ घंटे के स्थान पर सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। बदले में उन्हें न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिलती। मैं जानता हूं कि यह राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना चाहिए। परन्तु आज भी हम देखते हैं कि गरीब बीड़ी श्रमिकों को सुबह से देर रात तक काम करने के बाद भी 16 रु० की न्यूनतम मजूरी नहीं मिल पाती। स्वतन्त्रता के 38 वर्ष बाद यह स्थिति है। किसी को 1000 बीड़ियां बनाने के लिए 8 रुपए मिलते हैं। उतनी ही बीड़ियों के उत्पादन पर महिला श्रमिकों को 4 अथवा 5 रुपए मिलते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं हैं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की धारा 100 को मंजूरी देते हुए उन्होंने बताया था "महिलाओं के लिए समान मजूरी का अधिकार।" यदि विश्व में किसी ने भी इसे स्थापित किया है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी ही थी। परन्तु आज वह नहीं हैं। महोदय, इसे कौन लागू करेगा? आज उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा और उसके कारण औरतें अपने अधिकार से वंचित रहती हैं। फिर बाल श्रमिक अधिनियम और समान मजूरी अधिनियम आदि हैं। परन्तु उन्हें कौन क्रियान्वित करेगा? यह खेद की बात है कि औरतें जब बीमारी के कारण कठोर परिश्रम नहीं कर पातीं तो उन्हें अपने बच्चे नियोक्ता के पास गिरवी रखने पड़ते हैं क्योंकि "काम के बिना मजूरी नहीं" का सिद्धान्त लागू किया जाता है। मैं जानती हूं कि सरकार ने कई कानून पारित किए हैं। 1975 में कानून पास किया गया था कि सभी बीड़ी श्रमिकों को पहचान-पत्र दिए जाएंगे। मैं नहीं जानती कि कौन से राज्य ने उसे पूरी तरह क्रियान्वित किया है। मैं पश्चिम बंगाल राज्य की हालत जानती हूं। कई क्षेत्रों का मैंने स्वयं दौरा किया है। मैंने 'इन्टुक' के माध्यम से बीड़ी श्रमिकों को संगठित किया। उन्होंने अपने अनुभव मुझे सुनाये। महोदय, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें मजूरी नहीं मिलती। वे विकास खंड अधिकारी, एस० डी० ओ० के पास जाते हैं, वे राज्य सरकार के पास जाते हैं, परन्तु कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। कानून को क्रियान्वित कौन करेगा? आज बेशक मैं माननीय सदस्य की इस विधेयक के लाने की भावनाओं का स्वागत करती हूं, फिर भी मैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों के बीड़ी कामगरों की हालत तभी बयान करने को हक रखती हूं जब मेरे राज्य में उनकी स्थिति संतोषजनक हो जाये। मेरे राज्य में एक समय "सीटू" संगठन में सभी श्रमिकों का विश्वास था। 'सीटू' उन श्रमिकों की बात कहती थी जो साम्यवादी संगठन के अलावा किसी संगठन के बारे में जानते नहीं थे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि 'सीटू' ने श्रमिकों के साथ राजनीति बरती है। मुझे बताया गया है कि सी० पी० एम० 90 लाख रुपये की लागत से पार्टी का एक समन्वय कार्यालय खोलने जा रही है। अलिमुद्दीन स्ट्रीट में कई करोड़ की लागत से सी० पी० एम० का कार्यालय पहले ही बनाया जा चुका है। लाखों गरीब बंगाली अनाज के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण लोगों का कहना है कि टैगोर का स्वर्णिम बंगाल, जीवानन्द का सुन्दर बंगाल आज वाम मोर्चा सरकार के हाथों में मृत्यु हत्या और निराश्रितों का बंगाल बन गया है। लोग न्याय के लिए चिल्लाते हैं। कामरेड केवल पार्टी के कामों पर करोड़ों रुपया ही नष्ट नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा कि वे अपने दल के कार्यालय में चांदी के पिंजरों में अपने पालतू पक्षी रखते हैं। चांदी के पिंजरे का पालतू पक्षी क्या कहता है? रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था,

[कुमारी ममता बनर्जी]

"कोई कुछ भी कहे परन्तु मेरे पास सुनहरी हिरण अवश्य होना चाहिए।" चांदी के पिंजरे में सी० पी० एम० का पक्षी कहता है कि कोई भी कहे, परन्तु अगले चुनाव में मुझे सोने का पिंजरा अवश्य मिलना चाहिए। चांदी के स्थान पर सोना होगा। सोने के बाद हीरा होंगे। हीरे के बाद और अधिक महंगे जवाहरात होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। मैं जानती हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार बीड़ी श्रमिकों के पक्ष में किसी कानून को कार्यान्वित करने नहीं जा रही है। किन्तु केन्द्रीय सरकार मात्र दर्शक ही नहीं बनी रह सकती, क्योंकि राज्य सरकार कानूनों का कार्यान्वयन नहीं कर रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। इन असंगठित क्षेत्रों के संगठन की जिम्मेदारी किसकी है। प्रत्येक जिले में टी० बी० के अस्पताल खोले जाने चाहिए। मेरे क्षेत्र में 50 हजार बीड़ी कर्मचारी हैं। यहां टी० बी० के अस्पताल खोलना बहुत जरूरी है। यदि वहां टी० बी० के अस्पताल नहीं खोले जाते हैं तो उनका इलाज कौन करेगा? यदि केन्द्रीय सरकार टी० बी० अस्पताल खोलती भी है और उन्हें राज्य सरकार को सौंप देती है, मैं जानता हूं कि राज्य सरकार वहां भी राजनीति का सहारा लेगी। जो निर्धन बीड़ी श्रमिक इलाज के लिए वहां आयेंगे उनका इलाज नहीं होगा। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में टी० बी० के अस्पताल खोले जाएं क्योंकि पहले भी ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। बीड़ी श्रमिकों को तुरन्त इलाज की आवश्यकता है दूसरे, बीड़ी श्रमिकों की पहचान के लिए उन्हें पहचान-पत्र जारी करना आवश्यक है तीसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि भुगतान के सम्बन्ध में पुरुष और महिला श्रमिक के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश में बहुत गरीबी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश में निरक्षरता है। निरक्षरता एक बड़ी समस्या है। श्रमिक पढ़ या लिख नहीं सकते। यहां तक कि बीड़ी श्रमिकों को बीड़ी बनाने के लिए अपने छोटे बच्चों को रेहन रखना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई का कोई अवसर नहीं मिलता। सरकार को उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं जानती हूं कि हमारी सरकार गरीब लोगों के उत्थाम के लिए प्राथमिक स्तर से निर्णय लेने के स्तर तक शिक्षा देने का प्रयत्न कर रही है। किन्तु इसका कार्यान्वियन बहुत आवश्यक है। कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण करवाए जा सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य के लिए आप उच्च अधिकार प्राप्त दल भेज सकते हैं। इस दल का पता लगाना चाहिए कि लोगों को वहां किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कौन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आदि। पहचान पत्र जारी करने के सरकारी नियम···(**व्यवधान**)···। महोदय मैं जानती हूं कि यदि आप सच कहना चाहते हैं तो आपको बहुत से झूठ का सामना करना पड़ेगा। सी० पी० एम० पार्टी समझती है कि वे मेरा मुंह बंद कर देंगे और मैं डर कर चुप हो जाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि मुझे लोगों के हित के लिए, लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सच बोलना है तो सी० पी० एम० मेरा मुंह बन्द करने की कितनी भी कोशिश करे, मैं नहीं डरती। जिन लोगों ने मुझे यहां निर्वाचित करके भेजा है उनके लिए मुझे सच बोलना ही है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने बीड़ी उद्योग से ग्यारह सौ करोड़ रुपये का कर वसूल किया है किन्तु उनके कल्याण कार्यों पर बहुत कम धन खर्च किया जाता है। सरकार को बीड़ी श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिए अधिक धन खर्च करना चाहिए। महोदय, नियोजक बीड़ी श्रमिकों का शोषण करते हैं। मैं समझती हूं कि सहकारी समितियां बनाकर इसमें सुधार किया जा सकता है। यदि कुछ बीड़ी श्रमिकों की सहकारी समितियां बना दी जाएं उनमें सरकार, सलाहकार या चेयरमेन नियुक्त करे। इन सहकारी समीतियों को लघु उद्योगों की भांति चलाया जाए तो बीड़ी

श्रमिकों को काम की सुरक्षा और पर्याप्त संरक्षण मिलेगा। उन्हें बोनस, ई० एस० आई० योजना आदि अन्य लाभ और सुविधाएं मिलेंगी सरकार इस बात पर भी नजर रख सकेगी कि उन्हें किसी सुविधा से वंचित न रखा जाए और उनका शोषण न किया जाए। महोदय, मैं आपसे पुन: अनुरोध करती हूं कि गरीब बीड़ी श्रमिकों की उपेक्षा नहीं कीजिए। आप जानते हैं कि मद्रास, बम्बई और नागपुर में न्यायाधिकरण खोले गए थे। उनकी एकमत से यह राय थी कि आज भी बीड़ी श्रमिक उपेक्षित और वंचित हैं। ये करोड़ों निर्धन कठिन परिश्रमी मनुष्यों की तरह जीवित रहना चाहते हैं। हमें उनका जीवन सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम इस सम्बन्ध में एक राय से अपनी विचारधारा को बदलें। मेरा अनुरोध है कि इन बीड़ी श्रमिकों और उनकी औरतों को आदर से और प्रतिष्ठा से जीने देने और उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाए। तभी सरकार 21वीं शताब्दी में कदम रखने से पहले इन पद-दलितों के दिलों में आशा की किरण जगा पायेगी। महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया है इसलिए महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं और इसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं श्री साहा द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं चाहता था कि भारत सरकार कोई व्यापक विधेयक पेश करती, क्योंकि सब जानते हैं कि बीड़ी उद्योग हमारे देश में सर्वाधिक शोषित उद्योग है। कृषि और हथकरघे के बाद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी उद्योग ही रोजगार प्रदान करता है। ऐसा पता चला है कि हमारे देश में करीब 40 लाख लोग इस रोजगार में लगे हैं। मेरे अपने राज्य कर्नाटक में 3 लाख से अधिक बीड़ी श्रमिक हैं। मैं अभी जो रिपोर्ट पढ़ रहा था उससे मुझे पता चला है कि हमारे देश में हर रोज करीब 130 करोड़ बीड़ियां बनती हैं और इसमें 80,000 टन तम्बाकू और 3.5 लाख टन केंदू के पत्तों की खपत होती है और तम्बाकू की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए होती है।

इस उद्योग में बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा नहीं लगती है। दूसरी ओर हम बीड़ियों का निर्यात करते हैं। और हम इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं। हम कई खाड़ी देशों में उसका निर्यात कर रहे हैं।

इसे गरीब लोग पीते हैं। निश्चय ही इस उद्योग से न केवल बीड़ी पीने वाले को हानि पहुंचती हैं और इससे कई नुकसान भी होते हैं, यह उद्योग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है। अभी अनेक सदस्य बोले हैं। मुझे दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस उद्योग में लगे करीब 25 प्रतिशत श्रमिक किसी न किसी रोग से विशेष रूप से तपेदिक से ग्रस्त हैं। इस उद्योग की यह हालत है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य शोषण समाप्त करना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद भी सरकार इस शोषण को समाप्त नहीं कर पाई है। कानून तो बने हैं और निश्चय है कानूनों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक संगत अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए एक-दो नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 48 में यह प्रावधान है कि किसी संस्था, कारखाने का मालिक या बीड़ी के निर्माण कार्य में लगा ठेकेदार प्रत्येक कर्मचारी को पहचान-पत्र जारी करेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई जांच की है और पता लगाया है कि कितने स्थानों पर यह पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। मेरे निर्वा-

[श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर]

धन क्षेत्र में 500 से अधिक गन्दी बस्तियां हैं और अधिकांश झुग्गीवासी बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। वहां किसी भी गंदी बस्ती में रहने वाले के पास, विशेष रूप से इस काम में लगी अधिकांश महिलाओं के पास, जो कि पर्दा करती हैं कोई पहचान-पत्र नहीं हैं। वर्तमान कानून निष्प्रभावी है। इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दम नहीं है। निर्माता या अन्य किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अब मैं अगले नियम पर आता हूं :—

"बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 40(2)(क) में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में नगरपालिका, जिला बोर्ड, पंचायत बोर्डों, खंड विकास इकाइयों का प्रत्येक कार्यकारी जैसे किसी स्थानीय निकाय में जहां लोग बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं, के कार्यकारी अधिकारी को उस प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले बीड़ी श्रमिकों का एक रजिस्टर बनाना चाहिए। निदेश जारी किए गए हैं कि कल्याण निधि संगठन को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए गए रजिस्टरों के आधार पर दिए गए प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लेने चाहिए।"

सरकार ने एक उत्तर यह दिया है। क्या आपने नगरपालिकाओं या स्थानीय निकायों अथवा निगमों की जांच-पड़ताल की है? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने रजिस्टर बनाए हैं या नहीं? मैं भी एक दशक से अधिक अवधि तक बंगलौर निगम से सम्बद्ध रहा हूं। मैं भी वहां का महापौर था। मेरी जानकारी में कहीं भी उन्होंने ऐसे रजिस्टर नहीं बनाए हैं। मैं नहीं जानता कि संभवतः इसका पालन करने की बजाए, उल्लंघन ही ज्यादा किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने ऐसे रजिस्टर नहीं बनाए हैं। यही कारण है कि यह ज्यादा जरूरी है कि जो संशोधन पेश किया गया है आप उसे स्वीकार करिए।

मेरे विचार से बीड़ी उद्योग के लोग आयकर के रूप से 100 करोड़ रुपये से भी अधिक पैसा दे रहे हैं। लेकिन यदि कर-अपवंचन न किया जाए तो आपको 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक वसूली होगी।

क्या आप जानते हैं कि बीड़ी उद्योग में क्या होता है? श्री अमल दत्त ने सुबह इस बारे में बताया था। निर्माता तम्बाकू के पत्ते और जरूरी सामान सुबह श्रमिकों को दे देते हैं, श्रमिक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। पूरा परिवार ही वहां काम करता है। निर्माता रात को वहां आकर तैयार माल ले जाता है। वह श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती, किन्तु निर्माता को बहुत लाभ होता है।

अधिकांश बीड़ी निर्माता नकली निर्माता हैं। वे पंजीकृत निर्माता नहीं है। उनके पास लाइसेंस नहीं है। कई बार वे अपना माल मशहूर ब्रांड के नाम पर बेचते हैं। यदि हमारे देश में कहीं सर्वाधिक कर-अपवंचन होता है तो वह इस उद्योग में और सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पायी है। इस उद्योग सैंकड़ों करोड़ रुपये का कर-अपवंचन हो रहा है।

इस उद्योग में श्रमिकों का अधिकतम शोषण होता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। यहां बहुत शोषण हो रहा है, यहां

तक कि नियमित लाइसेंसशुदा लोग और संगठन भी न्यूनतम मजदूरी नहीं देते। दूसरा मुद्दा ठेका श्रमिकों के बारे में है। उसका भी जिक्र किया गया है।

इससे अधिक खतरनाक और अमानवीय बात यह है कि इस उद्योग में बाल श्रमिक भी काम में लगे हैं। बच्चों को स्कूल न भेजकर उनसे काम करवाया जाता है। यदि कहीं बाल-श्रमिकों का शोषण होता है तो वह उद्योगों में—एक माचिस उद्योग में और दूसरे बीड़ी उद्योग में। इस उद्योग में बच्चों का शोषण किया जाता है। बाल-श्रमिक प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

कल्याण सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। आप जो उपकर वसूल कर रहे हैं उसे पूरी तरह श्रमिकों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। बीड़ी पर एक विशेष उपकर लगाया गया है। मैं जो आंकड़े देने जा रहा हूं, सरकार पहले ही उन्हें प्रस्तुत कर चुकी है। मैं आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों को उद्धृत कर रहा हूं। 1982-83 में 120.94 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क वसूल किया गया और 3.20 करोड़ रुपए उपकर वसूल किया गया। 1983-84 में 129.36 करोड़ रुपए उत्पाद-शुल्क और 3.46 करोड़ रुपए उपकर वसूल किया गया। 1984-85 में 128.29 करोड़ रुपए उत्पाद-शुल्क और 3.45 करोड़ रुपए उपकर वसूल किया गया। वह जो उपकर वसूल किया गया। आपने प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आदि का अलग-अलग ब्यौरा दिया है। लेकिन मैंने कुल आंकड़े बताए हैं। 1984-85 में आपने जो 3.45 करोड़ रुपए वसूल किए उसमें में, श्रमिकों के कल्याण पर केवल 2.12 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए।

उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं है। कई बीड़ी श्रमिक अपने जीवन काल में बीड़ी श्रमिक ही रहे, जिन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। ठेकेदार या निर्माता उन्हें जो कुछ भी देता है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्य श्री पाटिल की बात से सहमत हूं कि माननीय मन्त्री श्री संगमा को बीड़ी श्रमिकों की सहकारी समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। 1982 में श्री पनिकर की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि करीब 5 लाख श्रमिकों को सहकारी समितियों के अतर्न्गत लाया जा सकता है। उन्होंने कर्नाटक और केरल जैसे कुछ राज्यों में प्रयोग के तौर पर ऐसा किया है। सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि बीड़ी कर्मचारी सहकारी समितियां बनाई जायें। महोदय, आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। इस संशोधन को स्वीकार करें; अन्यथा यह रवैया श्रमिक-विरोधी एवं मानवता-विरोधी होगा। यह चाहे विपक्षी दल के सदस्य द्वारा लाया गया है और गैर-सरकारी संशोधन है, परन्तु इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और कृपया इस संशोधन को स्वीकार कर लें। इसी सत्र में ही एक व्यापक विधेयक लायें और हम सभी उसका समर्थन करेंगे।

आप युवा हैं, कम्युनिस्ट सदस्यों ने भी आपकी प्रशंसा की है, आप स्वयं को उस प्रशंसा का पात्र बनायें। यदि आप व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो मैं भी आपकी प्रशंसा करूंगा। यही उपयुक्त समय है जब सभी क्षेत्रों में श्रमिकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उनका कल्याण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं श्री गिरधारी लाल व्यास को बोलने के लिए बुलाऊं मैं सदन को सूचित कर दूं कि इस विधेयक के लिए निर्धारित समय 5 बजे समाप्त हो जाएगा। अभी

[सभापति महोदय]

चार या पांच और सदस्यों को बोलना है और फिर मन्त्री जी उत्तर देंगे। उसके बाद प्रस्तुतकर्ता उत्तर दे। अतः अभी हम निर्धारित समय को 45 मिनट के लिए आगे बढ़ा देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 45 मिनट से काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय : हम इसे आज समाप्त करना चाहते हैं। पहले हम समय में 45 मिनट की वृद्धि कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। क्या सदन को मंजूर है कि समय में 45 मिनट की वृद्धि कर दी जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : समय में 45 मिनट की वृद्धि की जाती है। मैं सदस्यों से संक्षेप में अपनी बात कहने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स अमेंडमेंट बिल 1985 जो श्री अजीत कुमार साहा द्वारा पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन और स्वागत करता हूं, मगर जो बिल पेश किया गया है, उससे सारे बीड़ी वर्कर्स की समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं माननीय लेबर मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वे एक काम्प्रीहेंसिव बिल इस सदन में लाएं, ताकि बीड़ी वर्कर्स की तमाम समस्याओं का समाधान हो सके।

4.59 म० म०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

मैं माननीय लेबर मिनिस्टर साहब और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिछले सालों में बीड़ी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बिल लाया गया है और इससे कुछ वेलफेयर एक्टीविटीज होने लगी हैं, मगर ये वेलफेयर एक्टीविटीज जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पा रही हैं। यह संस्था अभी तक आर्गनाइज नहीं बन पाई है और जितना पैसा आपके पास शेष का आता है, वह सारा का सारा पैसा इन पर खर्च किया जाना है, लेकिन आप सारे पैसे में से कुछ बचा रहे हैं। इस पैसे को बचाने का उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता। होना यह चाहिए कि जितनी वेलफेयर एक्टीविटीज बढ़ाई जा सकती हैं, उतनी बढ़ाई जानी चाहिए और जो मुख्य शिकायतें हैं बीड़ी वर्कर्स के सम्बन्ध में, उनकी हैल्थ के सम्बन्ध में रहन-सहन के सम्बन्ध मे, मकानात के सम्बन्ध में, ये फेसिलिटीज उनको ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से प्रोवाईड की जा सकती हैं, इस बारे में माकूल तरीके से सोचा जाना चाहिए। अभी सभी माननीय

5.00 म० प०

सदस्यों ने कहा कि पच्चीस परसेंट से ज्यादा बीड़ी वर्कर्स को इस धन्धे में काम करते हुए टी० बी० की बीमारी लग जाती है। उस सम्बन्ध में आपने अभी तक किसी हास्पिटल या डिस्पेंसरी का प्रावधान किसी भी जगह के लिए तय नहीं किया है। कई स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में आपने वेलफेयर एक्टीविटीज को प्रारम्भ किया है। लेकिन सबसे मोटी समस्या जो टी० बी० की है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया है। जहां बहुत बड़ी तादात में मजदूर रहते हैं, उसके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए डिस्पेंसरी आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। जिस प्रकार आपने माइका माइन्स में काम करने वाले मजदूरों के

लिए डिस्पेंसरी और औषधालयों की सुविधाएं दी हैं, उस तरह की वेलफेयर एक्टीविटीज पूरी तरह से प्रारम्भ नहीं की जा सकी हैं। इसलिए इस व्यवस्था को माकल तरीके से शुरू करने की आवश्यकता है।

इस उद्योग में जो वर्कर्स काम करते हैं, वे चाहे इण्डस्ट्री के हिसाब से काम करते हों या घर पर या कांट्रेक्ट लेबर के रूप में काम करते हों, उनको मिनिमम वेज मिलती है या नहीं, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। बहुत से मालिक ऐसे हैं जो पूरी की पूरी मजदूरी गायब कर जाते हैं। उसके सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है। पेमेन्ट आफ वेजेस के सम्बन्ध में और मिनिमम-वेज के सम्बन्ध में भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बीड़ी मजदूरों की समस्या हल हो सके। इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है। जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं उनको तो ठीक से वेज मिल जाती है लेकिन जो घर पर या कांट्रेक्ट लेबर के रूप में काम करते हैं, उनको ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं यह सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए इन सारे लोगों को इस एक्ट के तहत लाया जा सके, इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक इन लोगों को इन कांट्रेक्टर्स के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सकता और जितना पैसा उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है।

बिल के आबजेक्ट में बताया गया है कि पचास लाख लोग इस देश में इस काम में लगे हुए हैं। कम से कम इसके साथ-साथ हरेक परिवार के पांच सदस्य काम कर रहे हैं। असल में जो काम करते हैं उनकी संख्या इनको मिलाकर बहुत ज्यादा है। यह जो संख्या बताई गई है वह केवल पुरुषों और महिलाओं की है। उनके परिवार के लोग जो इस काम में लगे रहते हैं, वह बहुत बड़ी तादात में हैं। इतनी बड़ी तादात में जिस काम में लोग लगे हुए हों और उनके लिए आपके विभाग की तरफ से कोई उचित प्रावधान न हो तो यह उचित बात नहीं है। माननीय मन्त्री जी को इन मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक और जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य चाइल्ड लेबर के बारे में बोल रहे थे कि उनकी अंगुलियां नरम होती हैं जिसकी वजह से अच्छी बीड़ी बनती है। चाइल्ड लेबर बहुत बड़ी तादाद में इस काम में लगे हुए हैं जबकि इस बात की व्यवस्था की गई है कि बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में लगाया जाए और उनसे इस तरह का काम न लिया जाए। आप यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान में किस तरह की आर्थिक व्यवस्था है, किस हालत में लोग रह रहे हैं और किस तरह से गरीब लोग इस काम-काज में लगे हुए हैं। अगर उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न उठा दिया जाये कि बच्चों को इस काम-काज में नहीं लगाया जाए तो मेरे ख्याल से सारा परिवार भूखों मर जायेगा। इसलिए मजबूरी में सारा काम-काज किया जाता है। मगर इसके साथ-साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उनकी फेसेलिटीज हैं उनकी समय की पाबन्दी, पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम, उनके वेज का इन्तजाम, यह सब प्रकार की व्यवस्थाएं माकूल तरीके की होनी चाहिए ताकि जो बच्चे काम करते हों उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। यह व्यवस्थाएं नितान्त आवश्यक हैं। इन व्यस्थाओं को निश्चित तरीके से करने की बहुत आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी का प्रबन्ध नहीं है। एक मालिक कभी भी नाराज हो जाए मजदूरों को काम से निकाला जा सकता है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उस मजदूर को बराबर कामकाज मिलेगा और उसके लिए कोई डिस्प्यूट खड़ा किया जा सके और उस डिस्प्यूट के जरिए वापिस रोजगार में लगाया जा सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

एक्ट जहां फैक्ट्री है वहां लागू है, मगर जहां फैक्ट्रीज नहीं हैं और फैक्ट्री की परिभाषा में नहीं आती हैं इस प्रकार के लोगों को यह सारी व्यवस्थायें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबन्ध करने की आवश्यकता है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं वेलफेयर एक्टीविटीज चलाई जायें। आपको यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस प्रकार की लेबर को किस प्रकार ओर्गेनाइज्ड किया जाये। आज यह लेबर अन-आर्गेनाइज्ड है। कुछ थोड़े से लोगों ने ट्रेड यूनियन बना ली है, मगर इसके बावजूद जो बिखरे हुए एम्पलायर हैं, अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं उनकी ट्रेड यूनियन का इतना प्रभाव नहीं होता है जितना आर्गेनाइज्ड यूनियन का होता है। इसलिए इनकी ट्रेड यूनियन की व्यवस्था की जानी चाहिए, वेलफेयर एक्टीविटीज के लिए कोआपरेटिव बनाई जायें और उनके यह सदस्य बनें तो यह सारी व्यवस्थाएं बीड़ी का काम तेजी से चला सकती हैं। उनको लेबर एक्ट की तमाम सुविधायें उपलब्ध हो सकें इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी नितान्त आवश्यक हैं। जो यह बिल लाया गया है इसकी भावनायें बहुत अच्छी हैं। इन्होंने कांट्रेक्टर की जो परिभाषा की है वह भी निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है। इस सेक्शन 2(घ) में कहा गया है :

[अनुवाद]

"(घ) संविदाकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बीड़ी या सिगार या दोनों विनिर्माण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, नियोजक के लिए, ठेका श्रमिकों के माध्यम से कार्य-निष्पादित करा कर, एक निश्चित परिणाम प्राप्त कराने का ठेका लेता है या जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी कार्य को करने के लिए ठेका श्रमिक देता है या जो किसी प्राइवेट निवास-गृह में किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए काम पर श्रमिक लगाता है और इसके अन्तर्गत उप-संविदाकार, सट्टेदार, अभिकर्ता, मुंशी, ठेकेदार आदि आता है ;"

[हिन्दी]

यह जो परिभाषा है, निश्चित तरीके से इस परिभाषा को आपको इस कानून के अन्दर एड किया जाना चाहिए ताकि जो एम्पलाइयर है वह जिम्मेदार बने इस कांट्रेक्टर के कामकाज के सम्बन्ध में और उसके जरिए से वह सारी सुविधाएं बीड़ी मजदूर को मिल सकें या सिगार के मजदूर को मिल सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

इसलिए आपको इस प्रकार की परिभाषा अपनानी चाहिए जिससे तमाम बीड़ी मजदूरों को राहत मिल सके। इस एक्ट में यह कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"(ii) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'कर्मचारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी स्थापन में बीड़ी या सिगार या दोनों विनिर्माण की प्रक्रिया में या उसके सम्बन्ध में, शरीर से या अन्यथा, किसी प्रकार का काम करने के लिए, किसी प्रकार की मजदूरी पर नियोजित है, और जो नियोजक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः अपनी मजदूरी पाता है और इसके अन्तर्गत स्था-

पन में बीड़ी, सिगार या दोनों के विनिर्माण की प्रक्रिया में या उसके सम्बन्ध में किसी संविदाकार के द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कोई भी व्यक्ति आता है और उसके अन्तर्गत—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है, जिसे नियोजक या संविदाकार द्वारा घर पर बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए कच्चा माल दिया जाता है (जिसे इसमें इसके इस अधिनियम में 'गृह कर्मकार' कहा गया है) ; तथा

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो नियोजक या संविदाकार द्वारा नियोजित नहीं किया गया, किन्तु जो नियोजक या संविदाकार या दोनों की अनुज्ञा से या उनके साथ करार के अधीन कार्य करता है, "

[हिन्दी]

इसलिए एम्पलौयी की डेफिनीशन भी आपको ऐसी बनानी चाहिए जिसमें सब लोगों को शामिल किया जा सके, चाहे वह फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, किसी कांट्रेक्टर के तहत काम करने वाले लोग हों और जिस आदमी को घर पर बनाने के लिए कामकाज दिया जाता है, वह भी इसमें शामिल हो जाए। इसके साथ ही उनको समान रूप से बैनिफिट भी मिल सकें, परिभाषा में इस प्रकार की व्यवस्था किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।

एक निवेदन मैं आपसे क्लाज 2(v) के बारे में करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा ; अर्थात :

"(ङ) 'मुख्य नियोजक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके लिए या जिसकी ओर से संविदाकार ऐसे किसी स्थापन में, जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों के विनिर्माण के लिए इस अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, किसी संविदा श्रमिक को काम पर लगाता है या नियोजित करता है, "

[हिन्दी]

इस तरीके से प्रिंसिपल एम्लायर किस आदमी को कहा जाएगा उसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए क्योंकि कई दफा ये लोग मना कर देते हैं कि यह तो मेरा एम्पलाई ही नहीं है, मेरा इसके साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं है, मैंने तो इसको कोई सामान नहीं दिया। इसलिए प्रिंसिपल एम्पलायर किसी कान्ट्रैक्ट के जरिए अथवा किसी और एजेन्सी के जरिए, उस आदमी को प्रिंसिपल एम्पलायर माना जा सके, उसको हर काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था आपको करनी है। तभी मजदूरों को पूरी सुख-सुविधाएं मिल सकेंगी।

इसके साथ-साथ उनको लाइसेंस देने की भी नितान्त आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रेमिसेज में वे काम करते हैं, उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन इसका इतना बड़ा स्कोप है कि कोई भी बीड़ी बनाने वाला आदमी, जिसकी जानकारी आपके विभाग को नहीं है, आपके लेबर डिपार्टमेंट को नहीं है, यदि वह प्रेमिसेज में बैठे, या उसको भी लाइसेंस की आवश्यकता तो रहती है। मगर जो बीड़ी बनाता है या बीड़ियों का काम करता है, चाहे किसी एजेन्ट के जरिये बनवाये अथवा किसी कान्ट्रैक्टर के जरिए, उस व्यक्ति को लाइसेंस लेना नितान्त आवश्यक हो। जब तक वह लाइसेंस नहीं लेना आपके विभाग को

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

उसकी जानकारी कैसे होगी कि वह बीड़ियां बनाने का काम करता है या नहीं और फिर सरकार को सैस या एक्साइज ड्यूटी वसूल करने में भी कठिनाई आयेगी क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं और सरकारी सैस देना नहीं चाहते। इससे सरकार को मिलने वाली आमदनी से भी वंचित रहना पड़ता है। इसलिए तमाम बीड़ी बनाने वाले लोगों को आप परिभाया में शामिल कजिए ताकि वे किसी प्रकार का कोई गलत काम न कर कर सकें।

एक अन्य क्लाज 2(vi) है, जिसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

खण्ड (ढ़) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ढ़) 'प्राईवेट निवास गृह' से ऐसा गृह अभिप्रेत है, जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों के विनिर्माण के लिए मुख्य नियोजक की ओर से किसी संविदाकार द्वारा या मुख्य नियोजक द्वारा लगाये गये ठेका श्रमिक रहते हैं ;"

[हिन्दी]

इसके साथ साथ यह भी जोड़ देना चाहिए कि जो आदमी घर पर बीड़ियां बनाने का काम करता है, वह तो इस डैफिनीशन में शामिल ही नहीं है, जब कि उसे भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि लाइसेंस के जरिए से तमाम बैनिफिट उन आदमियों को भी उपलब्ध हो सकें, जो बैनिफिट लेबर डिपार्टमेंट के जरिए उस आदमी को मिलते हैं। इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है।

इसलिए जब तक इन सारी व्यवस्थाओं को हम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, मजदूरों का हित नहीं हो सकता। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके लेबर डिपार्टमैंट में जितने इंसपैक्टर्स हैं, उनकी आप जिम्मेदारी लगाइए उन्हें देखना चाहिए कि कहां-कहां बीड़ियां बनाने काम होता है, कहां कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं। क्या उनको मिनिमम वेज मिलता है या नहीं। उनके वेजेज को किसी ने रोका तो नहीं है, कोई उनका पैसा खा तो नहीं गया है। यदि इस तरह की व्यवस्था आप इन्सपैक्टोरेट के माध्यम से कर पाते हैं तो इन लोगों के प्रति हम अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं और उन कमियों को दूर कर सकते हैं, जिनका अभाव अब तक रहा है। उनको न्याय दिला सकते हैं। जहां पर आपके इंसपैक्टर नहीं रहते हैं वहां स्टेट गवर्नमैंट के जरिए इस व्यवस्था को लागू कराने की कोशिश की जानी चाहिए। हर स्टेट गवर्नमैंट के लेबर डिपार्टमैंट में इतने इन्सपेक्टर लगे हुए हैं जिसका कोई हद नहीं, उनमें से किसी भी एक इन्सपेक्टर को, जिन-जिन स्थानों में यह बीड़ी बनाने का काम होता है, वहां उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है और स्टेट गवर्नमैंट के जरिए इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू किया जा सके, इसकी व्यवस्था आपको करना नितान्त आवश्यक है। तभी हम बीड़ी मजदूरों के साथ न्याय कर पायेंगे क्यों यह अनआर्गेनाइज्ड लेबर है। इसलिए इस व्यवस्था को माकूल तरीके से करना चाहिए और लेबर डिपार्टमेंट से मेरा निवेदन है कि इसमें काम करने वाले लोग पैसे वालों और सेठों का ही काम करते हैं। मेरा उनसे कहना है कि उनका काम केवल सेठों और पैसे वालों का ही काम करना नहीं है, बल्कि मजदूरों के हित का काम करना भी है। इसलिए इनको अपने रवैय्ये को बदलने की आवश्यकता है।

प्रोवीडेंट फण्ड के मामले में, ई० सी० आई० के मामले में आप देख लीजिए कितनी गड़बड़ी

है। ये सारी चीजें बताती हैं कि लेबर डिपार्टमेंट कितना इन इफेक्टिव है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। इसलिए मान्यवर मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप लेबर डिपार्टमेंट को सक्षम बना दीजिए जिसमे ज्यादा से ज्यादा लाभ मजदूरों को हो सके और मजदूरों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हो सके और उनको न्याय मिल सके।

मैं, इस बिल की भावनाओं का स्वागत करता हूं, मगर जैसा मैंने कहा, इसका उद्देश्य बहुत सीमित है, इसलिए इस बारे में एक कांप्रिहेंसिव बिल लेबर मिनिस्टर साहब लाएं जिससे बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का कल्याण हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आदरणीय सभापति जी, लेबर डिपार्टमेंट से कानून लागू करवाने की आशा ही नहीं करनी चाहिए। कानून लागू हो जाए, यह आशा करना तो व्यर्थ है क्योंकि इसका काम तो मात्र कानून बनाना है। ये हमारे माननीय सदस्य जो कानून लाएं हैं, अगर वे इसको पढ़ते तो यह क्लाज पहले से ही मौजूद है और पहले ही ज्यादा प्रावधान इस बात के लिए इसमें हैं। लेबर डिपार्टमेंट तो कानून बनाना जानता है, कानून लागू करवाने का काम नहीं जानता है। यह तो इन्सपेक्टर राज है। वह पैसा खाता है। वह कभी भी कानून लागू नहीं करवा सकता है। इसके पीछे देखिए क्या बात है, आप उसकी तनख्वाह देखिए कितनी है? होलीडेज इन्स्पेक्टर हैं, वेट्स एण्ड मेजर्स इंस्पेक्टर हैं, कोई भी देख लीजिए अपना पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। आप यह भी देखिए कि इन इन्सपेक्टर्स को आपने क्या पावर्स दे रखी हैं। मेहरबानी करके आप उनको देखिए तो सही—

[अनुवाद]

इंस्पेक्टर सहायकों से काम लेगा। कौन से सहायक? वह शक्ति से काम लेगा। वह उन्हें साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये क्या है? मैं इसे वास्तव में नहीं समझा।

[हिन्दी]

यह लैजिस्लेशन है। आप तो नए हैं, लेकिन कानून तो 1966 का बना हुआ है, इसको कैसे लागू किया जाएगा यह देखिए। पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आपने पिछले तीन सालों में कितने एम्प्लायर को जेल के सीखचों के पीछे भेजकर सजा दी है? ···व्यवधान·· हमारे मनोरंजन जी ने काफी बीड़ी का काम किया है, इनको काफी तजुर्बा है, लेकिन मैंने इनकी जेब में बीड़ी नहीं देखी। श्रीमान मन्त्री महोदय, आपके पास बड़े विद्वान वकील, पुराने स्पीकर और मन्त्री बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, यह क्या कानून बनाया हुआ है, इस कानून में रद्दो-बदल करनी चाहिए। पहले तो आपने सैक्शन 41 के अन्दर एग्जम्पशन कानून क्यों बना रखा है—

[अनुवाद]

> "राज्य सरकार औद्योगिक परिसरों के किसी भी वर्ग को या नियोजकों या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के सब उपबन्धों से या उनमें से किसी से, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन छूट, जैसे वह अधिरोपित करे, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दे सकेगी;"

[श्री मूलचन्द डागा]

[हिन्दी]

यह सैक्शन 41 आपने क्यों बना रखा है और इसकी क्या जरूरत है, इसका आप मुझे उत्तर देंगे। दूसरी बात आप कहते हैं कि इंसपेक्टर ऐसी एवीडेंस नहीं लेगा, जो उसके खिलाफ हो।

[अनुवाद]

अधिनियम में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अधिनियम के सैक्शन 7(1)(क) में बताया गया है कि इंस्पेक्टर—

> "7(i)(क) ऐसी परीक्षा कर सकेगा और ऐसी जांच कर सकेगा, जैसी यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि क्या किसी स्थान या परिसर में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया गया है या किया जा रहा है;
>
> परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी प्रवृति उसे अपराध में फंसाने की हो;"

ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, "जिसकी प्रवृति उसे अपराध में फंसाने की हो।" क्या इंस्पेक्टर किसी पुलिस स्टेशन में एम० एच० ओ० की तरह है? वह किसी व्यक्ति को रजिस्टर दिखाने के लिए यह कहकर मजबूर नहीं कर सकता कि वो उसे देखना चाहता है? आप कहते हैं किसी व्यक्ति को रजिस्टर आदि दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सैक्शन 7(i)(ग) में कहा गया है कि इंस्पेक्टर—

> "किसी भी स्थान या परिसर में जिसके अन्तर्गत नियोजकों के निवास स्थान आते हैं, सभी समयों पर ऐसे सहायकों के साथ जैसे वह ठीक समझे, प्रवेश कर सकेगा···"

[हिन्दी]

इसके अन्दर आपने यह कानून बना रखा है। इंसपेक्टर का काम है, राशि लेना, महीने में पैसा ले लेना और वहां लिख देना कि काम ठीक चल रहा है। हमारे एरिया में,

एक माननीय सदस्य : चाय-पानी मिलता है।

श्री मूलचन्द डागा : अब यह वहां हो गया है। मैं सच कहता हूं कि हमारे संगमा साहब कभी किसी बीड़ी वर्कर के पास जाकर बैठे नहीं है। ये अभी नए मिनिस्टर हैं। इनके पहले के भी भूतपूर्व मन्त्री कभी बीड़ी वर्कर के पास जाकर नहीं बैठे और उससे बात नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : अंजैया साहब ने की है।

श्री मूलचन्द डागा : अंजैया साहब का मालूम है।

आप बतायें कि बीड़ी वर्कर के पास कौन जाकर बैठता है? वहां पर लोग बच्चों को गिरवी रख देते हैं। बाप कहता है कि मेरा बच्चा गिरवी है, मुझे 200 रुपये साल में दे दो।

आज सदन में एक गम्भीर विषय पर बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने आदमियों को सजा दी और कितने आदमी कन्विक्टेड हुए। उसमें आपने लिखा है—

[अनुवाद]

"उसे नक्शा दिखाना होगा।"

[हिन्दी]

मकान में एक जगह वैंटिलेशन बनाया है, 50 लेबररर्स के लिए एक ही लैट्रिन है। लेडीज और जैन्ट्स के लिए अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए। यह जो कानून है, यह पुराना हो गया है—

[अनुवाद]

अधिनियम के सैक्शन 4(5) में कहा गया है :—

> "सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का सारतः अनुपालन हो गया है।"

[हिन्दी]

अब आप यह भी बताइए कि कितने लाइसेंसेज आपने कैंसिल कर दिए। कोई भी आदमी, जो बड़े-बड़े आफिसर्स हैं, वह वहां नहीं जाते। चीफ इंसपेक्टर भी वहां नहीं जाता है। यह सारे लेबर-लाज मेरे ख्याल से किताबों में रखने के लिए ही हैं।

आपने अपने कानून को अलमारी के अन्दर जिस तरह रामायण सजा कर रखी जाती है, वैसे ही सजा कर रखा हुआ है। आप मुझे बता दें कि पिछले तीन सालों में कितने आदमी कानून का उल्लंघन करने पर जेल के शिकंजे में आए।

आज बीड़ी बेचने वाले भी चुनाव में चन्दा देते हैं। आप गरीबों का पैसा लेकर और उनका खून चूस कर चन्दा एकत्र करते हैं। यह समाज की व्यवस्था पर एक बड़ी करारी चोट है। कल्याणकारी राज्य में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। आपके किसी कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि मिनिमम वेज नहीं दी जाएगी तो सजा होगी। क्या बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को मिनियम वेज मिलती है? क्या यह सब जानने की आपने कोशिश की आपका जो ऐक्ट है? वह 1966 का बना हुआ है। मेरे ख्याल में हमारे संगमा जी उस समय पैदा हुए होंगे। मैं संगमा जी को बताना चाहता हूं कि यह बीड़ी उद्योग में काम करने वाले 50 लाख लोगों का सवाल है, यह औरतों के शोषण का सवाल है और यह उन माताओं के शोषण का सवाल है जो कि एक कल्याणकारी राज्य में रहती हैं।

हमारे योजना मन्त्री जी बैठे हैं, वह बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। यह कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं बनायी हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि वह योजनाएं केवल कागजों में ही रह गई हैं। अगर आप बीड़ी वर्कर्स को देखेंगे तो नफरत करेंगे। उनके बदन पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, उसकी औरत के हाथ में कंगन नहीं है, उसकी औरत मजदूरों की तरह से काम करती है, वह गर्दन ऊंची करके बात नहीं कर सकती है। जैसाकि ममता जी ने कहा कि जिसके सीने में दर्द होता है, वही उस दर्द को समझ सकता है।

आप मुझे बतायें कि आपने कितने इंस्पेक्टरों को अब तक ससपेंड किया है।

[अनुवाद]

क्या आपने कभी किसी एक भी इंस्पेक्टर या मुख्य इंस्पेक्टर या श्रम अधिकारी अथवा सक्षम

[श्री मूलचन्द डागा]

अधिकारी को गलत लाइसेंस देने पर निलम्बित किया है ?

[हिन्दी]

आप अपने रहने के लिए मकान बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन उस मजदूर को बहुत गन्दा मकान रहने के लिए लिए देते हैं और दिल्ली की उस गली में वह मकान देंगे जहां की गलियों से हमारे भारद्वाज जी कभी गुजरे नहीं होंगे। इसी कारण आज उनके चेहरे पर काफी चमक है। इसका जो कानून बना हुआ है, उस कानून में प्लान मांगा है, वैंटिलेशन मांगा है, लैट्रिन्स और यूरीनल्स मांगा है, ठण्डा पानी मांगा है—उनको आपको पैसा देना है। आप कहते हैं कि आज हमको अधिकार नहीं है, लेकिन कानून बनाने के पहले आपको यह सोचना चाहिए कि कानून वह अच्छा है, जो लागू हो जाए और कानून लागू नहीं हो, तो वह कानून किस काम का है ? यह जो एग्जेम्पशन क्लाज हैं, इसको देखिए। लेबर मिनिस्टर साहब आ गए हैं, मैं फिर उनके सामने पढ़ देता हूं। यह कौन सा कानून बना हुआ है कि वह उसको कम्पेल नहीं कर सकते एवीडेंस देने के लिए। यह कहां से लगा दिया इसमें ? आपने कभी इस कानून को देखा है और फिर सरकार एग्जेम्ट कर सकती है। ला मिनिस्टर साहब से मैं यह जानना चाहता था कि इस प्रकार का इंसपेक्टर राज कब तक चलेगा ?

[अनुवाद]

यह धारा इस प्रकार है :—

> "किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी प्रवृति उसे अपराध में फंसाने की हो···"

[हिन्दी]

चलिए, कह देगा कि कोई जबर्दस्ती नहीं है कि तुम बयान दो। तो फिर इंसपेक्टर क्या करेगा ? मैं कहता हूं कि आप मेहरबानी करके एक्ट पलट दीजिए। बीड़ी वर्कर्स के एक्ट को आपको जरूर पलट देना चाहिए और आप मेहरबानी करके बजट से पहले इसको पलट दीजिए। इसके थोड़े से क्लाजेज हैं। लेबर डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े अधिकारी बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बुलाकर उनसे बात करते हैं और सलाह लेते हैं। कोई बोर्ड वैलफेयर के लिए बना हुआ है। कितने बीड़ी वर्कर्स उसमें मैम्बर हैं, जो कि बुलाए जाते हैं, ताकि वे आकर उस बीड़ी वैलफेयर सैस को देखें, उस सैस से क्या-क्या एक्टिविटीज आपने कीं, कितने मकान उनको बनाकर दे दिए, कहां पर वे रहते हैं ? इसमें तो आपने लिखा है कि वह नौ घण्टे तक रोज काम कर सकता है। आप बताइए कि एक बीड़ी वर्कर नौ घण्टे रोज काम करेगा।

सभापति जी, आपने मेहरबानी की कि समय दिया, लेकिन यह कानून बहुत पुराना है, इसमें केवल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर का राज है। ला के अन्दर इंस्पेक्टर की क्या तनख्वाह होती है ? एक हजार और फिर स्कूटर चाहिए, टी वी चाहिए, तो वह चार-पांच हजार रुपए कमाता है। ये मिनिस्टर लोग तो कम कमाते हैं, इंसपेक्टर ज्यादा कमाता है। उसकी बीवी 1 हजार की साड़ी पहनती है और आपकी बीबी 225 रुपये की पहनती है। तो उनके मुकाबिले तो आप हैं ही नहीं। यह राज सारा आपने इंसपेक्टरों को सौंप दिया है। ये इंसपेक्टर्स, यह बोर्ड और यह कमेटीज जो आप बनाते हैं सारा पैसा यह व्यर्थ जाता है। इसलिए इस ऐक्ट को पलटिए, नहीं तो आपके पास में ला मिनिस्टर

साहब बैठ हुए हैं इनको रेफर कीजिए, यह सजेश्चन दे देंगे। इनको तो अभी अभी उसके लिए दिमाग मिल गया कि इसको पलट दें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभापति महोदय, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जब आते हैं···

सभापति महोदय : तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : टाइम नहीं मिल जाता है, आप बड़ी शांति के साथ सुनते हैं और हर वक्त आपके चेहरे पर मुस्कराहट बनी रहती है। नहीं तो दूसरे जल्दी जल्दी घंटी बजा देते हैं और हमारी भी घंटी जल्दी बज जाती है।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : पिछले डेढ़ वर्ष में मैंने इस सदन में ऐसे भाषण बहुत कम सुने हैं। किन्तु मैं श्री डागा से पूर्णतया सहमत हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस देश में गरीब व्यक्तियों तथा असंगठित मजदूरों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है या कम से कम कहीं-कहीं कुछ सुधार करना चाहती है या नहीं। मैंने इस सदन में कई बार कहा है कि खेतों पर काम करने वाले कही श्रमिकों की संख्या 4 से 5 करोड़ है और ईख, चाय, काफी के खेतों में काम करने वाले मजदूर लाभ अर्जित करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं? उनके लिए कुछ करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। 1.1 करोड़ मजदूर पावरलूम तथा हैंडलूम में लगे हुए हैं 50 लाख बीड़ी कर्मचारी हैं, 70 से 80 लाख पत्थर तोड़ने वाले और इमारतें बनाने वाले हैं, चार से पांच लाख श्रमिक भैंसों की देखभाल करते हैं और इसके बाद अस्पतालों तथा छोटी डिस्पेंसरियों में कम करने वाले मजदूर हैं। मजदूरों के इन सभी वर्गों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है और वे सभी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं।

आप आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी की बातें कर रहे हैं, किन्तु गरीबी में आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी के अनुपात में कभी सुधार नहीं आएगा। अब यह समय··· (व्यवधान)···

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : क्या आपने इस असंगठित क्षेत्र को संगठित करने का कभी प्रयास किया है?

डा० दत्ता सामंत : जी हां, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक हैं। बम्बई तथा ठाणे में पत्थर तोड़ने वाले 50,000 श्रमिक हैं जिन्हें 2000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है और महिला श्रमिक को 1000 रु० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। मेरे विचार से आपको बम्बई जाकर देखना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे प्रसन्नता हुई।

डा० दत्ता सामंत : इसके बाद भैंसों की देखभाल करने वाले तबेला श्रमिक हैं। जो मेरी यूनियन में हैं—उत्तर प्रदेश के सभी 40,000 लोग—उन्हें 800 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है जबकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 225 रुपए है। वे चूंकि मेरी यूनियन में हैं इसलिए उन्हें बोनस और भविष्य-निधि मिल रही है। किंतु बम्बई में, जहां से श्रम आयुक्त का कार्यालय केवल दो मील की दूरी पर है, उनकी परवाह नहीं की जा रही। मेरे पास ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जो छोटे वर्गों में पेट्रोल पम्पों, लांड्रियों आदि पर काम करते हैं, नियोक्ताओं पर दबाव होने के कारण वे उन्हें ये

[डा० दत्ता सामन्त]

सुविधायें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप बम्बई से थोड़ा आगे चले सभी पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को 4 या 5 रुपए से अधिक नहीं मिलते और वे एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं। कोई इनके हित के बारे में नहीं सोचता। मुझे विश्वास है, श्री डागा आप पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन अन्ततः वह पार्टी के साथ है। श्री डागा आप इस बात को अपनी पार्टी में क्यों नहीं करते। इस सम्बन्ध में किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं।

श्रीमन, मैं अब मुद्दे पर आता हूं क्या वहां कोई न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक है? वहां कोई नहीं है। आप इस संबंध में बात क्यों कर रहे है? उसकी जांच कौन करेगा? फैक्टरी निरीक्षक को इस कार्य के लिए नियत किया गया है लेकिन दस हजार फैक्टरियों के लिए एक निरीक्षक है। आप क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार के मजदूरों के लिए देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह वास्तव में गंभीर विपत्ति है कि कोई भी इन मजदूरों की देखभाल करने में कोई रुचि नहीं लेता। बीड़ी मजदूरों को युनियन पर न छोड़ें। क्या आपका अर्थ यह है कि युनियन 50 लाख श्रमिकों की देखभाल कर सकती है? वहां सरकार उनके लिए क्या कर रही है? मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं यह युनियन पर न छोड़ें। वह घर के लिए 'पांच ; दस व छः मजदूरों को ठेके पर काम दे रहे है। इसकी देखभाल कौन करेगा? यह सरकार का कर्तव्य है जिसने गरीबी दूर करने की प्रतिज्ञा की है। यह उनका कर्तव्य है। वह बुरी तरह असफल रहे हैं और मैं इस सरकार को दोषारोपण कर रहा हूं कि वह इसमें रुचि नहीं लेती है। मैं आपको बताता हूं कि नागपुर में हमने—मेरी यूनियन ने नहीं लेकिन बामपंथी दलों ने—बीड़ी मजदूर हड़ताल को संगठित किया। मैं नागपुर में एक भाषण देने गया था। नागपुर में मेरी कोई यूनियन नहीं है। वहां क्या हुआ? तीन महीनों तक हड़ताल चली। क्या 4 व 5 रुपए लेने वाला व्यक्ति हड़ताल कर सकता है? क्या हम इससे प्रसन्न है? कोई व्यापारी संघ का नेता भी इससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन अन्ततः यही हथियार नहीं है। निःसहाय हमें इसे लेना पड़ता है। वहां क्या हुआ? करीब एक लाख मजदूर वहां थे। वह भूखे मर रहे थे। तब हम मुख्यमन्त्री श्री बंसत राव नायक से मिले। उन्होंने कहा, "डाक्टर, क्या करना है?" इन सभी मालिकों को मध्य प्रदेश की सीमा से 3 रु० प्रति दिन पर कर्मचारी मिल रहे हैं। अतः मैं कुछ नहीं कर सकता। आप केवल मालिकों के पास जाओ उन्हें बुलाओ और उनकी पूजा करो और कहो आप यहां कार्य शुरू कर दीजिए। मैं श्रम मन्त्री जी से पूछ रहा हूं यह क्या है? आपको वहां तीन रुपये पर श्रम प्राप्त हो रहा है।···आपको एक रुपया मजदूरी पर भी श्रम मिल सकता है क्योंकि यह बाल श्रम है, यह विधवा श्रम है। यह महिला श्रम है। पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में गरीबी इतनी अधिक है कि आपको 1.50 रुपए पर भी श्रम मिल जायेगा। यह सरकार क्या कर रही है? क्या वह वास्तव में इसे रोकने में रुचि रखते है? वह एक साधारण कार्य कर सकते है। इसे यूनियन पर न छोड़ें चाहे यह अन्तराष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस या दूसरे हों। इन करोड़ों श्रमिकों की देखरेख करना सरकार का कार्य है। मैं आपको एक सुझाव दूंगा। उनके प्रति कोई अधिनियम लागू नहीं है फैक्टरी अधिनियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वहां 20 मजदूर नहीं है, बोनस अधिनियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वहां 20 मजदूर नही हैं। केवल वहां एक भी स्थायी मजदूर नहीं है। कोई भी कार्ड जारी नहीं कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? बीड़ी कार्यकर्ताओं को एक कार्ड भी वह नहीं दे रहे हैं। उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या सरकार एक भी कार्य नहीं कर सकती? उन्हें देशीय भाषा में 6 पृष्ठों की पुस्तिका सरकारी श्रम विभाग को जारी की जानी चाहिए और यह श्रमिकों के पास रहनी चाहिए। क्या वह ऐसा सरल कार्य नहीं कर

सकते। वह अपनी उपस्थिति उसमें लगाये और प्रत्येक सप्ताह अपनी अदायगी ले। चाहे यह धीरे-धीरे हों। मैं जो भी कहूं मैं जानता हूं, कि वे उन्हें कुछ नहीं देने जा रहे? लेकिन मुझे सीमा के अन्दर बात करनी है क्योंकि जहां तक श्रम और कर्मचारी वर्ग का सम्बन्ध है मैंने सरकार का भाव जान लिया है। उन्हें कार्ड जारी किए जाये और तब सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। इसे क्रियान्वित करते समय रजिस्टर को श्रम आयुक्त कार्यालय में रखा जाना चाहिए। दस वर्षों के कार्य करने के बाद यूनियन क्या करेगी? हम हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि वह गरीब मजदूर है। अगर मैं श्रम आयुक्त के कार्यालय या औद्योगिक न्यायलय में जाता हूं तो मालिक कहता है वह मेरा कर्मचारी नहीं है। वह ऐसा इसलिए कहते है क्योंकि वहां खोई रिकार्ड नहीं है या तो वहां कोई प्रमाण नहीं है या वह प्रमाण अपने साथ रख रहे हैं। यह ऐसी ही गम्भीर बात है और सरकार ऐसा सरल कार्य करने के लिए तैयार नहीं है क्या वह बोनस प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए बोनस नहीं है। क्या वह आनुतोषिक नहीं है। इन में से 25 प्रतिशत लोग टी० बी० एवं कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। क्या कोई व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है। कोई उनकी परवाह नहीं करता (व्यवधान) और अगर ऐसी छोटी बातें इन बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में क्रियान्वित की जाती है। तो सरकार काफी कुछ करने में समर्थ होगी। इस सदन में मैंने इसका उल्लेख किया है और मैं इसका दुबारा भी उल्लेख करूंगा। आप उत्तर दे। मैं मन्त्री जी और सभी मंत्रियों से कह रहा हूं क्या कोई कानून है? नियोजक ने कुछ विशेष लाभ प्राप्त किए है। क्या कोई कानून है, कोई प्रमुख सिद्धान्त है कि मजदूरों को इतना दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रीमियर और फायरस्टोन करोड़ों रुपये का व्यापार कर रहे है। कोई भी आपको ठीक खाते नहीं दिखा रहे हैं। इन लोगों के काले कारनामों के कारण 40,000 करोड़ का काला धन है आप सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से 90 प्रतिशत उनको वित्तीय सहायता दे रहे हैं। बैंकों ने 4000 करोड़ रुपए जारी किए है जिससे इकाइयां बन्द हो गई हैं। यह मजदूरी के कारण नहीं है। मजदूरी 10 या 15 प्रतिशत है। कौन दे रहा है? मैं मन्त्री जी को बम्बई के बारे में बता रहा हूं। वे मजदूरी देने के लिए तैयार हैं। सफाई कर्मचारी 3000 या 4000 रुपए ले सकता है और कम्पनी भुगतान कर सकती है। क्या कोई ऐसा कानून है? आप भुगतान न करें। हम दिल्ली औद्योगिक न्यायलय में जायेंगे। आप मुझे बताइये। न्यायलय द्वारा मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी की सहमति दी गई है। आपको 2 या 3 प्रतिशत भी नहीं मिलेगी। आप कहते हैं वहां सभी कानून है वहां संगठित श्रम है। आप 10 बार जाइये। बीड़ी मजदूरों के लिए आप जाइये 10 या 15 वर्षों के बाद आपको एक निर्णय मिलेगा। इस समय तक मजदूर स्वर्ग चले जायेंगे और आप मर जायेंगे। उस देश में श्रम की यह हालत है। इस देश के 50 प्रतिशत मजदूर नैमित्तिक, बदली, प्रशिक्षणार्थी आदि है। मैं मन्त्री जी को ले जाऊंगा। हमें पूरे देश की स्थिति को देखना है। आपका ठेका श्रम (उत्सादन) अधिनियम क्या है? आप अच्छा नाम ले रहे हैं। क्या इस अधिनियम में ठेका श्रमिकों को स्थायी करने का प्रावधान है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि यदि किसी फैक्टरी में 3,000 या 1,000 मजदूर है तो उनमें से कितने मजदूर ठेके पर, कितने बदली पर, कितने प्रशिक्षणार्थी आदि होने चाहिए? यह 1000 मजदूरों को ठेके पर रख सकता है। आप फरीदाबाद जाइये। 60 प्रतिशत मजजूदर ठेके पर काम कर रहे हैं। छोटे, मफुस्सल स्थानों को भूल जाइये। क्या कोई ऐसा कानून है? आप ठेका श्रम अधिनियम की बात करते है। पंजीकरण के लिए 20 व्यक्ति होने चाहिए। मुकुकन्द आइरन की तरह वे 20 ठेकों के लिए 18 व्यक्ति रखते हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है। बम्बई में ऐसी बातें हो रही है। अगर ठेका श्रमिक को हटाया जाता है तो उसके पुनः स्थापना के लिए न्यायलय में जाने का क्या कोई प्रावधान है? इस देश में अब 20 से 25 प्रतिशत मजदूर ठेके पर कार्य करते है। जनसंख्या बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत

[डा० दत्ता सामन्त]

अधिक है। आधुनिकरण से साथ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये सभी मालिक हजारों और करोड़ों मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। सरकार की भविष्य के लिए क्या योजना है? आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं बम्बई में मालिकों द्वारा फैक्टरियों बंद की जा रही है। वह बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे है। आप श्रीनिवास काटन मिल और डब्ल्यू०जी० मिल को ले लीजिए। मेरे पास 20 या 30 फैक्टरियों के नाम हैं। हम हड़ताल पर नहीं है। मालिक फैक्टरियां बन्द कर रहे हैं। हम आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। साराभाई के कैलिको केमिकल्स को ले लीजिए। मेरे पास 50,000 श्रमिक हैं। वहां कोई श्रमिक आन्दोलन नहीं है। लेकिन मालिक सरकार से आर्थिक सहायता ले रहे हैं और पिछड़े स्थानों को जा रहे हैं और फिर वहां 5 या 10 रु० से शुरू करेंगे। क्या सरकार के पास इन श्रमिकों के हित की देखभाल की कोई नीति है? आप प्राद्योगिकी और आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। क्या आपकी अर्थव्यवस्था श्रमिकों के लिए आगे कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है। आपको कुछ करना पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है। मैं दिल्ली में हूं। बहुत अधिक संख्या में लोग मेरे पास आ रहे हैं। आपके होटलों में कितना वेतन दिया जाता है? कार्य करने के कितने घंटे है? वहां कई दुकानें व दूसरी चीजें है। स्नातकों को भी 700 या 800 रु० नहीं मिलते। आपका क्या प्रावधान है? क्या ये अदालत में जा सकते है? आप कितनी आर्थिक सहायता दे रहे हैं आप इन मालिकों को कितनी सहायता दे रहे हैं? कर्मचारी वर्ग की संख्या क्या है? महोदय, पूरे देश में 30 से 35% जनसंख्या श्रमजीवी वर्ग की है और इसलिए कोई सरकार चुप नहीं बैठ सकती। यह आपकी खुशकिस्मती है कि श्रमिक आर्थिक मामलों को नहीं समझते। उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रवाद अथवा धर्म आदि के नाम पर पथ भ्रष्ट किया जाता है यद्यपि वे मर रहे हैं लेकिन वे सोचते हैं कि यूनियन के कारण वे इसे प्राप्त कर सकेंगे बम्बई टैक्सटारल मालिकों के विरुद्ध आपने क्या किया हैं? वहां बीड़ी फैक्टरी मालिक हैं। अगर आपने केन्द्रीय अधिनियमों को लागू नहीं किया है, आप कम से कम कुछ पर मुकदमा तो चला सकते हैं। मेरी किसी को जेल भेजने में रुचि नहीं है। लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि किसी कानून को लागू करने की आपकी इच्छा नहीं है। बम्बई में सबसे बड़ी टैक्सटाइल हड़ताल हुई थी। वहां कितना कानून लागू किया गया था। मेरे 40 सक्रिय कार्यकर्ताओं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन जेल भेजा गया। मेरे 5,000 आदमी थे, उसके लिए धारा 151 को संशोधित किया गया था। हड़ताल तोड़ने लिए सरकार के निर्देश थे। 6 मील तक धारा 144 लागू थी। क्या आपका यह रवैया है? यद्यपि मिल मालिकों ने 100 वर्षों तक श्रमिकों को शोषित किया, सरकार और यूनियन ने मिल मालिक के साथ मिलकर हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की है। श्रमिक दो वर्षों से हड़ताल पर थे और ढाई लाख श्रमिक सौ वर्षों से कष्ट उठा रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यूनियन पूर्णतया सरकार के साथ मिलकर कार्य रही है। कई मिलें जो हड़ताल से पहले बन्द हो गई थी। उद्योग बन्द नहीं हैं, लेकिन मालिकों ने इसे बन्द करवाया है। देश में सरकार के 1500 करोड़ रुपए कपड़ा उद्योग में नष्ट हो जाते है। बड़े-बड़े व्यापारियों ने इसे उद्योग को बन्द करवाया है।

सरकार ने टेरीकोट धागे के आयात पर छूट दी है और 130 करोड़ रुपए के राजस्व शुल्क का घाटा इसलिए हुआ है लोगों को सस्ता कपड़ा दिया जायेगा। टैक्सटाइल मन्त्री सैन्चुरी मिल मालिक को माला पहनाने बम्बई गये और छूट प्राप्त करने के बजाय 10 प्रतिशत कपड़े के दाम बढ़ गये इस तरह से वह सरकार व लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप अमरीकी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं।

आधुनिकरण और प्रायोगिकी। लेकिन क्या गरीबी उसी अनुपात से समाप्त हो जायेगी ? जब तक आप धन का उचित वितरण नहीं करते तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। ढाई वर्षों से सरकार श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह आपका कर्तव्य है और श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाना यूनियन का कार्य नहीं है। पिछले मन्त्री जी बता रहे थे कि सभी कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। बहुत मीठे शब्द थे। श्री अंजैया ने कहा कि डा० सामन्त ने जो बातें कहीं उनमें से काफी बातें ठीक है और उन्होंने यह भी कहा कि वह एक व्यापक विधान पेश करेंगे। लेकिन डेढ़ वर्ष बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। कि कुछ दिन पहले कलकत्ता में मन्त्री जी ने कहा था कि कि श्रम सम्बन्धी सभी मामलों के लिए एक व्यापक विधान होना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। वर्तमान श्रम कानून के अन्तर्गत श्रमिक निःसहाय है और उन्हें न्यायलय जाने के लिए बाध्य किया जाता है और जिससे समय बीत जाये। सरकार की नीति में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। अदालती मामले सामान्यतः पांच वर्षों तक लटकाए जाते हैं। उन्हें वकीलों का भी भुगतान करना होता हैं और श्रमिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं कि न्यायालय जाने के पश्चात् श्रमिक को वकीलों को इतना अधिक भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आप यूनियन को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार के कानून सहायक नहीं हो सकते। यह सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि वह श्रमिकों के हितों की देखरेख करे और अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे विचार से श्रमिक वर्ग चुपचाप नहीं बैठेगा। श्रमिक महसूस करते हैं कि उनकी आर्थिक समस्याएं को सुलझाना पार्टी का कर्तव्य नहीं हैं और पार्टी प्रादेशिक और धार्मिक मामलों में व्यस्त रहती है। राज्य सरकारों का भी इस राज्य के इस कार्य के लिए बराबर का दायित्व है। मैं पश्चिम बंगाल के सदस्य से पूछ रहा हूं कि अगर वह भली भांति उनके कार्य को देख सकते हैं, वह श्रमिकों की 50 प्रतिशत समस्याओं को सुलझा सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र भी देखा है। कि ऐसी ही घटनाएं हो रही है। राज्य सरकारें उन कार्यों में रुचि नहीं ले रही है। यह हाल कर्नाटक और दूसरे राज्य का है कोई भी श्रमिक कानून विधान में रुचि नहीं रखता है।

इन शब्दों के साथ, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

5.50 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : मैंने इसे सदन के समक्ष रखता हूं। क्या हम इस वादविवाद के लिए समय बढ़ाये। अगर हां तो कितना ? क्या हम इसे दो घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मेरा विधेयक पड़ा है इसके लिए समय न बढ़ाइये।

सभापति महोदय : वर्तमान के लिए हम एक घन्टे का समय बढ़ाते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : पहले ही बढ़ा दिया है। अब इसे और अधिक न बढ़ाइए।

सभापति महोदय : आज यह 6 बजे तक है। 6 बजे से हम आधे घंटे का वादविवाद लेंगे। अब मैं कमोदी जाटव को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्रीमन् इस बार और समय नहीं बढ़ाया जायेगा। यह भी आपको अभी कहना पड़ेगा।

डा० दत्ता सामन्त : वह कभी भी इसे बढ़ोतरी नहीं कहते ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा विधेयक भी आना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमोदीलाल जाटव (मुरैना) : सभापति जी, यह जो बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक आया है, यह स्वागत-योग्य है ।

बीड़ी और सिगार उद्योग में भारत में करोड़ों लोग लगे हुए हैं लेकिन इन मजदूरों को 5-6 रुपये से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है ।

बीड़ी मालिकों के पास जब बीड़ी का तम्बाकू नहीं होता है तो मजदूरों को पांच-पांच, दस-दस दिन तक बेकार बैठना पड़ता है। इसके कारण उनकी मजदूरी 6 रुपये के बजाय 3 रुपये ही रह जाती है। इतनी कम मजदूरी के कारण बीड़ी मजदूर झोंपड़ियों में या मिट्टी के मकान में रहते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि इन मजदूरों के लिए ऐसी कालोनी बनायी जाए जहां कि ये बीड़ी मजदूर रह सकें और सही ढंग से अपना जीवन-यापन कर सकें ।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि छोटे-छोटे बच्चे जो बीड़ी बनाने के काम में लगे होते हैं वे बच्चे तम्बाकू की बदबू से बीमार रहते हैं। वे बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन बच्चों के लिए सरकार वजीफा दे और इस बात पर सरकार प्रतिबन्ध लगाये जिससे कि छोटे छोटे बच्चे बीड़ी बनाने के काम में न लगाये जाएं। अगर सरकार उनको वजीफा दे दे तो यह समस्या हल हो सकती है ।

मेरा यह भी निवेदन है कि बीड़ी के काम में मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी को बढ़ाया जाए जिससे कि उनका ठीक तरह से जीवनयापन हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं उन माननीय सदस्य से कहूंगा जिन्होंने कि यह बिल पेश किया है, कि वे अपना बिल वापस ले लें ।

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, बीड़ी और सिगार वर्कर्स एक्ट में संशोधन का जो बिल आया है मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि बीड़ी और सिगार एक्ट जो 1966 में बना था वह अपने आप में पर्याप्त है। उसमें यह प्रावधान है कि बीड़ी का काम करने वाला मजदूर चाहे कहीं भी काम करता हो, वह मजदूर जिस लेबुल की बीड़ी बनायेगा वह उसी का मजदूर होगा और उस मजदूर के लिए वही सारी सुविधाएं दी जायेंगी जो किसी फैक्ट्री के अन्तर्गत काम करने वाले किसी वर्कर को प्राप्त होती है ।

सवाल यह है कि कानून बनाना एक अलग बात है और कानून का पालन करना एक दूसरी बात है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब हम आलोचना करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों की करते हैं, इंस्पेक्टरों की करते हैं। आलोचना करना तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, या इंस्पेक्टर हैं, ये कहीं बाहर से तो आये नहीं हैं, वे भी हमारे

देश के ही नागरिक हैं। जो भी कानून बनता है या सरकार बनाती है और उस कानून को जिस मशीनरी के द्वारा सरकार लागू कराना चाहती है, उस मशीनरी में भी हमारे देश और समाज के लोग ही हैं। इसलिए कानून के पालन न होने में हमारे समाज का भी दायित्व है हमारे जो नेता लोग भाषण देते हैं उनका भी दायित्व है कि वे यह देखें कि कानून का सही रूप में पालन हो और जिनके हित में वह कानून बनाया गया है उनको उस कानून का सही लाभ मिले।

मैं एक चीज उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं बीड़ी और सिगार एक्ट में मिनिमम वेज का भी प्रावधान है। यह बात ठीक है कि बीड़ी उद्योग बहुत असंगठित उद्योग है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उद्योग में जो मजदूर घरों पर काम करते हैं और बीड़ी बनाने वाला माल वे अपने घरों पर ले जाते हैं। वहां उनकी मदद के लिए उनके बच्चे, उनकी पत्नियां और परिवार के दूसरे लोग भी उनकी बीड़ी बनाने में मदद करते हैं। इससे यह होता है कि जो काम दिनभर में पूरा होता, वह बहुत थोड़े समय में उसे पूरा कर लेते हैं। मतलब यह हुआ कि बीड़ी का उत्पादन जितना होता है उससे खपत कहीं कम है। इसलिए मजदूरों को जितना काम मिलना चाहिए, सब लोगों को जितना काम मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल पाता। इसमें यह होना चाहिए कि अगर हम सही रूप से मजदूरों का हित करना चाहते हैं तो मजदूर जितनी बीड़ी बना सके, उतना उसको काम दिया जाना चाहिए। उस बीड़ी की जितनी बिक्री बाजार में हो, बाकी भले ही सरकार को खरीदनी पड़े तो उसको सरकार खरीदे, तभी मजदूरों की हालत सुधर सकती है। बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स एक्ट में लीव विथ वेजेज का प्रावधान है, लेकिन इसका केलकुलेशन बहुत कठिन होता है। मैं मध्य प्रदेश की बात बताना चाहता हूं, बीड़ी मालिकों ने मध्य प्रदेश शासन के समक्ष सुझाव रखा कि जो हफ्तावार पेमेंट होता है उसका 1/20 हिस्सा वे उनको हर हालत में पेमेंट करने के लिए तैयार हैं और शासन ने उनकी बात को मंजूर किया और लीव विद वेजेज का जो साल भर बाद पैसा मिलने वाला था, उसका लाभ उनको हर हफ्ते मिलने लगा। इसी तरीके से प्रावीडेंड फण्ड भी बीड़ी उद्योग पर लागू हो गया है, लेकिन उसको लागू करने में बहुत कठिनाई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भविष्य निधि की बात है यह निश्चित रूप से बीड़ी मजदूरों में होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो प्रावीडेंड फण्ड लागू है, उसमें उन मजदूरों को लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि बीड़ी मजदूरों की परपंरा है, परिपाटी है कि बीड़ी मजदूर कहीं तो डायरेक्ट काम करता है, कहीं ठेकेदार की मारफत काम करता है, कभी एक ठेकेदार के यहां काम करता है, कभी दूसरे ठेकेदार के यहां काम करता है। इसी तरह से ठेकेदार कभी एक मालिक के यहां काम करता है, कभी दूसरे मालिक के यहां काम करता है। इसलिए यह असंगठित उद्योग है और इसमें उनके हितों के लिए हमको ऐसा कानून निश्चित रूप से बनाना चाहिए कि जितना काम वे कर सकते हैं, उतना काम उनको मिलना चाहिए।

बीड़ी सेस की बात आई है, इसमें जितना पैसा इकट्ठा होता है, बीड़ी मजदूरों के कल्याण में उतना पूरा का पूरा खर्च नहीं हो पाता है। मैं तो यह सुझाव देना चाहूंगा कि भले ही इस सेस की अधिक वसूली की जाए, लेकिन इस पैसे को बीड़ी मजदूरों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक खर्च किया जाए। कोशिश यह की जाए कि बीड़ी श्रमिकों के बालक इस कार्य में न लगें, वे स्कूल जाएं, पढ़ाई-लिखाई का काम करें, लेकिन होता यह है कि घर में जब बीड़ी बनती है तो बालक, बीवी-बच्चे सब उस काम में लग जाते हैं।

अन्त में सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि इस उद्योग में कोआपरेटिव सोसायटी भी बनानी

[श्री डाल चन्द्र जैन]

चाहिए। हम लोग आलोचना करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए, ये काम ठीक नहीं करते, वे काम ठीक नहीं करते, मैं उन सब आलोचना करने वाले लोगों को सुझाव देना चाहता हूं कि वे अपने सुझाव सरकार को दें कि किस तरह से नियम बनाए जाएं और उनका पालन किया जाए और उसमें उनका कितना योगदान होगा।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि बीड़ी मजदूरों के हित में निश्चित रूप से एक अलग से कानून आना चाहिए। समाज का भी दायित्व है, अकेले सरकारी मशीनरी का ही दायित्व नहीं है कि वह नियमों को लागू करे, समाज को भी उनको लागू कराने में सहयोग देना चाहिए, तभी समाज का उत्थान हो सकता है, बीड़ी श्रमिकों का कल्याण हो सकता है, बीड़ी श्रमिक ही नहीं बल्कि अनेक तरह के श्रमिक हैं, जिनकी हम चाहते हैं कि भलाई हो, इस देश में लोगों को अलग-अलग तरह के काम दिए गए हैं, चाहे नागरिक हों, मजदूर हों, सरकारी कर्मचारी हों, सब इस देश के रहने वाले हैं और सबका दायित्व है कि सबके हितों की रक्षा हो।

6.00 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[—जारी]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या 254/86-सी० शु०, जो 17 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए आयातित स्पंज लोहे तथा हाट वरीक्युटिड लोहे को उस पर उद्ग्रहणीय 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 255/86-सी० शु०, जो 17 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो हाट वरीक्युटिड लोहे (एच० बी० आई०) को, जब उसका विद्युत आर्क भट्टी इकाई द्वारा अथवा उसकी ओर से भारत में आयात किया जाये उस पर उद्ग्रहणीय, 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमाशुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 256/86-सी० शु०, जो 17 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 17 अप्रैल, 1986 को अधिसूचना संख्या 254/86-सी० शु० तथा 255/86-सी० शु० के अन्तर्गत

आने वाले माल को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या 257/86-सी० शु०, जो 17 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सोडा एश की 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2516/86]

6.01 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का प्रबन्ध

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा करेंगे। कुमारी ममता बनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं, हमारे माननीय अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ की वास्तव में आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह चर्चा आरम्भ करने का अवसर दिया। 1980-81 से 1984-85 के पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को रखरखाव और भण्डारण में 620 करोड़ रु० का घाटा हुआ। न केवल मैं, बल्कि विपक्षी सदस्य भी भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण से काफी असंतुष्ट हैं।

1965 में कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियों के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अब इस नियम की क्या स्थिति है? निगम के प्रबन्ध, पारगमन में घाटा, अपव्यय, भ्रष्टाचार, और अक्षमता से हम सभी चिन्तित हैं। निगम की लापरवाही की वजह से देश के लाखों लोगों को भुगतान पड़ रहा है।

मुझे यह देखकर वास्तव में दुःख होता है कि जहां हमारी 35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, वहीं हम पाते हैं कि यह निगम खाद्यान्न का अपव्यय कर रहा है। हमारे प्रधान मन्त्री ने जोर देकर कहा है कि सभी सार्वजनिक एजेंसियां और सरकारी उपक्रमों को स्वयं पुनरुज्जीवित किया जाना चाहिए और उन्हें गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए सही कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन हमें यह कहते हुए खेद होता है कि आम लोगों के हितों की भारतीय खाद्य निगम में पूरी तरह से अनदेखी की है। यह इस निगम का कर्त्तव्य है। वर्षों से खाद्यान्न को खरीदने, उसका भण्डारण, वितरण और आयात करने की प्रमुख आधार है और भारतीय खाद्य निगम का यह कर्त्तव्य है कि वे उचित मूल्य दुकानों से गरीब लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये। लेकिन हमें कहते हुए दुःख हो रहा है कि न केवल मेरे राज्य में बल्कि सारे देश के लोग अच्छा खाद्यान्न न मिल पाने की वजह से कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि निगम अच्छी किस्म के खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में किस प्रकार (किस्म) का खाद्यान्न लोगों को मिल रहा है। यह खाद्यान्न खराब किस्म का होता है। मेरे राज्य में भी पत्थर मिले टूटे हुए चावल मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टी का तेल, लोगों को नहीं मिलता। अगर आप अधिक मूल्य देने को तैयार हों तो यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तब भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता ही क्या है? केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निगम के विफल होने से, विशेषकर गांववासी चिन्तित होते हैं, क्योंकि वे इससे अच्छी तरह सम्बद्ध होते हैं। अतः, इस बारे में, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगी। मुझे आशा है कि नया मन्त्रालय इस ओर सही कदम उठायेगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : निगम के नये प्रबन्ध निदेशक भी उपाय करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : हां, नया प्रबन्ध निदेशक।

मैं आशा करती हूं कि वे भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के सुधार के लिए वे सही कदम उठायेंगे। हमें एक कुशल भारतीय खाद्य निगम चाहिए न कि भ्रष्ट भारतीय खाद्य निगम। यह कहा गया है कि प्रतिवर्ष 10 लाख टन खाद्यान्न चूहे खा जाते हैं। मैं नहीं जानती कि वे किस्म के चूहे हैं। क्या यह निगम 'प्रबन्ध के चूहे' हैं या समाज-विरोधी चूहे हैं या 'अक्षम चूहे' हैं? आखिरकार आम लोगों को ही भुगतान पड़ता है। यह निगम का कर्त्तव्य है कि वे लोगों के हितों की रक्षा करे न कि अपनी ही रक्षा करे। अगर प्रबन्धक गैर-जिम्मेदाराना होगा तो क्षेत्रीय कर्मचारी भी गैर-जिम्मेदाराना होंगे। हमारे मन्त्री को पता लगाना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम क्यों घाटे में चल रहा है। न केवल मैं, बल्कि सभा का प्रत्येक सदस्य इस बारे में चिन्तित है।

खाद्यान्न एक मूल आवश्यकता है और कमजोर वर्गों को जल्द सहायता पहुंचाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के प्रति निगम की विशेष जिम्मेदारी है। वसूली चरण के प्रति संसद सदस्य काफी चिन्तित हैं, क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण पक्ष है और अगर इसी समय सावधानी नहीं बरती गई तो इसके बुरे परिणाम होने स्वाभाविक हैं। यह मन्त्री का कर्त्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि वसूली सही प्रकार से की जाए। भण्डारण और वितरण व्यवस्था से भी हम चिन्तित हैं। वितरण व्यवस्था सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि गरीब, जनजातीय और कमजोर वर्गों के लोगों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था करे, लेकिन उन्हें सही ढंग से खाद्यान्न नहीं मिलता। सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वे खाद्यान्न की वसूली, भण्डारण और इसके वितरण की ओर ध्यान दे। इसके लिए अचानक जांच और सही निरीक्षण और तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि कठिनाइयों को समाप्त किया जा सके।

मैंने पहले ही कहा है कि सरकार ने जरूरतमन्दों की सहायता के लिए कार्यक्रम बनाये हैं। गरीबी समाप्त करने के लिए खाद्यान्न एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। अगर सार्वजनिक वितरण एजेंसियां सही नहीं हुई तो कई कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इससे सबका लेना चाहिए।

मैं कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं। हमें पता है कि भारतीय खाद्य निगम की यह जिम्मेदारी है कि वे राज्य सरकारों के माध्यम से उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की पूर्ति करे। लेकिन जिम्मेदारी निश्चय की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे मतलब नहीं है कि खाद्यान्न की पूर्ति भारतीय खाद्य निगम ने की है या राज्य सरकार ने। मैं इस बारे में अपने राज्य की स्थिति जानती हूं। मैंने दिल्ली में भी कुछ लोगों से इस बारे में बात की है। उनकी भी यह शिकायत है कि पिछले चार वर्षों से वे पूर्ति की जा रही खाद्यान्न की खराब किस्म के बारे में शिकायत करते रहे हैं। खाद्य निगम इस प्रकार का खाद्यान्न की पूर्ति कर रहे हैं। मेरे राज्य में, आप जानकर हैरान होंगे कि, लोगों को किस प्रकार का खाद्यान्न मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्हें पत्थर मिले टूटे हुए चावल मिल रहे हैं। अगर आप सोमवार को उचित मूल्य दुकानों पर चावल उपलब्ध होगा तो गेहूं नहीं, और अगर बुधवार को जायेंगे तो पायेंगे कि चीनी उपलब्ध नहीं है, अगर आप शुक्रवार को जायेंगे तो पायेंगे कि गेहूं उपलब्ध है चावल नहीं। अगर गेहूं, चावल और चीनी उपलब्ध नहीं है तो, इन उचित दर दुकानों की आवश्यकता ही क्या है? हमारे राज्य में हमने राज्य सरकार को इस बारे में कई शिकायतें भेजी हैं लेकिन हमें

कोई जवाब नहीं मिलता, उसका कोई असर नहीं होता। हमारे मन्त्री को पता लगाना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार की इस बारे में क्या जिम्मेदारी है।

मैं अपने मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

1. उत्तम किस्म के खाद्यान्नों की उचित खरीद होनी चाहिए और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर घटिया किस्म का अनाज स्वीकार करने के लिए किसी भी को दबाव नहीं डालना चाहिए।

2. भण्डारण का उपयुक्त प्रबन्ध होना चाहिए और सभी भण्डारण गोदामों का वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा मुआयना होना चाहिए और खाद्यान्नों में नुकसान के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

3. संवहन नुकसानों को रोकने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनायी जानी चाहिए जिसके सदस्य खाद्य निगम के अधिकारी, सम्बन्धित राज्य के अधिकारी रेलवे विभाग तथा जल-भूतल परिवहन विभाग के अधिकारी होने चाहिएं। इसके साथ-साथ संवहन के दौरान बरबादी तथा नुकसानों को रोकने के लिए ट्रक मालिकों के संघ से भी इसके सदस्य होने चाहिएं।

4. राज्य सरकार की मशीनरी को तुरन्त सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को उत्तम किस्म के खाद्यान्नों की पूर्ति में असफलता के लिए राज्य सरकारों को सीधे केन्द्रीय सरकार के प्रति जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए।

5. कम से कम हर 2000 लोगों के लिए एक उचित मूल्य की दुकान होनी चाहिए और मैं यह जानना चाहती हूं कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसी उचित मूल्य की दुकानों का इन्तजाम नहीं किया है।

6. जनजातीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की उपयुक्त देखरेख होनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ये कार्य अच्छी तरह नहीं कर रही है। हमारी सरकार ने इन भारतीय खाद्य निगमों को ही फिर से चालू करने के लिए स्थापित नहीं किया है; किन्तु उपलब्धियां प्राप्त करने तथा गतिविधियों को चालू करने के लिए किया है। आजकल, भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारी पूर्णतया भ्रष्ट हैं और उनकी आम आदमी के प्रति कोई रुचि नहीं है। वे हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, यह माननीय मन्त्री जी का फर्ज है कि इन सभी बातों को ध्यान से देखें और उचित कदम उठायें।

माननीय मन्त्री ने उत्तर देते हुए पहले ही यह कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के 6465 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। खाद्यान्नों की सम्भाल लागत में अत्यधिक कमी करने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के मुख्य बन्दरगाहों पर कार्यरत सभी 6465 विभागीय श्रमिकों की छंटनी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह सब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री पी० शिवशंकर ने राज्य सभा में 18 मार्च को बताया था। माननीय मन्त्री ने एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय खाद्य निगम की आयात और निर्यात गतिविधियां काफी कम हो गयी हैं और निगम इस फालतू मजदूरी के भुगतान पर प्रति वर्ष लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च करता रहा है।

हमारे देश में, जवान लोगों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि यह तो

[कुमारी ममता बनर्जी]

समस्त विश्व में है। जब काफी उद्योगों को बन्द किया जा रहा है, जब एक लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार में नियुक्तियों पर पाबन्दी लगी है और जब नयी भर्ती नहीं होने जा रही है, तब सरकार इन 6400 श्रमिकों की छटनी क्यों करने जा रही है। इनको किसी भी तरह रोजगार प्रदान करना इस सरकार का कर्त्तव्य है।

सरकार किस आधार पर इन श्रमिकों की छंटनी कर रही है? अगर सरकार इन श्रमिकों की छंटनी करती है तो वे कहां जायेंगे? वे मर जायेंगे। अब वे भूखे मर रहे हैं। तब माननीय मन्त्री जी तथा विभाग भी परेशान होंगे। इसलिए, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन श्रमिकों तथा उनके परिवारों को बचाए। अन्यथा हम एक खतरनाक स्थिति में होंगे और देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा होगा।

मेरा माननीय मन्त्री से यही अनुरोध है। मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय इन लोगों की समस्याओं और भावनाओं को समझेंगे, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तथा इन श्रमिकों को उपयुक्त रोजगार दिलाएंगे।

मैं माननीय मन्त्री से भारतीय खाद्य निगम को एक सफल संगठन बनाने का अनुरोध करती हूं। मेरे विचार में भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्भीक और तुरन्त कार्यवाही करने का यह उचित समय है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे नये माननीय मन्त्री और नया प्रबन्धक वर्ग इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तथा निर्भीक कार्यवाही करेंगे।

श्रीमान, मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं। विपक्ष को अवश्य ही विरोध करना चाहिए किन्तु यह विरोध रचनात्मक होना चाहिए। मैंने आज प्रातः पहले ही यह कहा है कि यदि आवश्यक हो तो विपक्ष को विरोध करना चाहिए किन्तु उन्हें कुछ बातों की सराहना भी करनी चाहिए। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हमारे माननीय मन्त्री भारतीय खाद्य निगम के खिलाफ कुछ निर्भीक कदम उठा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए हमारे माननीय मन्त्री वचनबद्ध हैं किन्तु मेरी बात यह है कि इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए। अगर आप जल्दी ही कुछ करने नहीं जा रहे हैं और दो-तीन साल लगाते हैं तो लोग तंग आ जायेंगे और वे असहाय हो जायेंगे। किसी निश्चित समय के अन्दर उपयुक्त कदम उठाने भी आपका फर्ज है अन्यथा लोग निराश हो जायेंगे।

श्रीमान, मैं आपको तथा माननीय अध्यक्ष को मुझे यह प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : श्रीमान, भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के सम्बन्ध में माननीय युवा महिला सदस्य द्वारा प्रकट की गयी भावनाओं तथा विचारों को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। वास्तव में, यह एक संयोग की बात है कि कल बजट पर वाद-विवाद शुरू हुआ और आज ही मैंने हस्तक्षेप किया और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही सार्थक ढंग से उठाए गए मुद्दों और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया। निस्संदेह, उनके द्वारा बताए गए कुछ तथ्य सही भी थे। मैंने अपने जवाब में जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा पहले ही कह दिया है, किन्तु आज आधे घंटे की चर्चा भी हो गई।

श्रीमान, सबसे पहले माननीय सदस्य द्वारा जिस बात पर जोर दिया गया वह संवहन नुकसान के सम्बन्ध में इस विषय पर आंकड़ों के साथ मैंने पहले ही कई प्रश्नों का उत्तर दिया है। माननीय प्रधानमन्त्री तथा मेरे माननीय वरिष्ठ साथी के नेतृत्व में हमारा पहला उद्देश्य बरबादी और नुकसान के

कारणों का पता लगाना और उनको अलग-थलग करना था। ऐसा बताते समय माननीय सदस्यों की मेरे द्वारा दिए जा सकने वाले आंकड़ों में रुचि हो सकती है।

अन्तर्ग्रस्त खर्चे को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाना बहुत आवश्यक है, जैसाकि माननीय सदस्य इसे मानेंगे, कि खर्चे के कुछ ऐसे मद होते हैं जो सरकार के नियन्त्रण में होते हैं और कुछ ऐसे भी मद होते हैं जो सरकार के नियन्त्रण में नहीं होते हैं। कभी भी कार्यों का समर्थन नहीं करूंगा जो भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षित नहीं हैं किन्तु निश्चिततौर पर कुछ तथ्यों की सभी को जानकारी होना चाहिए।

जहां तक खरीद का सम्बन्ध है हमने आंकड़े अलग-अलग कर दिए हैं, अर्थात, ऐसे मद जिन पर नुकसान के कारणों का पता लगाने के पश्चात् सरकार का नियन्त्रण है हा सकता है और ऐसे मद जिम पर सरकार का नियन्त्रण नहीं हो सकता है। यहां, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़े देता हूं। सारी मात्रा की ढुलाई से होने वाले नुकसान से सम्बन्धित आंकड़े मैंने प्रातः ही दिए हैं। अगर हम वसूली का विश्लेषण करें तो, जहां तक गेहूं में नुकसान का सम्बन्ध है, मण्डी का खर्चा 3 रुपये 92 पैसे है। यह वर्ष 1984-85 की दर के हिसाब से हैं। बोरी की लागत 8 रुपये 25 पैसे है, क्रय और बिक्री कर 5 रुपये 09 पैसे और ब्याज 2 रुपये 71 पैसे है। ये खर्चे हमारे नियन्त्रण से बाहर हैं। हम इन खर्चों को 'मंडी' अधिनियम तथा दूसरी बातों में संशोधन करके अपने नियन्त्रण में कर सकते हैं। किन्तु जिन कार्यों को अब हम मदों के रूप में ले रहे हैं वो हमारे नियन्त्रण में नहीं है।

श्रीमान जी, अब वे कौन सी मदें हैं जो हमारे नियन्त्रण में हैं? आजकल, 'मंडी' में मजदूरी खर्च 1 रुपया 17 पैसे, अग्रेषण खर्च 50 पैसे, आन्तरिक लाने-जाने का खर्च 2 रुपये 76 पैसे, प्रति-स्थापन पर खर्च 1 रुपया 33 पैसे, भंडारण पर खर्च 52 पैसे और दूसरे कार्यों पर 6 पैसे हैं। श्रीमान् इस प्रकार, वसूली की लागत 26 रुपये 31 पैसे आती है। अगर कोई माननीय सदस्य ध्यान देते हैं तो वह पायेगा कि इन खर्चों का 76 प्रतिशत सरकार के नियन्त्रण से बाहर है।

अब हम दूसरी औसत लेते हैं अर्थात, गेहूं तथा चावल दोनों की वितरण लागत औसत। इनका संभाल का खर्च 3 रुपये 51 पैसे, भंडारण खर्च 2 रुपये 97 पैसे, भाड़े का खर्च 17 रुपये 17 पैसे, ब्याज की अदायगी पर खर्च 18 रुपये 20 पैसे, प्रशासनिक खर्चे 3 रुपये 16 पैसे संवहन और भंडारण खर्चे 6 रुपये 88 पैसे हैं। और ये कुल 51 रुपये 98 पैसे हैं। श्रीमान, इन खर्चों में से दो अर्थात भाड़े तथा ब्याज की दरें हमारे नियन्त्रण से बाहर है। भाड़े के खर्चे रेलवे को देने पड़ेंगे और ब्याज के बैंक को देने पड़ेंगे। इस प्रकार यदि आप गणना करते हैं तो इस राशि में 51 रुपये 98 पैसे में से 70 प्रतिशत और 26 रुपये 37 पैसे में से 76 प्रतिशत अनियंत्रित हैं। अगर आप 51 रुपये 98 पैसे को 26 रुपये 37 पैसे में जोड़ देते है तो कुल 78 रुपये 20 पैसे हो जाते हैं। खरीद मूल्य 162 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरह कुल 240 रुपये 20 पैसे बनते हैं। निर्गम मूल्य प्रति क्विंटल 190 रुपये है। इस प्रकार, बाकी धन कहां से आयेगा? श्रीमान, यह 50 रुपये 20 पैसे की राशि की सहायता देनी पड़ेगी। इस प्रकार, केन्द्रीय निर्गम मूल्य खरीद मूल्य को सम्मिलित करते हुए कुल प्रति क्विंटल 240 रु० 20 पैसे और निर्ग मूल्य 190 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। इसलिए, माननीय सदस्य यह मानेंगे कि 50 रुपये 20 पैसे की सहायता राशि का आंकड़ा है और इस प्रकार सहायता की राशि निकाली जाती है। राशि चाहे कितनी भी हो, हम किसी भी नियंत्रित मद से खर्चे बचाने के लिए उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु हमें उत्तम वितरण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह देखना है कि इन खर्चों को कितना कम से कम किया जा सकता है। हम यह कहकर कि इनके लिए उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे

[श्री ए० के० पांजा]

हैं। खाली नहीं बैठे हैं। जब बजट चर्चा के दौरान इस विषय पर जोर दिया गया था तो मैंने पहले ही इस बारे में वक्तव्य दे दिया था। मैं कुछ निश्चित आंकड़े देना चाहता हूं। अब, वे कौन से कार्य हैं जो हम तुरन्त कर सकते हैं ? हम इन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इन नुकसानों को चाहे वे संवहन के हो या भण्डारण के कम करने के लिए तुरन्त क्या किया जा सकता है। दूसरे, नियंत्रण करने योग्य बातों को ढूंढने और अलग करने के कार्य को हमने प्राथमिकता दी है जिससे सम्भव हो सके लागत को कम किया जा सके। और तीसरे, लम्बी तैयार की गयी प्रक्रिया जिनमें अधिक भंडारण सुविधाओं, के लिए, अधिक ढके माल डिब्बों के लिए और वितरण को वैज्ञानिक ढंग से करने इत्यादि के लिए अधिक पूंजी लगानी होती है। ये तीन श्रेणियां हैं जिनके तहत हमें कार्य करना है।

जो तुरन्त किया जा सकता था उसके लिए हमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और परिणाम उत्साहवर्धक हैं। खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी इस बात से अवगत हैं और विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि कई बार किसानों को अच्छा लाभ देने के लिए, हमें कई तरह के दबाव सहने पड़ते हैं। कई तर्क दिए जाते हैं कि धान की वसूली के लिए 18 प्रतिशत नमी निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। इसको अधिक बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसाकि फिलहाल में वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया है कि यदि नमी 18 प्रतिशत से अधिक है तो भण्डार गृह में खाद्यान्न बहुत जल्दी से खराब हो जायेंगे। और अगर नमी की मात्रा इसमे भी अधिक है तो खाद्यान्न बिल्कुल खराब हो जायेंगे।

श्री ए० के० पांजा : हमने विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं कि चाहे कितना स्थानीय दबाव हो परन्तु उन वैज्ञानिक विशिष्टताओं को बनाये रखना होगा जिनकी सलाह दी गई है। इसके लिए हमें कई ओर से पत्र प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसानों के हितों की बात कर रहा है। यदि एक ओर हमें किसानों के हितों को ध्यान में रखना है तो दूसरी ओर हम उपभोक्ताओं के हितों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। खाद्यान्नों का भण्डारण करना पड़ता है क्योंकि ये गरीब उपभोक्ताओं तक जाता है। हमें एक अच्छे उपाय की तलाश करनी है और अच्छा उपाय यह है कि धान के लिए 18 प्रतिशत नमी की शर्त जारी रखी जाए।

यदि इन विशिष्टताओं को पूरा किया भी जाता है तो भी हमें पता लगा है कि जिस बोरी में केवल 95 किलो अनाज आ सकता है उसमें जबरदस्ती 100 किलो भरा जा रहा है। ऐसा जबरदस्ती किया जाता है। परिणामस्वरूप बोरियां फटने लगती है, टांके टूट जाते हैं और ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों की क्षति होती हैं। यदि हम इसकी तुलना बड़े देशों से करें, जहां सब कुछ स्वचालित ढंग से होता है तो यह एक तुलना उचित नहीं होगी। इसका कारण है कि लाखों लोग नियमपूर्वक एफ० सी० आई० में काम करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। केवल कर्मचारी ही काम में नहीं लगे हैं अपितु विभागीय श्रमिक भी हैं दैनिक श्रमिक भी हैं, जो कड़ी मेहनत करके अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। वे खाद्यान्नों को अपनी पीठ पर लादकर भण्डारों से बाहर ले जाते हैं लारी में चढ़ाते हैं इसे रेलवे स्टेशन ले जाते हैं और फिर उसे वैगनों में चढ़ाते हैं इत्यादि। हमें यह देखना कि यह सब किस संदर्भ में किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खसियों में खाद्यान्न के भण्डारण का उल्लेख किया है। इसकी लागत बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी का सवाल भी है हमें सर्वोत्तम हल ढूंढना है।

जैसाकि मैंने कहा है कि हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि पटसन की बोरियों में 100 किलो

वजन भरा जाए। इसमें 93-95 किलो वजन भरा जाना चाहिए ताकि बहुत कम खाद्यान्न का गिरे। हमने यह भी कहा है कि मशीन द्वारा टांके लगाए जाने चाहिए ताकि बिखराव कम से कम हो। धीरे-धीरे सभी कदम उठाए जा रहे हैं और हमने ध्यान दिया है कि हानि कम होती जा रही है।

तोलने की मशीनें जुटाने के लिए जितनी धनराशि सम्भव हो सकी है, हमने आबंटित की है। हमने कहा है कि सभी गोदामों में 5 हजार या इससे अधिक बोरियों को तोलने की क्षमता वाली मशीनें होनी चाहिए। हमने सभी गोदामों को नहीं लिया है परन्तु हम अति शीघ्र कदम उठा रहे हैं और हमने तोलने की मशीनों की स्थापना के लिए राशि निर्धारित कर दी है।

रेलवे खाद्यान्नों की ढुलाई का मुख्य साधन है। जैसाकि आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। कृपया कल्पना कीजिए कि एक ओर चण्डीगढ़ या पंजाब के किसी दूरस्थ क्षेत्र से रेलवे द्वारा कन्याकुमारी तक खाद्यान्नों को ले जाया जा रहा है और दूसरी ओर असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तक। यदि खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए खुले वेगन दिए जाते हैं तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है आंकड़े इस प्रकार हैं। वर्ष 1982-83 में 13.7 प्रतिशत खुले वाहनों द्वारा ले जाया गया था। रेलवे से बात करने के बाद वर्ष 1983-84 में यह मात्रा घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गयी। वर्ष 1984-85 में स्थिति में और सुधार हुआ और रेल मन्त्रालय के सहयोग से यह मात्रा घटकर 1.3 प्रतिशत पर आ गयी। इसका कारण स्पष्ट है। ऐसी बात नहीं है कि वैगनों की अत्यन्त कमी है। देश के उत्पादन क्षेत्रों व जलवायु के कारण सारा व्यापार 8 सप्ताह में ही हो जाता जाता है। बैसाखी के दिन सारा कार्य आरम्भ होता है और यह लगभग 8 सप्ताह तक जारी रहता है और सारा व्यापार इसी समय के अन्दर करना पड़ता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वैगनों की कमी की समस्या खड़ी होती है और कभी-कभी हमें मजबूर होकर खुले वैगनों का प्रयोग करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त जहां तक सम्भव हो गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करने हेतु व प्रशासनिक कदम व सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। एफ० सी० आई० के नए अध्यक्ष की देखरेख में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सा-साथ भारी हानि के क्षेत्र का पता लगाने के लिए, एक नई प्रबन्धन प्रणाली जिसे सूचना प्रबन्धन प्रणाली संक्षेप में एम० आई० एस० कहा जाता है कि स्थापना की गयी है। इससे हम हानि को कम से कम कर सकते हैं। ऐसे विशेष स्थानों पर हम मशीनी तरीके अपना रहे हैं जहां भारी मात्रा में खाद्यान्नों का भण्डारण करना है। इन मशीनी तरीकों से बहुत से खाद्यान्न की बचत होती है। भारी मात्रा में भण्डारण और ढुलाई स्टाक की नियमित रूप से जांच आदि ये कुछ प्रभावी कदम हैं जो उपलब्ध भारी मात्रा में खाद्यान्नों के भण्डरण को बनाये रखने के लिए उठाये जा रहे हैं।

एक नौजवान सदस्य ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा है ऐसी बात नहीं है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है परन्तु हमें देश के कानून के अनुसार चलना पड़ता है। हमारे यहां प्रजातन्त्र है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे कानून इस समस्या को निपटाने योग्य नहीं है। हमें अधिक सावधान रहना है। हम कार्यवाही कर रहे हैं और 16 प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध छोटी बड़ी कुल कार्यवाही की शुरूआत की गई है। और जनवरी, 1986 तक प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध छोटे-बड़े विचाराधीन मामलों की संख्या 24 है। दूसरी श्रेणी में ऐसे मामलों की कुल संख्या123 है जिनमें कार्यवाही आरम्भ की गई है और जनवरी, 1986 तक 251 मामले विचाराधीन हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे मामलों की संख्या जहां कार्यवाही आरम्भ की गई है, 357 है और विचाराधीन मुकद्दमें 556 हैं। चतुर्थ श्रेणी में

[श्री ए० के० पांजा]

कार्यवाही आरम्भ किये गये मामलों की संख्या 113 हैं और विचाराधीन मामले 123 है। इस प्रकार कुल मिलाकर है वे मामले जिनमें कार्यवाही आरम्भ की गई हैं 609 हैं और विचारधीन मामले 954 है। इसके साथ-साथ वर्ष 1985 में 76 अफसरों को, जिनमें 2 प्रथम अधिकारी शामिल हैं, बर्खास्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है या सेवा से जबरदस्ती सेवा निवृत कर दिया गया है। दूसरे 42 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है और हटा दिया गया है, जिनमें 2 प्रथम श्रेणी अधिकारी भी शामिल हैं। एफ० सी० आई० के स्टाफ ऐग्युलेशन अधिनियम के अन्तर्गत 20 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और 24 व्यक्तियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि समस्या यह है कि हमें स्थापित कानून के अनुसार आगे चलना पड़ता है। हम स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकते आखिरकार अपराधी बच सकता है परन्तु निर्दोष को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह हमारे देश का स्थापित कानून है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी अपराधियों को बच जाना चाहिए। यदि हम एक निर-अपराध व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसे हवालात में बन्द कर देते हैं या उसे हटा देते हैं मेरी आपके समक्ष विनम्र प्रार्थना यह है कि यह एक अच्छा कदम नहीं होगा और इससे हमें सहायता नहीं मिलेगी मैंने अपने सम्बन्धित अधिकारियों से यह भी कहा है कि अच्छे अधिकारी ये व अन्य कर्मचारियों को योग्यया का प्रमाण पत्र दें और उन्हें इनाम भी दें। हम एक वार्षिक सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें ऐसे अच्छे अधिकारियों व कर्मचारयों को उनके अच्छे कार्यों के लिए इनाम दिया जायेगा।

जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने मिट्टी के तेल का प्रश्न उठाया है। एक बात कहते हुए मुझे काफी दुःख है। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि मैं पश्चिमी बंगाल के यहां उपस्थित सदस्यों को रुष्ट नहीं करना चाहता हूं। किसी राजनैतिक पक्षपात के कारण मैं यह नहीं कह रहा हूं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं इसे उनकी सूचना मैं लाना चाहूंगा ताकि वे तुरन्त इसे ठीक कर लें। एक प्रमुख बंगाली समाचार पत्र से हमें ज्ञात हुआ कि कलकत्ता के विभिन्न भागों में और कुछ जिलों में मिट्टी का तेल काले बाजार में बिक रहा है। तुरन्त दो उच्च स्तरीय अधिकारी भेजे गए। पहले दिन उन्होंने अकेले चक्कर लगाये और उन क्षेत्रों का पता लगाया जहां काला बाजारी हो रही थी। दूसरे दिन वे राज्य के अधिकारियों के साथ गए। एक महीना गुजर चुका है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका उल्लेख करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री व खाद्य मन्त्री को पत्र लिख चुका हूं। दुर्भाग्य से कोई उत्तर नहीं मिला है। मुझे दुख होता है कि केवल निजी सचिव ही मेरे पत्रों की पावती मेरे निजी सचिव को भेज देता है। पंजाब से हमें वहां पत्र प्राप्ति के 48 घन्टों के अन्दर ही उत्तर मिल जाता है। त्रिपुरा में प्राप्ति के 48 घन्टों के अन्दर मुख्य मन्त्री स्वयं लिखते हैं आन्ध्र प्रदेश से मुख्य मन्त्री मुझे फोन करते हैं और मुझे बताते है कि वे कदम उठा रहे हैं और आवश्यक काम के कारण उन्हें जवाब देने में सात दिन लगेंगे।

ये बातें हैं। अधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि अधिकारी बिना किसी डर के, खाद्य विभाग का अधिकारी खुले रूप से कलकत्ता की गलियों में चला गया। उसे कालाबाजारी मूल्य पर 30 लीटर मिट्टी का तेल तुरन्त मिल गया जबकि लाईन में बहुत से लोग खड़े थे।

मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। समस्या यह है कि लागू करने वाला तन्त्र हमारे साथ नहीं है वह राज्य के साथ है। यदि राज्य जैसा हमने पता लगाया है उसके अनुसार भी कार्य करे तो यह अच्छा होगा। पहले उनकी शिकायत है कि केन्द्र सरकार व खाद्य निगम अच्छा खाद्यान्न नहीं दे रहे

हैं। मैंने कहा इसका अस्वीकार कर दो। हमने कहा है कि खाद्य निगम के गोदामों में संयुक्त रूप से जांच की जानी चाहिए। संयुक्त रूप से जांच कीजिए। अपने प्रमाण पत्र दीजिए और तब उन्हें अपने वितरण केन्द्र दीजिए। यदि फिर भी असफल होते हैं तो यह बहुत कठिन होगा। तीन लाख से भी अधिक उचित दर दुकानें हैं। जब तक आपूर्ति की इस सम्पूर्ण व्यवस्था के सारे परिवार में प्रत्येक अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाता तब तक नये निदेशक या नये अध्यक्ष के लिए पूरी एफ० सी० आई० को नजर अन्दाज करके सभी बातों को ठीक करना सम्भव नहीं होगा। आखिरकार हमें उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना है, जो कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार ये मदें राज्य सरकार की जांच के लिए हैं। संयुक्त जांच होती है। एक तो हमने संयुक्त रूप से जांच करने की पेशकश की हैं। दूसरे अचानक जांच होने दीजिए। तीसरे, कृपा करके कार्यवाही कीजिए। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कहा है कि वह निवारक नजर बन्दी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करेगी। बहुत अच्छा यदि आप किसी कारण ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारे यहां दूसरे कानून हैं अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य कीजिए।

जिस व्यक्ति का नाम लिया गया था और राज्य सरकार को सौंपा गया था उनके सम्बन्ध में अब तक एक भी कदम नहीं उठाया गया है। एक महीना गुजर चुका है। क्योंकि शासन तन्त्र उस राज्य सरकार का है। जिसे वह सौंपा गया था मुझे किसी कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई है।

यह केवल एक उदाहरण है—किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए इसे किया जा सकता है यह एक असम्भव कार्य नहीं है मैं स्वभाव आशावादी हूं। मेरा नेतृत्व अच्छा है जो कि मुझे प्रभारी मन्त्री श्री शिव शंकर से मिल रहा है और प्रधान मन्त्री द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गये हैं कि सारी सार्वजनिक वितरण को सुचारु बनाना है और आवश्यक गति और कुशलता के साथ सुचारु बनाना है। हम उसी रास्ते पर हैं।

प्रश्नों का उत्तर देते समय यह मेरी गलती थी कि मेरे पास हानियों का रिकार्ड नहीं था। वह बाद में प्राप्त हुआ और माननीय सदस्य ने यह अनुभव किया कि आधे घन्टे का विवाद होना चाहिए और ऐसा ठीक ही था। और ठीक समय पर यह वाद-विवाद हो रहा है। वसूली आरम्भ हो गई है। भन्डारण हो जायेगा। तब वितरण होगा। सम्भवत सदन की बैठक 7 मई को समाप्त होगी और माननीय सदस्य अपने-अपने चुनाव क्षेत्र चले जायेंगे। आप कृपया करके अपराध करने वाले अधिकारी या जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी स्पष्ट जानकारी दें। उन्हें विवरण देने दीजिए उनके नाम, पते और विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें नामों का पता लगने के शीघ्र बाद ही हम उपलब्ध कठोरतम नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे, वास्तव में नियमों के अनुसार।

महोदय, कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए हमें कानूनों के अनुसार कार्य करना पड़ता इसलिए इन्हें शामिल करना पड़ता है क्योंकि इस देश का यही नियम है।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि मैंने इस सदन में नौ जवान माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है।

सभापति महोदय : नियम 55 (2) के अन्तर्गत मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जिन सदस्यों को अनुमति दी गई उनमें से एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति है। इसलिए उन्हें अपने प्रश्न उचित ढंग से बनाने दीजिए और प्रस्तुत करने दीजिए। अब श्री सोमनाथ रथ। वे उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप मोटे तौर पर उत्तर दीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : जनवरी 1986 की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ ? वह मन्त्री महोदय का वक्तव्य है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : उसका वे उत्तर देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। विलम्ब शुल्क क्यों···(**व्यवधान**)

श्री ए० के० पांजा : मैं पहले सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहा था। यदि श्री डांगा इस प्रश्न का उत्तर पहले चाहते हैं तो मुझे यह फैसला करना पड़ेगा कि मुझे किसका उत्तर पहले देना चाहिए। मैं पहले उस सदस्य का उत्तर दे रहा हूं जिन्होंने पहले मुद्दे उठाये हैं। मेरे पास सूची है।

डा० गौरी शंकर राजहम्स : मैं जानना चाहता हूं कि क्या 19 मार्च को छापा डाला गया था।

श्री ए० के० पांजा : वास्तविक तारीख मेरे पास नहीं है।

सभापति महोदय : वह बाद में दी जा सकती है।

श्री ए० के०पांजा : परन्तु निश्चय ही हमने इसे खोज लिया है और मेरे पास पूरी सूची है और मैं उसे निश्चय ही सभा पटल पर रखूंगा।

श्री डांगा ने एक प्रश्न ही नहीं बल्कि कई प्रश्न पूछे हैं। जहां तक···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या श्री राजहंस का प्रश्न समाप्त हो गया है ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : नहीं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय भारतीय खाद्य निगम के कार्य की जांच के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति बनाने के लिए तैयार हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री ए० के० पांजा : पहली बात यह है कि लोक लेखा समिति भी है। जहां तक माननीय सदस्यों के दल का सम्बन्ध है गैर सरकारी दल और अन्य बोर्ड के निदेशक भी हैं तथा केवल चार रिक्तियां हैं। इसलिए सदस्यों में से एक गैर सरकारी रूप से आ सकता है। परन्तु दूसरी समिति बनाने से दूबारा इस मामले में देर हो जाएगी। लोक लेखा समिति विस्तार से जांच करती है। सदस्य जब कभी चाहते हैं समस्त भारत का अपनी इच्छा अनुसार चक्कर लगाते हैं। किसी आंख मिचौनी का प्रश्न नहीं है। अतः यदि किसी समिति की आवश्यकता है तो हम निश्चय ही इसे देखेंगे। परन्तु इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी भावना यह है कि जब हम इसे शुरू करें तब हमारी सारी कार्यवाही यथा-स्थिति रहनी चाहिए जब तक कि समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है। इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से दो और साल लगेंगे। यह संभव नहीं है कि इतने बड़े देश में उपलब्ध इतने व्यापक बुनियादी ढांचे को देखते हुए यह रिपोर्ट पूरी की जा सके। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है तो वह मुझे उन्हें देनी चाहिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : यदि आप मुझे दो घंटे दें तो मैं कई बातों को खोल सकता हूं। मैं बहुत सी बातें जानता हूं और यही कारण है कि मैं निवेदन कर रहा···(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से मिलें और उन्हें सभी ब्यौरा दें।

श्री ए० के० पांजा : यही मैं कह रहा हूं। उन्हें दो घंटे तक बोलने की आवश्यकता नहीं है, वे मुझे जानकारी दे सकते हैं जो कि···(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : मन्त्री महोदय आप उन्हें निमन्त्रण दे रहे हैं। आप उन्हें अपने कक्ष में बुला रहे हैं।

श्री ए० के० पांजा : हां, मैं उन्हें निश्चय ही बुला रहा हूं। महोदय, जहां तक श्री डांगा के विभिन्न प्रश्नों का सम्बन्ध है, वे कई बातों से सम्बद्ध हैं। घाटे के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। मुझे दुबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। विवरण भी मैंने दे दिया है। श्री डांगा ने बताया है कि क्यों यह दो वर्षों के लिए बढ़ा है। मात्रा भी इसके साथ बढ़ी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं इस कारण को न्यायोचित ठहरा रहा हूं परन्तु मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम विवरण को देख रहे हैं। सवाल यह है कि मात्रा भी बढ़ी है और इसके साथ ही माल यातायात में भी बढ़ोतरी हुई है। हर प्रकार के प्रासंगिक व्यय में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही किसानों को भुगतान में भी वृद्धि हुई है ताकि वे आयें और हम उनसे उचित दर पर खरीदें। फिर हम सारे माल का भण्डारण भी कर रहे हैं। समिति की रिपोर्ट का भी हमें अनुपालन करना है। संरक्षित भण्डार रखा जाना है। चल स्टाक भी रखा जाना है। अन्तिम उपभोक्ता को भी हमें एक उचित मूल्य पर देना है। अतः इसमें राज सहायता भी सम्मिलित है। मैंने ये सभी आंकड़े, पहले ही बता दिए हैं। श्री डांगा जोकि एक वरिष्ठ सदस्य है इन सभी बातों को देखते हुए महसूस करेंगे कि यह आकार के साथ बढ़ती है। परन्तु हम निश्चय ही यह देख रहे हैं कि नियन्त्रित व्यय कौन से हैं जो नियन्त्रित किए जा सकते हैं, ऐसे कौन से घाटे हैं जिन्हें एक दम समाप्त किया जा सकता है। और यही कारण है कि मैंने 10 प्रसंगों का जिक्र किया है—राज्यों द्वारा और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य का प्रदर्शन। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सिवाय उनके जो यह बात रखना चाहते हैं ··· **(व्यवधान)**

श्री मूल चन्द डागा : रिपोर्ट 1 जनवरी को दी जानी चाहिए।

श्री ए० के० पांजा : हां, निश्चय ही दी जानी चाहिए। एक नोट श्री मूल चन्द डागा और एक नोट माननीय सदस्य द्वारा दिया जाना चाहिए ··· **(व्यवधान)**

श्री मूल चन्द डागा : श्री के० पी० सिंह देव ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित एक रिपोर्ट जनवरी 1986 तक दी ··· **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : क्या मैं माननीय सदस्य श्री डागा को सुझाव दे सकता हूं कि यदि वह अधिक स्पष्टीकरण या जानकारी चाहते हैं तो वह भी मन्त्री महोदय से मिल सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : हां, निश्चय ही मिल सकते हैं। जहां तक श्री सिंह देव की रिपोर्ट का सम्बन्ध है मुझे स्वयं जानकारी नहीं है। मैं निश्चय ही इसे देखूंगा और फिर उन्हें जानकारी दूंगा। यह मेरा निवेदन है।

6.56 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 अप्रैल, 1986/1 वैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिन्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित